



4.2. Number of seats earmarked for reserved category as per GOI/State Govt rule year-wise during last five years

Madhya Pradesh Reservation Policy





Translation of Reservation Policy of Government of Madhya Pradesh (As given in the Admission Guidelines issued by Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh) applicable in HEIs of the state.

Reservation:-

According to the reservation policy of the Government of Madhya Pradesh, the reservation will be as follows-

28.1. If a reserved category candidate appears in the merit list as per rules in general category/open competition due to getting more marks, then reserved category seats will remain unaffected. But if such a student belongs to any other cadre like freedom fighter etc., then the seat of the concerned cadre will be considered as filled in that particular reserved category, the remaining seats of the concerned particular cadre will be filled as per eligibility.

28.2. 16 percent and 20 percent seats will be reserved for applicants belonging to Scheduled Caste (SC) and Scheduled Tribe (ST) respectively. The seats of these two classes will be interchangeable.

28.3. 14 percent seats will be reserved for applicants from backward classes (OBC) (excluding creamy layer). (Amendment No. 13881-227-21 A (Pvt.) Order dated 13.08.2010, published in Madhya Pradesh Gazette No. 349 Bhopal, dated 14.08.2019 passed by Hon'ble High Court under petition no. W.P. 5901/2018 Will be implemented subject to decision).

28.4. 05 percent seats will be reserved jointly for Sons/daughters and grandsons of freedom fighters, sons/daughters of soldiers martyred or permanently disabled while on duty in the Indian Army and dependents of ex- and serving defence personnel/ the children of the Central Arm Police Force and for the disabled category applicants of

these categories. By giving overload of 10 percent marks to the disabled category applicants related to this, the combined merit of the three classes should be determined, but this reservation will be made available only from the seats reserved for the concerned cadre. The order of priority of the personnel/officers of the Indian Armed Forces will be as follows-

1. Martyr's widow and their dependents during the war.

2. Permanently disabled during war, serving soldiers and their dependents.

3. Dependents of martyrs in service during peace.

4. Persons permanently disabled in service during peace and their dependents.

5. Dependents of serving or ex-servicemen awarded with the following gallantry medals: Paramveer Chakra, Ashoka Chakra, Sarvottam Yudh Seva Mandal, Mahavir Chakra, Kirti Chakra, Uttam Seva Mandal, Vir Chakra, Shaurya Chakra, Yudh Seva Medal, Army, Navy / Air Force Medal Yantras mentioned in their notifications.

6. President's Police Medal for Gallantry.

7. Dependents of Ex-servicemen.

8. Dependents of serving soldiers.

28.5. 5 percent seats will be reserved for applicants belonging to the disabled category, but this reservation will be made available only from the seats reserved for the concerned cadre. 5 percent relaxation will be given to the Divyang in the qualifying marks at the time of admission. Divyang applicants can be recognized for this category by uploading the certificate (in which 40 percent or more disability is mentioned) issued in the prescribed format provided by the District Medical Board at the time of registration.

28.6. Economically Weaker Section (EWS- Economically Weaker Section) :-

The benefit of 10 percent reservation for admission in educational institutions to the students belonging to the economically weaker general category, General-Administration Vinas Order No. F-07-11/2019/A. Admn./ One Bhopal dated 02 July

2019 and will be given in the sequence of Commissioner Higher Education's letter number 444 /243/Aushi/S.- 5 /2019 Bhopal dated 16 July 2019.

28.7. NCC 1 percent of the sanctioned seats in the college will be reserved for the applicants who have passed 'C' certificate at the postgraduate level.

28.8. 30 percent of the seats available in all classes will be reserved for girl students.

Who. Director (IQAC Director 4 IQAC (NAAC) A.P.S. University, Rewa (M.P.)

A.P.S University Rewa (M.P.)

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विमाग वल्लम, भवन मंत्रालय-462004

ः आदेश ः

भोपाल, दिगांक 1 5/07/2021

कमांकः 544/94/सीसी/2021/अड़तीस : प्राज्य शासन एतम् झाप्रा सत्र 2021-22 के लिये मध्यप्रदेश के शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालयों में स्तातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेश नियम, मार्गदर्शी सिद्धांत, अकादमिक कैत्रोण्डर एवं ऑनलाइन प्रवेश

समय-सारणी जारी किये जाते है।

6,

ź,

सलग्न- प्रवेश नियम / मार्गदर्शी सिद्वांत

उप सचिव मव्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्षा विमाग

भोपाल, दिनांक 15/07/2021

पूर्णक्रमॉक545/94 /सीसी/2021/अड़तीस - प्रतिलिमि :

प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजमवन सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल, मग्र

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिला, म.प्र.।

स्टाफ आफीसर, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विसाग, मंत्रालय। 2

3. आयुक्त, छच्च शिक्षा, म.प्र. सतपुड़ा भवन, भोपाल।

अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल, म.प्र.। 4.

कुलसचिव, समस्त परम्परागत विश्वविद्यालय, भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा, 5.

उज्जैन/ छतरपुर एवं छिन्दवाडा, म.प्र.।

युलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, म.प्र.।

समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.। 7.

सीईओ. एम.पी.ऑनलाइन, द्वितीय तल डी.पी.मॉल, एम.पी.नगर मोपाल मझ. की ओर कार्यवाधी 8.

9.

हेतु 1 प्राचार्य, शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय, भ.प्र.।

प्रमारी आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा, म.प्र., सतपुड़ा भवन, मोपाल की ओर वेबसाइट पर 10. 11. अमलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।

मध्यप्रदेश शालन, उच्च शिक्षा विभाग

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन



-

5

ऑनलाइन प्रवेश सत्र 2021-22

मध्यप्रदेश के शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालय की स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु इच्छुक आवेदकों के लिए

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त पुस्तिका

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, पॉववी मंजिल, भोपाल – 462004 नियंत्रण कक्ष हेल्पलाइन नंबर :- 0755-2551698, 2554763 E-mail:- epravesh12@gmail.com तकनीकी समस्या हेतु एम.पी. ऑनलाइन सहायता केन्द्र नंबर :- 0755-6720201

विद्यार, कर्म एवं व्यवहार की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति ही शिक्षा है।

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

GOVT. OF MADHYA PRADESH, BHOPAL

ONLINE ADMISSION PROCESS



-

5

मोरेल पर विश्वविद्यालय बार पाठ्यलम की सूची एवं पाठ्यक्रम में घंदेश हेतु पाठता दर्पित है। में आलानी से अपनी बोज्यतानुतार महाविद्यालय पत्र पाठ्यकन का प्रयत्न संद्यसकता सकती है

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में साम सेने हेतु क्या करना है । सर्वप्रयम पंजीयन, पात्रता अनुसार महावित्यालय पाठ्यज्ञन का चयन, आतस्यक दस्तवेजों/ प्रमाण पत्रो स्केन कर अपलोड करना। प्राप्तांक ए केणी के आधार पर नियमानुसार महाविद्यालय एवं पाठ्यक्रम का आवंटन होगा । आवेटन होने पर राष्ट्रीय शिक्षा सोहि के परिप्रेक्य में नवी विषयों का ओनलाईन चयन एवं महाविद्यालय की प्रवेश शुल्क जमा कर प्रवेश सुनिश्चित होगा । https://epravesh.mponline.gov.id Uminit विद्यर्षियाँ 3. आवश्यक प्रमाण पत्री अपसोड करना द्तारा की जाने 2. महाविद्यालया पाइनक्रम का इवले वाली प्रक्रिया 1. प्रवेश हेनु मंजीयन MERIT विभाग द्वारा की LIST जाने वालीं प्रक्रिया 6. MINCH SHAT 5, प्रार्थण्य सुधी 4. दस्तावेजी का सत्यापन THE R PORTS FARMER 184.5 CLICK TO PAY NOW Build you an Anon at Alamaist and अंबट कार्ड द्वारा स्वयं किंमा जा सकता है मुडिया विद्यायियों द्वारा C vill 2 2 2 उपलब म होने पर प्रमाधितित्वाहर विहासक की की जाते पाली सहासरवं भी मुनटान किंगा आसमत है। प्रक्रिया 7. Guilt gott any faculty, Generic 8. भूल्झ का मुललाज पहर के द्वाय Elective, Vocational Courses #1 अग्रेंगलाइत चयन किंग जांगी प्रवेश मुल्क का मुबलाल होने पा-प्रवेश: सुविधित जाना 200 \$1. प्रवेश न्नावेगा

प्रवेश नियम एवं सार्गदर्शी सिद्वान्त

सत्र 2021-22

				अनुक्रमणिका	मुक्
-17	Sim			रुप विषय	4.
+	विषय				
1	प्रयुक्ति		and the state of the		4
		की जानकारी	<u> ann an an</u>		4:
		विधी प्रावधान	- to aid	A DET	4
T	अईका	विमा ग्रेस्टा 10+2 से संकाय, परि प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम	वतन तम	अ िल्लीन लोग देन पावती	4-61
	tellda	प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम	समस्टर	म् । निदानत अपरा ठपु नाम्या	6-12
		and a second sec			6
- E .		The strength attract	न एवं ना	A ANT	7
i i		अंग्रीमान देल प्रदुष्ठ प्राप्त विद्या	यया राष		I
1	6.3	महातिरालय / पाठयक्रम यद	न - अभग्र	अंक सूची संबंधी	7
-	6.4	एलीयम हेत आवश्यक	6,4.1	अक सूचा संबंध जाति प्रमाण पत्र संबंधी	8
1		प्रमाण पत्र / दरतावज	6:4.2	जाति प्रमाण पत्र संबंधी संवर्ग प्रमाण पत्र संबंधी	8
	- Contraction	अपलोड करने की प्रक्रिया	6.4,3	अधिमार हेतु प्रमाण पत्र संबंधी	8
			5.4.4	आदमार हतु प्रयास पत्र स्वका मूल निदासी संबंधी	- 8
		المرجدين المسيدين الم	6.4.5	े जन्म यहां में लिटेंग	9
1	6.5	पजीकृत आवेदको के	6.5.1	असत्यापित / युदिपूर्ण आदेवन संबंधी निर्देश	9-10
1000		वस्तायेंजों की ई -सत्यापन	6,5.2		
		प्रक्रिया	6.6.1	प्रवेश आवटन हेतु गुणानुक्रम एवं प्राथमिकता का तिर्धारण	19
10	6.6	ऑनलाईन गुणानुक्रम	0.0.1	RAM ALLANT C.R. D. D.	1
		अनुसार आवंटन सूची का	-		Ī
		महाविद्यालयवार प्रकाशन	6.6.2	प्रथम चरण में प्रवेश हेतु सीट आवंटन प्रक्रिया	and the second se
	6.7	महाविद्यालय / संकाय आव	दन पश्च	प्रथम चरण म प्रवश हुए ताद आवेदको द्वारा ऑनलाई- गत् प्रवेश शुल्क भुगतान के पूर्व आवेदको द्वारा ऑनलाई-	•••••••••
	- C+ F	ितिष्ठा तरान- किये जाल संबद	1-1-7-9-41	प्रवेश शुल्क का ट्रान्जेक्शन फेल डोने की दशा	11-11
	6.8	ऑनलाईन प्रवेश शुल्क (नामांकन शुल्क पहित)	6.8.2	प्रवेश शुल्क का द्रन्जिवरान- फल ठाउ पर परा आवश्यक निर्देश	1
	I	1. Nitron	1		
	80	BATTY A IN Y	धित महा	देद्यालय में रिपोर्टन प्रक्रिया	12
	6 10	विरवविद्यालय/महाविद्यालय	स्तर पर	संचालित सहिकिकेट कोसे वयन प्रक्रिया में एव प्रवेज हेत पनः विकल्प चयन एवं आवंदन प्रक्रिया	1 12
7	िल	य चरण में महाविद्यालयों के रि	कतु रधाः	संचालित साटाप्पकेट पाति प्रमन्त प्रकार हो पर प्रवेश हेतु पुनः विकल्प चयन एवं आवंटन प्रक्रिया से के जिल्ल ज्यानों घर प्रवेश हेतु पुनः विकल्प चयन ए	a i
8	্যান	लाईन सीएलसी चरण में म	हाविद्याल	गों के रिवत स्थानों पर प्रवेश हेतु पुनः विकल्प चायन ए	-1:
Q-	1700	चल प्रकिंगा			
9	9176	ह वापसी हेतु महाविद्यालय को	निर्देश		H I
10	Paras A				
11	2114	कीय सेवक के स्थानान्तरित ह	ोने पर प	ाल्सों के प्रवेश	1
12	1.037	ह पाज आवेदको के प्रवेश			1
14	Ting	प्रदेश शासन द्वारा विद्यार्थिय	13.1	मुख्यमंत्री मेवादी दिसाधी (MMVY) योजना कार्याज (जिस्मा पोल्साहन) योज	and the second second
1.5	के	प्रवेश हेतु हितग्नाही योजनाएँ	13.2	Travers and many former in the	
			13.3	मल्यामंत्री कोविड-19 बाल कल्याण याजना	
		where where we we	1 37807	रिक्षा दिभाग में कार्यरत शिक्षकों हेतु)	1
1.	4 4	-स्टप-अप याजनान्तगत अपरा	1 cakes		1 1
1 -	5 121	वे संकाय हेतु निम्मित प्रवेश प्र	क्रिया		

चियम एवं मार्गवर्शी सिद्धांत 2021-22

3

÷

1

÷.

i

A. Page 2/46

उच्च शिक्षा विमाम, माप्र.

ī. T	विषय		उप दिषय	पृक्र.
6	उत्कृष्ट महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रि	रयाः		38
7	संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश प्रति	न्या'		18
8	रव्यित्तीय पाट्यक्रमों में प्रवेश सर्व	त्री प्रस्त्रचान		18
1	प्रावधिक प्रवेश हेतु पाञ्रता		and the second	18-19
0	प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया	20.1	रनातक स्तर	19
	(शासकीय/अनुदान प्राप्त	20.2	रनातकोत्तर रत्वर	49
	अशासकीय /अशासकीय	20.3	नवीनीकरण शुल्क संबंधी निर्देश	79
	महाविद्यालयों हेंतु)	20.5	शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर उनके पाल्यों के प्रवेश संबंधी निर्देश	19
		20.6	स्वाध्यायी (प्राईवेट) से नियमित प्रवेश संबंधी प्रावधान	20
		20.0	पूर्व छात्र (Ex-Student) के नियमित प्रवेश संबंधी निर्देश	20
	19	20.7	विश्वविद्यालय / महाविद्यालय स्तर पर संचालित सटिफिकेट कोर्स चयम प्रक्रिया	20
	त्तालंक कक्षाओं में ए.डी.के.टी/पू	<u>।</u> एक जे जोही		20
1	स्नातक कक्षाओं में पु.टी.के.टी स्नातकोत्तर कक्षाओं में ए.टी.के.टी	जो जराधिन	एक्स शियम	21
23	स्नातकोत्तर कक्षाओं में ए.टा.क.टा प्रवेश सीट संख्या का निर्धारण	23.8	मिजी महाविद्यालयों को ऑनलाईन पोर्टल पर जोड़ने की प्रक्रिया	21
	समकक्ष बोर्ड संबंधी प्रवेश नियम	Sale (2022
24	प्रवेश की पात्रला	25,1	! निवासी एवं अप्रेकारी परीका	23
25	विशेष प्रकरण संबंधी प्रवेश हेतु प	1		1 - 24
26				24
27	बाह्य राज्य के आवेदकों हेतु प्रवे	and the second design and the second s	अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश	25-2
28	आरक्षण	28.11	the second se	27
29	अधिमार	29,1	एन.सी.सी./एन.एस.एस/स्काउट्स (स्काउट / गाईड्स/रेन्जर्स)	1
		29.4	छेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/विवज/रूपांकन प्रतियोगिताएँ	
		29.8	विशेष प्रोत्साहन आउटराईट (Outright)	22
30	प्रवेश संबंधी विशेष मानधान	30.1	प्रवेश पश्चात् प्राचार्य के अधिकार	29
30	Marks Stilleds survice Structure .	30.2	ग्रदेश शुल्क वापसी की प्रक्रिया	2
		30.3	हितग्राही योजना यहिवतन	3
		30.4	दिषय / पाठ्यक्रम / संकाय परिवर्तन	3
				122
31	परिशिष्ट 1 एवं 2	dr. and		36
32	परिशिष्ट ३ ऑनलाईन प्रवेश सम सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न ।	⊶ -31 ₹71		38-

नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2021-22

3

1.1

-

+ 12

Page 3 / 46

मध्यप्रदेश के शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त

(सत्र 2021-2022)

1. प्रयुक्ति :-

1.1

2.

5.

0

मार्गदर्शक सिद्धान्त मव्यप्रदेश के समी शासकीय और अशासकीय (अनुदान प्राप्त एवं अनुदान अग्राप्त) महाविद्यालयों में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अव्यादेश व्रमांक 5 एवं 7 के प्रावधानों के तहत सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुविश्यित करेंगे। जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश/वियम/विनियम में प्रवेश प्रान्ता हेर्नु अन्यया उल्लेख ही, उदाहरणार्थ दी सी आई, वहाँ ये नियम विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालयों के सुरागत प्राठ्यक्रमों में लागू राष्ट्री होंगे। समस्त महाविद्यालयों में प्रवेश उपरांत गरिमामयी प्रवेश उत्सव आयोजित किये जाएंगे, जिसमें प्रथम वर्ष

के प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु मार्गदशी व्याख्यान दिये जाने की व्यवस्था की जाये।

पोर्टल की जानकारी :-

पंजीयन हेतु प्रदेश प्रक्रिया की जानकारी पोर्टल <u>(https://epravesh.mponline.gov.in)</u> पर उपलब्ध रहेगी।

3. आयु संबंधी प्रावधान -

वर्ष 2017-18 प्रवेश भार्मदर्शी सिद्धान्त के बिन्दु क्रमॉक 9.3 करवार घड़ार के तहत आयु संबंधों प्रावधानों को विलोपित किया गया है तथा उसके स्थान पर वर्ष 2018-19 से स्नातक एवं स्नातकोरतर में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा हटाई गई है अर्थात सभी विद्यार्थियों के लिए आयु सीमा का कोई वधन नहीं होगा।

4. अईकारी परीक्षा 10+2 से संकाय/विषय परिवर्तन संबंधी तिर्देश :---

रनातक प्रथम वर्ष में अईकारी परीक्ष के संकाय/दिषय से परिवर्तन कर प्रवेश खाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांको से 5 प्रतिशत घटाने के बाद ही उनका गुप्रानुक्रम निर्धारित संगा और अधिमार घटे हुए प्राप्तांकों घर ही देय होगा।

स्नातक प्रथम वर्ष / स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश हेतु पात्रता :--

5.1 स्नातक स्तर हेत :--

10+2 परीक्षा छत्तीर्ण आवेदको को स्नातक स्तर पर प्रथम दर्श में नियमित प्रवेश की पात्रता निम्नानुसार होगी --

स.क.	10+2 अर्हकारी परीका	रनाखक कका में प्रवेश
1	विज्ञान	विज्ञान संकाय के सुसंगत विषय/वाणिज्य संकाय/कर्ता संकाय/गृह विज्ञान संकाय/बी.बी.ए./बी.सी.ए.(गणित मुख्य या अतिस्कित विषय के साथ अनिवार्य)
2	वापिज्य	वाणिज्य संकाय/कला संकाय/पूह विद्वाल संकाय/वी.वी.ए./वी.सी.ए. (गणित मुख्य या अतिरिवत विषय के साथ अनिवाय)
3	कला	कला संकाय/गृह विज्ञान संकाय/वी बीए/बीसीए(यणित मुख्य या अतिरिक्त विषय के साथ अनिवायी)
4	गृह विज्ञान	गृह विज्ञान संकाय/कला संकाय
5	च्हुचि	कला शंकाय/बीएस.सी. (जीव.विज्ञान समूह)(जीव.विज्ञान समूह के एलाइड दिपयों जैसे माईक्रोवायोलॉजी, बाबोटेक्नॉलाजी, सीड टेक्नॉलाजी आदि दिपय) (टीय:- म0प्र0 शासन उच्य शिक्षा विमान के पत्र क्रमांक 394/73/सी.सी. /2017 दिनॉक 03.052018 के अनुसार)
ö	व्यावसायिक पाइयक्रम	कला संकाय/वाणिज्य संकाय/विझान संकाय/गृह विझान संकाय अंकसूची में दर्शित विषयों के अनुसार इस हेतु (बिन्दु क. 5.1.6 का अवलोकन करें)

5.1.1 चांत्रता प्रमाण पत्र संबंधी स्पष्टीकरण :--

101-2 का तात्पर्य मध्यप्रदेश माध्यगिक शिक्षा मंडल, भौपाल द्वारा आयोजित या अन्य राज्यों के विद्यालयों की इंटरमीडियट बोर्ड या 12वीं बोर्ड की समकक्ष प्रश्नेक्ष से है।

रपष्टीकरण – मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी आवेदक जिन्होंने मध्यप्रदेश राज्य से सी.बी.एस.ई/आई. सी.एस.ई/एम.प्री.योर्ड, से मुक्त बोर्ड (Open Board)/एम.पी.बोर्ड/पोर्टल घर प्रदर्शित सान्य बोर्ड से बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो, ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए किसी भी विश्वविद्यालय से पावला प्रमाण प्रज की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य सज्यों से बारहवीं उत्तीर्ण (10+2) विद्यार्थियों को नियमानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

- 5.1.2 आई.टी.आई उत्तीर्ण आवेदक 12वीं (10-2) समकक्ष प्रशिक्षा उत्तीर्ण होने पर ही स्नातक प्रथम वर्ष के पाठयक्रमों में प्रवेश हेत पात्र होंगे।
- 5.1.3 मध्यप्रदेश शासन. उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क. 667/175/सीसी/18/38, दिनांक 10.07.2018 द्वास बी.सी.ए. में प्रदेश हेतु 10+2 परीक्षा किसी भी संकाय (कतो, वाभिष्य, विझान एवं जीवविद्यान) में उत्तीर्भ विद्यार्थी गुणानुक्रम अनुसार प्रवेश हेतु पात्र होंगे। (10+2 परीक्षा की अंकसूची में गणित मुख्य या अतिरिक्त विषय के रूप में दर्ज हो।)
- 5.1.4 सच्यप्रदेश साध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से पूर्व के <u>हायर सेकेण्ड्री (ग्यारहवीं)</u> उत्तीर्ण आवेदकों को रनातक स्तर पर प्रयम वर्ष में नियमित प्रवेश की पाठता होगी।
- 5.1.5 यू.जी. डिप्लोमा पाद्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय की पात्रता अनुसार ही विद्यार्थी आत्र होंगे।
- 5.1.6 व्यावसाधिक यांव्यक्रम से उत्तीर्म आवेदक माध्यमिक शिला मंडल झरा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विज्ञान से मिलते जुलते दिपय, जैसे लेबोरेट्री मेडिसिन मेमेंजमेंट एवं सिस्टम एनालिसिस, क्लीनिकल बॉधोकेनेस्ट्री, नाइक्रोबॉयोलाजी एण्ड मेनेजमेंट सिस्टम तथा कम्प्यूटर से संबंधित विषय और प्रिंटिंग ऑफ डाटा–प्रोसेसिंग, भैनेजमेंट एण्ड सिस्टम एनालिसिस, डी.टी.पी. प्रैकेज प्रोग्रामिंग, वर्कशाप प्रविद्यस आदि सम्मिति ई। उपरोक्त विषयों के साथ माध्यमिक सिक्षा मण्डल, मोपाल द्वारा पायलित व्यावसायिक पाठ्यक्रम 10+2 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण– पत्र प्राप्त करने के बाद ही संबंधित संकाय में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऑनलाईन पंजीयन के सतस संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पंत्र प्राप्त करने के लिए किए गए ऑनलाईन आतेंदन की पावती अपलोख करना आवश्यक होगा। किसी भी कका में प्रवेश देवु पात्रता प्रमाण–पत्र संबंधी निर्वारण में संदेह होने पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाण–पत्र को अंतिम माना जावेगा। विश्वविद्यालयों द्वारा प्रावती व्यवत्यक योग पात्रता प्रमाण पंत्र प्राप्त करने के लिए किए गए ऑनलाईन आतेंदन की पावती अपलोख करना आवश्यक होगा। किसी भी कका में प्रवेश देवु पात्रता प्रमाण–पत्र संबंधी निर्वारण में संदेह होने पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाण–पत्र को अंतिम माना जावेगा। विश्वविद्यालयों द्वारा प्रावति संवधित प्रवयि प्रालय पात्रतानुसार प्रवेश के समय आवेदक की पात्रता का परीक्षण का संपूर्ण दायित्व प्रवेश की पात्रता प्रमा के प्राचार्य का होगा। आवंटन का ताल्पर्य यह कदायि नहीं होगा कि आवेदक प्रवेश की पात्रता पूर्ण करता
- 5.2 स्नातकोत्तर स्तर हेतु :--

5

स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एग.ए./एन.कॉम./एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की पाञता संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार होगी।

स.क.	कर्मा	अर्हकारी परीक्षा
1	एम.कॉम. प्रथम सेमेस्टर	दी कॉम -
2	एम.एस.सी. प्रथम समेस्टर	दी.एस.सी. संबंधित विषय के साथ
3	एम.एस.सी. (गृहविज्ञान) प्रथम सेमेस्टर	बी एस.सी. (गृहविज्ञान)
4	एन.ए. प्रथम संगेस्टर	रनातक परीक्षा उत्तीर्ण
5	एम.एस,डब्ल्यू.	स्नालक परीक्षा उत्तीर्थ (पात्रता हेतु च्यूनंतम ४६ प्रतिशत आवश्यक)

5.2.1 पात्रता प्रसाण पत्र संबंधी स्पष्टीकरण :-- मध्यप्रदेश त्तन्य के किसी भी विश्वविद्यालय से स्नावक उत्तीर्भ विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर में प्रवेश हेतु पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। सध्यप्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्य के विश्वविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्थ होगा।

5.2.2 पी.जी डिप्लोमा पाउपक्रम हेतु विश्वविद्यालय की पात्रता अनुसार ही विद्यार्थी पात्र होंगे।

प्रवेश प्रक्रिया_:-

प्रदेश के उच्च रिक्षा विभाग के शासकीय और अशासकीय महायिद्यालयों के स्तातक प्रथम वर्ष तथा स्तातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में सत्र 2021-22 हेतु केंद्रीकृत ऑनलाईन प्रवेश की व्यवस्था होगी। ओनलाईन प्रवेश व्यवस्था में सर्वप्रथम आवेदक को अपना सोनलाईन पंजीयन, ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया हेतु विभाग द्वारा पृथक से जारी समय सारणी अनुसार निर्धारित समयावधि में, अनिवार्यत कराना होगा।

- 6.1 पंजीयन, पंजीयन शुल्क मुगतान एवं नामांकन प्रक्रिया :--
- 6.1.1 ऑनलाईन प्रजीयन की कार्यवाही के अन्तर्गत स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिये आवेदक को विश्वविद्यालय द्वारा धोषित विषय-समूह (गणित/जीव विज्ञान/वाणिज्य/कला/गृह-विज्ञान इल्यादि) का चयन करते हुए उन महाविद्यालयों का चयन करना होगा जिनमें आवेदक प्रवेश चाहता है। इसी प्रकार स्नातकोत्तर स्तर पर कक्षाओं में प्रदेश हेतु ऑनलाईन पंजीयन की कार्यवाही के साथ विषय प्रयन एवं महाविद्यालयों का चयन करना होगा।
- 6.1.2 स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के आवेदकों को ऑनलाईन पंजीयन के समय ही ऑनलाईन नामांकन फॉर्म भी मरना होगा। प्रवेश शुल्क की प्रथम किरत के मुगतान उपरान्त आवेदक के नानांकने एवं यूनिक आई.डी की कार्यवाही स्वतः पूर्ण हो जवसेगी। प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थी का पंजीयन क्रमांक हो यूनिक आई.डी के रूप में प्रयुवत होगा। पंजीवन कमांक के प्रश्वात नियमित विदार्थी के लिए "/आर" (/R) और स्वाच्यायी विद्यार्थी के लिए "/पी" (/P) का प्रयोग किया जाएगा। संबंधित विश्वविद्यालय दारा प्रवत्त नामांकन कमांक के साथ विश्वविद्यालय का संविधन नाम जैसे –"/वीयू"(/BU) अंकित किया जाएगा। विश्वविद्यालय परिवर्तन होने पर विद्यार्थी को आवंटित नामांकन क्रमांक एवं यूनिक आई.डी यथावत संबंधित विश्वविद्यालय में स्थानांतरित हो जाएगा और उसके साथ ही संबंधित विश्वविद्यालय का संक्षित्त नाम अंकिल कर दिया जाएगा जैसे-"/बीयू/डी.ए.बि. वि"(/BU/DAVV) अंकित किया जाएगा।
- 8.1.3 उच्च शिका विभाग द्वारा जारी समय-सारणी अनुसार आवेतक ऑनलाईन पंजीयन कर सकेंगे। प्रवेश प्रक्रिया की सम्पूर्ण जानकारी ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगी। आवेदक अपना पंजीयन ऑनलाईन पोर्टल के माध्यन से स्वयं या कियोस्क द्वारा कर सकेंगे।
- 6.1.4 पंजीयन के परचात आवेदक आवेदन का प्रिंट आउट प्राप्त कर समस्त प्रविष्टियों जैसे-नाम, माता/पिता का नाम, जन्मतिथि (10यीं/12यीं की अंकसूची के अनुसार), श्रेमी, वर्ग, प्राप्तांक, मोवाईल नग्दर एवं अधिभार प्रमाण पत्र की जानकारी इत्यादि की सावधानीपूर्वक जॉय कर से एवं सुनिश्चित करें कि दर्ज जानकारी एवं स्पेलिंग पूर्णत: सही है। दर्ज प्रविष्टियों की समस्त जिम्मेदास आवेदक की ही होगी।
- 6.1.5 स्नातकोत्तर ककाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी स्नातक अंतिम वर्ष / अंतिम सेमेस्टर के परीक्षा परिणान घोषित न होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश हेतु वार्षिक पद्धति के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष / सेमेस्टर पद्धति के प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर तक के कुल अंकों के प्राप्तांकों का प्रतिशत ऑनलाईन पंजीयन के मनय दर्ज करना होगा। प्रथम एवं द्वितीय चरण तथा सी.एल सी. चरण में स्नातक अंतिम वर्ष / सेमेस्टर पद्धति के प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर तक के कुल अंकों के प्राप्तांकों का प्रतिशत ऑनलाईन पंजीयन के मनय दर्ज करना होगा। प्रथम एवं द्वितीय चरण तथा सी.एल सी. चरण में स्नातक अंतिम वर्ष / संमेस्टर के प्रथम से मेक्टर के प्रथम एवं द्वितीय चरण तथा सी.एल सी. चरण में स्नातक अंतिम वर्ष / अंतिम सेमेस्टर के प्रथम से प्रति प्रथम से प्रति के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष / सेमेस्टर के प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर के प्रथम से प्रतिम सेमेस्टर के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष / सेमेस्टर के प्रथम से चतुर्थ
- 8.1.6 प्रवेश प्रक्रिया के मध्य परीक्षा परिणाम घोषित होने की स्थिति में आवेदकों को स्वयं/अभिभावक को उपस्थित होकर हेल्पसेन्टर के माध्यम से पोर्टल पर अद्यतन परीक्षा परिणाम अकित कराना एवं सहयापन की कार्यवाही पूर्ण कराना अनिवायं होगा।

8.1.7 पंजीयन शुल्क का भुगतान समय-सारणी अनुसार, यरणवार निम्नानुसार देय होमा-

स्क्र	चरण	<u>जुल्क</u>	विशेष
	A STATE AND A STAT	100/=	समस्त छात्राओं को निःशुल्छ
2	हित्तीय चरण में पंजीयन	250/-	विलंब शुल्क सहित।
3	सी.एत.सी वरण में पंजीयन	1 500/-	विलंब शुल्क सहित।
¥. :	पोर्टल शुल्क	50/-	स्नातक प्रथम वर्ष/स्नालकोतार प्रथम झेमेस्टर के लिए।

आवेदको द्वारा पंजीयन शुल्क का मुगतान ऑनलाईन डिजिटल माम्यम से ही किया जा सकेगा, तत्परचात् ही ऑनलाईन ई--जत्यापन होगा।

6.2 मंजीयन हेतु पुरक प्राप्त विद्यार्थियों संबंधी निर्देश :--

कक्षा 12यों में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को भी प्रावधिक प्रवेश के लिए पंजीमन कराना अनिवायें है। प्रवेश प्रक्रिया संचालन के मध्य पूरक परीक्षार्थियों के परीक्षा परिशाम घोषित होने पर उन्हें आगामी चरण / सी.एल.सी में अपने ऑनलाईन आवेदन को अद्यतन करने के साथ ही सहादिद्यालय/पाद्यक्रम की च्याईस फिलिंग एवं दल्लावेज/प्रमाण पत्र को स्क्रैन कर अनिवायता ऑनलाईन अपलोड करना होगा।

6.2.1 प्रवेश प्रक्रिया के सी.एल.सी. चरण तक आवेदकों के पुरक परीक्षा के परिणाम घोषित न होने की स्थिति में इन विद्यार्थियों को स्थान रिवत रहने पर ही प्रावधिक प्रवेश दिया जा सकेगा।

6.3 महायद्यालय/पार्व्यक्रम चयन प्रक्रिया

Participation of the second second

.

सत्र 2021-22 की ऑनलाईन ई-प्रवेश प्रक्रिया में पंजीयन के समय आवेदक न्यूनतम 1 एवं अधिकतम 7 महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों का भयन करते हुए विक्रत्य चयन (चाईस फिलिंग) कर सकेंगे।

- 6.4 पंजीयन हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया :--पंजीयन के समय आवेवक को ई-सत्यापन हेतु निम्नलिखित्र आवश्यक दस्तावेजों को स्क्रेन कर अपलोड करना होगा (स्पष्ट एवं पठनीय) --
 - (अ) अंक सूची-न्यूनतम अर्हकारी प्ररोधा स्तातक प्रवय वर्ष हेतु बारहवी. स्नातकोत्वर प्रथम संमेक्टर हेतु स्नातक अंतिम वर्ध/षण्ठम सेमेस्टर

(मार्गदर्शिका को कण्डिका 6.4.1 का अवलोकन करे)

- (ब) जाति प्रमाण पत्र- (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग), यदि लागू हो तो (मार्गदर्शिका की कण्डिका 6.4.2 का अवलोकन करें)
- (स) संवर्ग प्रमाण पत्र- (दिव्यांग / आर्थिक रूप से कमजीर वर्ग / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के संबंधी / उच्य शिक्षा विमाग के अधिकारियों कर्मचारियों के पाल्य आदि) यदि लागू हो तो (सागदर्शिका की कण्डिका 6.4.3 का अवलोकन करें)
- (द) अधिमार राववी प्रमाण पत्र, यदि लागू हो तो
 - (मार्गतर्शिका की कण्डिका 84.4 का अवलोकन करें)

अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में निर्देश एवं स्पष्टीकरण

6.4.1 संक सूची संबंधी -

(अ) स्नातक स्तर में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण आवेदकों की मूल अकसूची के अनाव में पंजीयन के समय आवेदक की इन्टरनेट से डाउनलोड की गई स्वप्रमाणित अंक सूची मान्य होगी।

(a) स्नातकोत्तर स्तर में प्रवेश हेतु स्नातक अंतिम वर्ष / षण्डम (छटवे) सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में आवेदक प्रावधिक प्रवेश हेतु केवल स्नातक द्वितीय वर्ष / पंचम (पांचवे) सेमेस्टर की अकसूची अपलोड करेंगे।

6.4.2 जाति प्रमाण पत्र संबंधी -

आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 352/243/आउशि/शा~5 अ/2019, भौमाल दिमांक 13.06.2019 के अनुक्रम में अनुसूधित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के पास उनके स्वयं के नाम का जाति प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में आवेदक के पिता के नाम पर जाती स्थायी जाति प्रमाण पत्र को प्रवेश आवेदन में पंजीयन हेतु मान्य किया गया है।

- (अ) ऑनलाईन पंजीयन के रूनय आवेदक के रवय के नाम का जाति प्रमाण पत्र ने होने की स्थिति में पिता के नाम का स्थायी जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना आवरयक होया। उसके परवात ही प्रदेश हेतु जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन एवं लाम प्राप्त हो सकेना।
- (ब) आवेदक का डिजिटल जाति प्रमाण पत्र न होने के स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पूर्व के बैध जाति प्रमाण पत्र भी सत्यापन हेतु मान्य किये जावेंगे।
- 6.4.3 संवर्ग प्रभाण पत्र संबंधी --

संवर्ग प्रभाज पत्र का लाम प्राप्त करने हेतु आवेदक मार्गदर्शिका के बिंदु क्र. 28 का आवश्यक रूप से अवलोकन करें तत्परचात ही पंजीयन के समय प्रभाण पत्र अपलोड करें।

6.4.4 अधिमार हेतु प्रमाण पत्र संबंधी :--

- (अ) स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये आधेगार हेतु आवेदक स्कूल सार के विगत चार क्रमिक सब (अर्थात सत्र 2017-18 के पूर्व के नान्ध नहीं हॉगे) तक के प्रमाण पत्र ही प्रजीवन के समय अपलोड कर सकेंगे।
- (ब) स्नातकोतार प्रथम संपेस्टर में अभिमार हेतु स्नातक स्तर में अध्येदक के विगत तीन क्रमिक सज (अर्थात् सज 2018–19 के पूर्व के मान्य नहीं होंगे) तक के प्रमाण पत्र ही पंजीवन के समय अपलोड कर सकेंगे।
- (स) एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर केवल सर्वाधिक अविभार का लास एक ही वर्ग में दिसा जायेगा। आवेदक सर्वाधिक अधिभार वाला प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड़ करें।
- (द) अधिभार का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक मार्गदर्शिका के बिंदु का 29 का आवश्यक रूप से अचलोकन करें तत्पश्याल ही पंजीयन के समय प्रमाण पत्र अप्लोड करें।

6.4.5 मूल निवासी संबंधी :-

- (अ) मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे मूल निवासी आवेदक जिन्होंने कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा मध्यप्रदेश राज्य से उत्तीर्थ की है, उन्हें पंजीवन के समय मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (a) मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे मूल निवासी जिन्होंने कसा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं अन्य प्रवेश में अध्ययन कर उत्तीर्ण की हैं किन्तु वे मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं उन्हें पंजीयन के समय मध्यप्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण पत्र अनिवार्यता अपलोड करना होगा, अन्यया उन्हें मध्यप्रदेश के मूल निवास का लाग प्राप्त नहीं होगा।

जियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2021-22

17

प्जीवृत्व आयदकों के दस्तावेजों की ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया :-

- पंजीकृत आवेदकों को यस्तावेजों के सत्यापन हेतु महाविद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। 6:5 आवेदक के दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया शासकीय महादिधालयों (हल्पसेन्टर) के माध्यम सं (31) ऑनलाईन संपन्न की जावेगी।
 - सत्र 2021-22 से ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया में सत्यापन की प्रक्रिया हेतु स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के आवेदकों के औनलाईन प्रजीयन फॉर्म का अपलोड किए नाए (3) दस्तावेजों के आचार पर शासकीय महाविद्यालयों (हेल्पसेन्टर) द्वारा ऑनलाइन सल्यापन कियां जावेगा।
 - आवेदक पंजीयन के समय आवश्यक प्रमाण पत्रों/अधिमार हेतु वस्तायेणों को रकेन कर अपलोड करेंगे। आवेदक यह सुनिश्यित करेंगे कि अपलोड प्रमाण पत्र/दस्तावेज पूर्णतः स्पष्ट एवं पठनीय (3) हों।
- 6.5.1
 - ऑनलाइन सत्यापन हेतु लगरत शासकीय महाविद्यालय आवटन अनुसार ई-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदकों के पंजीयन फॉर्म के सत्यापन हेतु अपलोड़ किए गए प्रमाण पत्र/दस्तावेजों (31) को डाउनलोड कर परीक्षण उपरांत संबंधित अधिकारी 'सल्यापन पूर्ण' के बॉक्स पर क्लिक करेंगे, जिससे आवेदक का ऑनलाइन सत्यापन सुनिश्चित हो सकेगा।
 - आवेदक का फार्म ऑनलाइन सत्यापित होते ही इसकी सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाईल में/ (**a**) ई-मेल पर संदेश के माध्यम से प्रेषित की जावेगी।
 - आवेदक स्वयं भी अपने लॉगिन आई.डी. से आवेदन फार्म के ऑनलाइन सत्यापन की अद्यवन (田) जानकारी ग्राप्त कर संकेंगे।
- असत्यापित / त्रुटिपूर्ण आवेदन संबंधी निर्देश :-6.5.2
 - यदि किसी आवेदक के पंजीयन आवेदन पत्र में त्रुटि है या अपलोड किए गए आवस्यक प्रमाण पत्र / दस्तावेज अस्पष्ट / अपयाप्त / अपूर्ण पाये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदन फार्म का (31)
 - ऑनलाइन सत्यापन नहीं किया जा सकेगा। संबंधित सत्यापनकर्ता अधिकारी ऐसे आवेदन मन्नों को जुदिपूर्ण/असत्यापित आवेदन फार्म की सूची में रखेंगे। ऐसे जुदिपूर्ण प्रकरणों की जानकारी का संधारण किया जासेगा। ऐसे आवेदक (a) जिनके करतावेजों में अस्पष्टता या त्रुटि माई जाती हैं. इस आश्रय की सूचना आवेवक को पंजीकृत. मोबाईल/ई-मेल पर प्रेषित करने का दायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा। सत्याप्रनकर्ती अधिकारी आवेदक के आवेदन फार्म को "असल्यापित या जुटिपूर्ण" वर्म में विलक करेंगे। इसकी सूचना आवेदक को पंजीकृत मोबाईल नंबर / ई--मेल पर संदेश के माध्यम से भी की जावेगी।
 - ऑनलाईन प्रयेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय सारणी अनुसार आवेदक स्वयं/अभिमायक मूल दरतावेजों के साथ किसी भी निकटतन शासकीय महाविद्यालय (Help Center) में उपरिधत होकर (田) त्रुटि सुपार/पुनः सत्यापन करवा सकने। सासकीय महाविद्यालय (Help Center) ऐसे आयेदकों के पंजीयन आवेदन में तुटि सुधार कर उनके सडी दस्तावेज अपलोड कर, पुरा विकल्प वयन करवाकर, पुनः सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करेंगे। इसके पश्चात् ऑनलाईन सत्यापन पर्यो (ऑनलाईन दरिफिकेशन स्लिप) आवेदक को दी जावेंगी।
 - आवेदक का फार्म ऑनलाइन सत्यापित होते ही इसकी सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाईल ने/ ई-मेल पर संदेश के माध्यम से प्रेपित की जावेगी। आवेदक स्वयं भी अपने लॉगिन आई डी. से (**q**)
 - आवेदन फार्म के ऑनलाइन सत्यापन की अद्यंतन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अपयाद स्वरूप सत्यापन के परचाल परंतु ऑनलाईन जुल्क जमा करने के पूर्व यदि कोई ञ्चिद्र विसंगति संज्ञान में आती हे तब मूल दस्तादेंजी से परीक्षण कर शासकीय महाविद्यालयों के (1) अहायता केन्द्रों (ttelp Centers) के माध्यम से तुटि सुधार हेतु ऑनलाईन रिक्वेस्ट जिले के अग्रणी महाविद्यालय को जुटि सुधार हेतु प्रेषित की आयेगी। सांसकीय महाविद्यालयों के सहायता केंग्रो की रिक्वेस्ट पर अग्रणी महाविद्यालय द्वारा त्रुटि सुचार किया जायेगा बुटि सुधार उपरांत आवेदक पुनः विकल्प चयन कर पुनः सत्यापन की प्रक्रिया अनिवार्धतः पूर्ण करेगे।

इस हेतु भेजी गई रिक्वेस्ट के परीक्षण एवं दस्तावेजों के संघारण की पूर्ण जिम्मेदारी सहायला केन्द्रों की होगी।

Page 9 / 46

निर्धारित तिथियों में पंजीकृत/सत्यापित आददेकों को ही गुण्पानुप्रत्न अनुसार महाविद्यालयों में (7) प्रवेश आवंटन हेतु सम्मिलित किया जायेगा।

ऑनलाईन गुणानुक्रम अनुसार आग्रेटन सूची का महाविद्यालयवार प्रकाशन-6.6

- रात्र 2021-22 से ऑनलाईन ई-प्रवेश की प्रक्रिया के प्रथम एवं दिलीय घरणानों महाविदालयों की कुल वास्तविक सीटों के विरुद्ध आवंदन की प्रक्रिया 1.25 प्रतिशत से की जायगी. जिससे प्रथम एवं द्वितीय चरण में अधिक से अधिक आवेतकों को उनके द्वारा दी गई वसीयतानुसार प्रदेश प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सके।
- प्रवेश आवंटन हेतु गुणानुक्रम एवं प्राथमिकता का निर्धारण :---6.6.1
 - गुणानुक्रम का विर्धारण -(31)

रनातक एवं स्नातकोत्वर कक्षाओं में प्रवेश के लिए अईकारी परीक्षा में प्राप्तांक एवं अधिभार पदि कोई देव है तो अधिमार को जोडकर समग्र अंकों के आधार पर गुणानुक्रम का निर्धारण किया जाएगा। सामान्य एवं आरक्तित श्रेणी के लिये पृथक-पृथक गुणानुक्रम सूची तैयार की जाएगी। रनावकोत्तर कक्षा में प्राथमिकता का निर्धारण --

- किसी एक विषय में उमालकोतार परीक्षा उत्तीर्ग दियाथी को अन्य किसी विषय की स्नातकोतार (a) कक्षा में रयान रिवत रहने की देशा में ही पात्रतानुसार सी.एल.सी. चरण में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे आवेदक प्रथम चरण में पंजीयन कर सकेंगे घरन्तु आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र अपलोड करने एवं महाविद्यालय / पाठ्यक्रम चयन की प्रक्रिया भी एल.सी चरण की निर्धारित समय सीमा-में ही कर सकेंगे।
- 8.6.2 . प्रयम चरण में प्रवेश हेतु सीट आवटन प्रक्रिया
 - ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल समस्त महाविद्यालयों को प्रथम घरण की आवंटन सूची पोर्टल पर छनकी लॉगिन आईडी पर उपलब्ध रहेगी। आवेडक द्वारा संबंधित महाविद्यालय के ऑनलाईन (31) शुल्क भुगतान परचात् प्रदेशित दिद्यार्थियां की सूची संगी महाविद्यालय अपनी लॉगिन आईडी पर देख सकेंगे। शुल्क भुगतान उपरांत आवेदक द्वारा प्रवेश निरस्त कराने पर ऐसे विद्यार्थियों की सूची भी पोर्टल पर दर्शित होगी।
 - प्रथम चरण में सभी ई-सत्यापित आवेदकों को गुणानुक्रम एवं उनके संकाय/विषय एवं महाविद्यालयों के विकल्प के आधार पर महाविद्यालय में प्रवेश आवेटन, ऑनलाईन प्रवेश समय **(a)** सारणी अनुसार पोर्टल पर जारी किये जावेंगे।
 - इसकी सूचना आवेदकों को उनके दाश पंजीयन के समय दर्ज मोबाईल नम्बर/ई-मेल पर संदेश (77) के झारा यी जावेगी साथ ही, आवेदक अपना प्रयेश आवंटन आवश्यक रूप से प्रवेश पीर्टल पर रवयं भी लॉगिन पासवर्ड से वेक कर आवंटन पत्र ढाउनलोड कर सकेंगे।
 - संत्र 2021-22 की प्रवेश-प्रक्रिया में कोविड-19 की रोकथान के प्रसिद्ध में निर्णय लिया गया है कि आवंटन प्राप्त होने के उपरांत प्रवेश की लिए आवेदकों को आयटित महाविद्यालय में जाने (द) /प्रवेश शुल्य भुगतान हेतु लिंक इनीशिएट कराने की आवश्यकता नहीं डोगी। आवेतक आमंटित. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु ऑनलाईन विषय चयन के उपरांत प्रवेश शुल्क (संबंधित विश्वविद्यालय के नामांकन शुल्क सहित) का मुगतान ई-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन डिजिटल विकल्यों का उपयोग करते हुए समय-सारणी अनुसार निर्धारित तिथि तक कर सकेंगे।
 - प्रवेश पोर्टल से शुल्क जमा करने की पुष्टि होने पर ही अप्येसक का नाम नवधित महाविद्यालय की प्रवेश सूची में दर्शित होगा। उक्त प्रवेश शुल्क संयंधित महाविद्यालय के खाते में पूर्वानुसार (四) ऑनलाईन ही ट्रांसफर होगा।

जच्च शिक्षा दिमाग, म.प्र.

6.7 महाविद्यालय/संकाय आवटन परवात् प्रवेश शुल्क भुगतान के पूर्व आवेदको द्वारा ऑनलाईन दिवय ययन किये जाने संबंधी निर्देश :--

8.7.1 आवेदकों को महाविद्यालय आवंटित होने पर सब्दीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में नयीन पाठ्यक्रम अनुसार सर्वप्रथम ऑनलाईन विषय चयन की प्रक्रिया के अंतर्गत पूर्व पाठवानुसार तीन मुख्य विषय पोर्टल पर प्रदर्शित होंगे। आवेदक आवंटित तीन मुख्य विषय को ही चयनित कर सकता है। आवेदक अभिरूचि अनुसार 'तीन मुख्य विषय में से किसी एक के स्थान पर अन्य संकाय से तीसरे मुख्य विषय का व्ययन भी कर सकता है। आवेदक को किसी भी संकाय से एक जैनरिक विषय पुर्व एक व्यवसायिक विषय का चयन करना 'रवैध्यिक होगा।

आवेदक द्वारा विषय चयन करने के उपरांत ऑनलाईन प्रवेश/नामांकन शुल्क के लिए लिंक स्वयः इनिशिएव

6.7.2

हो जावेसी। आवेदक ऑनलाईन शुल्क भुगतान कर प्रवेश सुनिश्चित कर सकेंगे। 6.8 ऑनलाईन प्रवेश शुल्क (नामांकन शुल्क सहित) भुगतान प्रक्रिया

(अ) कोशेना (कोविड-19) को दृष्टिमत एसते हुए आवेवन को ऑनलाईन विषय चयन करने के उपरांत प्रवेश शुल्क की प्रथम किश्त सरी रूपये 1,000/- (नामांकन शुल्क सहित) ऑनलाईन जमा करना होगा। इसके साथ ही आवेदक को नामांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर ही अपनी सहमति वर्ज करनी होगी। जिससे आवेदकों को पृथक से नामांकन के लिए आवेदन नहीं करना होगा। प्रवेश शुल्क की शेष राशि तीन किश्तों में संबंधित महाविद्यालय के निर्देशानुसार निर्धारित समयाद्रधि में डिजिटल माव्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री मेचावी विद्यार्थी योजना/मुख्यमंत्री जनकल्यांग (शिक्षा प्रोल्साइन) योजना एव काविड-19 वाल कल्यांग योजना के आवेदकों के लिए प्रक्रिया कपिडका 13त, 132 एवं 133 के अनुसार होगी।

- (ब) चयनित विषय के आधार पर प्रवेश शुल्क का भुगतान आवेषक नेट बैकिग/क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड / यू.पी.आई के माध्यम से रचयं कर सकेगा या उपरोक्त सुविधा उपलब्ध में होने पर कियोस्क के माध्यम से शुल्क भुगतान कर प्रवेश प्राप्त कर सकेगा।
- (स) प्रवेश शुल्क (नानांकन शुल्क सहित) मुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होते ही आवेदक को प्रवेश प्राप्त होने की सूचना पंजीकृत मोबाईल गं/ ई-मेल पर प्राप्त होयी।
- 6.8.1 शुल्क भुगतान उपरोत ऑनलाईन एडमिशन रिलम के प्रिट आउट लेते संबंधी :-

आवेदक द्वारा ऑनलाईन एडमिशन स्लिप का प्रिंट आउट ई-प्रवेश पोर्टल के माव्यस से प्रवेश शुल्क का भुगतान करने के पश्चात प्राप्त किया जा सकेगा, यह प्रवेश प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे आवेदक यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि उनके प्रवेश की प्रविष्टि पोर्टल पर हो चुकी है। एडनिशन स्लिप का साद में भी पोर्टल से प्रिन्ट लिया जा सकता है। <u>आवेदक को प्रवेश रसीद (Admission Slip) का प्रिंट लेने के</u> तत्काल याद महाविद्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। इस हेतु मार्गदर्शिका की कण्डिका 69 का अक्तोकन करें।

6.8.2 प्रयंश शुल्क का ट्रांजेयसन फेल होने की दशा में आवश्यक निर्देश :--

आदेवक द्वारा पोर्टल के माध्यम से किये गये पंजीयन/प्रवेश शुल्क का ट्रांजेक्सन यदि फेल होता है तो इस चरिश की वापसी उसी वक खाते में आयेगी जिस वक खाते से आवैदक ने मुरातान किया है। प्रवेश शुल्क को दांजेक्सन फ्रेल डोने की स्थिति में आवेदक का प्रवेश सुनिष्चित नहीं होगा। अतः ट्रांजेक्सन के फेल होने की रिश्रति में आवेदक को पुना पोर्टल के माध्यम से निर्धासित समय सीमा में प्रवेश शुल्क जमा करना अनियायें होगा। अन्यथा आवेदक का नाम प्रवेश सूची में दर्शित नहीं होगा।

महत्वपूर्ण – दिदार्थियों का प्रवेश शुल्क प्रवेशित महाविद्यालय की प्रोफाईन में दर्ज बैंक खाते में स्थानांतरित होगा। अतः सभी महाविद्यालय स्वयं के वैंक खाते क्रमांक को प्रोफाईन अदातन करते समय सही-सही दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। वह जिग्मेदारी पूर्णतः संबंधित महाविद्यालय की होगी। महाविद्यालय के बैंक खाते में दिसंगति होने पर विद्यार्थियों की प्रवेश शुल्क की राशि संबंधित महाविद्यालय के बैंक खाते में तब तक यामस जमा नहीं हो पायेगी, जब तक की महाविद्यालय द्वारा देंक खाते की विसंगति को दूर कर अद्यतन नहीं किया जाता है।

6.9 उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार प्रवेशित विद्यार्थियों द्वारा संबंधित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग प्रक्रिया :-कोरोना कोविड--19 के परिप्रेक्ष्य में शंकणिक सत्र 2021-22 में अध्यापन कार्य आरंभ होने के परवात उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घौषित सनय-सीमा में प्रवेशित विद्यार्थियों को शासकीय/अशासकीय/ अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में उपस्थित होकर मूल/बुफ्लीकेट टी.सी. एवं माईग्रेशन जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय-सीमा में जमा न करने की स्थिति में प्रवेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

6.10 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर संचालित सर्टिफिकेट कोर्स चयन प्रक्रिया -

- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर संवालित छः माह के सर्दिफिकेट कोर्स में संस्था में प्रवेशित नियमित विद्यार्थी ही प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे विद्यार्थियों की जानकारी महाविद्यालय स्तर हो सर्दिफिकेट कोर्सवार ऑनलाईन पोर्टल पर प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के 30 दिवस की समयावृधि में अदातन करना अनिवार्य होगा।
- हिंतीय चरण में महाविद्यालयों के रिक्त स्थानों पर प्रवेश हेतु पुनः विकल्प चयन एवं आवंटन प्रक्रिया :--

प्रथम चरण पश्चात् दितीय चरण में प्रवेश हेतु महाविद्यालयवार/पाद्यक्रम/वर्गवार स्थित स्थानों की जानकारी प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।

7.1 पुनः विकल्प चयन प्रक्रिया

. .

- 7.1.1 प्रथम चरण के पश्चात् द्वितीय करण में प्रवेश हेतु महापिद्यालयों में उपलब्ध रिक्त स्थानों हेतु पूर्व से पंजीकृत आवेदकों (जिन्होंने प्रवेश नहीं लिया है अथवा जिन्हें आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है) के लिए पुन: ऑनलाईन महादिद्यालय / पाड्यक्रम के चयन का दिकल्प रहेगा।
- 7.1.2 आवेदक खेच्छानुसार अपनी पूर्व वरीयताएँ बदल सकेंगे, परस्तु प्रश्नम चरण में यदि किसी आवेदक को उसकी दर्शायी हुई प्रथम व्याइस का महाविद्यालय आवंदित होता है एवं वृद्ध उस महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेता है, ऐसी स्थिति में हितीय चरण में उसे तब तक खतु कोई महाविद्यालय आवंदित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अपनी व्याइस/दिकल्प पुनः न भर दे।
- 7.1.3 प्रथम चरण में प्रवेश प्राप्त कर अवेश निरस्त कराने वाले आवेदक को द्वितीय चरण में प्रवेश हेतु पुनः चरीयता/विकल्प ऑनलाईन पोर्टल पर वर्ज करना अनिवार्य होगा। ऐसा करने पर ही आवेदक द्वितीय अरण की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।
- 7.1.4. पुन वरीयता हेतु कोई शुल्क देव नहीं होगा।
- 7.1.5 आवेदक जिन्होंने पूर्व में अपना पंजीयन नहीं कराया है। समय-सारणी अनुसार पंजीयन शुल्क का भुगतान कर पंजीयन/वस्तावेज अपलीड/महाविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन/ई-सत्यापन पश्चात् द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। इस हेतु आवेदक प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया के शिन्दु क्रानांक 6 में उल्लेखित कण्डिका 61 से 6.10 सक का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तद्नुसार ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण करें।
- 7.2 आवेटन प्रक्रिया -
- 7.2.1 द्वितीय चरण में महाविद्यालयों की कुल वास्तविक सीटों के विरूद्ध आवंटन की प्रक्रिया <u>1.25 प्रतिशत</u> से जी जावेगी, जिससे द्वितीय चरण में अधिक से अधिक आवेदकों को उनके द्वारा दी गई वर्षीयतानुसार प्रवेश प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सके।
- 7.2.2 ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल समस्त महाविद्यालयों को द्वितीय चरण की आवंडन सूची पोर्टल पर उनकी लॉगिन आईडी पर उपलब्ध रहेगी।
- 723 समय सारणी अनुसार हितीय चरण में प्रवेश संबंधी समस्त प्रक्रियां प्रथम चरण अनुसार ही सम्प्रन्न की जायेगी।

ऑनलाईन सी.एल.सी. चरण में महाविद्यालयों के रिक्त ख्यानों पर प्रवेश हेतु पुनः विकल्प 8. चयन एवं आवंटन प्रक्रिया :--सी.एल.सी चरण में प्रवेश हेतु महाविद्यालयवार/पाव्यकम/वर्गवार रिक्त स्थानों की जानकारी प्रवेश पोर्टल 8.1 पर उपलब्ध रहेगी। पंजींकृत आवेदक को ऑनलाईन पोर्टल के नाच्यन से सी एल शी. चरम में महाविद्यालय एवं पार्ड्यक्रम की 8,2 वरीयता दर्ज करनी होगी। महाविद्यालय रतर पर इस हेतु कोई भी लिखित आयेदन मान्य नहीं किय जायमें। प्रथम एवं द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया उपरांत ऑनलाईन सीएल सी चरण में महाविद्यालयों में मूल 8.3 सीटों के विरुद्ध शेष रिका सीटों पर प्रवेश प्रवरू किया जायेगा। 8.4. सी.एल.सी चरण में समय-सारगी अनुसार द्वितीय घरण के प्रश्वात सिंग्ल आरक्षित सीटों पर प्रवेश नियम कडिंका 281 से 28.9 का पालन सुनिश्चित करते हुये संबंधित आरक्षित वर्ग के आवेदक उपसबा न होने पर उक्त सिका सीटें कडिका 28.12 के आवधानों के निहित समय-सारणी अनुसार सामान्य वर्ग के आवेदकों हेतु परिवर्तित की जायेंगी। ऑगलाईन सी.एल.सी. प्रकिया में समय सारणी अनुसार आवेदक दिसीय चरण के पश्चात सिवत रह गरे 8.5 रखानों पर पूर्व वरीखताओं में संशोधन/परिवर्तन कर सकेंगे। प्रथम एवं द्वितीय चरण में प्रवेश लेकर, प्रवेश निरस्त कराने वाले आवेदक को ऑनलाईन सीएल सी. 8.8 प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ऑनलाईन वरीयता/विकल्प पुनः देना अनिवार्य है। पुनः वरीयता हेतु कोई शुल्क देव नहीं होगा। 8.7 आवेदक जिन्होंने पूर्व में अवना वंजीयन नहीं करावा है। समय-सारणी अनुसार पंजीयने शुक्क का सुगतान 8.8 कर पंजीयन/दस्तावेज अपनीड/महाविद्यालय/पाव्यक्रम चयन/ई-सत्यापन प्रश्नात् सी.एत.सी. चरण की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकने। इस हेतु आवेदक प्रथम चरण युवी प्रवेश प्रक्रिया के बिन्दु में 6 में उल्लेखित कण्डिका 6.1 से 6.10 तक का व्यानपूर्वक अक्लोकन करें तदनुसार ऑनलाईन अक्रिया पूर्ण करें। ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल महाविधालयों को सी.एल.सी चरण की आवंटन सूची पोर्टल पर उनकी 8.9 लॉगिन आई.डी. पर उपलब रहेगी। 8.10 सी.एल.सी. चरण में समय सारणी अनुसार प्रवेश प्रक्रियां महाविद्यालय स्तर पर प्रायीण्य सुझी जारी कर नियगानुसार सम्पन्नं की जाएगी। 8.11 सी.एल.सी. चरण में प्रवेश हेतु मेरिट सूची जारी होने के पश्चात् ऐसे पंजीकृत आवेदक जिनका नाम मेरिट सूची में नहीं आया है किन्तु विश्वविद्यालय हास उनके परीक्षा परिणाम संशोधित करने के कारण प्रवेश हेत् उनकी पाञता मेरिट सूची अनुसार पाई जाती हे तो ऐसे विद्यार्थियों को विश्वेम प्रकरण मानते हुये परीक्षा परिणाम आने के 15 दिवल की समय सीमा में संबंधित क्षेत्रीय अतिरिवत संवालक, उ. शि. के प्रस्ताव पर, सक्षम स्तर से अनुमति के बाद प्रवेश दिया जायेगा एवं उच्य शिक्षा विभाग द्वारा मोव्ह्यूल में दर्ज किया जायेगा। ऐसे प्रकरण में स्वीकृत सीटों की संख्या दाध्यता नहीं होगी। साथ ही ऐसे विशेष प्रकरण जिनमें प्रवेशित विद्यार्थियों के नामांकन में पात्रता के कारण तकनीकी कठिनाई है उन्हें संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव एवं संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा संयुक्त निर्णय लेकर निसकरण सुनिरियतः करेगे।

नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2021-22

1 3

Page 13 / 46

शुल्क वापसी हेतु महाविद्यालय को निर्देश -

शासकीय/अशासकीय/अनुवान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय द्वास, प्रथम/दितीय/सी.एल.सी. घरण में प्रवेश प्रक्रिय के सब्ध प्रवेश लेकर प्रवेश निरस्त कराने वाले आवेदकों की प्रवेश शुल्क की सारी ऑनलाईन निरस्तीकरण परवाल, प्रक्रिया शुल्क रु. 100- कादकर श्रेम सारी संबंधित आवेदक के द्वारा प्रवेश शुल्क का भुगतान करने के लिए प्रयुवत किये गये खाते में अंतरित करने की कार्यवाही पूर्ण की जाए।

10. रूक जाना नहीं अंतर्गत प्रवेश – ई–प्रवेश प्रक्रिया के दौरान <u>प्ररीक्षा परिणाम घोषित होने की स्थिति</u> में रूक जाना नहीं योजना अन्तर्गत उत्तीर्ग आवेदक, स्नातक प्रयस वर्ष में प्रवेश हेतु ऑनसाईन प्रजीयन एवं पंजीयन शुंब्क का भुगतान/दस्तावेज अपलोड/महाविद्यालय/पावयक्रम चयन कर ई–प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। महाविद्यालय स्तर पर ई–सत्यापन परयानु ऐसे आवेदक आहेता पूर्ण होने पर गुणानुक्रम अनुसार प्रवेश हेतु यात्र होगे। परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति से एस आवेदक स्वाच्यायी (प्राइवेट) छात्र के रूप में शामिल होकर, अगले वर्ष पात्रता पूर्ण करने एवं स्थान पित्रत होने की दशा में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।

11. शासकीय सेवक को स्थानान्तरित होने पर पाल्यों के प्रवेश ----

कडिका 25.1(अ) में उल्लेखित शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहनें वाले जनके पाल्य को महाविद्यालय में आवेदित कक्षा में स्थान रिवत होने पर प्रवलित सब के दौरान प्रवेश दिया जा सकेगा। इस हेतु संबंधित शासकीय सेवक द्वारा कार्यवार प्रहण करने को प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासकीय सेवक के स्थानांतरण के प्रश्नात निर्धारित मुख्यालय के किसी भी महाविद्यालय में स्थान सिवत न होने पर कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा से अनुमति प्राप्त कर सम्बद्ध पाल्य को प्रवेश विया जा सकेगा। प्रदेशित विद्यार्थियों की जानकारी ऑनलाईन पोर्टल पर संबंधित महाविद्यालय द्वारा वर्ज करनी होगी।

12. पुरुक प्राप्त आवेदकों के प्रवेश -

ž

- 12.1. ऑनलाईन सी.एल.सी. वरण में अर्हकारी परीक्षा में पूरक प्राप्त आवेदकों हेनु रिक्त सीटों पर मात्र आवेदक उपलब्ध न होने पर ही गुणानुक्रम के आधार पर प्रावधिक प्रवेश हेनु ऑनलाईन सी.एल.सी. वरण में प्रवेश दिया जावेगा।
- 12.2 प्रावधिक प्रवेश के लिए अर्हताकारी परीक्षा में पूरक प्राप्त उन्हीं आवेदकों पर विद्यार किया आयेगा जिन्होंने अपना पंजीयन/वस्तावेज अपलोड/महाविद्यालय पाठ्यक्रम चयन/ई-सत्यापन निर्वारित तिथियों में ही करवा लिया है।
- 12.3 पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को निर्धासित तिथि तक परीक्षा परिणाम घोषित न होने की दशा-में गुणानुक्रम के आधार पर अवसर प्राप्त होने की स्थिति में प्रायधिक प्रवेश लेना होगा। स्थान रिक्त होने पर सी.एल.सी. चरण में प्रावधिक प्रवेश विद्या जा सकेगा।

(नोट:- इस हेनु पूरक परीक्षा परिणान वाली अंक सूची ही ऑनलाईन पंजीयन के समय असलोड करनी होगी।)

12.4 प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित होने के उपरांत निर्धारित समय सारणी अनुसार उत्तीर्ण/अनुसीर्ण की जानकारी अदातन कराना होगा। जिससे आवेदक का प्रवेश निरंतर/निरंत किया जा संके। प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थी के अनुत्तीर्था घोषित होने पर आवेदक का प्रवेश निरंतर होने की रियति में महाविद्यालय द्वारा 100/- प्रक्रिया शुल्क काटकर रोप राशि वापस की जाएगी।

मप्रशासन द्वारा विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु हितपाही योजनाएँ := 13.

- मुख्यमंत्री मेघाती विद्यार्थी (MMVY) योजना :--13.1
 - मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश क्रांमाक 868/342/ सी.सी./2017 दिनाक 24 चून 2017 के तहत प्रदेश में प्रतिनाशाली आवेदकों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किए जाने के अनुक्रम में रात्र 2017-18 से मुख्यमंत्री मेदावी विद्यार्थी योजना संचालित है।

इस योजना का क्रियान्वयन तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियमों के तहते किया गया है। 13.1.1 पात्रता की शर्त-

- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। 1.
- विद्यार्थी के पिता/पालक की वार्षिक आय छः लाख रूपये से कम हो। Ħ.
- विद्यार्थी ने 12वीं परीका मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल से 70 प्रतिशत या उत्तर्स अधिक 111. अंक अधवा सी.वी.एस.ई/आई.सी.एस.ई बोर्ड से 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण की हो।

13.1.2 योजना का स्वरूप

यह योजना स्नातक स्तर में प्रवेश प्राप्त करने हेतु लागू की गई है। योजना के संबंध में अन्य आवश्यक दिशा निर्देश/पान्नता संबंधी समय-राभय पर जारी शासन के निर्देशों का पालन किया जावेगा।

स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश प्राप्त होने पर छात्र को इस योजनान्तर्गत संस्थाओं को देय शत्क के रूप में प्रवेश शुल्क एवं वह वास्तविक शुल्फ (मैस शुल्क एवं कॉशन ननी को छोड़कर) जो शुल्क विनियानक समिति अथवा म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियानक आयोग अथवा भारत जरकार/राज्य शासन हारा निर्धारित किया गया है, का ही भुगतान किया जावेगा। (भन्न आखन तकमीकी शिक्षा पूर्व कौशन विकास विमाग का पत्र ज्ञ. एफ 5-6/2017/42 (1) भोपाल दिनांक 05.06.2018)

- 13.1.3 स्पष्टीकरण:- प्रयेश प्राप्त पात्र विद्यार्थियों को केवल मैस शुल्क एवं कॉशन मनी का भुगतान करना होगा तथा अन्य शुल्क जैसे प्रवेश शुल्क (नामांकन शुल्क सहित) एवं परीक्षा शुल्क सज्य शासन द्वारा देय होगा। महाविद्यालय द्वारा परीक्षा शुल्क की प्रविष्टि हेतु पिछली परीक्षा के शुल्क को आधार माना जा सकता है।
- 13.2 मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना(MMJKY) :--

मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिका प्रोत्साहन) योजना के तहत म०प्रठ शासन तकनीकी शिक्षा विमास, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14-2/2008/42-2 दिनाक 21 अगरत 2018 के. तहत प्रवेश दिया जावेगा। इस हेतु समय समय पर जारी आदेशों का पालन भी सुनिशियत किया जावेगा।

- 13.2.1 पात्रता की शर्ते-
 - ाः यह योजना स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर प्रदान की जावेगी।
 - में विद्यार्थी के माता/पिता का मग्र शासन के अम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन होना अनिवार्य है।

13.2.2. योजना का स्वरूप

कार्यालय आयुवत उच्च रिक्ता मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 526/484/आउशि/शा-5'अ'/2018 भौषाल दिनांक 30 जून 2018 के तहत राज्य शासन के समस्त शासकीय विश्वविद्यालय, शासकीय महाविद्यालयों एव अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में सन्दालित स्नातक (प्रथम/दितीय/तृतीय वर्ष) एवं स्नातकोत्तर (प्रथम/दितीय वर्ष) के पारम्परिक एवं स्वयित्तीय पाठ्यक्रमों में निशुल्क प्रवेश (लेकिन मेस शुल्क एवं कॉशन मनी को छोड़कर) दिया जायेगा।

1323 समधीकरण :--स्नातक/स्नातकोत्तर के पात्र विद्यार्थियों को इस योजनानगीत प्रवेश प्राप्त होने पर केंद्रत मैस शुल्क एवं कॉशन मनी का मुगतान करना होगा तथा अन्य शुल्क जैसे प्रवेश शुल्क (नामांकन शुल्क सहित) एवं परीका शुल्क राज्य शासन द्वारा देय होगा। महाविद्यालय द्वारा परीक्षा शुल्क की प्रविष्टि हेनु पिछली परीक्षा के शुल्क को आवार माना जा सकता है।

चच्च शिक्षा विमाग, म.प्र.

13.2.4 विद्यार्थियों हेतु महत्वपूर्ण :- उपरोक्त दोनों योजनाओं (मेवाबी/जनकल्याण) के लाम प्राप्त करने से पूर्व, विद्यार्थी राज्य शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य हितप्राही योजनाओं का भली मांसि अध्ययन करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क भुगतान के समय इन योजनाओं का चयन करें। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना :- मध्यप्रदेश शासन॰महिला एवं बाल विकास विभाग,वल्लम 13.3 भवन, मंत्रालय, भोपाल के आदेश कर्माक 1373/2021/50-2 भोपाल दिनांक 21.05.2021 के आनुसार --13:3:1. योजना का उद्देश्य (परिशिष्ट 1)-इस योजना का उद्देश्य बच्चों को आर्थिक एवं खाद्य सुरक्षा प्रकान करना है. ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन निर्वाह करते हुये अपनी शिक्षा निर्विधन रूप से पूरी कर सके। यह योजना संपूर्ण नव्यप्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू की गयी है। 13.32 प्ररिमाषा (परिशिष्ट 3)-परिवार से अभिप्राय पति-पत्नी और उन पर आश्रित बच्चों से हैं, (परिशिष्ट 3.1) वाल हितग्रामी से अभिजाय ऐसे वालक/वालिका जिनकी आयु 21 वर्ष या उससे कम है, पेस्तु स्नातक में अच्ययनरत रहने की स्थिति में, 24 वर्ष या रनातक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि तक, इनमें से जो मी कम हो (परिशिष्ट-3.2) और जिनके माता-पिता की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो (परिशिष्ट-3.21) या माता-पिता का निधन पूर्व में हो गया था तथा उनके देश अभिमाबक की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो (परिशिष्ट-3.2.2) या माता-पिता में से किसी एक का पूर्व में निमन हो चुका हे तथा अब यूसरे की कोविड-19 से मृत्यु हुई है।(परिशिष्ट-3.2.3) "कोविड-19 से मृत्यु" का अभिग्राय ऐसी किसी भी मृत्यु से है, जो 1 मार्च, 2021 से 30 जून, 2021 सक अवधि में हुई । 1333 योजना के अंतर्गत लाम प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि (मसिशिष्ट 4)-प्रनादित परिवार मच्यप्रदेश का ल्यानीय गिवासी हो, मुख्यमंत्री कोतिड-19 चोद्धा कल्याण ग्रोजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं हो, इाल हितप्राही के मृतक नाता/पिता ऐसे शासकीय सेवक या शासकीय उपक्रम के सेवक न हो जिन्हें पुरानी पेशन स्कीम के अवर्गत प्रेशन पाने की प्रान्नता हो। 13.3.4 आल हिलग्राही के मृतक माता/पिता/अभिमाधक की कोविड-19 से मृत्यु होने से, वे अनाथ हो गये हैं, को उच्च शिक्षा सहायता निम्नानुसार देय होगी (परिशिष्ट 5.3.2) -शासकीय अथवा केंद्र/ राज्य शासन से अनुदानित विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में द्विलग्राहियों को प्रवेश (31) शुल्क, प्रीक्षा शुल्क सहित अन्य पंगस्त वार्षिक वास्तविक शुल्क (मेरा शुल्क सहित) का लाभ देय होगा साथ ही कॉशनमनी जमा कराने से छूट रहेगी। बाल हितप्राडियों का प्रवेश निःशुल्क होगा। समस्त शुल्क की संबंधित संख्या को प्रतिमूर्ति की जाएगी। ऐसे निजी विश्वविद्यालय / अशासकीय महाविद्यालयों में जहाँ शुल्क का निर्घारण मध्यप्रदेश निजी **(a)** विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा नियत किया जाता है. उनमें अध्ययनरत होने पर उवत कडिका -अ अनुसार समस्त वार्षिक वास्तविक शुल्क या क्रमये 15,000 जो भी क्रम हो, की प्रतिपूर्ति बाल हितग्रही के आधार-सिंग्द बेंक खाते में की जावेगी। 1335 इस सोजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थी जो पूर्व से किसी पाठ्यक्रम में अव्ययनरत है, उन्हें भी योजना लागू वर्ष खे लाग प्रदान किया जा सकेगा। (परिशिष्ट-5.3.4)

- 13.3.5 यह स्पष्ट किया जाता है कि वाल हितप्राही को उच्च शिक्षा हेतु किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने पर उस पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित वर्षों के लिए ही शिक्षा प्राप्ति संबंधी लाम प्राप्त करने की पात्रता होगी। (परिशिष्ट-5.3.5)
- 13:3.7 शासन की अन्य योजनाओं का लाग-मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना का लाम, वाल हितग्राहियों को शासन की अन्य योजनाओं के अंतर्गत देय लाम के अतिरिवर्त होगा किन्तु याल हितग्राही को शिक्षा शुल्क आदि का दोहरा भुगतान किसी अन्य योजना से नहीं होगा। (परिशिष्ट १)

Page 17 / 46

-14	यन-स्टेष-अप योजनान्तर्गत प्रवेश (स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों हेतु) - यन-स्टेष-अप योजनान्तर्गत प्रवेश (स्कूल शिक्षा देय अप योजनांतर्गत प्रायमरी /मिडिल स्कूल शिक्षा स्कूल शिक्षा विमाग में कार्यरत शिक्षकों हेतु वन-स्टेप अप योजनांतर्गत प्रायमरी /मिडिल स्कूल शिक्षा विमाग के	
	क किए कवल सारका के संतर्गत 18 जून 2015 के अनुसार रहेगी। इस वर्ष स्थान उपलब्ध रहेंगे। आवेश क्र.144-27/2015/20-2, दिनांक 18 जून 2015 के अनुसार रहेगे। इस्ते रियान उपलब्ध रहेंगे। सार पर उल्लेखित पाठ्यक्रमों / विषयों में महाविद्यालय में सीटों के <u>02 प्रतिशत</u> स्थान उपलब्ध रहेंगे। सार पर उल्लेखित पाठ्यक्रमों / विषयों में महाविद्यालय में सीटों के <u>02 प्रतिशत</u> स्थान उपलब्ध रहेंगे। सार पर उल्लेखित पाठ्यक्रमों / विषयों में महाविद्यालय में सीटों के <u>03 प्रतिशत</u> स्थान उपलब्ध रहेंगे।	
	सार पर उल्लाखत नाजना के अंतर्गत प्रयेश आंबलाईन माध्यम से ही होना आवयन कासना अनिवाय होगा.	

- परं पंजीयन/दस्तावेज अपलोड/महाविद्यालय/पाठ्यक्रम, चयन/ई-सल्यापन कसना अनिवार्य होगा, आर्वदको को प्रवेश समय सारणी अनुसार पंजीयन शुल्क का भूमतान करना होगा। स्कूल शिक्षा विमाग का 14.2 अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवेदक को उच्च शिक्षा दिमाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा मे अनिवाय रूस
 - से प्रस्तुत करना होगा।
 - विधि संकाय हेतु नियमित प्रवेश प्रक्रिया :--
- 15.
- विधि स्नातक (एल.एल.बी./बी.ए.एल.एल.बी.)में BCI नई दिल्ली द्वारां निर्धारित सीटों (अधिकतम 60 विद्यार्थी प्रति सेवरान) एवं सायदण्डों अनुसार गुणानुकम के आधार घर प्रवेश विया जावेगा। विधि पार्यक्रमों में प्रवेश ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से ही होगे। विधि महाविद्यालयों को उनके (31)
- यहां संचालित विधि पाठ्यक्रमों, उनकी सीट संख्या, शुल्क आदि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा एवं इन पाठ्यक्रमों का, संबंधित मेपिंग महाविद्यालय से सत्यापन, शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक करवाना (1)
 - अनिवार्य होगा। एल.एल.दी. त्रिवर्षीय पाठयक्रम हेतु स्नातक में न्यूनतम अंक प्रतिशत -

100	-	
-1	F	i -
	U • 1	

न्यूनतम अंक प्रतिशत वर्ग 45 % सामान्य वर्ग 42 % सन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति/जनजाति 40 %

एल एल दी पंचवधीय पाठ्यकन में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक प्रतिशत :--हायर सेकण्डरी एवं पूर्व ग्यारहवी में न्यूनतम अंक प्रतिशत निम्नानुसार होंगे-15.2

Bull 1 Kunik	न्यूनतम् अक् प्रतिशत
ant	45 %
सामान्य वर्ग	42 %
अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति/जनजाति	. 40 %

पत्राधार/दूरस्थ पाठ्यक्रम से दिधि में प्रवेश :--यदि आवेदक ने पत्राचार / दूएस्स पाठ्यक्रम से 12वीं अथवां स्नातक उत्तीर्घ कर विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश 15.3 लेने हेतु आवेदन कियां हो तो वह एल. एल. बी. त्रि-वर्षीय/पंचवर्षीय प्राद्यकन में प्रवेश लेने हेतु पात्र

स्पन्धीकरण - आवेदक जिसने १०+२ अध्या रनातक अथवा स्नातकोक्तर मुक्त विश्वविद्यालय (ओपन विश्वविद्यालय) से बिना आवास्मूल मूल शिक्षा (वेसिक क्वालिफिकेशन) के प्राप्त किया हो तो यह विवि पाठ्यक्रम में प्रवेश हेलु पाञ नहीं होगा। (The BCI Rules Page No-35 & Para No-92) एल.एल.एम.में प्रवेश हेतु अईकारी परीक्षा (एल.एल.वी. त्रिवर्षीय/पेत्रवर्षीय पाट्यक्रम) में सामान्य वर्ग एवं

- 15.4 एल.एन. में प्रवेश :-
- (37)
- अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु च्यूनतम् अंक 55 प्रतिशत होंगे। अनुसूचित जाति / जनजाति के आवेदकों को नियमानुसार 5 प्रतिशत की छूट रहेगी।
- विशेष टीप- न्यायालयीन निर्णय अनुसार 54.5 प्रतिशत अंक प्राप्त विद्यार्थी भी प्रवेश प्राप्तु कर सकरो। (国)

- 16. उत्कृष्ट महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रियां :--
- 16.1 म.प्रशासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र 772/216/सीसी/2018, नोपाल, दिनांक 7.8.2018 के तहत 08 उत्कृष्ट महाविद्यालयों में बी.ए., बी.एससी., बी.कॉन एव बी.बी.ए. के संचालित विभिन्न पाढ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अईता अन्य महाविद्यालयों के ही समान होगी।
- 16.2 मच्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विमान के पत्र क. 547/484/सीसी/2018, सोमाल, दिनाक 6 जून 2018 के अनुसार महाविद्यालयों एवं उत्कृष्ट महाविद्यालयों में संचालित विभिन्न आनर्स पाठ्यक्रमों यथा नी ए, बी,एस.सी, बी,कॉम एवं बी,बी,ए. के सभी पाठ्यक्रमों में अईताकारी परीक्षा में 60 प्रतिशत क्षेक अनिवार्य हे तथा अनु.जाति/अनु.जनजाति/दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत अंक की छूट रहेगी।
- 17. संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया :--
- 17.1 प्राच्य पद्धति के संस्कृत महाविज्ञालयों में शाला-स्तर के अध्यापन के कारण संबंधित बोर्ड दारा उनके पाठ्यकर्मों की संबद्धता यदि प्राप्त हो तो उस बोर्ड के प्रवेश नियमों को मान्य किया जा सकेंगा। संस्कृत बोर्ड के परिपाम देर से घोषित होने पर 11वीं की अंक सूची के आधार पर पंजीयन कराया जा सकेंगा। संस्कृत बोर्ड के परिपाम देर से घोषित होने पर 11वीं की अंक सूची के आधार पर पंजीयन कराया जा सकेंगा राधा सी एल.सी. घरण में इन आवेदकों को प्रावधिक प्रवेश की प्रान्नता होगी। उत्तीर्ण होने पर प्रवेश नियमित एवं सी एल.सी. घरण में इन आवेदकों को प्रावधिक प्रवेश की प्रान्नता होगी। उत्तीर्ण होने पर प्रवेश नियमित एवं अनुत्तीर्ण होने पर प्रवेश निरमत हो जाएगा।
- 17.2 संस्कृत महाविद्यालयों को उनके यहाँ प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाईन माड्यूल में उनके रहिंग विभाग द्वारा निर्धारित तिथियों में दर्ज करनी होगी। इस प्रक्रिया को ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सारणी अनुसार रिपोर्टिंग के लिये निर्धारित अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से संपन्न करना होगा। सभी संस्कृत महाविद्यालयों को शासन एवँ विश्वविद्यालय से आवश्यक अनुमति. निर्धारित तिथियों में प्राप्त करना अनिवार्य हे तथा महाविद्यालय को प्रोफाईक वर्ज कर मैंपिंग महाविद्यालय से ऑनलाईन सत्यापन तथा विश्वविद्यालय से ऑनलाईन पुनः सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
- 18. स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश संबंधी प्रावधान :--

सञ्च 2021-22 से शासकीय महाविद्यालयों के स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में यदि संसाधनों में कमी/कविनाई है तो प्रवेश देतु निम्नानुसार कार्यवाही की जायेंगी :--

- 18:1 सत्र 2020-21 के स्नातक प्रथम वर्ष में यदि किसी पाठ्यक्रम/विषय समूह में प्रवेश 25 या अधिक संख्या में है तभी उक्त पाठ्यक्रम में सत्र 2021-22 में प्रवेश दिया जायेगा। (अर्थात 24 या 24 से कम ग्रवेशित संख्या वाले पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।)
- 18.2 सत्र 2020-21 के स्नातकोत्तर प्रथम सेनेस्टर में यदि किसी विषय में प्रवेश 10 या अधिक संख्या में है लमी उक्त विषय में सन्न 2021-22 में प्रवेश दिया जायेगा। (अर्थात 09 या 09 से कम प्रवेशित संख्या वाले विषय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।)
- 18.3 सत्र 2021-22 के सभी नवीन पाट्यक्रमों में प्रथम वर्ष में संख्या का वंधन नहीं पहेंगा।
- 19. प्रावधिक प्रवेश हेत पात्रता :-
- 18.1 रनातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर प्रथम संमेरटर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
- 19.2 त्नातकोत्तर कताओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी रनातक अंतिम वर्ष / छटवें खेंमेस्टर का परीक्षा परिणाम झौंपित न होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश हेतु प्रथम एवं द्वितीय वर्ष / प्रधम से खतुर्थ संमेस्टर तक के प्राप्तांकों का प्रतिशत ऑनलाईन पंजीयन के समय दर्ज करना होगा। गुणानुक्रम का निर्धारण प्रायधिक प्रवेश हेतु वर्ज प्राप्तांकों के आधार पर ही होगा। स्नातक अंतिम वर्ष में पूरक प्राप्त विद्यार्थी स्नालकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में स्थान रिक्त होने पर प्रायधिक प्रवेश के लिये पात्र होंगे।
- 19.3. महाविद्यालय, स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थियों के प्रथम सेमेस्टर में विश्वविद्यालय के परीक्षा फार्म भूरने से पूर्व यह सुनिहिवत करेंगे कि प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थी द्वारा नियमानुसार अर्हकारी परीक्षा पूर्ण रूप से इत्तीर्ण कर ली गई है। अर्हकारी की परीक्षा (स्नातक पाठ्यक्रम) में किसी भी स्तार पर प्रेरक / ए.टी.के.टी. प्राप्त जात्र स्नातकोत्तर प्रथम सेसेस्टर के परीक्षा फार्म अरने हेतु पात्र नहीं होये।

उच्च शिक्षा दिमास, स.प्र.

Page 19 / 46

18.4 प्रावधिक प्रवेश प्राप्त आवेदक स्नातकोतार पाठ्यक्रम में सीट आवंटित होने पर स्वयं के दायित्व/जिप्मेवारी पर प्रवेश लेगे। स्नातक जूतीय दर्ष / घट्टन सेनेस्टर के परीक्षा परिणान से गुणानुक्रम में परिवर्तन होने की स्थिति में प्रवेशित विद्यार्थी को महाविद्यालय बदलने का अधिकार नहीं होगा अथवा अनुत्तीण होने की रिवति में प्रावधिक रूप से प्रवेशित विद्यार्थी नियमित प्रवेश से वयित हो जाएगा।

19.5 स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्षे में पूरक प्रान्त विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के नियमों की पात्रतों के अनुसार क्रमशः स्मातक द्वितीय एवं तृतीय वर्षे में प्रायधिक प्रवेश की मात्रता झेंगी।

- प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया (शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालयी हेतु) -20. प्रदेश के समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष एवं फालकोत्तर. जुतीय संगेल्टर के विद्यार्थियों के प्रदेश नदीनीकरण का कार्य संबंधित पाठ्यक्रम के प्ररोधा परिणाम चौषित होने के 30 दिवस की समय सीमा में ऑनलाईन ई-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से सम्यादित किया जाएया।
- 20.1 स्नातक स्तर हेतु पात्र विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर में ही ऑनलाईन प्रवेश दिया जायेगा। शेष वर्षों में (हितीय व तृतीय वर्ष)/शेष सेमेस्टरों में (तृतीय व पंचम सेमेस्टर) अवेश न्वीसीकरण प्रक्रिया होगी। यह प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन ही होगी।
- 20.1.1 चार्षिक प्रणाली में प्रथम एवं दितीय वर्षे में उत्तीर्ण/एक विषय में पूरक प्रान्त विद्यार्थी को आगामी वर्ष में प्रदेश की पात्रता होगी।
- 20.1.2 सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत तृतीय/पंचन रोमेस्टर में प्रवेश हेतु पिछले सेमेस्टर में उत्तीर्ण/किसी भी एक सेमेरटर में दो तथा एक समय में अधिकतम चार विषयों में एटीकेटी. (Allowed To Keep Terms) प्राप्त विद्यार्थी को प्रवेश की पात्रता होगी। लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्नमध्ये में एटी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी।
- 20.2 स्नातकोत्वर स्वर हेतु :- पात्र विद्यार्थियों को स्नातकोत्वर स्वर पर प्रथम समेस्टर में ही ऑजलाईन प्रवेश दिया जायेगा। तृतीय सेमेरटर में ऑनलाईन प्रवेश नवीनीकरन की प्रक्रिया होगी। तृतीय सेमेरटर में पिछले. सेमेस्टर (जयन एवं द्वितीय सेमेस्टर) में उत्तीर्ण/किसी एक सेमेस्टर में दो तथा एक-समय में कुल 4 प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. प्राप्त विद्यार्थियों को पात्रता होगी। लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दी से अधिक प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी।
- नवीनीकरण शुरुक संबंधी निर्देश नियमानुसार संबंधित महाविद्यालय झांस प्रवेश सवीमीकरण हेतु यात्र. विद्यार्थियों को ऑनलाईन प्रमोद किया जाएगा। स्नातक/स्नातकोतार स्वर पर विद्यार्थी पाञतानुसार 20.3 500 /- प्रथम किरत के रूप में ऑनलाईन जमा कर प्रवेश प्राप्त करेंगे। स्नातक स्तर पर MMVY/MMJKY के विद्यार्थी निष्ठुल्क प्रवेश हेतु ऑनलाईन पोर्टल पर योजना का यदन विलक कर प्रवेश प्राप्त करेंगे। स्नातकोत्तर स्तर पर MMIKY के विद्यार्थी निःशुल्क प्रवेश हेतु ऑनलाईन पोर्टल पर योजना का बढन विलक कर प्रवेश प्राप्त करेंगे। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 68/17/आउंशि/आई.टी./19 भोपाल, दिनॉक 05.03.2020 के तहत निर्धासित, समस्त विद्यार्थियों को प्रवेश नवीनीकरण हेतु पोर्टल शुल्क रूपये 30/--देव होगा। प्रवेश सुल्क की शेष राशि संबंधित महाविद्यालय द्वारा तीन किश्तों में महाविद्यालय आरंग होने पर ऑनलाईन जमा की आवेगी।
- 20.4 सज 2021-22 से मुख्यमंत्री कोविड--19 बाल कल्याण योजना (कण्डिका 13.3) के अन्तर्गत नियमानुसात पात्र विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाना है।

20.5 रासकीय सेवक के खानान्तरित होने पर उनके पाल्यों के प्रवेश संबंधी निर्देश-कडिका 25.1(अ) में उल्लेखित शासकीय सेवक के स्थानान्वरित होने पर प्रदेश में दार्धिक/सेमेस्टर पदाति के अंतर्गत अध्ययनस्त जनके पाल्यों को पाद्यक्रम के बीच में स्नातक स्तर पर प्रवेश दिया जा सकेगा। इस हेतु शासकीय सेवक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र तथा आवजन प्रमाणपत्र (Migration Certificate) प्रस्तुत करना होगा। स्नातकोत्तर-स्तर पर प्रवेश के लिथे आवेदक को सहवित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पन्न प्राप्त करना अनिवार्ध होगा।

नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2021-22

उच्य शिक्षा दिसाग पहा

- 20.6 स्वाध्यायी (प्राईवेट) से नियमित प्रवेश संबंधी प्रावधान :- मध्यप्रदेश शासन, खच्च सिक्षा दिशाना मंत्रालय का पत्र क्रमांक 97/380/सीसी/14/38, दिनांक 16 फरवरी 2015 अनुसार ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी सन में नियमित प्रवेश से वंचित हो जाते हैं, वह विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम एव वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में स्वाध्यायी छात्र के रूप में सम्मितित हो सकते हैं तथा परीक्षा उपसम्प विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी महाविद्यालय में संबंधित कोर्स/विषय में स्थान सिक्त होने प्रर पात्रतानुसार स्नातक स्तर पर दितीय/वृतीय वर्ष में तथा तृतीय/पंचम सेमेस्टर में एवं प्र्नातकोत्तर स्तर पत्र (विज्ञान व प्रायोगिक विषयों को छोड़कर) तृतीय सेमेस्टर में नियमित प्रवेश से संवर्धान
- 20.6.1 राज्य शासन के आदेश का 1615/1929/2018/38-2. दिनोंक 1912.2018 के तहत ऐसे सभी नियमित/असंस्थागत विद्यार्थी जिन्होंने प्रथम/द्वितीय/वृतीय/चतुर्थ समेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है वह सन्न 2021-22 में वार्षिक पद्धति के अंतर्गल स्नातक द्वितीय/वृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश ले सकेंग तथा ऐसे सभी असंस्थागत विद्यार्थी जो सन्न 2020-21 की खातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे वे विद्यार्थी सन्नू 2021-22 में स्नातक स्तर के द्वितीय/वृतीय दर्श में स्थान रिक्त होने प्रर नियमित प्रवेश ले सकेंगे।
- 20.7 पूर्व छात्र (Ex-Student) के नियमित प्रवेश संबंधी निर्वेश :- जिन विद्यार्थियों को 'पूर्व छात्र' की केणी में रखा गया था वे आगामी सेमेस्टर/वर्ष की मुख्य परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे। उत्तीर्ण होने की दसा में जुलाई नाह से प्रारंभ होने वाले सन्न में स्थान रिक्त होने पर नियनानुसार शुल्क जमा करने पर नियमित प्रवेश , बिया जाएगा।
- 20.8 'पूर्व छात्र (Ex-Student) के प्रवेश की स्थिति निर्मित होने पर महाविद्यालय में स्थान रिवत न होने की दशा-में कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा से स्थान (सीट) वृद्धि की अनुमति प्राप्त कर नियमानुसार प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।
- 20.9 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर संवालित सर्टिफिकेट कोर्स चयन प्रक्रियां --विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर संवालित छ साह के सटिफिकेट कोर्स में संस्था में प्रवेशित नियमित विद्यार्थी ही प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे विद्यार्थियों की जानकारी महाविद्यालय स्तर से सर्टिफिकेट कोर्सजर ऑनलाईन पोर्टल पर प्रवेश प्रक्रियां समाप्त होने के 30 दिवस की समयावधि में अयहन करना क्षेतिवार्य होगा।
- 21. स्नातक कक्षाओं में ए.टी.के.टी / पूरक से संबंधित प्रवेश नियम :--
- 21.1. सेमेस्टर के अंत में संबंधित सेमेस्टर की सभी संद्वांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ लागू हो) विषयों में ए.टी.के.टी.प्राप्त आवेदकों की परीक्षा होगी। वार्षिक पद्धति में परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् सत्र के दौरान एक विषय संद्वांतिक एवं प्रायोगिक (जहां लागू हो) में मूरक प्राप्त आवेदकों की परीक्षा होगी।
- 21.2 यार्षिक प्रदुति में एक विषय में अनुत्तीर्ण/अनुपरियत होने पर दिवार्थी को पुरुक की पात्रता होगी तथा पूरक प्राप्त आवेदकों को विश्वविद्यालय के नियमानुसार अगले वर्षे में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी। पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्भ होने पर प्रावधिक प्रवेश निरस्त माना जावेगा।
- 21.3 सेमेस्टर पद्धति में विद्यार्थी एक समय में चार ए.टी.के.टी के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश पा सकेंग, लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक विषयों में ए.टी.के.टी, की पाइला नहीं होगी।
- 21.4 रनातक पाठ्यक्रम की अधिकतन अवधि के संबंध में म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्राख्य के पत्र क्र. 1858/198/सीसी/17/38, दिनाक 9.10.2017 के प्रावधान लागू होगे।
- 21.5 विशेष परीक्षार्थी कार्यालय आयुक्त उच्य शिक्षा का पत्र क्रमांक 1204/387/आउशि/शा-5'अ / 2012 भोपाल, दिनांक 22 विसम्बर 2012 के अनुसार राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रतिभागिता के कारण विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में पूर्णतः अथवा आशिक अनुपरिधत विद्यार्थियों को आगामी संत्र में आग्रोजित पूरक प्ररीक्षाओं मे (संयंधित वर्ष की परीक्षाओं के साथ) पूरक प्राप्त / नियमित विद्यार्थी के रूप में सम्मितित होने की पात्रता होगी।

22. स्नातकोत्तर कक्षाओं में ए.टी.के.टी से संबंधित प्रवेश सियम :--

- 22.1 सेमेरवर के अंत में निर्धारित सभी संदातिक एवं प्रायोगिक (जहाँ लागू हो) प्रश्न पत्रों की प्रसंक्षा होगी।
- 22.2 दो प्रश्न पत्रों में (सैद्धांतिक एवं प्रत्योगिक जहाँ लागू है) अनुत्तीर्ण /अनुप्रस्थित होने पर विद्यार्थी को ए.टी. के.टी. की पात्रता होगी, अर्थात विद्यार्थी को अगले सेमेस्टर में स्वतः प्रवेश मिल सकेगा।
- 22.3 विद्यार्थी एक समय में चार ए.टी.के.टी. के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश पा सकेगा, लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी, की पात्रता नहीं होंगी।
- 22.4 स्नातकोलार पात्यक्रम की अधिकतम अवधि के संबंध में मंत्रशासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र इ.1868/198/सीसी/17/38, दिगांक 9.10.2017 के प्रावधान लागू होंगे।

23. प्रवेश सीट संख्या का निर्घारण :--

- 23.1 शासकीय महाविद्यालयों में कता/विषयवार सीट संख्या का निर्धारण संबंधित महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया के मध्य कक्षा/विषयवार सीट संख्या में चृद्धि हेतु शासकीय एवं अनुवान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र क. 708/484/आउशि/शा-531/2018, दिनौंक अशासकीय महाविद्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र क. 708/484/आउशि/शा-531/2018, दिनौंक तह अगस्त 2018 के परिपालन में कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा से अनुमति प्राप्त कर कार्यवाही कर सकेंगे। तह अगस्त 2018 के परिपालन में कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा से अनुमति प्राप्त कर कार्यवाही कर सकेंगे। सीट वृद्धि की अनुमति प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विश्वविद्यालय से निर्धारित समय-सीमा में मान्यता प्राप्त करना प्राचार्य का दायित्व होगा।
- 23.2 अनुदान प्राप्त अशासकीय / निजी अशासकीय महाविद्यालय संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत सीट संख्या अनुसार प्रवेश नियमों के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होंगे।
- 23.3 इस सन्यंग्रे में समय-समय पर जारी आदेशों का पालन सुनिहिवन किया जाये।

23.4 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में निर्वारित तिथियों में समस्त महाविद्यालय संस्था में संवालित स्नातक/रूनालकोत्तर के पाठ्यक्रम, विषय समूह निर्वारित सीट संख्या एवं पाठ्यक्रमवार/वर्गवार प्रवेश शुल्क (संबधित विश्वविद्यालय के नामांकन शुल्क सहित) एवं नवीनीकरण की पृथक-पृथक विस्तृत जानकारी के साथ महाविद्यालय का बेंक खाला क्रमांक, आई एफ पुनरसी कोड आदि की जानकारी अनिवार्य जानकारी के साथ महाविद्यालय का बेंक खाला क्रमांक, आई एफ पुनरसी कोड आदि की जानकारी अनिवार्य ज्या से ऑनलाईन विभागीय (https://epravesh.mponline.govsin) पोर्टल पर दर्ज/अद्यतन कर लॉक करेंगे।

- 23.5 महाविद्यालय बैंक खाता क्रमांक की प्रविधि साक्यानी पूर्वक दर्जे करना सुनिष्टिवत करेंगे इसके साथ है वैंक खाते का क्रास चेक पोर्टल पर अपनोड करना सुनिश्चित करेंगे। इसी बैंक खाते में महाविद्यालयों को प्रवेशित विद्यार्थियों से संबंधित प्रवेश शुल्क की राशि अन्तरित की जाएगी।
- 23.6 प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत न्वीन सत्र में सीट संख्या का निर्धारण करते समय शासकीय महाविद्यालयों में गत वर्ष के स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के पाद्यक्रम/विषय समूह में प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या की राउण्डअव करते हुए सीट संख्या निर्धारित की जाएगी।
- 23.7 निजी महाविद्यालयों को ऑनलाईन पोर्टल पर जोडने की प्रक्रिया -
 - (अ) नवीन निजी महाविद्यालय को विभाग द्वारा जारी आई.डी. पासवर्ड के माह्यम से ऑनलाईन पोर्टल, पर संबंधित महाविद्यालय की प्रोफाईल निर्मित करना अनिवार्य होगा।
 - (ब) निजी महाविद्यालयों को पोर्टल पर सम्बद्ध होने के लिए ऑनलाईन पोर्टल पर प्रस्था से प्रबंधित जानकारी अद्यतन करना अनिवाय होगा।
 - (स) शालन द्वारा जारी वर्तनान सन्न के लिए अद्यतन अनापत्ति प्रमाण प्रत्र/निरन्तरता प्रमाण प्रत्र।

विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान सङ्घ के लिए जारी अवरतन संबद्धता प्रमाय प्रहा (二)

- यदि रात्र 2021-22 में सीटों का निर्वारण नहीं किया गया है तो उस स्थिति में सन्न 2020-21 में निर्धारित ओनलाईन प्रवेशित संख्या, जिसको संबंधित विश्वदिद्यालय द्वारा मान्य किया गया है, को (य) हीं सत्र 2021-22 के लिये संकास/विषयवार सीट संख्या साना जायेगा।
- विधि पादयक्रम हेतु उपरोक्त कडिका 23.8 के साध=साध, बी.सी.आई. की अनुमति एवं निर्धारित 肉 सीट संख्या।
- महाविद्यालय बैंक खाता क्रमांक की प्रविध्धि सावधानी पूर्वक वर्ज करना सुनिश्चित करेंगे इसके साथ ही बैंक खाते का जगस चेक पोर्टल पर अपलोड़ करना सुनिष्टिचत करेंगे। इसी बैंक खाते में (ल) महाविद्यालयों को प्रवेशित विद्यार्थियों से संबंधित प्रवेश शुल्क की सांस अन्तरित की जाएगी।
- पोर्टल पर संबंधित महाविद्यालय का सत्यापन क्षेत्राधिकार के विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। संबंधित महाविद्यालय द्वारा पर्याप्त जानकारी मय प्रमाणों के सम्बद्ध न होने की स्थिति में संबंधित (a) विखविद्यालय द्वारा ऑनलाईन पोर्टल के नाव्यम से महादिद्यालयों की प्रोफाईल को रिक्ट किया जाएगा। रिवर्ट की मई प्रोफाईल को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सौमा में अद्यतन न करने पर प्रवेश प्रक्रिया से वचित होना होगा। महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा से अपेक्षित जानकारी अपलोड कर देने की सियति में संयंधित विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाईन सल्यापन की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीना में पुनः सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य होगा। अन्यया की स्थिति में उक्त महादिवालय प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे जिसकी जिम्मेदारी संबंधित विखविद्यालय की होगी।
 - स्नातक स्तर की विधि कक्षाओं में चार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा निर्घारित मापदंसे के अनुसार और अन्य कक्षाओं के लिए UGC के अनुसार अधिकतन 80 विद्यार्थियों को प्रति सेवशन ()) गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।
- समकक्ष बोर्ड संबंधी प्रवेश नियम :--24
- सेन्द्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एज्यूकेशन (सी.बी.एस.ई.)/इण्डियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन (आई. सी.एस.ई.), तथा अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं, मध्यप्रवेश माध्यमिक शिक्षा गंडल 24.1 की 10न2 परीक्षा के समक्रथ मान्य है।
- 24.2 उच्च शिक्षा विमाग की ई-प्रवेश प्रक्रिया के पोर्टल से सम्बद्ध होने के लिए देश के किसी भी मान्यता आज बोर्ड को मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा पंडल मोपाल से समरुक्षता प्रसाण पत्र प्राप्त कर, उच्च शिक्षा विसाग को प्रस्तुत करना अनियार्य होगा. तत्पश्चात् ही ऐसे योर्ड ऑनलाईन ई-प्रवेश पोर्टल पर मान्य सूची में प्रदर्शित होंगे, ऑनलाईन प्रवेश पोर्टल पर प्रवर्शित बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु, पंजीयन कर ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।
- विदेशी चोई से अईकारी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण आवेदक ने यदि मध्यप्रदेश के शासकीय/ अशासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष में पंजीयन करवाया है ऐसी-24.3 स्थिति में आवदेक को केन्द्र सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी समकक्षता प्रमाण पत्र अपलोड करने पर पावता अनुसार इं-प्रवेश प्रक्रिया में शामिल किया जा संकेगा।
- 24.4 सामान्यतः भारतं में स्थित विखविद्यालय जो भारतीय विखविद्यालय सम् (एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज) के सदस्य हैं, की सारस्त प्रश्निहाएं राज्य के विश्वविद्यालयों की प्ररीक्षा के समकक्ष मान्य होगी।

नियम एवं मार्गवर्शी सिद्धांत 2021-22

Page 22/46

- 24.5 संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता विहीन महाविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय समय पर जारी फर्जी अधवा मान्यता दिहीन विश्वविद्यालय या सिक्षण संस्थाओं की परीक्षा / जपाचि मान्य नहीं होंगी।
- 24.6 साध्यमिक शिक्षा भण्डल द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विझान से मिलते जुलते विषय, जैसे लेबोरेट्री मेडिसिन मैनेजमेंट एवं सिस्टम एनालिसिस, वलीनिकल बॉयोकेमेस्ट्री, माइक्रोबॉयलाजी एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम तथा कम्प्यूटर से संबंधित विषय और प्रिंटिंग और्फ डाटा-प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट एण्ड सिंस्टम एनालिसिस, डोंटोपी, पैकेज प्रोग्रानिंग, वर्कशाप प्रेषिटंग और्फ डाटा-प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट एण्ड सिंस्टम पाड्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संवालित व्यावसायिक प्राव्यक्रम 1912 के एलीणि विद्यार्थियों के साथ माड्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संवालित व्यावसायिक प्राव्यक्रम 1912 के एलीणि विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद ही संबंधित संकाय में प्रवेश दिवा जा संकेणा। ऑनलाईन पंजीयन के समय संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रला प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किए मए ऑनलाईन अवेदन की पावती अपलोड करना आवश्यक होगा। किसी भी कक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता संबंधी निर्धारण में संदेह होने पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रला प्रमाण-पत्र को अंतिम माना जायेगा। विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित पात्रलानुसार प्रवेश के समय आवेदक की पात्रता के परिक्रण का संपूर्ण दायिल संबंधित महाविद्यालय के प्राच्र का होगा। आवंटन का तापर्य वह कदापि नहीं होगा कि आवेदक प्रवेश संबंधित महाविद्यालय के प्राच्र का होगा। आवंटन का तापर्य वह कदापि नहीं होगा कि आवेदक प्रवेश

24.7 मध्यप्रदेश संस्कृत बोर्ड की 'उत्तर मध्यमा परीक्षा' को हायर सेकेण्डरी परीक्षा के समकक्ष माना जाये।

- 25. प्रवेश की पात्रता :--
- 25.1 निवासी एवं अईकारी परीक्षा
 - (अ) मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी, मध्यप्रदेश में स्थायी सम्पत्तिचारी निवासी, राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय सेवल, राष्ट्रीयकृत वैकों तथा मारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मकारी जिनका प्रदांकन मध्यप्रदेश में हो. उनके पाल्यों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों/भूटान के विद्यार्थियों को महाविद्यालयों में प्रवेश की पात्रता होगी।
 - (ब) उपरोक्तानुसार प्रवेश के पश्चात् स्थान रिक्त होने की दशा में अन्य स्थानों के बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर विश्वविद्यालय की पात्रता अनुसार प्रवेश क्रिया जा सकेगा।
 - (स) संबंधित विश्वविद्यालय या उस विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वास मान्यता प्राप्त विद्यालयों/महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की अर्हकारी परीक्षा उलीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालयों में प्रवेश की पात्रता होगी।
 - (द) जम्मू कश्मीर के विस्थांपितों एवं उनके पाल्य/पाल्या के लिये निम्न प्रावधान लागू होने :
 - 1. प्रवेश की अंतिम विधि में अधिकतम 30 दिन की छूट।
 - न्यूनतन प्रवेश प्राप्ताकों में अधिकतम 10 प्रतिशत की छूट, अगर आवेदक प्रान्नता की अन्य शर्ते यूरी करता हो। (विधि पाद्यक्रमों को छोडकर)
 - 3. उपलब्ध स्थानों में पाठ्यक्रमवार 5 प्रतिशत की वृद्धि।
 - 4. स्थानीय निवासी होने की अनिवायता से पूर्ण छूट।
 - 5. द्वितीय और आने वाले वर्षों में आवजन की सुविधा।
 - 6. व्यावसायिक पाद्यक्रमों में मेरिट के आधार पर एक प्रतिशत का आरक्षण।
 - (य) प्रचानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए All India Council for Technical Education (AICTE), New Delhi द्वारा प्रदेश में (12 B of UGC Act के तहल मान्य) महाविद्यालयों में दो अधिसंख्य सीटी का सुजन कर प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है। छवत विद्यार्थियों को सीट आवटन के बाद प्रवेश देने के पूर्व सायद्ध विश्वविद्यालय अनुसार पात्रता सुनिश्चित करने का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा। उक्त प्रवेशीयित विद्यार्थी की जानकारी ई-प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध माइयूल में दर्ज करने का दायित्व भी संबंधित महाविद्यालय का होगा।

उच्च शिक्षा विभाग, मंग्र

Page 24 / 46

- विशेष प्रकरण संबंधी प्रवेश हेतु पात्रता/अपान्नता :--
- 28.1 किसी भी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त दिदार्थियों को (विधि संकाय को छोड़कर) अन्य संकायों के रनातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रदेश की पात्रता नहीं है।
- जिन आवेदकों के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहे हैं या वालान प्रस्तुत किया जा सुका हो. परीका में या पूर्व सन्न में विद्यार्थी/अविकारी/कर्मवारी के साथ दुर्धवहार/मारपीट करने ते गमीर 26.2 प्रमाणित आरोप हो या उनमें चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हो तो ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिये प्राचार्य कदापि अधिकृत नहीं है।
- महाविद्यालय भें तोड़-फोड़ करने या नहाविद्यालय की सम्पत्ति को नड़द करने के प्रमाणित दोषी और शैंगिंग के प्रमाणित आरोपी विद्यार्थियों को भी प्रावार्य प्रवेश केने के लिये अधिकृत नहीं हैं। रेगिंग के संदर्भ में यू 26.3 जीसी के ज्ञापन के, एफ-1-16/2007 (सी.पी.पी.11) आप्रेल 2009 के मार्गप्रधी चिर्देशों का पालन अनिवार्य है। इस संबंध में विभाग झारा जारी पत्र क. 829/469/आउमि/सा-1/08 दिनाक 18 जून 2008 के अनुसार जीसे डालरेंस पॉलिसी (Zero Tolerance Policy) लागू रहेगी।
- 26.4 ट्रॉन्सजेंडर को केवल सह-शिक्षा (Co-Education) महाविद्यालय में ही प्रवेश दिया जावेगा।
- पूर्णकालिक सासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं है। लेकिन दैनिक कर्त्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले 26.5 महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जा सकेंगा।
- बाह्य राज्य के आवेदकों हेतु प्रवेश नियम ----27.

à

- स्नातक स्तर तक वी.ए./बी.कॉम /बी.एससी./बी.एर) सी.(गृह-विज्ञान) में एकीकृत पाठ्यक्रम त्यागू होने स राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय से अर्डकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों की अपले 27.1 दर्ष/सेनेस्टर में प्रदेश की भावता है, किंतु सम्बंधित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पदाये जा रहे विषयों / विषय-समूहों में आवेदकों ने भिछली परीक्षा दी हो तो संबंधित घरीक्षण के पश्चात ही नियमित प्रवेश दियां जा सकेगा।
- 27.2 मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित यूं जी सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विखविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से रनातक रतर की प्रथम/हितीय वर्ष अववा हिसीय/चतुर्क सेमेस्टर प्ररोधा, राज्य की आन्य विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर की प्रथम एवं दिसीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि रनातक स्तर की प्रथम/हितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रसाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद उन्हीं दिषय/दिषयों/दिषय-समूह की अगली कक्षा में स्थान रिका होने की स्थिति में नियमित प्रवेश दिया जा सकेया।
- राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शमश-पत्र देना होगा। शपश-पत्र में फर्जी, किसी भी तरह की अती/गलत जानकारी पाये जाने की दशा में संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए 27.3 उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में आगाभी ठीन वर्ष तक प्रवेश से वॉदिस कर दिया जायेंगा।
- 27.4 सज्य के बाहर के विद्यार्थियों को प्रवेश के पूर्व, प्रावायों द्वारा संबंधित राज्यों एवं नथानीय आरक्षी केन्द्रों के माध्यम से पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य है।
- 27.5 केन्द्र सरकार हारा अनुवान प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थाओं में मध्यप्रदेश के विद्यार्थियों के लिए 80 प्रतिशत तथा अन्य राज्यों के विद्यार्थियों हेतु 20 प्रतिशत रखान आरक्तित रखने की बावरथा लागू रहेगी।
- 27.6 महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में अध्ययनरत् संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
- 27.7 जिन विषयों में प्रवेश के लिये प्रदेश के विद्यार्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है, उन विषयों में अन्य राज्य को विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 27.8 प्रवेश उपरान्त उच्च शिक्षा विमाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में प्रवेशित विद्यार्थियों को रिपोर्टिंग के समय संबंधित शासकीय/असासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र/आव्रजन ग्रमाण पत्र/शपथ-पत्र/पुलिस सत्यापन/चरित्र प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

Page 25 / 46

आरक्षण :-28.

मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप आरक्षण निम्नानुसार होगा न

28.1 आरक्षित श्रेणी का कोई जग्मीदवार यदि अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी/ औपन प्रतिरूपर्ध मे नियमानुसार मेरिट सूची में आता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें अप्रभावित रहेंगी। परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी अन्य संवर्ग जैसे-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का है तो संबंधित संवर्ग की सीट उस विशिष्ट आरक्तित अेणी में भरी मानी जादेगी। संबंधित विकिन्ट संवर्ग की शेष सीढ़ें पावतानुसार भरी जासेंसी।

अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमश: 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में मुस्रिवर्तनीय होंगे। 28.2

पिछड़े वर्ग (क्रीमी-लेयर छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। (मध्यप्रदेश राजपत्र कमांक 349 भोपाल दिनांक 14.08.2019 में प्रकाशित संशोधन क्रमांक 13681-227-इवकीत-अ 28.3 (प्रा.) असि. दिनांक 13.08.2019 द्वारा संशोधित आदंश पर यादिका क्रमांक डब्ल्यू पी. 5901/2019 के अंतर्गत मात्रनीय उच्च न्यायालय दास पारित निर्णय के अधील लागू किया जायेगा)

च्चतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पोत्रियों/नातियो/नातियों/नातियों भारतीय सेना में कर्तव्य के दोरान वीरगति को आपत अथवा स्थाई रूप से निश्चकत हुए सीनिकों के पुत्र/पुत्रियों एव मृतपूर्व तथा 284 कार्यरत सेना के कर्मियां (Defence personnel) के आश्रितां/सेन्ट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बच्चों के लिए नया इन वर्गों के दिखांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 05 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इससे सम्बद्ध दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिमार देकर, तीन वर्गी का सम्मिलित मुमानुक्रम निर्धारित किया जाए. परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित स्थानों से ही जपलबों कराया जाएमा। भारतीय संशास्त्र सेना के कर्मियों/अधिकारियों का प्राथमिकता क्रम. निम्नानुसार रहेगा-

1. युद्ध के दोसन शहीव की विवया एवं उनके आश्रित।

2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप से अपंग, कार्यरत सनिकों एवं उनके आश्रित।

3. शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद के आजित।

4. शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से निशक्तजन तथा उनके आश्रित।

.5. निम्न शौर्य पदकों से सम्मानित सेवास्त अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रित-परमतीर चक्र, अशीक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मंडल, महावीर वक्ष, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मेडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध त्रेवा मेडल, सेना, नोसेना/ वायु सेना मेडल प्रत्नों में जल्लेख।

6 सब्द्रपति का वीरता हेतु मुलिस मेडल।

7. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित।

8. कार्यरत सैनिकों के आश्रित।

- 28.5 दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिये 5 प्रतिशत खान आरक्षित रखे जावेंगे परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिये आरक्षित स्थान से ही उपलब्ध करायां जावेगा। दिव्यांगों को प्रवेश के समय अईतादायी संकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। दिव्यांग आवेदकों को जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त रिधोरित प्रारूप में जारी प्रमाण मंत्र (जिसमें 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यागता का उल्लेख हो) पंजीयन के समय अपलोड करने पर इस श्रेणी का लाम लिया जा सकेगा।
- 28.6 आधिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS- Economically Weaker Section) :- आधिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का लाम सामान्य-प्रशासन दिनाम के आदेश क्रमांक एफ-07-11/2019/आप्र /एक, भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 एत आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 444/243/आउशि/शा.-5'अ /2019 भोपाल दिनाक 15 जुबाई 2019 के अनुक्रम में दिया जायेगा।
- 28.7 एन.सी.सी. सी' प्रमाण-पत्र उत्तीर्ण आवेदकों के लिए स्नातकोलार सार पर महाविद्यालय में स्वीकृत स्थान का 1 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा।

28.8 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिखे आरक्षित होंगें।

उच्च शिक्षा विभाग, म.प

28.9	मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विमाग तथा उसके अधीनस्य सांसकाय कार्याकार्य, गम्सम्याप्राय, जु कार्यालय उच्च शिक्षा में नियमित कार्यरत/संवानिकृत/दिवमत अधिकारियों, एवं कर्मचारियों, प्राप्तायों, प्राध्यापकों, प्रथपालों, क्रीडा अधिकारियों, रजिस्ट्राशें एवं शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चलुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पाल्यों के लिए सभी सम्बन्धित संवर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 5 प्रतिशत स्थान
28.10	आरक्षित रखे जायेंगे। आरक्षित रचान का प्रतिशत यदि आधे से कम आता है तो उसी श्रेणी में आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। आधे से एक प्रतिशत के योज आने पर ही आरक्षित स्थान की संख्या एक मानी जायेंगी।
28.11	i a server and the server at 1917 and 1917
	करवाना होगा। अल्पसंख्यक संस्थाओं में अजजा/जजा/जजा/जन्म पिछड़ा वर्ग के आखाण का बंधन नहीं होगा। अल्पसंख्यक संस्थाओं को उनके यहाँ प्रवेशित विद्यादियों की जानकारी विभाग के ई-प्रवेश पोर्टल पर जपलख ऑनलाईन संस्थाओं को उनके यहाँ प्रवेशित विद्यादियों की जानकारी विभाग के ई-प्रवेश पोर्टल पर जपलख ऑनलाईन
2B 11	A MARKEN AND THE PARTY AND
	प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवदन परना भावर ए सार्वन करने होंगे -
(31)	रतायया में आगपाय एवं के लिए जारी अद्यतन अनापति प्रमाम पत्र। शासन द्वारा वर्तमान सत्र के लिए जारी अद्यतन संबद्धता प्रमाण पत्र। विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान सत्र के लिए जारी अद्यतन संबद्धता प्रमाण पत्र।
(回) (可)	विश्वविद्यालय द्वारा वतमान सत्र के लिए जास जवतन कवतन के विद्यालय होती / प्रस्तान सदी का प्रताण पत्र। अल्पसंख्यक संस्था/महाविद्यालय होने का मान्य प्रमाण पत्र।

- रजिस्ट्रांर फर्म एवं सोसायटी कार्यालय में पंजीवद्ध अद्यतन गवर्निंग (君)
- विगत वर्ष में प्रवेशित अल्पसंख्यक श्रेणी/गेर अल्पसंख्यक श्रेणी के विद्यार्थियों की संख्यायार/ संकाययार (四) एकजाई जानकारी।
- ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया से मुक्त रखने हेतु संरथा का आवेदन !

28.11.2 क्षेत्राधिकार के विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित अल्पसंख्यक महाविद्यालय की प्रोफाईल का सत्यापन कडिका. 28.11.1 में उल्लेखित 6 प्रमाण पत्र / प्रपत्रों की ऑनलाईन अपलोड प्रतियों के आधार पर किया जाएगा।

- कंडिका 8.4 अनुसार सी.एल.सी. चरण में समय सारणी अनुसार पूर्व में वर्णित आरक्षित श्रेणी के रिक्त 28,12 स्थान अनारकित (सामान्य) श्रेणी के आवेदकों हेतु परिवर्तित किये जायेंगे।
- 'समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा। 28.13
- ऐसे पाठ्यक्रम जिनके अध्यादेश में प्रवेश लिखित परीक्षा के माध्यम से दिया जाना उल्लेखित हो, पात्र आवेदकों को पोर्टल पर पंजीयन कराते हुए संयभित संस्था एवं पादयकम हेतु वरीयता दर्ज करना होगा। 28,14 संबंधित संख्या पंजीकृत आवेवकों की प्रवेश परीक्षा आयोजित कर निधमानुसार प्रवेश देंगी तथा अवैशित विद्यार्थियों की जानकारी पोर्टल पर अनिवायंतः दर्ज करेंगी।
- अधिभार :--29.

12

अधिमार गुणानुक्रम निर्धारण के लिए प्रवान किया जायेगा। पात्रता हेतु इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। अईकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिमार देय होगा। अधिमार के लिये समी आवश्यक प्रमाण-पत्रों की जानकारी प्रवेश हेतु पंजीयन के लिए आवेदन-पत्र में उल्लैख करना अनिवाये है। सत्यापन के लिये पंजीयन आवेदन पत्र में उल्लेखित, संबंधित प्रसाणपत्र अनिवार्यतः अपनोड करने होंगे। एक से अधिक अधिमार प्राप्त होने पर केवल सर्वाधिक अधिमार का लाम एक हैं को में देव होगा।

si.

4

29.1

29.2

29.3

ক্র	एन.सी.सी./एन.एस.एस. 'ए' सटिफिकेट	2 प्रतिशत
ख	एन.सी.सी. / एन.एस.एस. 'बी' सटिफिकेट या द्वितीय सोमान उत्तीर्ण जनगवनय	उ प्रतिशत
म ें	एन.सी.सी./एन.एस. 'सी' सहिफिकेट या तृतीय सोपान छत्तीय उत्तापम	अ प्रतिशत
म	राज्य स्तरीय (संचालनालयीन) एन.सी.सी. प्रतियोगिता	4 प्रतिशत
ेष	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परंड में मध्यप्रदेश के एन.सी.सी./एन. एस.एस. कॉन्टिनजेन्ट में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	७ प्रतिशत
য	श्राज्यबाल स्काउट	5 प्रतिशत
জ	संख्ट्पति स्काउट	१० प्रविशत
ন্থা	मह्यप्रदेश का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केंडेट	१० प्रतिशत
য	ड्यूक ऑफ एडिनबरा अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेट	15 प्रतिशत
<u>प</u> र	भारत के साथ अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने जाने कैटेट	15 प्रतिशत
'ল	एन.सी.सी./एन.एस.एस. के तहत वयनित एवं प्रयास करने याले केंद्रेट को अंतर्राष्ट्रीय जम्हूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों	१० प्रतिशत
- ख	पग भारतीय रेडक्रास सोसायटी द्वारा प्रमाणित उत्कृष्ट गतिविधियों के लिये	2 प्रतिशद
ॉनर्स वि	पेषय पाठ्यज्ञम उत्तीर्ज विद्यार्थी को स्नालकोत्तार कक्षा में उसी विषय में	१० प्रतिशत
वेश ले		مەرتەردە بەرتەرپا
	तार प्रीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एल.एल दी. प्रयम में प्रवेश लेने पर	5 प्रतिशत

Ex .

29.4 खेलक्द/साहित्यिक/सांस्कृतिक/विराज/रूपंकन प्रतियोगिताए -

स्त क	र प्रतियोगिता में	2 प्रतिशत
হ	and the second se	4 प्रतिशत
THE T	पुषत काल्या २३३२२।) तमा/राज्य स्तर अथवा कोन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर तेयोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) द्वारा आयोजित	त सन्तार क्षत्राय
प्रति प्रदि	तेयोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआइन्यू) द्वारा आयोजित तेयोगिता (Inter Zonal) एवं मध्यप्रदेश राज्य खेल संघ द्वारा आयोजित जीत/अन्तर संनाग/अन्तर जिला में :-	त अन्तर क्षत्राम अधिकृत राज्य
प्ररि प्रदि रत्त	तेयोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआइ.यू.) द्वारा आयाजित तेयोगिता (Inter Zonal) एवं मध्यप्रदेश राज्य खेल संघ द्वारा आयोजित रीय/अन्तर संमाग/अन्तर जिला में :- प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त सिलाड़ी/टीम के प्रत्येक सकस्य को- प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त सिलाड़ी/टीम के प्रत्येक सकस्य को-	त अत्तार क्षत्राम अधिकृत राज्य ७-प्रतिशत ५ प्रतिशत
प्राप्ति प्रति रत्ता ख ख (क) भार	तेयोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआइ.यू.) द्वारा आयोजित तेयोगिता (Inter Zonal) एवं मध्यप्रदेश राज्य खेल संघ द्वारा आयोजित रीय/अन्तर संमाग/अन्तर जिला में :- प्रथम, द्वितीय, तृतीय खान प्राप्त खिलाड़ी/टीम के प्रत्येक सदस्य को- जिले के वल से संमाग का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियांगी को !सीथ विश्वविद्यालय संघ एवं असिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालयीन? म आयोजिल शाडीय स्तर की प्रतियोगिता में :	त अन्तर क्षेत्राम अधिकृत राज्य ७- प्रतिशत ५ प्रतिशत एक जी एफ आई
प्राप्ति प्रति रत्ता ख ख (क) भार	तेयोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआइ.यू.) द्वारा आयाजित तेयोगिता (Inter Zonal) एवं मध्यप्रदेश राज्य खेल संघ द्वारा आयोजित रीय/अन्तर संमाग/अन्तर जिला में :- प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त सिलाड़ी/टीम के प्रत्येक सकस्य को- प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त सिलाड़ी/टीम के प्रत्येक सकस्य को-	त अन्तर क्षत्राग अधिकृत राज्य ७ प्रतिशत ५ प्रतिशत

नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2021-22

Page 27/46

स्टब्स शिक्षा विभाग, म.प्र

तहत् विज्ञा बाले दल र	अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अधवा साईन्स एण्ड कल्वर एक्सकेंज प्रीयाम के न/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में वयनित और प्रयास करने के सदस्यों को	10 प्रतिशन
	मर से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित अधिकृत भारतीय ओलंपिव	त संघ द्वारा
भारत सरव	नर स मान्यता प्राप्त खल तथा बात जावायाया के हूँ ोजित होने वाली राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में–	
वर्ष में आर	गणित होन वाला राष्ट्राय खल प्रतियानका के वान्या को	10 प्रतिशत
ক	मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को	<u>15 प्रतिश</u> त
U .	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले मध्यप्रदेश के खिलाडी /	10 Miciell
	चल के सदस्यों को सब्दीय यंग्पियनशिप से ताल्पर्य राष्ट्रीय थोल महासंघ द्वारा आयोजित किये	ALC: N
राष्ट्रीय चे	मेवयनशिप से हैं, जो वर्ष में एक धार आयतजत का जाता कर	
	the testing to a loss	ां प्रतिशत
विशेष प्रो साउथे ए प्रतियोगि खेलो में	ति के विश्यापितों और उनके आश्रितों को त्साइन आउटराईट (Outright) :	जुत्तर्राष्ट्रीय रा आयोजित ानुक्रम (out वक कल्याम
विशेष प्रो साउथे ए प्रतियोगि खेलो में उन कक्ष	लाइन आउटराईट (Outright) :- शियन गेन्स, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा अधिकृत ताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी तथा पारतीय ओलपिक संघ द्वा पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अर्हता पूर्ण होने पर बिना किसी मुण आों में प्रवेश दिया जा सकता है, जिनके वे पात्र हैं। संचालक खेल एवं यु आों में प्रवेश दिया जा सकता है, जिनके वे पात्र हैं। संचालक खेल एवं यु	जनसंदिधि स आयोजित ानुक्रम (out वक कल्याम
विशेष प्रो साउथे ए प्रतियोगि खेलो में उन कक्ष	लाइन आउटराईट (Outright) :- शियन गेन्स, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा अधिकृत ताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी तथा पारतीय ओलपिक संघ द्वा पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अर्हता पूर्ण होने पर बिना किसी मुण पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अर्हता पूर्ण होने पर बिना किसी मुण आों में प्रवेश दिया जा सकता है, जिनके वे पात्र हैं। संचालक खेल एवं यु 7678/खेयुक/2018 विनांक 14.112018 के तहन खेल प्रतियोगिताओं लाडी हेत नियमो/अभिप्रमाणों को अद्यतन किया गया है।	जुत्तर्राष्ट्रीय रा आयोजित गनुक्रम (oat यक कल्याम में प्रतिनिधि
विशेष प्रो साउथे ए प्रतियोगि एक्ते में उन कक्ष	लाइन आउटराईट (Outright) :- शियन गेन्स, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा अधिकृत ताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी तथा भारतीय ओलपिक संघ द्वा पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अर्हता पूर्ण होने पर बिना किसी मुण पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अर्हता पूर्ण होने पर बिना किसी मुण अर्ज में प्रवेश दिया जा सकता है, जिनके वे मात्र हैं। संचालक खेल एवं यु 7676/खेयुक/2018 दिनांक 14.11.2018 के तहन, खेल प्रतियोगिताओं लाड़ी हेनु नियमो/अभिप्रमाणों को अद्यतन किया गया है।	अंतर्राष्ट्रीय रा आयोजित ानुक्रम (oat वक कल्याप में प्रतिनिधि
विशेष प्रो साउथे ए प्रतियोगि खेलो में उन कक्ष	लाइन आउटराईट (Outright) :- शियन गेन्स, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा अधिकृत ताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी तथा भारतीय ओलपिक संघ द्वा पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अर्हता पूर्ण होने पर बिना किसी मुण उसे में प्रवेश दिया जा सकता है, जिनके वे मात्र हैं। संचालक खेल एवं यु 7678/खेयुक/2018 दिनांक 14.11.2018 के तहन् खेल प्रतियोगिताओं लाड़ी हेतु जियमो/अभिप्रमाणों को अद्यतन किया गया है। याजय प्रशिधन गेम्स, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने	जनसाँप्ट्रीम रा आयोजित ानुकम (oat वक कल्याप में प्रतिनिधि
दिशेष प्रो साउथ ए प्रतियोगि खेलो में उन कक्ष बाले खि	लाइन आउटराईट (Outright) :- शियन गेन्स, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा अधिकृत ताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी तथा भारतीय ओलपिक संघ द्वा पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अर्हता पूर्ण होने पर बिना किसी मुण उसे में प्रवेश दिया जा सकता है, जिनके वे मात्र हैं। संचालक खेल एवं यु 7678/खेयुक/2018 दिनांक 14.11.2018 के तहन् खेल प्रतियोगिताओं लाड़ी हेतु जियमो/अभिप्रमाणों को अद्यतन किया गया है। याजय प्रशिधन गेम्स, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने	जनसाँष्ट्रीय रा आयोजित ानुकम (oat वक कल्याम में प्रतिनिधि अर्हता प् होने प
विशेष प्रो साउथे ए प्रतियोगि खेलो में उन कक्ष	लाइन आउटराईट (Outright) :- शियन गेन्स, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा अधिकृत ताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी तथा भारतीय ओलपिक संघ द्वा पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अर्हता पूर्ण होने पर बिना किसी मुण उसे में प्रवेश दिया जा सकता है, जिनके वे मात्र हैं। संचालक खेल एवं यु 7676/खेयुक/2018 दिनांक 14.11.2018 के तहन, खेल प्रतियोगिताओं लाड़ी हेतु नियमो/अभिप्रमाणों को अद्यतन किया गया है। याउथ प्रसिधन गेम्स, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा अधिकृत खेलराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाडी भारतीय ओलग्पिक संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों में पदक प्राप्त	उत्तर्राष्ट्रीय रा आयोजित ानुक्रम (oat वक कल्याप में प्रतिनिधि अर्हत प् होंने प पावत
विशेष प्री साउध ए प्रतियोगि खेलो में उन कक्ष बाले खि 1. 2.	लाइन आउटराईट (Outright) :- शियन गेन्स, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय डास अधिकृत ताओं में प्रतिनिधित्त्व करने वाले खिलाड़ी तथा पारतीय ओलपिक संघ डा पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अर्हता पूर्ण होने पर बिना किसी मुण पदक प्राप्त करने वाले खिलाडियों को अर्हता पूर्ण होने पर बिना किसी मुण आं में प्रयेश दिया जा सकता है, जिनके वे पात्र हैं। संचालक खेल एवं यु कार्म में प्रवेश दिया जा सकता है, जिनके वे पात्र हैं। संचालक खेल एवं यु 7678/खेयुक/2018 विनांक 14.11 2018 के तहन खेल प्रतियोगिताओं लाड़ी हेतु नियमो/अभिप्रमाणों को अद्यतन किख गया है। याख्य एशियन गेम्स, मारज सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय झारा अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी भारतीय ओलग्पिक: संघ हारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी	जनसाँष्ट्रीय रा आयोजित ानुकम (oat वक कल्याम में प्रतिनिधि अर्हता प् होने प याजना अनुसा
दिशेष प्रो साउध ए प्रतियोगि खेलो में उन कक्ष मन के खि र 2. 3.	लाइन आउटराईट (Outright) :- शियन गेन्स, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय झारा अधिकृत ताओं में प्रतिनिधित्त्व करने वाले खिलाड़ी तथा पारतीय ओलपिक संघ झा पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अर्हता पूर्ण होने पर बिना किसी मुण् उन्नें में प्रयेश दिया जा सकता है, जिनके वे पात्र हैं। संचालक खेल एवं यु कार्ज में प्रयेश दिया जा सकता है, जिनके वे पात्र है। संचालक खेल एवं यु 7676/खेयुक/2018 विनांक 14.11 2018 के तहन् खेल प्रतियोगिताओं लाड़ी हेतु नियमो/अभिप्रमाणों को अद्यतन किया गया है। याउथ एशियन गेम्स, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय झारा अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व कस्ने याते खिलाड़ी भारतीय ओलग्पिक: संघ झारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों में पदक प्राप्त करने बाले खिलाड़ी एनसी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ केडेट्स	अंतर्राष्ट्रीय रा आयोजित ानुक्रम (out यक कल्याप में प्रतिनिधि अर्हता प् होंने प याञत अनुसा होना वि
विशेष प्रो साउथे ए प्रतियोगि खेलो में उन कक्ष मले खि मले खि	लाइन आउटराईट (Outright) :- शियन गेन्स, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय झारा अधिकृत ताओं में प्रतिभिधित्व करने वाले खिलाड़ी तथा पारतीय ओलपिक संघ झा पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अर्हता पूर्ण होने पर बिना किसी मुण उसे में प्रवेश दिया जा सकता है, जिनके वे पात्र हैं। संचालक खेल एवं यु कार्ड में प्रवेश दिया जा सकता है, जिनके वे पात्र हैं। संचालक खेल एवं यु 7678/खेयुक/2018 दिनांक 14.11.2018 के तहन् खेल प्रतियोगिताओं लाड़ी हेतु जियमो/अभिप्रमाणों को अद्यतन किख गया है। याजय प्रशिधन गेम्स, पारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय झारा अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिमिधित्व करने वाले खिलाडी भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों में पदक प्राप्त करने वाले छिलाड़ी एनसी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ केडेट्स	अतर्राष्ट्रीय रा आयोजि ानुकम (०० वक कल्याप में प्रदिनिधि में प्रदिनिधि होने प पाल अनुस मिना दि मुणानुक प्रवेष

29.9 'पंजीयन आवेदन पत्र के साथ स्केन कर अपलोड किये जा रहे दस्तावेजों के लिए पूर्व में ही अभियाय होगा कि -

- अभागप
 खेल संघाँ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय रतर की अधिकृत प्रतियोगिताओं के प्रमाण का
 अभिप्रमाणन संबंधित जिले के जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी द्वारा किया जाये।
- (2) उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्रों का अभिप्रशाणन संबद्धित जिले के अग्रणी महाविद्यालय के क्रीडा अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- (3) विश्वविद्यालय/भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं के प्रमाण मन्नी का अभिष्रमाणन संयंतित विश्वविद्यालय के संघालक, खेल द्वारा किया जाये।

नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2021-22

Page 28/46

- (4) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्रों का अभिप्रमाणन संबंधित केन्द्रीय विद्यालय के कीड़ा अविकारी हास किया जावे।
- एस.जी.एफ.आई. द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्रों का अभिग्रमाणन संबंधित जिले के (5) जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जावे।
- सह सुविधा केवल जन्हीं अन्यथियों को मिलेगी जिन्होंने पंजीयन के अन्तरति उक्त जानकारी को उल्लेख किया है परन्तु इस प्रकार की सुविधा अन्य, अर्थात दूसरे स्तर के पाठयक्रम में प्रवेश के (6) लिए फ़िर एक नई उपलब्धि प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएँ जिनमें राज्य लरकार सह-प्रायोजक हो, उसमें वहाँ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को अधिभार के प्रतिरात की गणना कपिडका 29.4 (3) के अनुरूप होगी। 29.10

प्रवेश संबंधी विशेष प्रावधान :--30.

- प्रवेश परचात प्राचार्य के अधिकार -30.1
- जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर या गलत जानकारी देकर जानबुझकर अधवा छिमारे गये प्रतिकुल तथ्यों या प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असायधानीवज्ञ किसी आवेदक को यदि प्रवेश मिल जाता है, तब 30.1.1 संज्ञान में आने पर ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रावार्य को होगा।

प्रालचिक प्रवेश के मामले में प्राचार्य पृथक खूबी तैयार करेंगे और यह सुनिरिवत करेंगे कि विद्यार्थियों ने वे सारी मूर्तियाँ पूरी कर ली हैं, जिनके अमाद में उन्हें तत्समय प्रावधिक प्रवेश दिया गया था। 30.12

नियमित प्रवेश लेने के बाद बिना किसी समुचित कारण अथवा बिना पूर्व अनुमति या पूर्व सूचना के लगातार पंद्रह दिवस तक ऑनलाईन/ऑफलाईन कक्षाओं में अनुपरिधत रहने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश 30:1.3 निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा। प्रवेश निरस्त करने से पूर्व संस्था द्वारा विद्यार्थी/अभिभावक को अनुपरिधति की सूचना प्रदान करते हुए कारण जानना होगा। तदोपरांत ही समुचित कारण होने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त करने संबंधी कार्यवाही की जाएगी। प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से विद्यार्थी को अतिवार्य रूप से भेजनी होगी।

प्रवेश के बाद सन्न के दौरान कडिका 26.2 एवं 26.5 में राणित अनुशासमहीनता के प्रकरण में जिला विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे संख्या से निष्कासित करने का अधिकार प्रावार्य का होगा। 30,1,4.

प्रवेश शुल्क वापसी की प्रक्रिया -30.2

° 2'

शुल्क वापसी की प्रक्रिया का नियमानुसार पालन सुनिश्चित किया जाये 1

30.2.1 प्रवेश प्रस्वात् शैक्षणिक सत्र के तोरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ने/प्रायधिक प्रवेश पश्चात् अमुत्तीर्ण घोषित होने / प्रवेश निरस्त होने की रिधति में विद्यार्थी को प्रवेश प्रक्रिया शुल्क रूपये 100/-

काटकर शेष जमा प्रवेश शुल्क (कॉशन मनी सहित) वापस किया जाएगा।

- 30.22 प्रवेश पश्चात् शैक्षणिक सन्न के दौरान विद्यार्थी के निष्कासन की स्थिति में विद्यार्थी को कॉशन मनी के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- 302.3 प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थी का तकनीकी/व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अन्यत्र प्रवेश हो जाने पर तत्सवेवी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर विद्यार्थी को यू.जी.सी. के नोटिफिकेसन अक्टूबर 2018 के तहत महाविद्यालयं द्वारा राशि यापिस की जावेगी।

रिसार्क यू.जी.सी. द्वारा सुचित वैधानिक प्रॉफेशनज काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम तकनीकी / व्यवसायिक पाड्यक्रम के अंतर्गत माने जायेंगे। 1

उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.

30.3 हितग्राही योजना परिवर्तन:--

- 30.3.1 ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया संपालि के पश्चात उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में प्रान्नता अनुसार मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना/मुख्यमंत्री जनकल्याम (शिक्षा प्रोतसाहन) योजना/ मुख्यमंत्री कोविड-19 वाल कल्याण योजना में विद्यार्थी प्रवेशित महाविद्यालय में परिवर्तन कर सकेंगे। सोजना परिवर्तन करने पर नियमानुसार प्रवेश शुल्क जमा/वापसी करना अनिवार्थ होगा।
- 30.3.2 इस संबंध में महाविद्यालय विधिवत् सूचना प्रसारित कर, प्राप्त आवेदन अनुसार कार्यवाही करेंगे। महाविद्यालय द्वारा किये गये परिवर्तन की जानकारी निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन मॉड्यूल में भी दर्ज करनी होगी अन्यथा क्रिये गये परिवर्तन मान्य नहीं होंगे।

30.4 विषय/पाठयक्रम/संकास परिवर्तन-

ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया समापित के परचाल उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में प्रवेशित महाविद्यालय में विद्यार्थियों हेतु पात्रता अनुसार संबंधित संकाय/कक्षा/विषय में स्थान स्वित होने पर परिवर्तन संबंधी कार्यवाही को जा सकेगी। निर्धारित समय सीमा में विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय स्तर पर प्रस्तुत आवेदनों पर पात्रता/गुपानुक्रम का उल्लंघन न होने की शर्त पर विषय/ पाद्यक्रम/संकाय में परिवर्तन की कार्यवाही की जा सकेगी। संबंधित महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन नॉड्यूल पर सिर्धारित खमय सीमा में जानकारी अद्यतन करना अनिवाय होगा। अन्यथा की स्थिति में परिवर्तन भाष्य नहीं किया जाएगा।

- अकादमिक कैलण्डर का पालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के 30.5 तत्काल याद सभी शासकीय/अशासकीय/अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रवेशित विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन प्रवेश शुल्क समय सीमा में जमा किया गया है, साथ ही, यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक प्रवेशित विदार्थी में केवल प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ही प्रवेश शुल्क जमा किया है। किसी आवेदक में प्रवेश पोर्टल के माध्यम से प्रवेश राज्य जमा म करते हुए सबचित महाविद्यालय के बैंक खाते में प्रवेश शुल्क जमा कर दिया है ऐसी स्थिति में संबंधित महाविद्यालय को शुल्क जमा होने के तीन दिवस की अबधि में कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा की अकार्यमिक शाखा की सूचित कर निराकरण प्राप्त करना अनिवार्ध होगा। अन्यथा की स्थिति में प्रवेश मान्य नहीं किया जायेगा। अकादनिक कैलण्डर का पालन सुनिश्चित करने की दुष्टि से ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के बाद 30.6 महाविद्यालय को प्रवेश पोर्टल से प्राप्त, ऑनलाईन प्रवेशित सूची में, यदि किसी प्रकार की विसंगति दिखाई देती है तो प्राचार्य प्रवेश प्रक्रिया समापि के 15 दिवस की समय-सीमा में अभिवार्यत अकादमिक शाखा, आयुक्त,जच्च शिक्षा वनयालय, म.प्र. भोपाल को पूर्ण तथ्यालक जानकारी, प्रमाण एव प्रवेश पोर्टल से प्राप्त प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची सहित लिखित आवेदन निर्धारित समय अवयि में प्रस्तुत करना होगा। इस सबंध में ई-मेल द्वारा कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। उक्त समय-सीमा की समादित के उपरान्त प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- 30.7 ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया से समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय अब पूर्ण रूप से परिषित हो चुके हैं। अतः सत्र 2021–22 के समस्त स्नातक/स्नातकोत्तर कहाओं में प्रवेश/प्रवेश मधीनीकरण हेतु कडिका 6.1.7 के अनुसार पंजीयन एवं पोर्टल शुल्क से प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण राशि एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा विभाग को स्थानांतरित की जाएगी।
- 30.8 प्रवेश निरस्तीकरण उपराक्त विद्यार्थी को दिये गये स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र का ऑनलाईन मॉड्यूल में प्रविधिः करने संबंधी- एक बार प्रवेश प्राप्त कर लेने के पश्चात् यदि आवेदक द्वारा महाविद्यालय से स्थानान्तरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाता है तो इसकी जानकरी भी ऑनलाईन उपतब्ध कराये गये मॉडयूल में देना अनिवार्य होगा, जिससे प्रवेशित आवेदकों की वस्तुरिधति स्पष्ट रहे।

नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2021-22

Page 30 / 46

उच्च शिक्षा विभाग, म.स.

- 30.9 <u>अशासकीय महाविद्यालयों की मान्यता समाप्त होने पर नियमित प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये</u> <u>प्रावधान/व्यवस्था</u> ऐसे अशासकीय महाविद्यालयों जिनकी मान्यता अथवा उनके स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रमों की मान्यता शासन/विश्वविद्यालय द्वास समाप्त कर दी गई है उनमें विगत वर्षों से नियमित प्रवेशित विद्यार्थियों को अन्य महाविद्यालयों में उन्हीं प्राठ्यक्रमों में अगले वर्ष/समेस्टर में प्रवेश हेनु प्राथमिकता दी जावेगी।
- 30.10 इन मार्गदर्शी सिदाती में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा को है। आयुक्त, उच्च शिक्षा को आवश्यकतानुसार मार्गदर्शी सिद्धातों में समय-समय पर परिवर्तन/ स्पष्टीकरण जारी करने/समय सारणी घोषित एवं परिवर्तन करने/प्रवेश पोर्टल संदर्धी जानकारी देने/प्रवेश संबंधी निर्देश जारी करने का अधिकार प्रदत्त किया जाता है। विशिष्ट एवं सद्धातिक प्रकरण में अंतिम निर्णय का सम्पूर्ण अधिकार राज्य शासन को होगा।

संलग्न : अकादमिक कैलेण्डर सत्र 2021-22 (परिशिष्ट 1 एवं 2)

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विनाग

उच्च शिला विभाग, म.प्र

परिशिष्ट - 1

K.

अकादमिक कैलेंडर सत्र 2021-22 (सेमेस्टर कक्षाओं के लिए प्रमावशील)

स्नातकोत्तर प्रथम/तृतीय	स्नासकोत्तर द्वितीय/मतुर्थ
01 सितम्बर 2021	21. जनवरी 2022
01 सिलग्बर 2021 से 15 दिसम्बर 2021	21 जनवरी 2022 से 30 अप्रैल 2022
नुवम्बर द्वितीय रापाह	मार्च द्वितीय सप्ताह
15 जबन्दर 2021 से 30 गंदाखर 2021 कें मध्य	01 अप्रैल में 15 अप्रैल 2022 के मध्य
06 दिसम्बर 2021 से 15 दिसम्बर 2021	21 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022
16 दिसम्बर 2021 से 11 जनवरी 2022	01 मई 2022 रो 21 मई 2022
12 जानवरी 2022 से 20 जानवरी 2022	22 मई से 30 जून 2022 (कुल 40 विवस)
31 जनवरी 2022 तक	30 जून 2022 तक
	01 सिलग्बर 2021 से 15 दिसम्बर 2021 नवम्बर द्वितीय सालाह 15 नवम्बर 2021 से 30 गवायर 2021 के मध्य 06 दिसग्वर 2021 से 15 दिसम्बर 2021 16 दिसम्बर 2021 से 11 जनवरी 2022 12 जनवरी 2022 से 20 जनवरी 2022

• उत्सर्व कार्यक्रम

ः अवदूबर (प्रथम सप्ताह) 2021

• छात्रसंघ गडन

ः <u>आवद्वर</u> – 2021

- खेलकूद/एन.सी.सी./एन.एस.एस./युवा खल्सव/दीक्षांतः माहं नवग्बर तक पूर्ण कर ली आएँ। समारोह एवं अन्य मतिविधियाँ।
- दीपावली अवकाश

 रमेह सम्मेलन / वार्षिकोत्सव / पुरस्कार वितरण वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन एवं विमोचन

- : दिनांक 01 नवम्बर से 06 नवम्बर 2021 तक (05 कार्य दिवस).
- : सार्च 2022 द्विलीय सम्बाह (अग्रिकतम 03 कार्य विवस)

दीप :-

- (1) अपरिहार्य कारणवश शैक्षणिक कार्य निर्धारित मानक दिवसों से कम होने की दशा में महाविद्यालय/विवि स्तर पर शैक्षणिक कालखण्डों की अवधि में आवश्यकतानुसार बुद्धि कर शैक्षणिक दिवसों की पूर्ति की जाये ताकि अकादमिक केलेण्डर का पालन समयानुसार सुनिश्चित किया जा सके।
- (2) स्नालकोत्तर तुतीय सेमेस्टर में प्रयेश हेतु नवीनीकरण संकिया को अपनाते हुए शैक्षणिक कार्य प्रारंभकरना सुनिश्चित किया जाये ।
- (3) शैक्षणिक कार्य दिवस कम होने पर अतिरिक्त कक्षाएँ संवालित कर पाठयक्रम पूर्ण किया जाये।

Page 32/46

नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2021-22

रनातकोत्तर प्रथम/तृतीय कार्य दिवसॉ की गणना सन्न 2021-22

क	माइ	दिवस	अवकाश	कार्य दिवस
<u>क्र</u> .	सितम्बर 2021	30	4 रविवार + 0 अवकास	26
<u> </u>	अवट्षर 2021	31	5 रविवारे 🕂 4 अवकास	- 22
3	मवम्बर 2021	30	4 रविवार ने 2 अवकाश	24
4	दिसम्बर 2021	31	4 रविवार + 01 अवकाश	26
5	11 जनवरी 2022 तक	11	2 रविवार + 0 अवकाश	09
	कुल दिवस	133	28	107

स्नातकोत्तर सेमेस्टर पद्धति प्रथम/तृतीय हेतु सैक्षणिक कार्य दिवसों की गणना जन्म 2023-22

	T Chammer	कार्य दिवस
क्रमाक	विवरण	107
1.	01 सितम्बर 2021 से 11 जनवरी 2022 तक कुल कार्य दिवस	34
2.	अवकाश एवं सेक्र्येत्तर गतिथिथि/परीक्षा हेतु अर्शकाणिक दियस 1. स्थानीथ अवकाश – 02 2. दीपायली अवकाश – जुल 5 कार्यदिवस 3. महाविद्यालय स्तर गतिविधियां – 06 कार्य दिवस 4. परीक्षा–21 कार्य दिवस	73
3.	कुल शैक्षणिक दिवस (1-2) (107-34)	

रनातकोत्तर द्वितीय/चतुर्थ कार्य दिवसों की गणना सन्न 2021-22

जेजमांक 	माइ	दियश	आवस्ताश्च	कार्य दियस
1	21 जनवरी 2022	11	2 रविवार + 1 अवकास	08
2.	फरवरी 2022	28	4 रविवार भेन अवकास	23
3.	मार्च 2022	31	4 रविवार + 2 अवकाश	25
4.	अप्रैल 2022	30	4 रविवार + 5 अवकाश	21
5.	円로 2022	31	5 रविवार + 1 अयकास	25
6.	जून 2022	30	4 रविवार.	4128
	कुल दिवस	161	33	120

स्नातकोत्तर सेमेस्टर पद्धति द्वितीय / चतुर्थ हेतु शैक्षणिक कार्य दिवसौं की

गणना सत्र 2021-22

क्रमांक	विवरण	कार्य दिवस	
	21 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 तक कुल कार्य दियस	128	
2	अवकाश एव संक्रणेत्वर गतिविधियां – 03 कार्य दिवस २ स्थानीय १, महाविद्यालय स्तर गतिविधियां – 03 कार्य दिवस २ स्थानीय अवकाश- 01 २. प्रश्नेमा १७ कार्य दिवस	55	
3.	2. ग्रीष्म अवकास 3. ग्रीष्म अवकास कुल रोक्षणिक दिवस (1-2) (128-55)	73	

Page 33 / 46

नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2021-22

उच्च विक्षा विमान, माप्र.

परिशिष्ट - 2

सन्न 2021-22 अकादमिक कलण्ड	सन्न	2021-22	अकादमिक	कलण्डभ
----------------------------	------	---------	---------	--------

	पढति-स्तातक	The second of the second second	17 AN	TRAINE &	A UHICEICH
NINCO	U.C. C-+++CO	另外有了旧(114)	A AMARA. MAL	strattanti s	S THE PROPERTY

सज	(वार्षिक पद्धति-स्तातक प्रथम/।द्वताय/ घृताय प्रभ विवरण	ISIN4	
1.	प्रवेश प्रार्भ	01 अगस्त 2021	
2.	शिक्षण कार्य प्रारभ	01 सितम्बर 2021	
3.	प्रतेश चन्मार कार्यक्रम	अवदूबर 2021	
	छात्र संघ/सांस्कृतिक, साहित्यिक/ खेलकूद एवं अन्य	महाविद्यालयीन गतिविधियाँ	
1.	छात्रसंघ गठन	अवदुबर 2021	
2.	विश्वविद्यालयीन / महाविद्यालयीन / जिला / संभाग / सम्बंध	र्थ सभी गतिविधियां नवम्बर 2021	
3.	खेलकूद/एन.सी.सी./एन.एस.एस/युवा उत्सव/दीक्षान्त अमानोच गतं अन्य गतिविधियाँ	तक पूर्ण कर ली जाएँ।	
4.	याधिक स्टेंह सम्मेलन/वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन एवं विहोधन	मार्च प्रथम सफ्ताह 2022 (अधिकतम 04 कार्य दिवस)	
	आंतरिक मूल्यांकन/यार्मिक परी		
1:	पूरक परीक्षा जारंभ	16.10.2021 1 28.10.2021	
2	पूरक परीक्षा परिणाम की घोषणा	30:10.2021	
-3.	तिमाही परीक्षा आंतरिक पूल्यांकन	नवम्बर के अतिम सप्ताह 2021	
4	छःमाही आंतरिक मूल्यांकन	फरवरी के अतिम सप्ताह 2022	
5,	संद्वान्तिक परीक्षा कार्यक्रम को विस्तृत घोषणा	21 मार्च 2022	
6.	समी स्मालक कक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथि	01 मार्च से 25 मार्च 2022	
7.	परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश	26 मार्च से 31 मार्च 2022	
8.	ग्राभिक परीक्षा प्रारंम	01 अप्रैल 2022 से 21 गई 2022	
9,	समी परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि	30 जून 2022	
	अवकाश		
۴.	दीपावली	दिनांक 11 नवम्बर से 06 नवम्बर 2021 तक (05 कार्य दिवस)	
2.	ग्रीध्न अवकाश (शिक्षकों हेतु)	22.05.2022 से 30.06.2022 (सूल 40 दिवस)	

- नोट :-1. स्नातक दितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश नवीनीकरण की प्रक्रिया को अमनाते हुए शैदाणिक कार्य प्रारंभ किया जाए।
 - 2. कोरोना वायरस महामारी के चलते शैक्षणिक कार्य दिवस निर्धारित मानक से कम हो जाने के कारण महाविद्यालय / विश्वविद्यालय स्तर पर शैक्षणिक काल खण्डों की अवधि में आवश्यकता अनुसार वृद्धि कर शैक्षणिक कार्य दिवसों की पूर्ति की जाये ताकि अकादमिक कैलेन्डर का पालन समयानुसार हो पाये। साथ ही साथ ऑनलाईन अविरिक्त कक्षाएँ संचालित कर बाहयक्रम पूर्ण किया जाए।

नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2021-22

उच्च शिक्षा विमाग, माउ

गल गल गोससेत्वार गतिविधियों का विवरण	
and the second se	52
and an	18 कार्य चिवस
	03 कार्य दिवस
The second s	05 कार्य विवस
दीपावली अवकाश	15 कार्य दिवस
मात्रसंघ गठन/महाविद्यालयीन सांस्कृतिक मालीवाधया	N. Martin Constant
आदि योग	93
कार कार्य वर्णमाणिक दिवस	
परीक्षा/ग्रीष्मादकाश पूर्वन अन्य जनवा के	51
कांचिड 19 महामरी के कारण सत्र 2021-22	C Owner
होने में विलम्ब के दियंश	05 कार्य दिवस
	38 कार्य दिवस
	34 कार्य दिवस
ग्रीष्म अवकाश योग	128 कार्य दिवस
	221 कार्य दिवस
कल अरोक्षणिक दिवस (अभन्द) (७३७ १२०)	144 डोकणिक कार्य
	अवकाश एवं शेक्षणेतार गतिविधियों का विवरण रिवार सामान्य अवकाश स्थानीय अवकाश दीपावली अवकाश दीपावली अवकाश दीपावली अवकाश क्षान् गठन / महाविद्यालयीन सांस्कृतिक गतिविधिया आदि खोग परीक्षा / ग्रीष्मावकाश एवंम अन्य अर्शक्षणिक दिसस कौविड १९ महागरी के कारण सत्र 2021-22 के प्रारम होने में वितम्ब के दिवस वरीक्षा पूर्व त्तेयारी परीक्षा अवकाश योग योग योग योग

कार्य दिवसों की गणना सत्र 2021-22 के कई ज्याओं हेत प्रभावशील)

नोट- कोरोना वायरस महामारी के घलते रोक्षणिक कार्य दिवस निर्धारित मानम से कम हो जाने के कारण महाविद्यालय / विश्वविद्यालय स्तर पर शैक्षणिक काल खण्डो की अवधि में आवश्यकता अनुसार वृद्धि कर शैक्षणिक कार्य दिवसों की पूर्ति की जाये ताकि अकादसिक कैलेन्डर का पालन समयानुसार हो जावे। साथ ही साथ ऑनलाईन अतिरिक्त कसाएँ संचालित कर पाठयक्रम पूर्ण किया जाएँ।

Page 35 / 46

-

नियम एवं मार्गवर्शी सिद्धांत 2021-22

चच्च विक्ता विमाग, मध

(gRR - 3)

मध्य प्रदेश शासन उत्व शिक्षा विमाग

	1011 -9	वम सम	कोतार (प्र	स्नात	mail	A T	Ja Hilli	veshimp	ऑनसाइन 1-22 (epri	1002			
HAT !	14 19	देनांक	कालार जि	दि	fear	-	प्रधम अ	स्नातक (T	CIA 200			
1			a la construcción de la construcción La construcción de la construcción d			1 4192 1:	दिनाम	देनांक से		जा विवरम	कार्य		
07	20211	7.08-7	8-2021	-	-			चरण	्राधम				
		i - with the	8-2021	01-	ų.	8-2021	12.0	14.08.2021	वेद्यालय/				- Andrewson -
08	TITE	100		-		· · ·		1	COUNTRY	यन एवं महा	तार्वन पर	aff	(m)
100	Sec.	(PHAU DA	18-2021	02-	13	8-2021	tar	1000 90 1001		यम संगुह का विकल्प येना	त्यकाम / विषय	TIE	(3)
4	. 1			ł	1			03-00-20-	वद्वात् भग	साहि का सत्यापने (अ	जारीन दरताय	-	- the
	1		ţ	1			1		T -151 0,	ताने की आवश्यकत जाने की आवश्यकत	जना केन्द्र में	- SALA	
1	1	-	-				-		हतु सदस	जान को जानगणना हो को जुटि रापार कर्म जिन्नदर्ग सर	ज जिल्ल आहे	110	1
05				1		Contraction in the	1	1	त्रयता याभ	70.0 I Du **	1.11 HY 21711		ŧ
		(S.	08-2021	PIA	\$6	10. 10.	1	NO 60 404	and the second second	सुवार करवाना)	जनीवत होक	-44°	1
-06	mail				Le contra			10-02-204	करना भूभ	सुवार करवाना) द आवेटन पत्र आरी न का जानकारी प्रदर्शि	a store of	and a start	t
N.Y.	202+	19:08	-08-2021	- P	06	A8.202	1 75	Laine non	त करणा।	ट आवटन भेत्र प्राप्त इ. पर जानकारी प्रदर्शि	्रजीक की प्रौ		(3)
l.		i.	10729 (Corolli	1	1		1 40	20-08-202	ता युल्क का	त पर जानकारी प्रदार विो में ऑक्लाईन प्रवे सिल गए आ	College and	10	1
6	1	1			1		1	1	दको की हा	वि में आवलाके भूभ गतान किए गए आव कोज आल्क की मुच	वाहल संसालक	्या	1
05	a.6651	1.2		1	1		1						1
1	0*20+1	14-D	5-08-202	1	05	-08-202	21 .74	AL 00 00		।। आवेगा)	र क्रिंग उसी म	24	1
÷.		1		+	1	in the second second	- 1	121-08-20	आयवन् प	॥ आवेगा) श प्राप्त विद्यार्थिया वे	TO HOUT H. D		and i
0		Ť		4	1		1		कराना (भूभूम	श प्राप्त विद्यालयनः क हारा प्रवेश निरस्त जन्मिलानी प्रवः विक	Aldra Weard	R) - (R	10
1	l	1			1			7	্যু তথ্য প্	हारा प्रवस निस्त्य ति विद्यार्थी पुराः विक संस्थान प्रक्रिया	भगपा पर	E CE	ŀ
1 19	is 2021	1 90 /		-	1								1.
1			1-08-202	5 1	i 2	5.08-20.	21 2	1 51 52 31		त्र आवटन प्रक्रिय व्यान प्रारा प्रवेशित	कोंगे 1		
1		1		-1		8		A	ा मा प्र सिन्तर्गित्तर्गे	त आवटन प्राकृत	utacusa - X	71 .	F
T	and the second second	التعلق		1			ł.		JARNINAMI	त्वा आवटन अवन्य स्वान द्वारा प्रवेशित जीव रिपोर्टिंग करना।	तहाविद्यालय /	14) // 17	13
1 0		1-		A water	and the second			तीय चरण		र्षात करना।	केर्रज पर ऑन		
1		21	21-08-20	17	1 1	-	field	In Las de	id San at		and the second s		minister
T.			5:00 pr	-	: t-			1 5-00-	(वितास मा	प्रथम चरण के परनात अन्ने उस्तानी की मह	लगिलालयों में	ton in	-
1		-			1								3
1	-03-04	EE1 28	22-08-20	07	21.	01.09-2	1000	Tan no	सर जातपत्र	गये स्थाना को नह भारक्षण द्वाँवार पोर्टल	tratuandax /		1
HIL.		1	2. 2.		1			an i tannau	जीयन चलाः	तारक्षण वर्धवार पोर्टल को हेतु ऑगरताईन प	- भेरान आवे	- Jun 1	1
1		1					-	બાગ કું. આ ગે	्याल आवन	को हेतु आगलाइन भ दियेग निरस्त कपनि अवैग निरस्त कपनि	जे राजीकत	(1)	
Dit.	0.00.00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23-08-2				1		0	icital Minimum	TICKIC TICKIC		. [
	(Jan Da Sa	021 J.M	23-08-2	80	021	05-09-2	2021	80 00 Fr	And a second	د. در اینیانی این	किलाका हेना।		
1		ŀ			1			ALL 79-DG	নি (ছাস। জিলা	स्वावेजी का सत्या। स्वावेजी का सत्या।	atter states	- Aurol	
		Į.						der 15		स्वावेजी का सल्ला में साने की आवरपत	जाताम्या केन्द्र	(77)	
		I	4					acore p Antist	देश जनम	में शान की आवरणा शुद्धि सुधार हेतु री विकालम जावायता	তিনে মেন্টে		
		AGAT	A STATE					VIAF	किंदी से लिया	Jaldi Balai Suman	THE NH		
1		0924	06-09	05	1	1	1500	We lian		करवाना)	होकर सुधार	1	l
673		Juntan	م نسبت ا			1	-204+	GIL IDIO	जारा करन	a dic maca. au	िर्मात पारण	linh	
N.F.	11-09-2	2021	06-09	05	2024	14.00.			A SING 4	के सीट आवटन अन्न धे पोर्टल पर जानकार्र	कह औष	(81)	4
. 1		1			1	1	7-2021						-
1		april 1	1		1			19 19	आविंदको व	विद्यालया म आनलाव प्र। (मुगलान किए गर केल गर्नेण ज्ञानक क	अप्रियामे अन	(1)	2
-	-		1	<u>.</u>		7		EIN	। भुगतल न	FILL HUKI TAT	-12 TAL 11 11 12	1	
2021	11-04	2021	07.00	10	-			· ·····	12. 1	रे माना जीवेगा)	असरा गाण्ड		ŀ
1					2021	3 14:09	19-202	南帝 114	गान विद्यार्थि	and an and the lot of the	-		1
Plan.			1.	A.C.A.	1000	1		वाराना	एस प्रवेश	तीय सरम् त रहनान प्रवेशित सरनान	क्रम एव ।	(3)	1
1.1.1	1		· .			1	~	वेदाल्प ।	inf trat.	Statistic Charles	HI464 4		-
1	1			ľ	1	1		a A) प्रयोग प्रति	लीकरणः परचातः 14 हो आगामी घरण व	(प्रवेश मि	1	¥ .
20031	11.00	موجد بیندند. مرجع بالاختار ، بد						-		El surritte area a	चुयन कर	-	1
- ANA	11-09	8-2021	8 22-0	1 1	9-2021	33 15.0	10 20	10.00 00		丑也 ^利 1	शापित ह	and a	1
	1.		1	L			10.40	13951 Z8	संवित्याः सं	प्रवेश अविटन	a monta	-	
			-1	1			*	GI GH	सन मिधाव	सकेंगे। प्रवेश आदटन /संख्यान द्वारा प्रवे 	an francia	.(3	.1
an and	È.	1		1		in the second			阿 十一	जनवाईन रिपोटिंग क	ONDE US	1	1
	A limit of									The second state of the se	A1644. 44	1	1

नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2021-22

1000

. 0

उच्च शिक्षा विभाग, मध

	सी.एल.स	ो. चरण			14-09-2021		103
17	अ) महाविद्यालयां में द्वितीय चरण के प्रश्नात । जिल्लागुरु प्राठयहुनुवार रिवत सीवी की जानकार्य	6-09-2021			1		
1	(सनी सीट बनायका य काल	17-09-2021	22.09-2021	06	15-09-2021	20-09-2021	(06)
1	(स) उम्प्रजीवृत्त आवेदका हतु आणतावन प्रतान यावेदको हम्म प्रजीतात एव अवेश निरंदत कराने याले आवेदको हम्म महाविद्यालय/पान्य्यमा/विषय रागुए का विकल्प केना। (स) ऑन्लाइन चस्तावेजों का सल्यापन (आवेदको को सहायता (स) ऑन्लाइन चस्तावेजों का सल्यापन आवेदको को सहायता		the second second	.06,	16-09-2021	21,09-2021	06
L	(स) ऑनलाइन चस्तामेजों को संस्थापन (आपपप) पा पर केन्द्र में जाने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु जिन आवेदकों को ट्वटि सुवार हेतु सदेश प्रेपित किया गया है. उन्हें निकटतान तहायता केन्द्र में उपहिबत होकर सुआर				4		
		26-07-2021		03	25-09-202	Series Trimered	04
	(य) क्रमलाविद्यालय द्वारा छपलच्य भेरित सुखी में से	26-09-2021	30-09-2021	05	25-09-2021	30-09-2021	106
	सादयालयार प्राप्त सच्याक 1200 ग्रजे आवेसको की मेरिट पूर्वी जाए/(पिटव करना। 2 आवेदक ई-प्रवेश पोटेल पर अपने लीपिन से पिठल्प के महाविद्यालयों हाए एपिटन किये गये पाड्यकर्मा में से किसी एक का वयन कर युरारे दिवस मध्यान्त से किसी एक का वयन कर युरारे दिवस मध्यान्त कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। मध्यान्द 1200 वर्ज सक प्रवेश युल्क का मुग्रतान मही कार्य की देशा में आवेदक का नाम मेरिट मुदा से विलापित संगा। 3. महाविद्यालय प्रतिदिन मध्यान्त 1200 वर्ज मेरिट सूची को अध्यान करेंगे एवं जिम आवेदकों ने नियारित समय सीना में प्रवेश सुत्क का भुगतान नहीं किया है उनके स्थान पर मेरिट कार में न्यीन आवेदकों की						
	उनक स्थान पर पुबिटव कर प्रवेश प्रक्रिया संचालित करेंगे। (र) जनतावून प्रवेश खावटन प्रक्रिया से मुख्य महाविद्यालग/संस्थान ढाल प्रवेशित विद्यादिया क पीर्टत पर अनिलाईन स्विग्रेटिंग करना।	17-09-20	21 30-09-202	r n	15-09-20	21 30 09 20	21

जोट -

- ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति पश्चात् महाविद्यालय में स्थान शिवत रहने पर महाविद्यालय स्तर पर ऑनलाईन पंजीयून प्रियार्थियो से आवेदन प्राप्त कर प्रामीण्य सूत्री के आधार पर प्रतेश प्रदान करने की कार्यवाही पूर्ण की जाए। ससविदालय स्तर पर प्रात्रीण्य सूची के आधार पर प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी पोर्टल पर अरातन करना सुनिहितत किया जाए। एनातक/स्नातकोलार स्तर पर 01.102021 से 10.10.2021 तक यह प्रक्रिया संचालित की जायगी।
- विद्यार्थियों द्वारा प्रवेशित महादिद्यालय में विषय/संकाय प्रतिवर्तन संबंधी कार्यवाही पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर सुनिश्चित की जाए। स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर 11:10:2021 से 20:10:2021 तक वह प्रक्रिया संचालित की लायेगी।

ज्य्य शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार प्रवेशित विद्यार्थियों द्वारा संवंधित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग प्रक्रियों :-गोरोना कोविज-19 के परिप्रेल्य में शैक्षणिक सन्न 2021-22 में अध्यापन कार्य आरम होने के प्रश्वाद खब्ब शिक्षा विमाग के निर्वेशानुसार सोपित समय सीमा में प्रवेशिक विद्यार्थियों की आसकीय / अशासकीय / अनुवान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में उपस्थित होकर मूल/ बुप्तीकेट सीझी. एवं माईव्रेशन जगा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय-होना में जमा न करने की स्थिति में प्रवेश खता जिसके माना

उपरोक्त मामय - सारणी अनुसार स्कूल शिक्षा विमाग, (प्रायमरी/मिडिल स्कूल) में कार्यरत शिक्षक केवल शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक/रनातकोत्तर पार्ट्यक्रम में प्रवेश ईतु वन-रटेप-अप योजनांतर्गत पंजीयन तथा सत्यापन करवा कर विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे।

सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Question

· / / / / /

प्रश्न 1 जन्म शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया हेतु पंजीयन (Registration) कह

200 · · ·

SIDE

A share

1. S. 4. 1. 4. 1. 1.

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया में पंजीयन (Registration) करने हेतु एम.पी.ऑनलाईन के पोर्टल hups: epravesh mponline.gov.in) पर विलक करें। स्नातक स्तार के पाद्यकमों हेनु. Under Graduate Tab एवं रनातकोत्तर स्तर के पाद्यक्रमों हेतु. Post Graduate Tab पर विलक करने के अपरांत पंजीयन फार्म की लिंक उपलब्ध होगी। मध्यप्रदेश मध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल/सी.बी.एस.ई/आई.सी.एस.ई बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण अम्पर्धियों की जानकारी उपरावत बोर्ड द्वारा जारी किये गये परीक्षा परिणाम से स्वतः सत्यापित हो जावेसी। जिससे अन्यर्थी की जानकारी पंजीयन फार्म में भरी हुई दर्शित होमी।

बोर्ड घयन, रोल नम्बर व नाम भरने के बाद स्वतः मरी हुई सूचनाओं या अंकों में पालती पाई जाये प्रश्न 2 तो क्या मैं सूचनाओं या अंकों को ठीक कर सकता हूँ?

जतार अ. पंजीयन युल्क भुगतान के पूर्व तक की स्थिति में आवेदक चवत मंत्री हुई सूचनाओं या अंकों में (रोल नंबर एवं नाम को छोड़कर) स्वय संशोधन कर सकता है।

- ब. पंजीयन शुल्क मुगतान के पश्चात आवेदक मिकटतम शासकीय महाविद्यालय (हेल्प सेन्दर) द्वारा फॉर्म अमलॉक करवाकर रवयं/कियोस्क/महाविद्यालय के द्वारा संशोधन (रोल नवर एव नाम को छोड़कर) करवा सकता है। संशोधन पश्चात पुनः विकल्प चयन कर सत्यापन करवाना अनिवार्य होमा।
- प्रश्न 3 वया पंजीयन काम में त्रुटि सुधार संगव है ?
- उत्तर अ. पंजीयन शुल्क भुगतान से पूर्व :- हाँ। आवेदक अपने लॉगिन आई डी से पंजीयन फार्म में शुटि सुधार कर सकते हैं।
 - ब. पंजीयन शुक्कं भुगतान के पश्चात :- आवेदक निकटतम शासकीय महाविधालय (हेल्म सेन्टर) द्वारा फॉर्म अनलॉक करवाकर रवयं/कियोरक/महाविद्यालय के द्वारा त्रुदि सुवार कर सकेगा। ञुष्टि सुधार परवात पुनः विकल्प चयन कर सत्यापन करवाना अनिवाय होगा।
- प्रश्न 4. पंजीयन करते समय किन दस्तावेजों को अपलोड करना होगा ?

पंजीयन के समय आवेदक को ई-सत्यापन हेतु स्वयं की फोटो के साथ निम्नलिखित आवश्यक उत्तर दरतावेजों को स्वॉन कर अपलोड करना होगा (सम्बद एवं पहनीय) -

(अ) अंक सूची—न्यूनतम अर्हकारी परीक्षा स्नातक प्रथम वर्षे हेतु बारहवीं, स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर हेतु स्नातक अंतिम वर्ष / षच्ठम सेमेस्टर

- (ब) जाति प्रमाण पत्र- (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा बर्ग), यदि लागू हो तो (स) संवर्ग प्रमाण पत्र- (दिव्यांग/आर्थिक रूप से कमजीर वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम संनाची के संबंधी / उच्च शिक्षा विश्वाग के आदिकारियों कर्मचारियों के पाल्य आदि) यदि लागू हो तो
- (द) अधिभार संबंधी प्रमाण पत्र, यदि लागू हो तो
- (भागदर्शिका की कण्डिका 6.4.1 से 6.4.4 का अवलोकन करें)
- प्रश्न 5 न्वाईस फिलिंग लॉक करने के पश्चात् व्याईस फिलिंग में परिवर्तन कैसे करें ?
- च्वाईस फिलिंग लॉक करने के पश्चात आवेदक हेला सेन्द्रेस के माध्यम से फॉम को अनलौंक
- करवाकर महाविद्यालय/स्वयं/किवोत्त्व के माध्यम से व्याईस फिलिंप में परिवर्तन कर सकता है। उत्तर
- प्रश्न 8 क्या 10-12 में पूरक (Supplementary) प्राप्त दिदार्थी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया हेतु पंजीयन (Registration) के लिए पात्र होंगे?

- Management	
.जुत्तारः	कक्षा 12थीं में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को भी प्रावधिक प्रवेश के लिए पंजीयन करवना अभिवाय है। प्रवेश प्रक्रिया संचालन के मध्य पूरक परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित होने पर सके आयामी चरण/सी.एल.सी में अपने ऑनलाईन आयेदन को अद्यसन करने के साथ ही महाविद्यालय/ पाठ्यकन की च्याईस फिलिंग एवं दस्तावेज/प्रमाण पत्र को स्क्रैन कर अनिवार्यत ओनलाईन अपलोड करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया के सी.एल.सी. चरण तक आवेदकों के पूरक प्रसिद्या के परिणाम
÷	घोषित न होने की तिथति में इन विद्यार्थियों को उथान रिक्त रहने पर ही प्रावधिक प्रवेश दिया जा सकेगा। इस हेतु पूरक परीक्षा परिणान वाली अंक सूची ही ऑनलाईन पंजीयन के समय अपलोड् करनी होगी।
प्रश्न 7	आवेदन क्रमॉक (Application ID) और भासवर्ड (Password) गुम/भूल जाने की स्थिति में कैसे वापस प्राप्त किया जा सकता है ?
उत्तर	आवेदक पोर्टल पर उपलब्ध Know your Applicant id या Forger Your Password के द्वारा अपने आवेदन क्रमांक (Application ID) एवं पासवर्ड (Password) प्राप्त कर सफते हैं।
प्रश्न 8	क्या पंजीयन शुल्क भुगतान के समय पर ट्रांजेक्शन फैल (Transaction Fall) होने की स्थिति में दबारा पंजीयन करवाना होगा ?
<u>उत्तर</u>	नहीं, आवेदक Fill Pay Unpaid Registration Form Tab के द्वारा अपने पंजीयन आवेदन का युनः शुल्स भगतान कर सकते हैं।
प्रश्न 9	पंजीकृत मोबाईल नम्बर (Registered Mobile Number) गुम हो जाने की स्थिति में ओटीयी. कैसे प्राप्त किया जा सकता है ?
उलर	पंजीकृत मोवाईल नम्बर गुम हो जाने की स्थिति में आयेदक प्रवेश नियम एवं मार्गवर्शी सिद्वान्त में
	दिये गये ई-मेल आई ही. पर मैसेज के द्वारा सूचित कर/नियंत्रण कक्ष के दूरमाम नम्बर पर सम्पर्क कर नया मोबाईल नंबर दर्ज कराने की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।
प्रश्न 10	
'তনেম	स्तातक अतिम वर्ष/छटवें सेगेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित ज होने की स्थिति में आवेंद्रक स्नातकोत्तर स्तर में प्रावधिक प्रवेश हेतु केवल स्नातक दिवीय वर्ष/पांचये सेमेस्टर की अकसूची अपलोड करेंगे।
অংশ গা	स्तातक अंतिम वर्ष / छटवें सेमेस्टर का प्रसंक्षा परिशाम धोषित न होने की स्थिति में प्रायीण्यता हेतु पंजीयन फार्म में कौन से प्राप्तांक / प्रतिशत दर्ज करना होंगा ?
उत्तर	स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अईकारी स्नातक अंतिम वर्षे / छटवें सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश हेतु प्रथम एवं द्वितीय वर्ष / प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर तक के प्राप्तांकों का प्रतिशत ऑनलाईन पंजीयन के समय वर्ज करना होगा। गुपानुक्रम का निर्धारण प्रावधिक प्रवेश हेतु दर्ज प्राप्तांकों के अन्धार पर ही होगा।
प्रश्न 12	मैंने प्रवेश के पूर्व चरणों में पंजीयन नहीं करवाया है क्या में सी.एल.सी.चरण हेतु नया मजीयन करवा सकता ह ?
उतार	हों, आवेदक जिन्होंने पूर्व में अपना पंजीयन नहीं कराया है, समय-सारणी अनुसार मंजीयन युल्क का भुगतान कर पंजीयन/दस्तावेज अपलोड/महाविद्यालय/पाठ्यक्रमं चयन/ई-सत्यापन पश्चात् सी.एत.सी.घरण की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।
प्रस्त ो उत्तर	पुनः वरीयता/विकल्प चयन हेतु तया कोई शुल्क देव होगा ? नहीं।
ग्रेशन 14 उत्तर	and the second sec
· with	अधिकलम 7 महाविद्यालयों / पाठ्यक्रमों का चयन करते हुए विकल्प चयन (व्वाईस फिलिंग) कर सर्वोगे।

नियम एवं मार्गदर्शी जिखांत 2021-22

The second second second

. **.** .

Page 39 / 46

10

12 7 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			
रस्त 15	क्या एक ही महाविद्यालय में एक से अधिक पाठ्यक्रम का चयन किया जा सकता है ?		
उत्तर	EII		
प्रश्न 16	हों। मेरी बारहवीं की अंक सूची ग्रेडिंग प्रणाली पर आधारित है। योग्यता के विवरण खण्ड (Qualification		
उत्तर ्	Denils) में प्रविष्टि किस प्रकार करें ? बारहवीं की अंक सूची ग्रेडिंग प्रणाली पर आधारित होने पर सोख्यता के विवरण खण्ड में झॉप झडन मेन्यू से ग्रेडिंग शिस्टम का चयन करें एवं अंकसूची में दर्शित ग्रेड को नियमानुसार प्रविधत में परिवर्तित कर प्रविष्ट करें।		
	गारवातात कर प्रापन्द पर ।		
प्रश्न 17	अतिरिक्त विषय संबंधी जानकारी कब भरना होगा ? पंजीयन के समय आवेदन फार्म में योग्यता का विवरण खण्ड (Qualification Details Box) में अतिरिक्त		
उत्तर			
	विषय को जानकारी भरना होगा।		
194 18	के मार्ग किंग मारित के मारा अतिरिक्त विषय वृधालाया, मार्ग्य सम्मन्त्र म		
2000 D (1990)	मने बारहवा में मुख्य विषय जानता के आवेदन करने हेतु पाल हूँ ? जो अंक सूची में दर्शित हैं, मैं किस संकाय में आवेदन करने हेतु पाल हूँ ?		
ভলের	आवेदक को दोनों संकाय में प्रवेश हतु पासता है। गाणत नुष्य गयन के सार्व के प्राप्तांक		
	े जान जानेजी के पालांक जोडकर प्रतिरीत की पालना की आजनाव		
प्रश्न 19	क स्थान पर बायालाजा पा प्रार्था केंद्र आयु संबंधी क्या प्रायधान है ? स्नातक/स्नातकोत्तर कहा में प्रवेश हेतु आयु संबंधी क्या प्रायधान है ? वर्ष 2018-19 से स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु अधिकतन आयु सीमा इटाई गई है अर्थात		
उत्तर	and the second		
	रामी विद्यार्थियों के लिए आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा। समी विद्यार्थियों के लिए आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा।		
प्रश्न 20	मेंने पान 2018-19 में बारहवीं परीक्षा उत्ताण का था, धर पन जयापर प्रवाहित		
	() are average and altered E		
	के। गरेवा जनगत्म ऑनलाईन रिपोरिंग के समय आवदक को गानावसालन कार्य स्वयंग		
उत्तर	and the second sec		
	A CONTRACT OF A		
प्रश्ने 21	सेने कक्षा 12वा का पराया मिछान रापाय रा पराया निर्धारण किस प्रकार होगा ? संकाय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर गुणानुक्रम का निर्धारण किस प्रकार होगा ?		
	संकाय में प्रवेश हेतु आवदन करन पर पुत्रापुर्वन का राजनार के तकित्तन कर प्रवेश घाहने दाले		
उत्तर			
	विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांको से 5 प्रतिशत घटान के बाद हा जनस्य उत्पायमधा संस्थाय		
	ि <u>)</u> जिस्ती के लिए दिया दिया।		
प्रश्न 22			
उलार			
	Hap, 1072 de 914 that the start frank and the start when the start when the start of the start o		
	1 विझान सकाय के पुराषत विषय या अतिरिक्त विषय के प्राप्य अनिवाय		

स.क.	10+2 अहंकारी परीक्षा	स्तातक करने में अमरा क्यू मान्य
1	विज्ञान	विज्ञान संकार्य के सुसगत विषय वाधाय प्रातिषिक्त विषय के साथ अनिवायी
2	বাণিন্য	याणिज्य संकाय/कला सकाय/गृह विद्यान संवयन/विद्याद/विद्याद/विद्याद/विद्याद/विद्याद/विद्याद/विद्याद/विद्याद/विद्याद
3	चला.	वाला संवर्धय/गृह विज्ञान संकाय/यात्रा.ए/बा.सा.ए/गण्या गुरुब या आतंत्रस्य विषय के साथ अनिवायी
.4	गुह विझान	गृह विज्ञान सकाय/कली संकाय
5	चिमिः	गृह विज्ञान संकाय/ कला समाय कला संकाय/बीएससी. (जीवविज्ञान समूह)(जीवदिज्ञान समूह के एलाइए विषयों जेसे माईकोबायोलीजी, बायोटेक्नोलाजी, सीए टेक्नॉलाजी आदि विषय)
6.	व्यावसायिक पाद्यक्रम	The second rest of the second states of the second states and the

12

Survey and Survey

नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2021-22

Page 40:/46

1 and the second second		
प्रश्न 23	पात्रता प्रमाण पत्र के अमाव में पंजीयन किस प्रकार होगा ?	
ভর্রায	ऑनलाईन पंजीयन के समय संबंधित विश्वविद्यालय से पावता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किए गए ऑनलाईन आवेदन की पावती अपलोज करना आदरथक होगा।	
प्रश्न 24	विश्वविद्यालय से पात्रता कब प्राप्त करनी होगी ?	R.
उत्तर	सर्वप्रथम आवेदक पोर्टल पर उपलब्ध Eligibility Tab द्वारा पाठ्यक्रम हेतु पत्रिता की जीच करे. आवश्यक होने पर पंजीयन के पूर्व विश्वविद्यालय से पावता हेतु ऑनलाईन आवेदन करें एवं	
	ऑनलाईन आवेदन की रसीद पंजीयन के समय अनिवार्यतः अपलोड करें।	
प्रश्न 25	बीसीए में प्रवेश लेने हेतु पात्रता क्या होगी ?	
1.00340	बीसीए. में प्रवेश हेतु 10+2 परोक्षा कला, दाणिज्य, विद्याल एवं जीवविद्यान में उत्लीमें विद्यार्थी युणानुक्रम अनुसार पात्र होंगे। (10:2 परीक्षा की अंकपूत्री में गणित मुख्य या अतिरिक्त विषय के रूप में होना अनिवार्य है।)	
प्रस्न 28	में पूर्व का हायर सेकेण्ड्री (ग्यारहवीं) उत्तीर्ण आवेदक हूं क्या प्रवेश गंजीयन हेतु पात्र हूँ ?	
ভল্মস	मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से पूर्व के हायर सैकेण्ड्री (ग्यारहवी) उत्तीमी आवेदकों को 'स्तालक स्तर पर प्रथम वर्ड में नियमित प्रवेश की पात्रता डोगी।	
प्रश्न 27	एम.एस.डब्लू पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम पात्रता प्रतिशत क्या है ?	
उत्तर	एम.एस.डब्लू पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम पात्रता 45% है।	
प्रश्न 28	नामांकन प्रक्रिया क्या होगी ?	
चत्तर	रनातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तार प्रथम सेमेस्टर के आवेदकों को ऑनलाईन पंजीवन के समय ही. ऑनलाईन नामांकन फॉर्म भी भएना होगा। प्रवेश शुल्क की प्रयम किस्त के भुमतान उमराना	9

आवेदक के नागांकन एवं यूनिक आई.डी की कार्यवाही स्वतः पूर्ण हो जायेगी।

प्रश्न 28 स्वयं के नाम का जाति प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में क्या करना होगा ?

उत्तर ऑनलाईन पंजीयन के समय आवेदक के खयं के नाम का जाति प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में पिता के नाम का स्थायी जाति प्रमाण पत्र अपलोड़ करना आवश्यक होगा। उसके परवात ही प्रवेश हेतु जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन एवं लाभ प्राप्त हो सकेता। प्रवेश परवात् नहाप्रियालय में रिपोर्टिंग के समय स्वयं के नाम का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अतिवार्य होगा।

प्ररुत 30 जाति प्रमाण पत्र डिजिटल नहीं है ?

छत्तार आवेदक का जाति प्रमाण पत्र हिजिटन न होने के स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पूर्व के वैध जाति प्रमाण पत्र भी सत्यापन हेत् नान्य किये जावेंगे।

प्रश्न 31 मध्यप्रदेश का मूल निवासी हूं परन्तु 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा किसी अन्य राज्य से उत्तीर्ण की है तो क्या मुझे मध्यप्रदेश के मूल निवासी का लाभ प्राप्त होगा ?

उत्तर मध्यप्रवेश शाज्य के ऐसे मूल निवासी जिन्होंने कक्षा 10वीं एवं 12वीं की मरीक्षाएँ अन्य प्रदेश में अध्ययन कर उत्तीर्ण की है किन्तु थे मध्यप्रदेश के मूल निवासी है उन्हें मंजीयन के समय मध्यप्रदेश में के मूल निवासी का प्रमाण पत्र अनिवार्थतः अपलोड करना होगा, अन्यथा उन्हें मध्यप्रदेश के मूल निवास का लाम प्राप्त नहीं होगा।

प्रसन 32 कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा मैंने मध्यप्रदेश से उत्तीर्थ की है, क्या मुझे पंजीयन के समय मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा ?

उत्तर- मध्यप्रदेश राज्य से दसवी एवं वारहवीं उत्तीर्ण आवेदक जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी है उन्हें पंजीयन के समय के समय मूल निवास प्रनाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकतूा नहीं होगी।

सियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2021-22

प्रश्न 33 पंजीयन के समय दिव्यांग श्रेणी का लाम लेने हेतु क्या करना होगा ?

उत्तर दिव्यांग श्रेणी के आधेदकों को जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्धारित प्रारूप में चारी प्रमाण पत्र (जिसमें 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता का उल्लेख हो) पंजीयन के समय अपलोड करने पर इस श्रेणी का लान प्राप्त हो सकेगा।

प्रश्न 34 मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा दिमाग तथा उसके अधीनस्थ सालकीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के पाल्यों हेतु क्या प्रादधान हैं ?

उत्तर मध्यप्रदेश शासन, उच्च सिक्षा विभाग तथा उसके अधीनस्थ सासकीय कार्योलय/विश्वविद्यालय, आयुक्त कार्यालय उच्च सिक्षा में नियमित कार्यरत/सेवानिवृत्त/वियंगत् अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्राचार्यों, प्राध्यापकों, ग्रंथपालों, क्रीडा अधिकारियों, रजिस्ट्रारों एवं शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चलुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पाल्यों के लिए समी सम्बन्धित संवर्गों में उपलब स्थानों में रो 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इस श्रेणी का लाम लेने हेतु मंजीयन के समय ही प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्थ होगा जिसमें कर्मचारी क्रमांक (Employee Code) का राज्येख हो।

प्रश्न 35 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का आवेदक हूँ प्रवेश हेतु क्या लाम प्राप्त होगा ? उत्तर आर्थिक रूप से कमजोर-सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का लाम दिया जायेगा। इस हेतु "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ष" (EWS) का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। लाम लेने हेतु पंजीयन के समय प्रमाण पत्र अपलोड करना आवस्थक होगा।

प्रश्न 36 अधिमार हेतु संत्र 2015-16 का प्रमाण पत्र उपलब्ध है क्या इसका लाम प्राप्त होया ?

उत्तर नहीं। रनातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये अधिमार हेतु आवेदक स्कूल स्तर के दिगत बार क्रेमिक सत्र (अर्थात् सत्र 2017–18 के पूर्व के मान्ध नहीं होंगे) तक के प्रसाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे। रनातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में अधिमार हेतु रनातक स्तर में आवेस्क के विगत तीन क्रमिक सत्र (अर्थात् सत्र 2018–19 के पूर्व के मान्य नहीं होंगे) तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे।

प्रश्न 37 में ऑनर्स से स्नातक उत्तीर्ण आवेदक हूँ, स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने पर क्या कोई अतिरिक्त लाम प्राप्त होगा ?

उत्तर ऑनर्स विषय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण विद्यार्थी को रनातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर प्राण्ताकों का 10 प्रतिशत अधिमार प्राप्त होगा।

प्रश्न 38 मेरे पास एन.सी.सी/एन.एस.एस का 'ए' सर्टिफ्रिकेट है क्या अधम वर्ष में प्रवेश हेतु कोई लाभ प्राप्त होगा ?

उतार एन.सी.सी/एन.एस.एस के ए सटिफिकेट प्राप्त आवदकों को स्नातक प्रथन वर्ष में प्रवेश हेतु प्राप्तांकों का 2 प्रतिशत अधिभार प्राप्त होगा।

प्रश्न 39 में एन.सी.सी./ एन.एस.एस 'सी' सर्टिफिकेंट धारी हूँ क्या स्नातकोत्तार प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु कोई लाम प्राप्त होगा ?

उत्तर .एन.सी.सी/एन.एस.एस 'सी' सर्टिफ्रिकेट प्राप्त आवेदकों को स्वातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु प्राप्तांकों का 4 प्रतिशत अधिभार प्राप्त होगा।

प्रश्न 40 स्नातकोलार परीक्षा उत्तीर्ण आवेदक को एल.एल.बी. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर क्या कोई अतिस्वित लाभ प्राप्त होगा ?

उत्तर स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदक को एल.एल.बी. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर प्राप्ताको का 5 प्रतिशत अधिभार प्राप्त हो सकेगा।

नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2021-22

उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.

प्रश्न ४। दस्तावेजों का सत्यापन कहाँ होगा ?

उत्तर सत्र 2021–22 में सत्यापन की प्रक्रिया मध्यप्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालयों (Help Centers) में ऑनलाईन सम्पन्न की जावेगी।

प्रश्न 42 क्या दस्तावेजों के सत्यापन के पहले महाविद्यालय/पाद्यक्रम का चयन करना अनिवार्य है ? उत्तर हो, दस्तावेजों के ई-सत्यापन के पहले महाविद्यालय/पाद्यक्रम का जयन करना अनिवार्य है।

प्रश्न 43 ई-सत्यापन प्रक्रिया क्या होगी ?

a alphanetree area

1

उत्तर ई-सत्यापन हेतु समस्त शासकीय महाविद्यालय आवंदन अनुसार ई-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदकों के पंजीयन फॉर्म का सत्यापन, अपलोड किए गए प्रमाण पत्र / वस्तायेजों को डाउनलोड कर परीक्षण उपसंत संबंधित अधिकारी "सत्यापन पूर्ण" के बॉक्स पर डिलक करेंगे, जिससे आवेदक का ई-सत्यापन सुनिश्चित हो सकेंगा। आवेदक का फार्म ई-सत्यापित होते ही इसकी सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाईल नंबर / ई-मेल पर संदेश के माध्यम से प्रेषित की जायेंगी। आवेदक स्वयं भी अपने लॉगिन आई.डी. से आवेदन फार्म के ई-सल्यापन की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकरेंगे।

प्रश्न 44 असत्यापित/ त्रुटिपूर्ण आवेदन की स्थिति में क्या करना होगा ?

उत्तर यदि किसी आवेदक के पंजीयन आवेदन पत्र में त्रुटि है या अपलोड किए गए आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज अस्पन्ट/अपर्यापा/अपूर्ण पाये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदन फार्म का ई-संस्यापन नहीं किया जा सकेपा। इसकी सूचना आवेदक को पंजीकृत मोबाईल नंबर/ई-पेल पर संदेश के मान्यम से दी जावेगी। ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया हेनु निर्धारित समय सारणी अनुसार आवेदक स्वयं/अभिमावक मूल दस्तावेजों के साथ किसी भी निकटतम शासकीय महाविद्यालय (Help Center) में उपस्थित होकर त्रुटि सुधार/पुन सत्यापन करवा सफेने। शासकीय महाविद्यालय (Help Center) ऐसे आवेदकों के पंजीयन आवेदन में त्रुटि सुधार कर उनके सही दस्तावेज अपलोड कर पुनः सत्यापन की वार्यवाही पूर्ण करेंगे।

प्रश्न 45 प्रथम चरण में सीट आवंटित न होनें पर मुझे क्या करना होगा ?

- उत्तर प्रथम चरण में सीट आवंटित न होने पर द्वितीय/आगामी चरण में शामिल होने हेतु समय सारिणी अनुसार ऑनलाईन महाविद्यालय/पाठ्यक्रम का चयन करना होंगा।
- प्रश्न 48 सी.एल.सी आवेदन हेतु क्या महाविद्यालय जाने की आवश्यकता है ?
- उत्तर नहीं। सत्र 2021-22 में ऑनलाईन सी.एल.सी प्रदेश प्रक्रिया होगी इस हेतु महाविद्यालय उत्तर पर कोई लिखित आदेदन नहीं लिये जायेंगे।
- प्रश्न ४७ प्रथम चरण में मुझे प्रथम विकल्प (First Choice)का सहाविद्यालय आवंदित हुआ प्रस्तु मैने प्रवेश नहीं लिया, मुझे द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने हेतु क्या करना होगा ?
- उत्तर यदि आवेदक को प्रथम चरण में प्रथम व्याइस का महाविद्यालय आवंदित होता है एवं यह उत्त महाविद्यालय में प्रयेश नहीं लेता है, ऐसी स्थिति में द्वितीय चरण में उसे तब तक स्वतः कोई महाविद्यालय आवंदित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अपनी खाइस/ विकल्प पुनः न भर दे।
- प्रश्न 48 मुझे द्वितीय विकल्प (Second Choice) का महाविद्यालय आवंदित हुआ और मैंने प्रवेश सही लिया तो मुझे अगले चरण में शामिल होने हेतु क्या करना होगा ?
- उत्तर दितीय विकल्प (Second Choice) का महाविद्यालय आवंटित होने पर यदि प्रवेश नहीं लिया जाता है, तो अगले चरण में शामिल होने हेतु पुनः ऑनलाईन महाविद्यालय/पाठ्यक्रम के चयन का विकल्प रहेगा।

नियम एवं मार्गेदर्शी सिद्धति 2021-22

प्रश्न 49 प्रथम/दितीय चरण में प्रवेश लेकर प्रवेश निरस्त करवानें पर मुझे अगले चरण में शामिल होने हेतु क्या करना होगा ?

12.1

- उत्तर प्रथम/दिलीय चरण में प्रवेश प्राप्त कर प्रवेश निरस्त कराते वाले आर्रेडक को पूर्व में आवटित पंजीयन क्रमांक (रजिस्ट्रेशन आई.डी.) के आधार पर ही आगामी चरण में प्रवेश हेतु. पुन वरीयता/विकल्प ऑनलाईन पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। ऐसा करने पर ही आवेदक आगामी चरण की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।
 - प्रश्न 50 महाविद्यालय आवंदन की सूचना कैसे प्राप्त होगी क्या इस हेतु मुझे महाविद्यालय जाना होगा ?
 - छत्तार आवटन की सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदक को किसी भी महाविद्यालय में जाने की आवश्यकता. नहीं है। महाविद्यालय आवंटित होने की सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाइल तबर पर थी जानेंगी। इसके अतिरिक्त आवेदक ई प्रवेश पोर्टल पर महाविद्यालय आवंटित होने /न होने की अद्यतन स्थिति स्वयं के आई.डी. पासवर्ड से भी जान सकते है।
- प्रश्न 51 प्रथम चरण प्रवेश प्रक्रिया उपरान्त द्वितीय /आगामी चरण में शामिल होने हेतु प्राद्यकम/पुनः विकल्प चयन से पूर्व विभिन्न महाविद्यालयों के रिवल ख्यान (Vacancy) की जानकारी कैसे प्राप्त की जा सकती है ?
- छत्तर प्रथम चरण प्रवेश प्रक्रिया उपसन्त द्वितीय/आगमी चरण में शामिल होने हेतु माद्यकम्/पुनः दिकल्प चयन से पूर्व विभिन्न महाविद्यालयों के रिक्त स्थान (Vacaney) की जानकारी ई–प्रवेश पोर्टल पर Vacancy Tab के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
- प्रश्न 52 ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया में कक्षावार/वर्गवार कटऑफ की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता हूँ ?
- छत्तर ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में आबंटन के साथ है प्रवेश पोर्टल पर यिंगिन्न महाविद्यालयों की कक्षावार/वर्गवार कट-ऑफ की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

प्रश्न 53 फक जाना नहीं योजना के आवेदकों हेतु प्रवेश प्रक्रिया क्या होगी ?

उत्तर ई-प्रवेश प्रक्रिया के दौरान प्रीक्ष परियाम घोषित होने की रिशति में रूक जाना नहीं योजना अन्तर्गत उत्तीर्ण आवेदक स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु ऑनलाईन पंजीयन एवं पंजीरान शुक्क का भुगतान/दस्तावेज अपलोड/महाविद्यालय/पाद्यक्रम चयन कर ई-प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। महाविद्यालय स्तरु पर ई-सत्यापन पश्चात ऐसे आवेदक अईता पूर्ण होने पर गुण्पनुक्रम अनुसार प्रवेश हेतु पात्र होगे। <u>परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में</u> ऐसे आवेदक स्वाच्यायी (प्राइवेट) छात्र के रूप में शामिल होकर, अगले वर्ष पात्रता पूर्ण करने एवं स्थान सिक्त होने की दशा में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश प्रान्त कर स्तर्केंगे।

प्रश्न 54 विषय चयन कब और कैसे करना है ?

छत्तर

2

कब - महाविद्यालय/संकाय आवंटन प्रस्तात प्रवेश शुल्क भुगतान के पूर्व आवेदकों को ऑनसाईन विषय चयन करना होगा।

कैसे - आवेदकों को महाविद्यालय आवंदित होने पर साइट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष में नवीन पाठ्यकन अनुसार सर्वप्रथम ऑनलाईन विषय वयन की प्रक्रिया के अंसमेत पूर्व पावसानुसार तौन मुख्य विषय पोर्टल पर प्रवर्शित होगे। आवेदक आवंदित तीन मुख्य विषय को ही चयनित कर सकता है। आवेदक अनिरूथि अनुसार तीन मुख्य विषय में से किसी एक के स्थान प्रर अन्य संक्राय से तीसरे मुख्य विषय का चयन भी कर सकता है। आवेदक को किसी भी संकाय से एक जैनरिक विषय एवं एक व्यवसायिक विषय का चयन करना स्वैक्रिक होगा।

प्रश्न 55 ग्योजना का ज्यसन कब और कैसे करना है ?

जलर कब - अन्तिलाईन प्रवेश शुल्क भुगतान करते समय योजना का वयन करना होगा।

मियम पूर्व मार्गदशी सिद्धांत 2021-22

कैसे – आवेदक पात्रतानुसार ऑनलाईन पोर्टल पर मुख्यमंत्री मेघावी विदार्थी योजना/मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साइन) योजना/मुख्यमंत्री कोविड़-19 बाल कल्याण योजना में से किसी एक योजना का बटन विलक कर निश्चल्क प्रवेश प्राप्त कर सकता है।

प्रश्न 56 मुख्यमंत्री मेघावी विद्यार्थी योजना का लाम कैसे लिया जा सकता है ?

उत्तर

10

- यह योजना केवल रनातक स्तर पर प्रवान की जोवेगी। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाम लेने हेतु आवश्यक है कि आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। आवेदक के पिता/पालक की वार्षिक आय छलाख रूपये से कम हो। आवेदक ने 12वीं परीक्षा मध्यप्रदेश माध्यपिक शिक्षा मण्डल भोपाल से 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अथवा सी.बी.एस.ई/आई.सी.एस.ई जोर्ड से हु5 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीण की हो।
- प्रश्न 57 मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना का लाम केसे लिया जा सकता है ?
- जत्तर यह योजना रनातक एवं स्नातकोत्तर दोशों स्तरों पर प्रदान की जावेगी। विद्यार्थी के माता/पिता का म.प्र.शासन के अम विभाग में असंगठित कर्मकार के रुप में पंजीयन होना अनिवाये है।
- प्रश्न 58 प्रवेश शुल्क भुगतान के समय ट्रांजेक्शन फेल (Transaction Fail) होने की सिथति में क्या करना होगा ?
- जलार आवेदक द्वारा पोर्टल के माज्यम से किये गये प्रवेश शुल्क का ट्रांजेक्शन सदि फेल होता है तो इस राशि की पापसी उसी बैंक खाते में आयेगी जिस बैंक खाते से आवेदक ने भुगतान किया है। प्रवेश शुल्क का ट्रांजेक्शन फेल होने की स्थिति में आवेदक का प्रवेश सुनिश्चित नहीं होगा। अतः ट्रांजेक्शन के फेल होने की स्थिति में आवेदक को पुनः पोर्टल के माध्यम से निर्धासित समय सीमा में प्रवेश शुल्क जमा लरना अनिवार्य होगा। अन्यथा आवेदक का नाम प्रवेश सूची में दर्शित नहीं होगा।
- प्रश्न 59 प्रवेश शुल्क भुगतान किस प्रकार किया जा सकता है ?
- उत्तर प्रदेश शुल्क का गुगतान आवेदक नेट बैंकिंग/क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड/ यूपीआई के माध्यम से स्वयं कर सकेगा या उपरोक्त सुविधा उपलब्ध न होने पर कियोरक के माध्यम से शुल्क भुमतान कर प्रवेश प्राप्त कर सकेगा।

प्रश्न 60 वया प्रवेश के समय ही प्रवेश शुल्क की सम्पूर्ण राशि का भुगतान करना होगा ?

उत्तर कोरोना (कोविड-19) को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक को ऑनलाईन विषय डायन करने के उपसंत प्रवेश शुल्क की प्रथम किश्त राशि रूपये 1,000/- ऑनलाईन जमा करना होगा। प्रवेश शुल्क की शेष राशि तीन किश्तों में संबंधित महाविद्यालय के निर्देशानुसार निर्धारित समयावधि में डिजिटल माध्यम से जमा करना अनिवर्थ होगा। मुख्यमंत्री मेघावी विद्यार्थी योजना/मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्ताहन) योजना एवं मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के आवेदकों के लिए प्रक्रिया मार्गदर्शिका कण्डिका 13.1, 13.2 एवं 13.3 के अनुसार होगी।

प्रश्न 61 अवेश शुल्क भुगतान पश्चात् महाविद्यालय में कब उपस्थित होना होगा ?

चलार कोरोना कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक सन्न 2021-22 में अध्यापन कार्य आरंभ होने के प्रश्नाल उच्च शिक्षा विभाग के निर्वेशानुसार घोषित समय-सीमा में प्रवेशित विद्यार्थियां को शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में उपस्थित होकर मूल/डुप्लीकेट टी.सी. एवं माईग्रेशन जमा करना अनिवाय होंगा। निर्वारित समय-सीमा में जमा न करने की स्थिति में प्रवेश खत. निरस्त माना जाएगा।

गियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2021-22

जज्य शिता विभाग, मझ

प्रस्न 62 सटिफिकेट कोर्स की चयन प्रक्रिया क्या होगी ?

-

Yme

उत्तर विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर रांचालित छ नाह के सटिफिकेट कोर्स में अस्था में प्रवेशित नियमित विद्यार्थी ही प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे विद्यार्थियों की जानकारी सहाविद्यालय स्तर से सटिफिकेट कोर्सवार जीवलाईन पॉर्टल पर प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के 30 दिवस की समयावधि में अद्यतन करना अनिवार्य होगा।

प्रस्न 63 हितग्राही योजना परिवर्तन किस प्रकार किया जा सकता है ?

छत्तर ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात् उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में विद्यार्थी प्रदेशित महाविद्यालय में पात्रता अनुसार मुख्यमंत्री नेघावी विद्यार्थी यौजना/मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना/ मुख्यमंत्री कोविड-18 बाल कल्याण यौजना में परिवर्तन कर सकेंगे। योजना परिवर्तन करने पर नियमानुसार प्रवेश शुल्क जमा/वापसी करना अनिवार्य होगा।

प्रश्न 64 प्रवेश पश्चाल् विषय/पाठ्यक्रम/संकाथ परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होगी ?

ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया समापि के पश्चात उच्च सिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में प्रवेशित महाविद्यालय में विद्यार्थियों हेतु पात्रता अनुसार संबंधित संकाय/कक्षा/विभय में स्थान रिवल होने पर परिवर्तन संबंधी कार्यवाही की जायेगी, निर्वारित समय सीमा में विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय स्तर पर प्रस्तुत आवेदनों पर पात्रता/युगानुक्रम का उल्लॅंघन ज होने की सर्त पर विषय/ पाद्यकम/संकाय में परिवर्तन की कार्यवाही की जा सकेंगी।

प्रश्न 65 क्या स्नातक द्वितीय एवं लृतीय वर्ष/तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर तथा रूग्रतकोत्तार तृतीय सेमेस्टर हेतु ऑनलाइन प्रवेश प्रकिया होगी ?

उत्तर सत्र 2021-22 में स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष/तृतीय एवं पंचन सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर हेतु ऑनलाईन प्रवेश नवीनीकरण की प्रक्रिया होगी. महाविद्यालय द्वास पात्र दिद्यार्थियों को ऑनलाईन प्रनोट किया जाएगा. तत्परवात विद्यार्थी ई-प्रवेश प्रोटेल पर नामांकन क्रमांक दर्ज कर फीस भुगतान कर प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।

नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2021-22

ł

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग बल्लभ,भवन मंत्रालय–462004

ः आदेशः

भोपाल, दिनांक ११-०२-२०२०

गुन्नकः ⁹⁴⁹ / २०२०/सीसी / २०२० / अड़तीस : राज्य शासन एतद् द्वारा सत्र 2020–21 क लिये मध्यप्रदेश के शासकीय / अनुदान प्राप्त अशासकीय / नेजी अशासकीय मह विद्यालयों में रनातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेश नियम, मार्गदर्शी सिद्वांत, बज्जदमिक कैलेण्डर एवं ऑनलाइन प्रवेश समय-सारणी जारी किये जाते हैं।

संतग्न- प्रवेश नियम/मार्गदर्शी सिद्धांत।

(श्वेतः पवार) (श्वेतः पवार) उप सचिव म.प्र.शासन.रच्य शिक्षा विभाग

५०७मांक: ⁹⁵⁰/सीसी/2020/ भोपाल, चनांक *31- ७२-२०२०* प्रतिलिपि :

प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, मध्यप्रदेश भाषाल,म.प्र.।

2 निज सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा,म.प्र.।

स्ताफ आफीसर, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मतालय।

4 आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. सतपुड़ा भवन, भोपाल।

अध्यक्ष, निजी, विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल, म.प्र.।

c कुलसचिव, समस्त परम्परागत विश्वविद्यालय भोषाल/इन्दौर/ग्वानियर/जबलपुर/ रीपा/राजजेन /छत्तरपुर एवं छिन्दवाडा म.प्र.।

7 कुलसचिव समस्त निजी विश्वविद्यालय म.प्र.।

समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.।

अ. सी.ई.ओ. एम.पी.ऑनलाइन, द्वितीय तल डो.बी.मॉल, एम.पी.नगर भोपाल म.प्र. की ओर कार्यवाही हेतु ।


10 प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, म.प्र.।


अस्तरी आई.टी. शाखा उच्च शिक्षा, म.प्र. सतपुडा भवन, भोपाल ही ओर देवसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

...... की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।

131/07/2020 HTTO

उप सचिव म.प्र.शासन, राज्य शिक्षा विभाग





प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त सत्र् 2020–21

अनुक्रमणिका

<u>97</u> .	विषय	তক্ব ত দু
1.	प्रयुक्ति	4
	 (i) 1.1 कोरोना (कोविड-19) के संन्दर्भ में निर्देश 	4
2.	प्रवेश प्रक्रिया	5-11
	 2.1 पंजीयन शुल्क का नुगतान. 	6
	(ii) 2.1.1 ऑनलाईन पंजीकृत आदेवकों के दरसावेजों का सरवापन।	6
	(iii) 2.3 ऑनलाईन गुणाकमानुसार आवंटन सूची का महाविद्यालयवार प्रकाशन एवं	
	शुल्क मुनतान। (iv) 2.4 महाविधालय में रिक्ट रह नये स्वानों पर प्रवेश प्रक्रिया।	7
	(17) 24 महायरतालय में १९०९ रह गय स्थानां पर प्रवेश प्राकृता (17) 25 सी.एल सी. चरण की ऑनलाईन प्राकृता	8
	(viii) 2.6 स्नातक स्तर पर नियमित प्रवेश हेतु पाछला	8
	(ix) 27 स्नातवनेलार स्तर पर प्रवेश।	9-11
3.	उत्कृष्ट महाविद्यालयों में प्रवेश	11
2	प्रवेश सीट संख्या का निर्धारण	11
4.5		12-13
	 (i) 4.2.1 मेंपिन महाविद्यालय द्वारा पात्र निजी महाविद्यालयों को ऑनलाईन पोर्टल पर जोडने को प्रक्रिया। 	12
	(ii) 4.5 गुख्यमंत्री मेबाबी विदार्थी योजनान्तर्गत प्रवेश।	
	(iii) 4.8 मुख्यमंत्री जनकल्याण शिका प्रोत्साहन योजनान्दार्गत प्रदेश।	13 13
6	प्रवेश की पात्रता	13-14
	(i) 51 नियासी एवं अर्हकारी परीक्षा।	13
N	(ii) 5.2 विधि संकाय में सियगित प्रवेश।	14
6	समकक्ष परीक्षा	14-15
7	बाह्य आवेदकों का प्रवेश	15-16
8.	प्रावधिक प्रवेश की पात्रता	16-17
9	प्रयेश हेतु पात्रता/अपात्रता	17-18
C	प्रवेश हेतु गुणानुकम का निर्धारण	18
1	प्रवेश हेतु प्राथमिकता	18
2	आरक्षण : मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप	19-21
	 (i) 12.9 अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश । 	20
3	अधिभार	21-23
	(i) 131 एन.सी. ती. / एन.एस.एस / त्काउट्स (स्काउट / माईब्स / रेन्ज्रस्)।	21-23
	(11) 13.4 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/बिचज/रूपांकन प्रतियोगिता।	22
	(11) 13.8 विशेष प्रोत्साहन	22
4	संकाय/विषय/सगूह परिवर्तन	23
5,	विशेष	23-25
<i>j</i> .	परिशिष्ट 1 एवं 2	26-29

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2020-21

10 1 10

3

3/29

मध्यप्रदेश के शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त

सत्र् 2020-21

1. प्रयुक्ति :--

0

मार्गदर्शक सिद्धान्त मध्यप्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय (अनुदान प्राप्त एवं अनुदान अप्राप्त) महाविद्यालयों में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत अध्यादेश क्रमांक– 6 एवं 7 के प्रावधानों के तहत सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे। जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश/नियन/ विनियम में प्रवेश पात्रता हेतु अन्यथा उल्लेख हों, उदाहरणार्थ बी.सी.आई. वहाँ ये नियन विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालयों के सुसंगत पाठ्यक्रमों में लागू नहीं होंगे।

ं कोरोना (कोविड–19) के संन्दर्भ में निर्देश :

(3) कोरोना (कोविड—19) के संकमण को ध्यान में रखते हुए स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अर्हताकारी परीक्षा एम.पी.बोर्ड एवं सी.बी.एस.सी. बोर्ड से उत्तीर्ण आवेदकों का डेटा एम.पी. ऑनलाईन के ऑनलाईन के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन सत्यापित किया जाएग । एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन सत्यापित किया जाएग । एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन सत्यापित आवेदकों को सत्यापन या प्रवेश के लिए पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन सत्यापित आवेदकों को सत्यापन या प्रवेश के लिए महाविद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि कोरोना के संकमण से बचाव के लिए ऑनलाईन आवेदन के पश्चात जायापन की आवश्यकता होने पर, आवेदक अगले कार्यादिवस में ही उपस्थित होकर सत्यापन की जार्यवाही पूर्ण कराएं।

(4) सत्र 2020–21 की प्रवेश–प्रक्रिया में कोविड–19 की रोकथाम के परिप्रेक्ष्य में आवेदक पंजीयन हेतु किसी भी शासकीय महाविद्यालय में समस्त मूल दस्तावेजों एवं काटो के साथ उपस्थित होकर पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण कर सकेंगे। हेल्प सेंटर द्वारा ऑनलाइन पंजीयन का प्रिन्ट आवेदक को दिया जायेगा। इसके साथ ही जिन आवेदकों का स्वत्त एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से ऑनलाईन सत्यापन नहीं हुआ हे, ऐसे आवेदक किसी भी हेल्प सेंटर (शासकीय महाविद्यालय) के द्वारा ऑनलाईन सत्यापन की कार्यवाही भी पूर्ण कर सकने।

(d) कोरोना (कोविड-19) को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालयों के हेल्प सेन्टर में आवश्यक व्यवस्थाएं संयोजित की जाए। स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों हेतु पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों के सत्यापन हेतु आवेदकों की संमावित संख्या के आधार पर शारीरिक दूरी बनाये रखने हेतु अधिक से अधिक संख्या में हेल्प डेस्क की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। परामर्श है कि पर्याप्त संख्या में काउन्टर की व्यवस्था इस प्रकार की जाए कि एक दिवस में एक काउन्टर पर 50 विद्यार्थी का सत्यापन हो सके. ताकि शारीरिक दूरी (सोशल डिस्टेन्स) का पालन सुनिश्चित किया जा सक, तथापि इस संबंध में स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत प्राचार्य स्वविवेक से निर्णय ले सकँगे। प्रत्येक हेल्प डेस्क पर एक सत्यापन अधिकारी पोर्टल के माध्यम से सत्यापन की कार्यवाही के लिए अधिकृत किया जाए।

1.2 समस्त महाविद्यालयों में प्रवेश उपरांत अक्टूबर प्रथम सप्ताह में स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु मार्गदर्शी व्याख्यान दिये जाने की व्यवस्था की जाये।

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2020-21

E

4/29

2. प्रवेश प्रक्रिया :--

प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों के स्नातक प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेनेस्टर में सन्न 2020–21 हेतु केन्द्रीयकृत ऑनलाइन प्रवेश की व्यवस्था होगी। ऑनलाइन प्रवेश व्यवस्था में सर्वप्रथम आवेदक को अपना ऑनलाइन पंजीयन, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु विभाग द्वारा जारी समय सारणी अनुसार निर्धारित समयावधि में, अनिवार्यतः कराना होगा। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी ई– प्रवेश प्रक्रिया एम.पी.ऑनलाइन के माध्यम से संचालित की जाएगी। प्रवेश संबंधी सम्पूर्ण जानकारी पोर्टल (https://epravesh.mponline.gov.in) पर उपलब्ध रहेगी।

- (अ) कक्षा 12वीं में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को भी प्रवेश के लिए पंजीयन करना अनिवार्य है। प्रवेश प्रक्रिया संचालन के मध्य पूरक परीक्वार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित होने पर उन्हें आगामी चरण/सी.एल.सी में अपने ऑनलाईन आवेदन को अद्यतन करने के साथ ही महाविद्यालय/पाद्यकम की च्वाईस फिलिंग करने का अधिकार होगा। प्रवेश प्रक्रिया के सी. एल.सी. अंतिम चरण तक आवेदकों के पूरक परीक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित ना होने की रिश्वति में इन विद्यार्थियों को स्थान रिक्त रहने पर ही प्रावधिक प्रवेश दिया जा सकेगा।
- (4) स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिये पंजीयन के अंतर्गत आवेदक को विश्वविद्यालय द्वारा घोषित विषय-समूह (गणित/जीव विज्ञान/वाणिज्य/कला/गृह-विज्ञान इत्यादि) का चयन करते हुए उन महाविद्यालयों का चयन करना होगा जिनमें वह प्रवेश वाहता है। इसी तरह स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी प्रवेश हेतु पंजीयन के अन्तर्गत आवेदक को अपने विषय का चयन करते हुए उन महाविद्यालयों का चयन करना होगा जिनमें वह प्रवेश वाहता है। विद्यार्थी को अपने विकल्प ऑनलाइन देने होंगे।
- (5) निर्दिष्ट तिथियों के परचात कोई भी आवेदक ऑनलाइन पंजीयन नहीं कर सकेगा। प्रथम चरण के परचात् आगामी चरणों में पंजीयन कराने वाले आवेदकों के प्रवेश हेतु तत्समय उपलब्ध रिक्त सीटों पर ही विचार किया जायेगा। इस प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी एवं प्रवेश पोर्टल संबंधी जानकारी पृथक से दी जायेगी। आवदक न्यूनतम 01 या अधिकतम 15 महाविद्यालयों तथा पाठ्यकमों के युग्म का चयन पंजीवन के समय करते हुए च्वाइस फिलिंग कर सकेगा।
- (द) पंजीयन शुल्क का भुगतान समय सारिणी अनुसार, चरणवार निम्नानुसार देय होगाः-

1. प्रथम चरण में पंजीयन शुल्क रू. 100/- (समस्त छात्राओं के लिये निःशुल्क)

 भी.एल.सी. चरण में पंजीयन शुल्क रू. 500/- (समस्त विद्यार्थिया के लिए विलम्ब शुल्क सहित)

पोर्टल शुल्क स. 50/- (प्रत्येक चरण में केवल छात्रों द्वारा देय होगा)

(a) पंजीयन के पश्चात् आवेदक आवेदन का प्रिंट आउट प्राप्त कर समस्त प्रविष्टियों जैसे नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि (10वीं/12वीं की अंकसूची के अनुसार). श्रेणी, वर्ग, प्राप्तांक, मोवाईल नम्बर एवं अधिभार प्रमाण पत्र की जानकारी इत्यादि की सावधानीपूर्वक जाँच कर ले एवं सुनिश्चित करे कि दर्ज जानकारी एवं स्पेलिंग पूर्णतया सही हैं। दर्ज प्रविष्टियों की समस्त जिम्मदारी आवेदक की ही होगी। आवेदक अपना पंजीयन इंटरनेट के नाध्यम से पोर्टल पर कहीं से भी कर सकता है। आवेदकों की सुविधा के लिए समस्त शासकीय महाविद्यालयों में इसके लिए सहायता केंदों (Help Centers) की भी व्यवस्था की गई है।

3

21 पंजीयन शुल्क का भुगतान :

आवेदकों द्वारा पंजीयन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन डिजीटल माध्यभ से किया जा सकेगा। विद्यार्थी पंजीयन पश्चात् प्राप्त आवेदन पन्न / रसीद पर अंकित सभी निर्देशो को पढ़े एवं पालन कर दिये गये निर्देशों के अनुसार सत्यापन संबंधी आगामी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

2.1.1 ऑनलाइन पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन :

212 स्नातक स्तर : ऑनलाइन पंजीयन के पश्चात् आवेदक को मूल दस्तावेजों एवं उनकी छाया प्रतियों सहित पंजीयन फार्म का ग्रिंट आउट संलग्न कर एक प्रति में स्वंय उपस्थित होकर प्रस्तुत करना होगा। आवेदक को अपने दस्तावेजों (अईकारी परीक्षा की अंकसूची, प्रमाण–पन्न, जाति प्रमाण–पन्न, संवर्ग प्रमाण–पन्न, ओ.बी.सी. के लिये क्रीमी–लेयर में न होने का प्रमाण–पन्न, स्थानीय निवासी हेतु स्व–प्रमाणित घोषणा–पन्न, एन.एस.एस./एन.सी.सी./क्रीड़ा/ साहित्यिक/सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रमाण–पन्न इत्यादि) जिनके आधार पर प्रवेश के लिए अधिभार देय हो, का सत्यापन कराना होगा। <u>पंजीयन पश्चात् ऐसे आवेदक जिनके पंजीयन</u> फार्म का ऑनलाइन सत्यापन नहीं हुआ है. केवल उन्हें ही अथवा उनके अभिभावकों द्वारा दस्तावेजों का अनिवार्यतः सत्यापन किसी भी शासकीय महाविद्यालय में उपस्थित होकर कराना होगा। ऑनलाईन सत्यापन होने का उल्लेख पंजीयन के प्रिन्ट आउट पर किया जाएगा।

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. सी—3–7–2013–एक, दिनांक 25.09.2014 के निर्देशानुसार खानीय निवासी एवं आय प्रमाण पत्र तत्समय सक्षम अधिकारी का न होने पर रव–प्रमाणित घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।

- 2 1.3 स्नातकोत्तर स्तर : ऑनलाइन पंजीयन के पश्चात् आवेदक द्वारा कंडिका 2.1.2 में उल्लेखित प्रक्रिया को अपनाते हुए सहायता केन्द्रों से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु सत्यापन कार्य निर्धारित समय सारणी के अनुसार सम्पन्न किया जावेगा। महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया हेतु जन्हीं आवेदकों पर विचार किया जायेगा जिन्होंने पंजीयन के पश्चात् ऑनलाईन या ऑफलाइन सत्यापन का कार्य पूर्ण करा लिया है।
- 2.1.4 आवेदक हारा पंजीयन फार्म के सत्यापन के दौरान उनके पंजीयन फार्म में कोई त्रुटि/विसंगति है, तो आवेदक किसी भी नजदीकी शासकीय महाविद्यालयों में स्थित सहायता केन्द्रों (Help Centers) के माध्यन से त्रुटि सुधार करवा सकेंगे।
- 2.1.5 अपवाद स्वरूप सत्यापन के पश्चात् परंतु ऑनलाईन शुल्क जमा करने के पूर्व यदि कोई त्रुटि/विसंगति संझान में आती है तब मूल दस्तावेजों से परीक्षण कर साराकीय महाविद्यालयों के सहायता केन्द्रों (Help Centers) के माध्यम से त्रुटि सुधार हेतु ऑनलाइन रिक्वेस्ट जिले के अग्रणी महाविद्यालय को त्रुटि सुधार हेतु प्रेषित की जायेगी। शासकीय महाविद्यालयों के सहायता केन्द्रों की रिक्वेस्ट पर अग्रणी महाविद्यालय द्वारा त्रुटि सुधार किया जायेगा। इस हेतु भेजी गई रिक्वेस्ट के परीक्षण एवं दस्तावेजों का संधारण की पूर्ण जिम्मेदारी सहायता केन्द्रों की होगी।
- 2.2 अंकसूची एवं मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) के संबंध में :

आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के पश्चात् दस्तावेजों के सत्यापन के समय मूल अंकसूची ही मान्य होगी। मूल अंक सूची/मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) के अभाव में आवेदक से निर्धारित प्रपन्न में वचन—पन्न प्राप्त कर निर्दिष्ट समयावधि में अंकसूची की प्रतिलिपि तथा मूल टी.सी. जमा करवायी जाएगी। वचन पन्न में घोषित तिथि तक यदि आवेदक द्वारि संबंधित दस्तावेज जमा नहीं किये जाते हैं तो उसका प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

- 2: ऑनलाइन गुणानुक्रम अनुसार आवंटन सूची का महाविद्यालयवार प्रकाशन एवं शुल्क का भूगतानः
- 23.1 सत्र 2020-21 की प्रवेश-प्रक्रिया में कोविड-19 की रोकथाम के परिप्रेक्ष में निर्णय लिया गया है कि आवंटन प्राप्त होने के उपरांत प्रवेश के लिए आवेदकों को आवंटित महाविद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पंजीकृत एवं च्याईस फीलिंग करने वाले सभी आवेदकों को गुणानुक्रम एवं उनके संकाय/विषय एवं महाविद्यालयों के विकल्प के आधार पर महाविद्यालय में प्रवेश आवंटन ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम अनुसार पोर्टल पर जारी किये जावेंगे। इसकी सूचना आवेदकों को उनके द्वारा पंजीयन के समय दर्ज मोबाईल पर मैसेज के द्वारा दी जावेगी साथ ही आवेदक अपना प्रवेश आवंटन आवश्यक रूप से प्रवेश पोर्टल पर स्वयं भी चेक करें। तत्परवात आवेदक आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश पोर्टल पर स्वयं भी चेक करें। तत्परवात् आवेदक आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु प्रवेश पोर्टल पर स्वयं भी चेक करें। तत्परवात् आवेदक आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु प्रवेश योर्टल पर स्वयं भी चेक करें। तत्परवात् आवेदक आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु प्रवेश राहर समय-सारिणी अनुसार निर्धारित तिथि तक भुगतान कर सकोंगे, इस हेतु महाविद्यालय में उपस्थित होकर लिंक इनीसिएट कराने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि तक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन निर्धारित प्रवेश शुल्क जमा करने एवं प्रवेश पोर्टल से शुल्क जमा करने की पुष्टि होने पर ही आवेदक का नाम संबंधित महाविद्यालय की प्रवेश सूची में दर्शित होगा। उक्त प्रवेश शुल्क संबंधित महाविद्यालय के खाते में ऑनलाईन ही द्रांसफर होगा।
- 2.3.2 कोरोना (कोविड–19) को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक को जिस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए आवंटन पत्र जारी किया गया है, उस पाठ्यकम के लिए संबंधित महाविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क ऑनलाईन प्रवेश के समय तथा शेष शुल्क दो किश्तों में संबंधित महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समयावधि में अध्ययन के लिए महाविद्यालय में उपस्थित होने पर डिजिटल नाध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना एवं मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के आवेदको के लिए प्रक्रिया 4.5 एवं 5.6 के अनुसार होगी।
- 2 3 3 आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से किये गये पंजीयन / प्रवेश शुल्क का ट्रांजिक्शन यदि फेल होता है तो इस राशि की वापिसी जसी बैंक खाते में आयेगी जिस बैंक खाते से आवेदक ने भुगतान किया है। ऐसी स्थिति में आवेदक का प्रवेश सुनिश्चित नहीं होगा। अतः ट्रांजिक्शन के फेल होने की स्थिति में आवेदक को पुनः पोर्टल के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। विद्यार्थियों का प्रवेश शुल्क प्रवेशित महाविद्यालय के प्रोफाईल में दर्ज बेंक खाते में स्थानांतरित होगा। अतः सभी महाविद्यालय स्वंय के खाते क्र. को सही--सही दर्ज करना सुनिशचित करेंगे। यह जिम्मेदारी पूर्णतः संबंधित महाविद्यालय की होगी। महाविद्यालय के बैंक खाते में विसंगति होने पर विद्यार्थियों की प्रवेश शुल्क की राशि संबंधित महाविद्यालय के बैंक खाते में तब तक वापस जमा नहीं हो पायेगी, जब तक की महाविद्यालय दारा बैंक खाते की विसंगति को दूर कर अद्यतन नहीं किया जाता।
- 2.4. आवेदक द्वारा ऑनलाइन एडमिशन स्लिप का प्रिंट आउट ई-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से प्रवेश शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् प्राप्त किया जा सकेंगा, यह प्रवेश प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे आवेदक यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि उनके प्रवेश की प्रविध्टि पोर्टल पर हो चुकी है। एडमिशन स्लिप का बाद में भी पोर्टल से प्रिन्ट लिया जा सकता है।
- 21.5 कोरोना कोविड –19 के परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक सन्न में अध्यापन कार्य आरंभ होने के पश्चात् घोषित समय सीमा में आवेदक को प्रवेश प्राप्त करने वाले शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में उपस्थित होकर मूल/उप्लीकेट टी.सी., माईग्रेशन (

उच्च शिक्षा विमाग, म.प्र.

एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित जनव सीमा में दस्तावेज जमा न करने की रिथति में प्रवेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

- 2.3.6 स्नातक कला संकाय के समस्त आवेदकों के लिए अनिवार्य होगा कि शैक्षणिक सत्र में अध्यापन कार्य आरंभ होने के पश्चात् घोषित समय सीमा में आवेदक निर्धारित प्रारूप में विषय समूह का चयन करते हुए संबंधित महाविद्यालय में ऑनलाईन पोर्टल पर अपनी जानकारी अद्यतन कराएगें। यह अनिवार्य होगा कि संबंधित महाविद्यालय ऐसे आवेदकों की जानकारी पोर्टल पर अद्यतन करेंगे।
- 2.3.7 आवेदक द्वारा शुल्क का भुगतान करने के परचात् स्वतः ही उसका नाम संबंधित महाविद्यालय के वयनित पाठ्यक्रम हेतु प्रवेशित सूची में प्रदर्शित होने लगेगा। प्रथम चरण के परचात सी.एल.सी. प्रथम / द्वितीय चरणों में प्रवेश हेतु महाविद्यालयवार / पाठ्यक्रम / वर्गवार रिक्त स्थानों की जानकारी प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। प्रथम चरण के परचात् रिक्त रह गये स्थानों की जानकारी प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। प्रथम चरण के परचात् रिक्त रह गये स्थानों पर सी.एल.सी. चरण में आनलाईन प्रवेश प्रक्रिया हेतु अप्रवेशित आवेदक अपनी पूर्व वरीयताओं में समय–सारणी की निर्धारित तिथियों के अनुसार संशोधन / परिर्वतन कर सकेगा। ऐसे आवेदक जिन्होंने पूर्व में अपना पंजीयन नहीं कराया है वह सी.एल.सी. चरण में शुल्क अदा कर पंजीयन करा सकेगे।

24 महाविद्यालय में रिक्त रह गये स्थानों पर प्रवेश हेतु प्रक्रिया :

प्रथम चरण के पश्चात् सी.एल.सी. चरण हेतु महाविद्यालयों में उपलब्ध रिक्त स्थानों हेतु पूर्व से पंजीकृत आवेदकों (जिन्होंने प्रवेश नहीं लिया है अथवा जिन्हें आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है) के लिए पुनः ऑनलाइन महाविद्यालय/विषय/पाठ्यक्रम के चयन का विकल्प रहेगा। आवेदक चाहे तो अपनी पूर्व वरीयताएँ बदल सकेंगे। परन्तु प्रथम चरण में यदि किसी आवेदक को उसकी दर्शायी हुई प्रथम च्वाइस का महाविद्यालय आवंटित होता है एवं वह उस महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेता है, तो सी एल.सी. चरण में उसे तब तक स्वतः कोई महाविद्यालय आवंटित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अपनी च्वाइस/विकल्प पुनः न भरे दे। पुनः वरीयता हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा।

- 25 सी.एल.सी. चरण की ऑनलाइन प्रक्रिया :
- 2.5.1 प्रथम चरण के पश्चात् रिक्त रह गये स्थानों पर सी.एल.सी. ऑनलाइन प्रक्रिया हेतु अप्रवेशित आवेदक अपनी पूर्व वरीयताओं में समय सारणी की निर्धारित तिथियों अनुसार संशोधन/परिवर्तन कर सकेगा। ऐसे आवेदक जिन्होंने पूर्व में अपना पंजीयन नहीं कराया है वह भी सी.एल.सी. चरण में पंजीयन करा सकेंगे। महाविद्यालय स्तर पर इस हेतु कोई भी लिखित आवेदन मान्य नहीं किये जायेंगे।
- 2.5.2 सी.एल.सी. में महाविद्यालय आनलाईन वरीयता सूची गुणानुकम अनुसार प्रदान की जायेगी। महाविद्यालय पाठ्यकमवार उपलब्ध स्थानों के आधार पर उक्त प्रदत सूची के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेगें एवं इस चरण में समय--सारिणी अनुसार प्रथम घरण के पश्चात रिक्त आरक्षित सीटों पर प्रवेश नियम कंडिका 12.1 से 12.8 का पालन सुनिश्चित करते हुये संबंधित आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध न होने पर उक्त रिक्त सीटें कंडिका 12.11 के प्राक्धानों के निहित समय--सारणी अनुसार सामान्य वर्ग के आवेदकों हेतु परिवर्तित की जायेंगी।
 - अईकारी परीक्षा में पूरक प्राप्त आवेदकों को रिक्त सीटों पर पात्र आवेदक उपलब्ध न होने पर ही प्रावधिक प्रवेश हेतु सी.एल.सी. चरण में विचार किया जावेगा।
- 2.5.3 पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को निर्धारित तिथि तक परीक्षा परिणाम घोषित न होने की दशा में प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। स्थान रिक्त होने पर सी.एल.सी. चरण में प्रावधिक प्रवेश

उच्च शिक्षा विमाग, म.प्र.

दिया जा सकेगा। प्रावधिक प्रवेश के लिए अर्हताकारी परीक्षा में पूरक प्राप्त उन्हीं आवेदकों पर विचार किया जावेगा जिन्होंने अपना पंजीयन निर्धारित तिथियों में ही करा लिया है। प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तिथि से 7 दिवस के अन्दर प्रवेशित महाविद्यालय में अपने परिणाम के आधार पर उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ग अद्यतन कराना होगा जिससे जनका प्रवेश स्वमेव नियमित/निरस्त हो जाएगा। स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए कंडिका 2.7 (क) एवं 8.1.1 के अनुसार पान्नता निर्धारित होगी।

25.4 कंडिका 5.1(क) में उल्लेखित शालकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पाल्य को महाविद्यालय में आवेदित कक्षा में स्थान रिक्त होने पर प्रचलित सत्र के दौरान प्रवेश दिया जा सकेगा। इस हेतु संबंधित शासकीय सेवक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा शासकीय रोवक के स्थानांतरण के परचात् निर्धारित मुख्यालय के किसी भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त न होने पर कुलपति की अनुमति से ही सम्बद्ध पाल्य को प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध आनलाईन माड्यूल में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्ज करनी होगी।

सी.एल.सी. चरण में प्रवेश हेतु मेरिट सूची जारी होने के पश्चात् ऐसे पंजीकृत आवेदक जिनका नाम मेरिट सूची ने नहीं आया है किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा उनके परीक्षा परिणाम संशोधित करने के कारण प्रवेश हेतु उनकी पात्रता मेरिट सूची अनुसार पाई जाती है तो ऐसे विद्यार्थियों को विशेष प्रकरण मानते हुये परीक्षा परिणाम आने के 15 दिवस की समय सीमा में संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उ.शि. के प्रस्ताव पर, सक्षम स्तर से अनुमति के बाद प्रवेश दिया जायेगा एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मॉड्यूल में दर्ज किया जायेगा। ऐसे प्रकरण में स्वीकृत सीटों की संख्या बाध्यता नहीं होगा। साथ ही ऐसे विशेष प्रकरण जिनमें प्रवेशित विद्यार्थियों के नामांकन में पात्रता के कारण तकनीकी कठिनाई है उन्हें संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव एवं संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा संयुक्त निर्णय लेकर निराकरण सुनिश्चित करेंगे।

- 2 5.5 सत्र 2020-21 से शासकीय महाविद्यालयों के स्वयित्तीय पाठ्यकमों में यदि संसाधनों में कमी/कठिनाई है तो प्रवेश हेतु निग्नानुसार कार्यवाही की जाना है।
 - (क) सत्र 2019-20 स्नातक प्रथम वर्ष में यदि किसी पाठ्यकम/विषय समूह में प्रवेश 25 या अधिक संख्या में है तभी उक्त पाठ्यकम में सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जायेगा। अर्थात 24 या 24 से कम प्रवेशित संख्या वाले पाठ्यकमों में प्रवेश नही दिया जायेगा।
 - (ख) रात्र 2019–20 रनातकोत्तर प्रथम वर्ष में यदि किसी विषय में प्रवेश 10 या अधिक संख्या में है तभी उक्त विषय में सत्र 2020–21 में प्रवेश दिया जायेगा। अर्थात 09 या 09 से कम प्रवेशित संख्या वाले विषय में प्रवेश नही दिया जायेगा।
 - (ग) सत्र 2020-21 सभी नवीन पाठ्यकर्मों में प्रथम वर्ष में संख्या का बंधन नहीं रहेगा।
- 2.6 स्नातक स्तर पर नियमित प्रवेश हेतु पात्रता :

समी आवेदक एवं संबंधित महाविद्यालय प्रशासन, विश्वविद्यालय की पात्रतानुसार ही प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे।

2.8. प्रथम वर्ष में प्रवेश

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को रनातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता निम्नानुसार होगी :

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2020-21

9/29

उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.

- विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय के सुसंगत विषय में प्रवेश के अतिरिक्त वाणिज्य संकाय, कला संकाय एवं गृह-विज्ञान संकाय में भी प्रवेश की पात्रता होगी।
- वाणिज्य/कला/गृह संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय ने प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों को वाणिज्य संकाय के अतिरिक्त कला एवं गृह–विज्ञान संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी।
- कला संकाय के विद्यार्थियों को कला संकाय के अतिरिक्त गृह विज्ञान संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी।
- गृह–विज्ञान संकाय में 10+2 परीक्षा, गृह विज्ञान से उत्तीर्ण आवेदकों के साथ–साथ विज्ञान, वाणिज्य, कला संकाय तथा 10+2 परीक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी प्रवेश की पात्रता होगी।
- गृह–विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को गृह विज्ञान संकाय के अतिरिक्त से कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी।

10+2 का तात्पर्य मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित या संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य राज्यों के विद्यालयों की इंटरमीडियट बोर्ड या 12वीं बोर्ड की समकक्ष परीक्षा से है। सभी आवेदकों को संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर उसे प्रवेश के समय उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। संकाय परिवर्तन होने पर प्राप्तांक के 5 प्रतिशत अंक कम कर तद्नुसार गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

- (ख) मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क. 394 / 73 / सीसी / 2017, दिनांक 03.05.2018 द्वारा 10+2 कृषि संकाय विद्यार्थी बी.ए. एव बी.एससी. जीव विज्ञान समूह (के सभी एलाइड विषयों—जैसे माइक़ो बायलॉजी, बायोटेक, सीड टेक्नालॉजी इत्यादि) के साथ प्रवेश हेतु पात्र होंगे।
- (1) मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क. 667/175/तीसी/18/38, दिनांक 10.07.2018 द्वारा बी.सी.ए. में प्रवेश हेतु 10+2 परीक्षा किसी भी संकाय (कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं जीवविज्ञान में उत्तीर्ण विद्यार्थी गुणानुकम अनुसार प्रवेश हेतु पात्र होगे।
- (व) यू.जी. / पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यकम हेतु विश्वविद्यालय की पात्रतानुसार ही विद्यार्थी पात्र होंगे।
- (4.) म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल से पूर्व में हायर सेकेण्ड्री (ग्यारवीं) परीक्षा से उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी

2.8.2 अन्य सेमेस्टरों / वार्षिक पद्धति में प्रवेश :

- (क) पात्र विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में ही प्रवेश दिया जायेगा। शेष सेमेस्टरों/वर्षों में पिछले सेमेस्टरों में उत्तीर्ण अथवा किसी भी एक सेमेस्टर/वर्ष में दो तथा एक—समय में अधिकतम चार विषयों में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms)/पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी। नियमानुसार शुल्क का मुगतान करने पर ही ऐसे विद्यार्थियों के प्रवेश मान्य किये जायेंगे।
- (आ) कंडिका 5.1(क) में उल्लेखित शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर प्रदेश में वार्षिक / सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत अध्ययनरत उनके पाल्यों को पाठयक्रम के बीच में

उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.

रनातक—स्तर पर प्रवेश दिया जा सकेगा। इस हेतु शासकीय सेवक द्वारा कार्यमार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र तथा आव्रजन प्रमाणपत्र (Migration Certificate) प्रस्तुत करना होगा। रनातकोत्तर—स्तर पर प्रवेश के लिये संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर आवेदक को प्रवेश के समय संलग्न करना अनिवार्य है।

(ग) मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक 97/380/सीसी/14/38. दिनांक 16 फरवरी 2015 अनुसार ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी सत्र में नियमित प्रवेश से वंदित हो जाते हैं, वह विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष की परीक्षा में स्वाध्यायी छात्र के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं तथा परीक्षा उपरान्त विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी महाविद्यालय में संबंधित कोसं/विषय में सीट रिक्त होने पर पात्रतानुसार स्नातक स्तर पर द्वित्तीय वर्ष में तथा स्नातकोत्तर स्तर पर (विज्ञान व प्रायोगिक विषयों को छोड़कर) तृतीय सेमेस्टर में नियमित प्रवेश ले सकेंगे।

रिजल्ट घोषित होने के 07 दिवस के अन्दर संबंधित महाविद्यालय स्नातक द्वितीय वर्ष/ पंचम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर की रिक्त सीटों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करेंगे तथा 15 दिवस के अंदर ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। तत्पश्चात प्रवेश मान्य नहीं होगा एवं निर्धारित तिथि तक प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी पोर्टल पर अपलोख करनी होगी।

27 स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश : सभी आवेदक एवं संबंधित महाविद्यालय प्रशासन विश्वविद्यालय की पात्रतानुसार ही प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे।

$\langle \overline{c} \rangle$	कक्षा	अर्हकारी परीक्षा
	1. एम.कॉन. प्रथम सेमेस्टर	बी.कॉम.
	2. एन.एस.सी. प्रथन सेमेस्टर	बी.एस.सी. संबंधित विषय के साथ
	3. एम.एस.सी. (गृहविज्ञान), प्रथम सेमेस्टर	वी.एस.सी. (गृहविज्ञान)
	4. एम.ए. / एम.एस. डब्ल्यू	स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण

- (ख) स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एम.ए. या एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार होगी।
- (ग) स्नालकोत्तर पाठ्यक्रम में महाविद्यालय स्तर पर सिर्फ प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिया जायेगा। प्रथम सेमेस्टर से आगामी सेमेस्टरों में प्रवेश हेतु विगत परीक्षा में उत्तरीण अथवा किसी एक सेमेस्टर में दो तथा एक-समय में कुल 4 प्रश्नपन्नों में ए.टी.के.टी. प्राप्त विद्यार्थियों को अन्य सेमेस्टरों में नियमानुसार शुल्क भुगतान करने पर स्वतः प्रवेश मिल सकेगा।
- उत्कृष्ट महाविद्यालयों में प्रवेश :
- (a) म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पन्न क्र. 772/216/सी.सी./2018, भोपाल, दिनांक 07.08. 2018 के तहत 08 उत्कृष्ट महाविद्यालयों में धी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम एवं धी.बी.ए. के संचालित विभिन्न पाठ्यकमों में प्रवेश के लिए अर्हता अन्य महाविद्यालयों के ही समान होगी।
- (७) म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. 547/484/सीसी/2018, नोपाल, दिनांक 6 जून 2018 के अनुसार महाविद्यालयों एवं उत्त्कृष्टत महाविद्यालयों में संचालित विभिन्न आनर्स पाठ्यक्रमों यथा-बी.ए., बी.एससी., बी.काम एव बी.बी.ए. के सभी पाठ्यक्रमों में अईताकारी परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं तथा अनु.जाति/अनु.जनजाति/दिव्यांग अणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत अंक की छूट रहेगी।

- प्रवेश सीट संख्या का निर्धारण :
- जिन पाठ्यक्रमों हेतु संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा सीट निर्वारण नहीं किया गया हैं, ऐसे 12. 1 पाद्यक्रमों हेतु महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठक- व्यवस्था/प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण, सामग्री एवं स्टॉफ की उपलब्धता के आधार पर सीट संख्या का निर्धारण प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के पूर्व किया जावेगा। अगर विद्यार्थी—संख्या का निर्णय आयुक्त / विश्वविद्यालय द्वारा किया जाना आवश्यक है तो संबंधित प्राचार्य प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के पूर्व वाछित अनुमति प्राप्त कर ऐसा कर सकेंगे। साथ ही आयुवत उच्चशिक्षा के पत्र क्र. 680 / 484 / आउंशि / शा-5'3' / 2018 भोपाल दिनांक 11 आगस्त 2018 एवं क्र. 708/484/आजोरी/शा-5'अ'/2018. दिनांक 18 अगस्त 2018 के अधीन शासकीय महाविद्यालय नियनानुसार, 10 प्रतिशत एवं अधिकतम 25 प्रतिशत शर्ता के अधीन, सीट वृद्धि कर सकेंगे तथा समस्त सीट वृद्धि की मान्यता संबंधित विश्वविद्यालय से समय सीमा में प्राप्त करना प्राचार्य का दायित्व होगा। इस सम्बंध में समय-समय पर जारी आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जावे। अशासकीय अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं संबंधित विश्वविद्यालय दारा स्वीकृत सोट संख्या पर भी प्रवेश नियमों के तहत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।
- 4.2 समस्त महाविद्यालयों को उनके यहाँ संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, विषय समूह, निघरित सीट संख्या एवं पाठ्यक्रमवार/वर्गवार प्रवेश शुल्क/नवीनीकरण की पृथक–पृथक विस्तृत जानकारी, महाविद्यालय का बैंक खाता क्रमांक, आई.एफ.एस.सी. कोड आदि की जानकारी उच्च रिक्ता विभाग द्वारा पूर्व निर्धारित तिथियों में आवश्यक रूप से ऑनलाईन विभागीय (https://opravesh.mponline.gov.in) पोर्टल पर दर्ज/अद्यतन कर लॉक करना होगा तथा उन्हें सत्यापित भी करना/करवाना होगा। महाविद्यालय अपने बैंक खातो क्रमांक प्रवर्ष्ट सावधानी पूर्वक करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा बैंक खाते की जानकारी सही दर्ज करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा बैंक खाते की जानकारी सही दर्ज की गई है। यह जिन्मेदारी पूर्ण रूप से संबंधित महाविद्यालय की होगी। साथ ही इसी बैंक खाते का एक क्रास बैंक चेक भी पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। इसी बैंक खाते में महाविद्यालयों को उनकी प्रवेश शुल्क राशि की वापसी की जानकारी सही दर्ज की पह क्रास बैंक चेक भी पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। इसी बैंक खाते में महाविद्यालयों को उनकी प्रवेश शुल्क राशि की वापसी की जायेगी। महाविद्यालय की होगी। साथ ही इसी बैंक खाते में महाविद्यालयों को उनकी प्रवेश शुल्क राशि की वापसी की जायेगी। महाविद्यालय का वेंक खाते में महाविद्यालय करेंगे हो उनकी प्रवेश शुल्क राशि की वापसी की जायेगी। महाविद्यालय की जानकारी स्वं खाते में महाविद्यालयों को उनकी प्रवेश शुल्क राशि की वापसी की जायेगी। महाविद्यालय की जानकारी विंक खाते में महाविद्यालयों को उनकी प्रवेश शुल्क राशि की वापसी की जायेगी। महाविद्यालय की जानकारी की जानकारी स्वं होने के पूर्व संचालित/नवीन महाविद्यालय/सीट संख्या आदि की जानकारी होरा प्रवेश प्रवेश होने के पूर्व संचालित/नवीन करना अनिवार्य है। प्रवेश पोर्टल प्रारंम होने के उपरान्त, सी.एल.सी चरण के पूर्व ही महाविद्यालय करना अनिवार्य है। प्रवेश पोर्टल प्रारंम होने के उपरान्त, सी.एल.सी चरण के पूर्व ही महाविद्यालय द्वारा अत्यत्व करना रंगन करना संभव होगा।
- 4: मैपिंग महाविद्यालय, पात्र निजी महाविद्यालयों को पोर्टल पर जोड़ने हेतु सत्यापन से पूर्व संबंधित महाविद्यालयों से निम्न जानकारी उपलब्ध होने पर ही सत्यापन कार्य करेंगे।
- (a) शासन द्वारा जारी वर्तमान सत्र के लिए अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र/निरन्तरता प्रमाण पत्र।
- (a) विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान सन्न के लिए जारी अद्यतन संबद्धता प्रमाण पत्र।
- (स) यदि सत्र 2020–21 में सीटों का निर्धारण नहीं किया गया तो उस स्थिति में सन्न 2019–20 में निर्धारित ऑनलाइन प्रवेशित संख्या, जिसको संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्य किया गया है को ही सन्न 2020–21 के लिये संकाय/विषयवार सीट संख्या माना जायेगा।
- (व) विधि पाठ्यक्रम हेतु उपरोक्त कंडिका 4.2.1 के साथ-साथ बी.सी.आई. की अनुमति एवं बी.सी. आई. द्वारा निर्धारित सीट संख्या।
- (य) महाविद्यालय का धैंक संबंधी विवरण, अपलोड किये क्रॉस बैंक चेक के आधार पर मेपिंग महाविद्यालय द्वारा सत्यापित किया जावेगा। बैंक विवरण सही हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी। इसी बैंक खाते में प्रवेश शुल्क भेजा जायेगा।

उच्च शिक्षा विमाग, म.प्र.

मेपिंग महाविद्यालय द्वारा, उक्त दस्तावेजों की उपलब्धता न होने पर किसी भी स्थिति में अशासकीय महाविद्यालय को वर्तमान सन्न की प्रवेश प्रक्रिया के लिए सच्यापित न किया जाए।

- 4.2.2 पोर्टल पर जोड़े गये महाविद्यालयों का पुनः सत्यापन करने की जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय की है एवं उन्हें निशिचित समय–सीमा में पोर्टल द्वारा दिये गये लिंक के माध्यम से सत्यापन करना अनिवार्य है। उक्त पुर्नसत्यापन कराने की जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की भी होगी। यदि समय सीमा में विश्वविद्यालय द्वारा पुनः सत्यापन नहीं किया जाता है तो इस रिधति में उक्त महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया में शाभिल नही होंगे।
- 4.2 विधि रनातक स्तर की कक्षाओं में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार और अन्य कक्षाओं के लिए UGC के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।
- 4.4 स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यएत शिक्षकों को वन-स्टैप-अप योजनांतर्गत प्रायमरी/मिडिल स्कूल शिक्षकों के लिए कंवल शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु नियम व शर्त म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. F44-27/2015/20-2, दिनांक 18 जून 2015 के अनुसार रहेंगी।

इस हेतु रनातक एवं रनातकोत्तर स्तर पर उक्त आदेश में उल्लेखित पाठ्यक्रमों/ विषयों में महाविद्यालय में उपलब्ध कुल सीटों के 02 प्रतिशत ख्यान उपलब्ध रहेंगे। वन-स्टेप-अप योजना के अंतर्गत प्रवेश ऑनलाइन माध्यम से होंगे। आवेदकों को ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। आवेदकों को प्रवेश चरण अनुसार पंजीयन शुल्क का भुगतान करना होगा साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रवेश के रामय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

45 मुख्यमंत्री मेघावी विद्यार्थी योजनान्तर्गत प्रवेश :

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक 866/342/सी.सी/2017 विनांक 24 जून 2017 के तहत प्रदेश में प्रतिभाशाली आवेदकों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किए जाने के अनुकम में सन्त्र 2017–18 से मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना संचालित है. इसका क्रियान्वयन तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियमों के तहत किया गया है। योजनान्तर्गत स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले पान्त्र विद्यार्थियों का नियमानुसार शिक्षण शुल्क राज्य शासन वहन करता है। योजनान्तर्गत स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले पान्त्र आवेदकों को निःशुल्क प्रवेश दिया जायेगा। मेस शुल्क एवं कॉशन भनी शुल्क देव होगा। योजना के संबंध में अन्य आवश्यक दिशा निर्देश/पान्नता संबंधी समय- समय पर जारी शासन के निर्देशों का पालन किया जावेगा।

- 4.6 मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के तहत् म.प्र. शासन के तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विकास एवँ रोजगार विभाग के आदेश क. एफ–14–2/2008/42–2, दिनोंक 21 अगस्त, 2018 के तहत् प्रवेश दिया जावेगा इस हेतु समय–समय पर जारी आदेशों का पालन भी सुनिश्चित किया जावेगा।
- प्रवेश की पात्रता :
- 5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :
- (c) मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी, मध्यप्रदेश में स्थायी सम्पत्तिधारी निवासी, राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय सेवक, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मवारी जिनका पदांकन मध्यप्रदेश में हो, उनके पाल्यों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों ' तथा उनके आश्रितों/भूटान के विद्यार्थियों को महाविद्यालयों में प्रवेश की पात्रता होगी। उपरोक्तानुसार प्रवेश के पश्चात स्थान रिक्त होने की दशा में अन्य स्थानों के बोर्ड एवं

अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सर्वन्या।

- (स) संबंधित विश्वविद्यालय या उस विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों/ महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालयों में प्रवेश की पात्रता होगी।
- (1) जम्मू कश्मीर के विरथापितों एवं उनके पाल्य/पाल्या के लिये निम्न प्रावधान लागू होंगे :
 - 1. प्रवेश की अंतिम तिथि में अधिकतम 30 दिन की छूट।
 - न्यूनतम प्रवेश प्राप्तांकों में अधिकतम 10 प्रतिशत की छूट, अगर आवेदक पात्रता की अन्य शर्ते पूरी करता हो।
 - उपलब्ध स्थानों में पाठ्यक्रमवार 5 प्रतिशत की वृद्धि।
 - स्थानीय निवासी होने की अनिवार्यता से पूर्ण छूट।
 - द्वितीय और आने वाले वर्षों में आव्रजन की सुविधा।
 - व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में मेरिट के आधार पर एक प्रतिशत का आरक्षण।
- (व) प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिये All India Council for Technical Education (AICTE), New Delhi द्वारा प्रदेश में (12 B of UGC Act. के तहत मान्य) महाविद्यालयों में दो अधिसंख्य सीटों का सृजन कर प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है। उक्त विद्यार्थियों को सीट आवंटन के बाद प्रवेश देने के पूर्व सम्बद्ध विश्वविद्यालय अनुसार पात्रता सुनिश्चित करने का जम्पूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा। उक्त प्रवेशित विद्यार्थी की जानकारी ई—प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध माङ्यूल में दर्ज करने का दायित्व भी संबंधित महाविद्यालय का होगा।
- 5.2 विधि संकाय में नियमित प्रवेश :
- (क) विधि संकाय (एल.एल.बी./पंचवर्षीय एकीकृत विधि पाट्यकम) में प्रवेश बी.सी.आई. के नियमानुसार ही दिया जाएगा। बी.सी.आई. द्वारा निर्धारित सीट संख्या है। मान्य होगी।

विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश ऑनलाईन—प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से ही होगे। विधि महाविद्यालयों को उनके यहाँ संचालित विधि पाठ्यक्रमों, उनकी सीट संख्या, शुल्क आदि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा एवं इन पाठ्यक्रमों का, संबंधित मैपिंग मठाविद्यालय से सत्यांपन, शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक करवाना अनिवार्य होगा।

- (ख) एल.एल.एम. में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा एल.एल.बी. में 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियां के लिए नियमानुसार प्राप्तांकों में 5 प्रतिशत की छूट रहेगी। न्यायालयीन निर्णयानुसार 54.6 प्रतिशत अंक प्राप्त विद्यार्थी पात्र होंगे।
- 6 समकक्ष परीक्षा :
- 6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एज्यूकेशन (सी.बी.एस.ई.)/इण्डियन सटीकिकेट ऑफ सेकण्ड्री एजूकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएँ, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं।
- 6.2 राज्य शिक्षा विभाग की ई-प्रवेश प्रक्रिया के पोर्टल से सम्बद्ध होने के लिए देश के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड को मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल से समकक्षता प्रमाण पत्र प्राप्त कर, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

उच्च शिक्ता विभाग, म.प्र.

- 6.3 सामान्यतः भारत में रिथत विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज) के सदस्य हैं, की सगस्त परीक्षाएँ राज्य के विश्वविद्यालयों की परीक्षा के समकल मान्य होंगी।
- ... संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा नान्यता विहीन महाविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता-विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की परीक्षा/उपाधि मान्य नहीं होंगी।
- ाः माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा व्यावसायिक पाद्यक्रम में विज्ञान से मिलते जुलते विषय, जैसे लेबोरेट्री मेडिसिन मैनेजमेंट एवं सिस्टम एनालिसिस, क्लीनिकल बॉयोकेमेस्ट्री, माइक्रोबॉयलाजी एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम तथा कम्प्यूटर से संबंधित विषय और प्रिंटिंग ऑफ डाटा—प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट एण्ड सिस्टम एनालिसिस, डी.टी.पी पैकेज प्रोग्रामिंग, वर्कशाप प्रेक्टिस आदि सम्मिलित हैं। उपरोक्त विषयों के साथ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित व्यावसायिक पाद्यक्रम 10+2 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण—पत्र प्राप्त करने के बाद ही संबंधित सकाय में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे आवेदकों को प्रवेश पंजीयन के समय विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता/अर्हता प्रमाण—पत्र संचालित व्यावसायिक पाद्यक्रम 10+2 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण—पत्र प्राप्त करने के बाद ही संबंधित सकाय में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे आवेदकों को प्रवेश पंजीयन के समय विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता/अर्हता प्रमाण—पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। किसी भी कक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता संबंधी निर्धारण में संदेह होने पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता जारी पात्रता विश्व को पात्र हो संपत्त करना के समय के समय आवेदक की पात्रता के परिक्रण का संपूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय द्वारा जारी पात्रता के परिक्रण का संपूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय होरा जारी पात्रता के परिक्रण का संपूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय होरा जारी पात्रता के परिक्रण का संपूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय होरा जारी पात्रता के परिक्रण का संपूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय होरा जारी पात्रता के परिक्रण का संपूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा। आवंटन का तात्पर्य यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक प्रवेश की पात्रता के परिक्रण का संपूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा। आवंटन का तात्पर्य यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक प्रवेश की पात्रता पूर्ण करता है। मध्यप्रदेश संस्कृत बोर्ड की 'जतार मध्यमा परीक्षा' को हायर सेकेण्डरी परीक्रा के समकक्ष माना
- 7. बाहय आवेदकों का प्रवेश :

जाये ।

- 7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी./बी.एस.सी.(गृह-विज्ञान) में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्थ आवेदकों को अगले वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रचा है, किंतु सम्बंधित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढाये जा रहे विषयों/विषय-समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो तो संबंधित परीक्षण के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा। विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
- 7.2 मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष अथवा द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा, राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर की प्रथम परीक्षा या प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम परीक्षा या प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष अथवा द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा, राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकौत्तर की प्रथम परीक्षा या प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने के बाद उन्हीं विषय/विषयों/विषय—समूह की अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने की स्थिति में नियमित प्रवेश दिया जा संकेगा।
- 7.3 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा। शपथ-पत्र में फर्जी किसी भी तरह की झूठी/गलत जानकारी पाये जाने की दशा में संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में आगामी तीन वर्ष तक प्रवेश से बंधित कर दिया जायेगा।
- 7.4 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को प्रवेश के पूर्व प्राचार्यों द्वारा संबंधित राज्यों एवं स्थानीय थानों के माध्यम से पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य है।
- 7.5 केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त उच्च शिक्षा संख्याओं में मध्यप्रदेश के विद्यार्थियों के लिए 80 प्रतिशत तथा अन्य राज्यों के विद्यार्थियों हेतु 20 प्रतिशत खान आरतित रखने की व्यवस्था लागू रहेगी।

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2020-21

15/29

उच्च शिक्षा विमान, म.प्र.

- 7.0 महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में अध्ययनरत् संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
- 7.7 जिन विषयों में प्रवेश के लिये प्रदेश के विद्यार्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है, उन विषयों में अन्य राज्य के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 7.8 अन्य राज्यों के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड / विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।
- 7.9 ऐसे अध्ययनरत् विद्यार्थी जो छात्रावास में रहते हैं उन्हें अपने छात्रावास कक्ष में किसी अन्य को ठहराना प्रतिबंधित रहेगा।
- 7.10 अन्य राज्यों के छात्रों द्वारा प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा की अंकसूची, खानांतरण प्रमाण–पत्र, विश्वविद्यालय से पात्रता संबंधी प्रमाण–पत्र इत्यादि की मूल प्रति महाविद्यालय में जमा करने के बाद ही महाविद्यालय द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। मूल प्रमाण–पत्रों के अभाव में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। प्रवेश उपरांत मूल अंकसूची विद्यार्थी को वापस करना अनिवाये हैं।
- प्रावधिक प्रवेश की पात्रता :
- 8.1. स्नालक प्रथम वर्ष और स्नालकोत्तर प्रथम संगेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
- 81.3 रनातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी रनातक अंतिम वर्ष के पर्रक्षा परिणाम घोषित न होने की रिथति में प्रावधिक प्रवेश हेतु प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के प्राप्तांको का प्रतिशत ऑनलाइन पंजीयन के समय दर्ज करना होगा। गुणानुकम का निर्धारण प्रावधिक प्रवेश हेतु दर्ज प्राप्तांकों के आधार पर ही होगा। स्नातक अंतिम वर्ष में पूरक प्राप्त विद्यार्थी स्नःतकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश के लिये पात्र होंगे।

महाविद्यालय रनातकोत्तर प्रथम संमेस्टर में प्रावधिक प्रयेशित विद्यार्थियों के प्रथम सेमेस्टर में विश्वविद्यालय के परीक्षा फार्म भरने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थी द्वारा नियमानुसार अर्हकारी परीक्षा पूर्ण रूप से छत्तीर्ण कर ली है। अर्हकारी की परीक्षा (रनातक पाद्यकम) में किसी भी स्तर पर पूरक/ए.टी.के.टी. प्राप्त धात्र स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म भरने हेतु पात्र नही होंगे।

- 8.1.2 उपरोक्त प्रवेशार्थी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सीट आवंटित होने पर अपने दायित्व पर एक वचन पत्र के साथ प्रवेश लेंगे जिसमें यह उल्लेख होगा कि अगर षष्ठम सेमेस्टर/तृतीय वर्ष के परीक्षा परिणाम में गुणानुक्रम परिवर्तन अथवा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होता है जिसके कारण प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थी नियमित प्रवेश से वंचित हो जाता है तो यह उसकी जिम्मेदारी होगी। प्रावधिक प्रवेश के उपरान्त अंतिम परीक्षा परिणाम परिवर्तित होने की स्थिति में प्रवेशित विद्यार्थी को महाविद्यालय बदलने का अधिकार नहीं होगा।
- 82 स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के पूरक नियमों की पात्रता के अनुसार स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।
- 82.1 राज्य शासन के आदेश क. 1615/1929/2018/38-2.दिनॉक 19.12.2018 के तहत् ऐसे सभी नियमित/असंख्यागत विद्यार्थी जिन्होने प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हैं वह सन्न 2020-21 में वार्षिक पद्वति के अंतर्गत् स्नातक द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश ले सकेमें तथा ऐसे सभी असंख्यागत विद्यार्थी जो सन्न 2019-20 की स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करेगें वे विद्यार्थी सन् 2020-21 में स्नातक स्तर के द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश ले सकेमें।

- 8.3 स्नातकोत्तर के तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. के नियमों के अनुसार पांच विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.4 ए.टी.के.टी. / पूरक से संबंधित प्रवेश नियम :
- 8.4.: स्नातक कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी./पूरक नियम
 - सेमेस्टर/वर्ष के अंत में संबंधित सेमेस्टर/वर्ष की सभी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ लागू हो) विषयों में पूरक प्राप्त आवेदकों की परीक्षा होगी।
 - 2. दो विषयों के प्रश्न-पत्रों में (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक जहाँ लागू है) अनुत्तीर्ण/ अनुपस्थित होने पर दिद्यार्थी को पूरक की पात्रता होगी। तथा पूरक प्राप्त आवेदकों को विश्वविद्यालय के नियमानुसार अगले वर्ष में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी। पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर प्रावधिक प्रवेश निरस्त माना जावेगा।
 - 3. विद्यार्थी एक समय में दो विषयों में पूरक के साथ अगले वर्ष में प्रवेश पा सकेगा,
 - 4. स्नातक पाठ्यक्रम की अवधि के संबंध में म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र.1868/198/सीसी/17/38, दिनांक 9.10.2017 के प्रावधान लागू होंगे।
 - 5. विशेष परीक्षार्थी : राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रमों में प्रतिभागिता के करण विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में पूर्णतः अथवा आंशिक अनुपस्थित विद्यार्थियों को आगाभी सन्न में आयोजित पूरक परीक्षाओं में (संबंधित वर्ष की परीक्षाओं के साथ) पूरक प्राप्त / नियमित विद्यार्थी के रुप में सम्मिलित होने की पात्रता होगी।

8.4.2 स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. नियम :

- सेमेस्टर के अंत में निर्धारित सभी सैद्धांतिक एवं प्रयोगिक (जहाँ लागू हो) प्रश्न पत्रों की परीता होगी।
- 2. दो प्रश्न पत्रों में (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक जहाँ लागू है) अनुत्तीण / अनुपरिथत होने पर विद्यार्थी को ए.टी.के.टी. की पात्रता होगी, अर्थात विद्यार्थी को अगले सेमेस्टर में स्वतः प्रवेश मिल सकेगा।
- विद्यार्थी एक समय में चार ए.टी.के.टी. के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश पा सकेगा, लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी।
- 4 रनातकोत्तर पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि के संबंध में म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र.1868/198/सीसी/17/38, दिनांक 9.10.2017 के प्रावधान लागू होंगे।
- 8.5 जिन विद्यार्थियों को 'पूर्व छान्न' की श्रेणी में रखा गया था वे आगामी समेस्टर/वर्ष की मुख्य परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे। उत्तीर्ण होने की दशा में उन्हें जुलाई माह से प्रारंभ होने वाले सन्न में नियमानुसार शुल्क जमा करने पर नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।

9. प्रवेश हेतु पात्रता/अपात्रता :

- 9.1 जिन आवेदकों के विरूद्ध न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहे हैं या चालान प्रस्तुत किया जा चुका हो, परीक्षा में या पूर्व सन्न में विद्यार्थियों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर प्रामाणित आरोप हों या उनमें चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हो तो ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिये प्राचार्य कदापि अधिकृत नहीं हैं।
- 9.2 महाविद्यालय में तोड-फोड़ करने या महाविद्यालय की सम्पति को नष्ट करने के प्रमाणित दोषी और रैगिंग के प्रमाणित आरोपी विद्यार्थियों को भी प्राचार्य प्रवेश देने के लिये अधिकृत नहीं हैं। रैगिंग के संदर्भ में यू.जी.सी. के ज्ञापन क्र. एफ-1-16/2007 (सी.पी.गे. 1) अप्रैल 2009 के मार्यदर्शी निर्देशों का पालन अनिवार्य है। इस संबंध में विभाग द्वारा जारी पत्र क्र.

उच्च शिक्ता विमाग, म.प्र.

829/469/आउशि/शा—1/08 दिनांक 18 जून 2008 के अनुसार जीरो टालरेंस पॉलिसी (Zero Tolerance Policy) लागू रहेगी।

- 9.3 आयु संबंधी पात्रता : वर्ष 2017–18 के बिन्दु क्रमांक 9.3 क.ख.ग.घ.ड.च के तहत आयु संबंधी प्रावधानों को विलोपित किया गया है तथा उसके स्थान पर वर्ष 2018–19 से स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु अधिकतन आयु सीमा हटाई गई है अर्थात सभी विद्यार्थियों के लिए आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा।
- 9.4 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मबारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं है। लेकिन देनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जा सकेगा। किसी भी संकाय में रनातक उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों को (विधि संकाय को छोड़कर) अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं है।
- 9.5 ट्रॉन्सजेंडर को केवल सह-शिक्षा (Co-Education) महाविद्यालय में ही प्रवेश दिया जावेगा।
- प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :
- 10.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध स्थानों से अचिक आवेदक होने पर प्रवेश निप्तानुसार गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश वं लिए अर्डकारी परीक्षा में प्राप्तांक एवं अधिभार यदि कोई देय है तो अधिभार को जोड़कर समग्र प्रतिशत के अंको के आधार पर गुणानुक्रम का निर्धारण किया जाएगा।
- 10.2 सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जाएगी।
- 10.3 प्राच्य पद्धति के संस्कृत महाविद्यालयों में शाला-स्तर के अध्यापन के करण संबंधित बोर्ड द्वारा उनके पाठ्यक्रमों को संबद्धता यदि प्राप्त हो तो उस बोर्ड के प्रवेश नियमें को मान्य किया ला सकेगा। संस्कृत बोर्ड के परिणाम देर से घोषित होने पर 11वीं की अंफ सूची के आधार पर पंजीयन कराया जा सकेगा तथा सी.एल.सी. चरण में इन आवेदकों को प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी। उत्तीर्ण होने पर प्रवेश नियमित एवं अनुत्तीर्ण होने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।
- 10.4 संस्कृत महाविद्यालयों को उनके यहाँ प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी विमाग के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन माड्यूल में उच्च शिक्षा विमाग द्वारा निर्धारित तिथियों में दर्ज करनी होगी। इस प्रक्रिया को ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सारणी अनुसार रिपोटिंग के लिये निर्धारित अंतिम तिथी तक आवश्यक रूप से संपन्न करना होगा। सभी महाविद्यालयों को शासन एवं विश्वविद्यालय से आवश्यक अनुनति निर्धारित तिथियों में प्राप्त करना अनिर्वाय हैं तथा महाविद्यालय से ऑनलाइन पुनः सत्यापन कराना अनिर्वाय होगा।
- 11 प्रवेश हेतु प्राथमिकता :

किसी एक विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य किसी विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में महाविद्यालय में सी.एल.सी. चरण में स्थान रिक्त रहने की दला में पात्रतानुसार ही प्रवेश दिया जा सकेना। अपरंपरागत पाठ्यक्रमों के आवेदकों को परंपरागत पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पंजीयन से पूर्व संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। % 12. आरक्षण : मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा-

- 12: अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेटकों के लिए क्रमशः 16 तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।
- 12.2 पिछड़े वर्ग (क्रीमी-लेयर छोड़कर) के आवेदकों के लिये 27 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। (मध्यप्रदेश राजपत्र कर्माक 349 भोपाल दिनांक 14.08.2019 में प्रकाशित संशोधन कर्माक 13681-227-इक्कीस-आ (प्रा.) अधि. दिनांक 13.08.2019 द्वारा संशोधित आदेश के परिपालन में मार्गदर्शिका में समाहित किया जा रहा है परंतु याचिका कर्माक डब्द्यू पी. 5901/2019 के अंतगंत माननीय रुच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अधीन लागू किया जायेगा)
- 12.3 खतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातीयों/नातिनों, भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से निशक्त हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों एवं भूतपूर्व तथा कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence personnel) के आश्रितों/सेन्ट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बच्चों के लिए तथा इन वर्गों के दिव्यांग श्रेणी के आश्रितों/सेन्ट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बच्चों के लिए तथा इन वर्गों के दिव्यांग श्रेणी के आबेदकों के लिए संयुक्त रूप से 05 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इससे संबंद दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिमार देकर, तीन वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाए, परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित रक्षानों से ही उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेना के व्हर्गियों/अधिकारियों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा
 - 1. युद्ध के दौरान शहीद की विधवा एवं उनके आश्रित।
 - युद्ध के दौरान स्थायी रूप से अपंग, कार्यरत सैनिकों एवं उनके आश्रित।
 - शांति के दौरान सैवाकाल में शहीद के आश्रित।
 - शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से निःशक्तजन तथा उनके आश्रित।
 - 5. निम्न शौर्य पदकों से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रित—परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मैडल. महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मैडल. वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मेडल, सेना, नौसेना/वायु सेना मेडल पत्रों में उल्लेख।
 - 6. राष्ट्रपति का वीरता हेतु पुलिस मैडल
 - मूतपूर्व सैनिकों के आश्रित।
 - कार्यरत सैनिकों के आश्रित।
- 12.4 दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जावेगे परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिये आरक्षित स्थान से ही उपलब्ध कराया जावेगा विव्यांगों को प्रवेश के समय अर्हतादायी अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
- 12.4.1 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) : विद्यार्थियों को शैक्षणिक संख्याओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का लाम सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश कमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 एवं आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र कमांक 444/243/आउशि/शा.-5'अ /2019 भोपाल दिनांक 15 जुलाई 2019 के अनुकम में दिया जायेगा।
- 12.5 एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण—पत्र उत्तीर्ण आवेदकों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय में स्वीकृत स्थान का 1 प्रतिशत खान आरंक्षित रहेगा।
- 12.6 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में 30 प्रतिशत स्थान छान्नाओं के लिये आरक्षित होंगे।
- 12.5 मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा उसके अधीनस्थ धासकीय कार्यालय/ विश्वविद्यालय, आयुक्त कार्यालय उच्च शिक्षा में नियमित कार्यरत/सेवानिवृत/ दिवंगत्अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्राचार्यों, प्राध्यापकों, ग्रंथपालों, क्रीडा अधिकारियों, रजिस्ट्रारों अ

एवं शालकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पाल्यों के लिए सभी सम्बन्धित संवर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे।

12.8 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार यदि अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी/ओपन प्रतिस्पर्धा में नियमानुसार मेरिट सूची में आता है तो आरक्षित श्रेणी की सोटें अप्रभावित रहेंगी। परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी अन्य संवर्ग जैसे-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का है तो संबंधित संवर्ग की सीट उस विशिष्ट आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी। संबंधित विशिष्ट संवर्ग की शेष सीटे पात्रतानुसार भरी जायेंगी।

126 अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेशः

अल्पसंख्यक संस्थाओं को उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा एवं उनके संस्थान में सम्बंधित विश्वविद्यालय के संचालित पाद्यक्रमों/विषयों, उनकी सीट संख्या, शुल्क आदि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा एवं इन पाद्यक्रमों का सत्यापन सम्बंधित मैपिंग महाविद्यालय से निर्धारित तिथि तक करवाना होगा।

अल्पसंख्यक संस्थाओं में अजजा/अजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का बंधन नहीं होगा। अल्पसंख्यक संस्थाओं को उनके यहाँ प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी विभाग के ई-प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन माड्यूल में दर्ज करनी होगी। इस प्रक्रिय्त को ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सारणी अनुसार रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से सम्पन्न करना होगा।

- 1001 ऐसे अशासकीय महाविद्यालय जिन्हें अल्पसंख्यक महाविद्यालय का घलां प्राप्त है तथा वह ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के लिये आवेदन करना चाहते है हैं तो उन्हें उच्च शिक्षा विभाग को निर्धारित तिथियों में अनिवार्य रूप से निम्न दरलावेज सहित आवेदन प्रस्तुत करने होंगे–
 - (अ) शासन द्वारा वर्तमान सत्र के लिए जारी अद्यतन अनापत्ति प्रमाण घन्न।
 - (व) विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान सत्र के लिए जारी अद्यतन संबद्धता प्रम्यण पत्र।
 - (स) अल्पसंख्यक संस्था/महाविद्यालय होने का मान्य प्रमाण पत्र
 - (द) रजिस्ट्रार फर्न एवं सोसायटी कार्यालय में पंजीवद्ध अद्यतन गर्वनिम वाडी/प्रबन्धन सूची का प्रमाण पत्र।
 - (य) विगत वर्ष में प्रवेशित अल्पसंख्यक श्रेणी/गैर अल्पसंख्यक श्रेणी के विद्यार्थियों की संस्थावार एकजाई जानकारी।
 - (र) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से मुक्त रखने हेतु संस्था का आवेदन।
- 1: 9.2 मैपिंग महाविद्यालय संबंधित अल्पसंख्यक महाविद्यालय की प्रोफाईल का सत्यापन करते समय 12.9.1 में उल्लेखित 6 दस्तावेजों की मूल प्रतियां से मिलान कर सच्यापन अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदमुदा सहित पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

पोर्टल पर जोड़े गये महाविद्यालयों का पुनः सत्यापन करने को जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय की हैं एवँ उन्हे निश्चित समय सीमा में पोर्टल पर दिन गये लिंक के माध्यम से सत्यापन करना अनिवार्य हैं। उक्त पुर्नसत्यापन कराने की जिम्मेदाने संबंधित महाविद्यालय की ही होगी। यदि समय सीमा में विश्वविद्यालय द्वारा पुर्नसत्यापन नहीं किया जाता है नो इस लिथति में उक्त महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया में शानिल नहीं हो सकेगत

12.13 आरक्षित स्थान का प्रतिशत यदि आधे से कम आता है तो उसी अणी में आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। आचे से एक प्रतिशत के बीच आने पर ही आरक्षित स्थान की संख्या एक . मानी जायेगी।

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2020-21

12.11 कडिका 2.5 अनुसार सी.एल.सी प्रथम चरण में समय सारणी अनुसार पूर्व में वर्णित आरक्षित श्रेणी के रिक्त स्थान अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के आवेदकों हेतु परिवर्तित किये जायेंगे।

12.12 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।

- 12.13 ऐसे पाठ्यक्रम जिनके अध्यादेश में प्रवेश लिखित परीक्षा के माध्यम से दिया जाना उल्लेखित हो, पात्र आवेदकों को पोर्टल पर पंजीयन कराते हुए संबंधित संस्था एवं पाठ्यक्रम हेतु वरीयता दर्ज करना होगा। संबंधित संस्था पंजीकृत आवेदकों की प्रवेश परीक्षा आयोजित कर नियमानुसार प्रवेश देंगी तथा प्रवेशित आवेदकों की जानकारी पोर्टल पर अनिवार्यतः दर्ज करेंगी।
- 13. अधिभार :

अधिभार गुणानुक्रम निर्धारण के लिए प्रदान किया जायेगा। पात्रता हेतु इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार चेच होगा। अधिमार के लिये सभी आवश्यक प्रमाण–पत्रों की जानकारी प्रवेश हेतु पंजीयन के लिए आवेदन–पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य है। सत्यापन के लिये आवेदन पत्र में उल्लेखित संबंधित प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होंगे। विशेष परिस्थितियों में सत्यापन के बाद, प्रस्तुत अन्य प्रमाण पत्रों पर, अधिमार हेतु क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक सक्षम होंगे। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर केवल सर्वाधिक अधिनार का लाभ एक ही वर्ग में देय होगा।

साउध एशियन गेम्स, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा अधिकृत अंतराष्ट्रीय रतर की प्रतियोगितायों में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी तथा भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलो में पक प्राप्त करने वाले खिलाड़ीयों को अर्हता पूर्ण होने पर बगैर किसी गुणानुकम के उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जा सकता हैं जिनके वे पात्र हैं। संचालक खेल एवं युवक कल्याण म.प्र. के पत्र क. 7678/खेयुक/2018दिनॉक 14.11.2018 के तहत् खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी हेतु नियमों/अभिप्रमाणो को अद्यतन किया गया हैं।

1. एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / स्काउट्स (स्काउट / गाईड्स / रेन्जर्स):

(ar)	एन.सो.सी. / एन.एस.एस. 'ए' सर्टिफिकेट	2 प्रतिशत
(रन)	एन.सी.सी. / एन.एस.एस. 'बी' सर्टिफिकेट या हितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	3 प्रतिशत
<u>(*i)</u> -	एन.सी.सी. / एन.एस.एस. 'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट	4 प्रतिशत
<u>(</u> (1) -	राज्य स्तरीय (संचालनालयीन) एन.सी.सी. प्रतियोगिता	4 प्रतिशत
(2) (2)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में मध्यप्रदेश के एन.सी.सी./एन एस.एस. कन्टिनजेन्ट में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	5 प्रतिशत
(6)	राज्यपाल स्काउट	5 प्रतिशत
(ज) (ज)	राष्ट्रपति स्काउट	10 प्रतिशत
(জ) (জ)	मध्यप्रदेश का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कंडेट	10 प्रतिशत
(21)	ड्यूक ऑफ एडिनवरा अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेट	15 प्रतिशत
	भारत के साथ अन्य राष्ट्रों के नच्य यूब एक्सचेज प्रोग्राम में भाग लेने वाले जेउंट	15 प्रतिशत
<u>(</u> র) (ল)	गारत के साथ अन्य राष्ट्री के लिख कून एक्सपान आयोग एन.सी.सी. / एन.एस.एस. के तहत चयनित एवं प्रयास करने वाले कैंडेट को अन्तर्राष्ट्रीय जम्हुरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को	१० प्रतिशत
(द्य	भारतीय रेडक्रास सोसायटी द्वारा प्रमाणित उत्कृष्ट गतिविधियों के लिये	2 प्रतिशत

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2020-21

13 2 ऑनर्स विषय पाठयक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नालकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर —10 प्रतिशत

13.3 स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्याधियों को एल.एल.बी. प्रथम में प्रवेश लेने पर -5 प्रतिशत

- 13.4 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/विवज/रूपांकन प्रतियोगिताएं –
- (1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग दास आयोजित अंतर जिला/तंभाग स्तर पर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में --
 - (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को –2 प्रतिशत -

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को -4 प्रतिशत

- (2) उपर्युक्त कंडिका 13.4(1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग/राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्रीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) द्वारा आयोजित अन्तर क्षेत्रीय प्रतियोगिता (Inter Zonal) एवं मध्यप्रदेश राज्य खेल संघ द्वारा आयोजित अधिकृत राज्य स्तरीय/अन्तर संभाग/अन्तर जिला में :
 - (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी/टीम के प्रत्येक सदस्य को 👘 –7 प्रतिशत
 - (ख) जिले के दल से संभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को –5 प्रतिशत
- (3) मारतीय विश्वविद्यालय संघ एवं अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालयीन / एस.जी. एफ. आइ. द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में :

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को -15 प्रतिशत

- (ख) प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी को
- 13.5 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एण्ड कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान / सांस्कृतिक / साहित्यिक / कला क्षेत्र में चयनित और प्रयास करने वाले दल के सदस्यों को – 10 प्रतिशत
- 13.6 भारत सरकार से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित अधिकृत भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा 2 वर्ध में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में–
 - (क) मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को –10 प्रतिशत
 - (ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले मध्यप्रदेश के खिलाई। / दल के सदस्यों को 15 प्रतिशत अधिभार दिया जायेगा।

(अधिकृत राष्ट्रीय चैम्पियनशिप से तात्पर्य सप्ट्रीय खेल महासंघ द्वारा आयोजित किये जाने वाली सप्ट्रीय चैम्पियनशिप से हैं जो वर्ष में एक बार आयोजित की जाती हैं ।

- 13 7 जम्मू-कश्मीर के विखापितों और उनके आश्रितों को
- 13.8 विशेष प्रोत्साहन : एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेटल तथा ओलम्पिक, एशियन गेम्स, कामनवेल्थ गेम्स,वर्ल्डकप,वर्ल्ड चैम्पियनशिप,एशियन चैम्पियनशिप, कामनवेल्थ चैम्पियनशिप, साउथ एशियन गेम्स एवं साडथ एशियन चैम्पियनशिप तथा एसोसियेशन ऑफ \

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2020-21

22/29

-01 प्रतिशत

-10 प्रतिशत

इंडियन यूनिवंसिटी MAIUM की जन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अथवा भाग लेने वाले विद्यार्थियों को अर्हता पूर्ण होने बगैर किसी गुणानुक्रम के उन कक्षाआ में प्रवेश दिया जाए. जिसके वे पात्र हैं।

15.5 **बशर्त** कि-

- (1) खेल संघो हारा आयोजित राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की अधिकृत प्रतियोगिताओं के प्रमाण का अभिप्रमाणन संबंधित जिले के जिला खेल और युवक कल्याण अधिकारी द्वारा किया जाय।
- (2) उच्च शिक्षा विमाग द्वारा अयोजित प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्रों का अभिप्रमाणन सम्बंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी द्वारा किया जाएना
- (3) विश्वविद्यालय/भारतीय विश्वविद्यालय संद्य द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के प्रमाण पत्रों का अभिप्रमाणन सम्बंधित विश्वविद्यालय के संचालक, खेल द्वारा किया जाए।
- (4) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अयोजित प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्रों का अभिप्रमाणन सम्बंधित केन्द्रीय विद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी द्वारा किया जावे।
- (5) एस. जी एफ आई द्वारा अयोजित प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्रों का अभिप्रमाणन सम्बन्धि जिले के जिला शिक्षा द्वारा किया जाए।
- (6) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने पंजीयन के अंतर्गत उक्त जानकारी का उल्लेख किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा अन्य, अर्थात दूसरे स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये फिर एक नई उपलब्धि प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 13:3 स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये स्कूल स्तर के पिछले 4 क्रमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र के प्रमाण पत्र ही अधिभार के लिये मान्य किये जायेंगे।
- 13.10 राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएँ जिनमें राज्य सरकार सह—प्रायोजक हो, उसमें वहाँ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को अधिमार के प्रतिशत को गणना कण्डिका 13. 4(3) के अनुरूप होगी।
- 14. संकाय/विषय/समूह परिवर्तनः

रनातक प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय से परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्ताकों से 5 प्रतिशत घटाने के बाद ही उनका गुणानुक्रम निर्धारित होगा और अधिभार घटे हुए प्राप्तांको पर ही देव होगा।

15. विशेष :

- 15.1 जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर या गलत जानकारी देकर, जानबूझकर अथवा छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों या प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश किसी आवेदक को यदि प्रवेश मिल जाता है, तब संज्ञान में आने पर ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 15.2.1 प्रावधिक प्रवेश के मामले में प्राचार्य पृथक सूची तैयार करेंगे और विश्वविद्यालय को नामांकन के लिये फार्म भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थियों ने ये सारी पूर्तियाँ पूरी कर ली हैं, जिनके अभाव में उन्हें तत्समय प्रावधिक प्रवेश दिया गया था।
- 15.2 नियमित प्रवेश लेने के बाद बिना किसी समुचित कारण अथवा बिना पूर्व अनुमति या पूर्व सूचना के, लगातार पंदह दिवस तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने)

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2020-21

का अधिकार प्राचार्य को होगा। प्राचार्य द्वारा प्रवेश को निरस्त करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से विद्यार्थी को अनिवार्य रूप भेजनी होगी।

- 15.3 प्रवेश के बाद सज के दौरान कंडिका 9.1 एवं 9.2 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरण में लिप्त विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे संस्था से निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य का होगा।
- 15.4 प्रवेश के बाद सन्न के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ने या उसका प्रवेश निरस्त होने अधवा उसके निष्कासन की दशा में विद्यार्थी को सुरक्षा राशि (कॉशन मनी) के अलावा अन्य कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- 15.5(अ) प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थी का तकनीकी /व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अन्यत्र प्रवेश हो जाने पर तत्संबंधी प्रमाण—पन्न प्रस्तुत करने पर विद्यार्थी को यू. जी. सी. के नाटिफिकेशन अक्टूबर 2018 के तहत महाविद्यालय द्वारा राशि वापस की जायेगी।

रिमार्कः यू.जी.सी. द्वारा सूचित वैधानिक प्रोफेशनल कॉउसिल द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम तकनीकी/व्यवसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत माने जायेंगे।

- 15.0(ब) प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थी के अनुत्तीर्ण घोषित होने पर उसके प्रवेश के नियमित न हो पाने की रिथति में उसे रूपये 100/- प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष राशि लोटाई जाएगी।
- 15.6 नियमित प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात् एक सप्ताह की समयावधि में उसी महाविद्यालय में पात्रता अनुसार विषय/पाठ्यक्रम/संकाय हेतु प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धांत का पालन सुनिश्चित करते हुए, नियमानुसार उपलब्ध रिक्त स्थानों पर पात्रता एवं गुणानुक्रम का उल्लंघन न होने की सर्त पर केवल प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए ही विषय/पाठ्यक्रम / संकाय परिवर्तित किये जा सकेंगे। इस संबंध में महाविद्यालय विधियत् सूचना प्रसारित कर प्राप्त आवेदनानुसार कार्यवाही करेंगे। इस अवधि में किसी भी प्रकार का नवीन प्रवेश मान्य नही होंगे।
- 156.1 अकादमिक केलेन्डर का पालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, प्रवेश प्रक्रिया समस्ति के तत्काल बाद सभी शासकीय/अशासकीय/अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रवेशित विद्यार्थित हारा आनलाइन प्रवेश शुल्क समय सीमा में जमा किया गाया है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक प्रवेशित विद्यार्थित ने केवल प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ही प्रवेश शुल्क जमा किया है। यदि ऐसा संज्ञान में आता है कि किसी आवेदक ने प्रवेश पोर्टल के माध्यम से प्रवेश शुल्क जमा नहीं किया है तो जक्त आवेदन को प्रवेश हेतु मान्य नहीं किया जाएगा।
- 15.8.2 अकादमिक कैलेन्डर का पालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के बाद महाविद्यालय को प्रवेश पोर्टल से प्राप्त, आनलाइन प्रवेशित सूची में यदि किसी प्रकार की विसंगति दिखाई देती है तो प्रायार्थ प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति पर 15 दिवस की समय सीमा में अनिवार्यता, अकादमिक शाखा, आयुक्त, उच्च शिता कार्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल को पूर्ण तध्यात्मक जानकारी, प्रमाण एवं प्रवेश पोर्टल से प्राप्त प्रवेशित विचार्थियों की सूची सहित लिखित आवेदन हार्ड कापी में 15 दिवस की समय सीमा में प्रस्तुत करेंगे। इस संबंध में ई--मेल द्वारा कोई भी आवेदन स्वीकार्य गहीं किया जाएगा। उक्त रामय-सीमा की समाप्ति के उपरान्त प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- 16.6.3 सत्र 2020—21 से प्रदेश के समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्य:लयों में स्नातक द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर तृतीय संभेस्टर के विद्यार्थियों के प्रवेश नवीनीकरण का कार्य संबंधित पाठ्यकन के परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस की समय—सीमा में एम.पी. आंनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन ई—प्रवेश पोर्टल द्वारा सम्पादित किया जाएगा।

प्रदेश नियम एव मार्गदर्शी सिद्धांत 2020-21

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 68/17/आउशि/ आई.टी./19 भोपाल, दिनांक 05.03.2020 के तहत निर्धारित, समस्त विद्यार्थियों को प्रवेश नवीनीकरण हेतु पोर्टल शुल्क रूपये 30/– देय होगा।

- 15.6.4 ऑनलाईन प्रवेश प्रकिया से समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय अब पूर्ण रूप से परिचित हो चुके है। अतः सत्र 2019–20 से समस्त स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश/प्रवेश नवीनीकरण हेतु कंडिका 2 (द) के अनुसार पंजीयन एव पोर्टल शुल्क से प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण राशि एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा विभाग को स्थानांतरित की जाएगी।
- 15.7 एक बार प्रवेश प्राप्त कर लेने के पश्चात वदि आवेदक द्वारा महाविद्यालय से स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है तो ई—प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध कराये गये ऑनलाइन टी.सी. मॉड्यूल द्वारा टी.सी. जारी कर, जनरेट होने वाली रसीद आवेदक को प्रदान की जायेगी।
- 15.8 ऐसे अशासकीय महाविद्यालयों जिनकी मान्यता अथवा उनके स्नातक / स्नाताकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रमों की मान्यता शासन / विश्वविद्यालय द्वारा समाप्त कर दी गई है उनमें विगत वर्षों में नियमित प्रवेशित विद्यार्थियों को अन्य महाविद्यालयों में उन्हों पाठ्यक्रमों में अगले वर्ष / सेमेस्टर में प्रवेश हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।
- 15.9 इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावचानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा को है तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों में समय—समय पर परिवर्तन/स्पष्टीकरण जारी करने/समय सारणी घोषित एवं परिवर्तन करने/प्रवेश पोर्टल सबंधी जानकारी देने/प्रवेश संबंधी निर्देश जारी करने/प्राप्त अभ्यावेदनों पर अंतिम निर्णय सहित सम्पूर्ण अधिकार राज्य शालन को होंगे।
- संलग्नः अकादमिक कैलेण्डर सत्र 2020–21 एवं ऑनलाइन प्रवेश समय—सारणी (परिशिष्ट 01, 02 एवं 03)

d la107/2020

उप संचिव मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग

परिशिष्ट - 1

अकादमिक कैलेंडर सन्न 2020–21 (सेमेस्टर कक्षाओं के लिए प्रभावशील)

अकादमिक कार्य	रनातकोत्तर प्रथम	स्नातकोत्तर तृतीय	स्नातकोत्तर द्वितीय	स्नातकोत्तर चतुर्थ
आरंभिक कक्साएँ	1 अक्टूबर 2020	01 सितम्बर 2020	1 फरवरी 2021	25 जनवरी 2021
शैधारे कार्य	01 अक्टूबर 2020 से 15 जनवरी 2021	01 सितम्बर 2020 से 25 दिसम्बर 2020	1 फरवरी 2021 से 11 मई 2021	25 जनवरी 2021 से 30 अप्रैल 2021
सी.सी. ई. कार्य	नवम्बर 2020 अंतिम लग्ताह	नवम्बर 2020 प्रथम सप्ताह	मार्च 2021 आंतेम सप्ताह	मार्च 2021 तृतीय सप्ताह
प्रायोगिक परीक्षाएँ	जनवरी 2021 प्रथन सप्ताह	दिसम्बर 2020 अंतिम सप्ताह	मई 2021 हितीय सप्ताह	मई 2021 प्रथम सप्ताह
परीक्ष पूर्व तैयारी अवकाश	- 1	01 जनवरी 2021 से 03 जनवरी 2021	14 मई 2021 में 18 मई 2021	07 मई 2021 से 09 मई 2021
सेमेतर एवं एटीकेटी परीक्षा	16 जनवरी 2021 से 30 जनवरी 2021	04 जनवरी 2021 से 18 जनवरी 2021	17 मई 2021 से 05 जून 2021	10 मई 2021 से 22 मई 2021
सेमेऱ्टर अंतराल (ब्रेक) विद्यार्थियों के लिए	-	19 जनवरी 2021 से 23 जनवरी 2021	06 जून 2021 से 30 जून 2021	-
परीक्षा परिणामों की घोषणा	मार्च 2021 प्रथन सप्ताह	मार्च 2021 प्रथम सप्ताह	जुलाई 2021 प्रथम सप्ताह	जून 2021 द्वितीय सफ्गह

• छात्रसंघ गठन

 खेलकूद/एन.सी.सी./एन.एस.एस./ युवा उत्सव/ दीक्षाक्त समारोह एवं अन्य गतिविधियाँ

- दीपावली अवकाश
- स्नेह राम्मेलन/वार्थिफोल्सव/पुरस्कार वितरण वार्थिक पत्रिका का प्रकाशन एवं विमोधन

टीग --

(1) अपरिहार्थ कारणवश शैक्षणिक कार्य निर्धारित मानक दिवसों से कम होने के कारण समस्त महाविद्यालय/विदि अपने-अपने स्तर पर शैक्षणिक कालखण्डों की अवधि न आवश्यकतानुसार वृद्धि कर शैक्षणिक दिवसों की पूर्ति की जाये ताकि अकादमिक कैलेण्डर का पालन समयानुसार सुनिश्चित किया जा सके।

(2) सत्र 2020–21 के अंतर्गत स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ऑनलाइन प्रदेश प्रक्रिया को अपनाते हुए शैक्षणिक कर्म प्रारंभ करना सुनिश्चित किया जाये ।

प्रवेश नियम एवं भार्गदर्शी सिद्धांत 2020-21

: नवम्बर - 2020

ः माह विसम्बर 2020 तक पूर्ण कर ली जाएँ

: दिनांक 11 नवग्दर से 17 नवम्बर 2020 तक (05 कार्य दिवस) : फरवरी 2021 हितोय सप्ताह

(अधिकतम 04 कार्य दिवस)

स्नातकोत्तर प्रथम/तृतीय कार्य दिवसों की गणना सन्न 2020–21

क्र.	माह	दिवस	अवकाश	कार्य दिवस
1	जुलाई 2020	31	4 रविवार + 0 अवकाश	27
2	अगरत 2020	31	5 रविवार + 4 अवकाश	22
3	सितम्बर 2020	30	4 रविवार + 0 अवकाश	26
4	अक्टूबर 2020	31	4 रविवार + 3 अवकाश	24
5	नवम्बर 2020	30	5 रविवार + 1 अवकाश	24
6	25 दिसम्बर 2020	25	3 रविवार + 1 अवकाश	21
	कुल दिवस	178	178-34	144

स्नातकोत्तर सेमेस्टर पद्धति प्रथम/तृतीय हेतु शैक्षणिक कार्य दिवसों की गणना सत्र 2020-21

क्रमाक	विवरण	कार्य दिवस
1.	01 जुलाई 2020 से 10 दिसम्बर 2020 तक कुल कार्य दिवस	132
2.	अवकाश एवं शैक्षणेत्तार गतिविधि/परीक्षा हेतु अशैक्षणिक दिवस 1. स्थानीय अवकाश— 02 2. दीपावली अवकाश— 06+01 रविवार—कुल 5 कार्यदिवस 3. महाविद्यालय स्तर गतिविधियां— 08 कार्य दिवस 4. परीक्षा— 21 कार्य दिवस	36
3.	कुल शैक्षणिक दिवस (1-2) (132-36)	96

स्नातकोत्तर द्वितीय/चतुर्थ कार्य दिवसों की गणना सत्र 2020–21

क्रमांक	माह	दिवस	अवकाश	कार्य दिवस
1.	26 दिसम्बर 2020	06	1 रविवार	05
2.	जनवरी 2021	31	5 रविवार + 1 अवकाश	25
3.	फरवरी 2021	28	4 रविवार + 0 अवकाश	24
4	मार्च 2021	31	4 रविवार + 2 अवकाश	25
5.	अप्रैल 2021	30	4 रविवार + 2 अवकाश	24
6.	मई 2021	31	5 रविवार + 0 अवकाश	26
7.	জুন 2021	30	4 रविवार + 0 अवकाश	26
	कुल दिवस	187	187-32	155

स्नातकोत्तर सेमेस्टर पद्धति द्वितीय/चतुर्थ हेतु शैक्षणिक कार्य दिवसों की गणना सत्र 2020-21

क्रमाक	14464	कार्य दिवस
1.	26 दिसम्बर 2020 से 15 मई 2021 तक कुल कार्य दिवस	116
2.	अवकाश एवं शैक्षणेत्तर गतिविधि/परीक्षा हेतु अशैक्षणिक दिवस 1. स्थानीय अवकाश— 01 कार्य दिवस 2. महाविद्यालय स्तर गतिविधियां— 04 कार्य दिवस 3. परीक्षा— 20 कार्य दिवस	25
3.	कुल शैक्षणिक दिवस (1-2) (116-25)	91

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2020-21

परिशिष्ट - 2

सन्न 2020-21 अकादमिक कैलेण्डर

(वार्षिक पद्धति—स्नातक प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष कक्षाओं हेतु प्रभावशील)

स.क	विवरण	तिथि
î.	र रा प्रारंभ	अगस्त 2020
ż.	। रेजण कार्य प्रारंभ	प्रथम वर्ष हेतु 01 अक्टूबर 2020 द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष हेतु 01 सितम्बर 2020
3,	त्यानांतरण प्रकरणों को छोड़कर अन्य सभी प्रवेश बन्द	30 सितम्बर 2020
4.	त जाय परिवर्तन / विषय परिवर्तन / प्रवेश समस्या न नारण शिविर (केवल प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हेतु)	प्रवेश समाप्ति के पश्चात एक सप्ताह तक
	छात्र संघ/सांस्कृतिक, साहित्यिक/ खेलकूद	एवं अन्य महाविद्यालयीन गतिविधियाँ
1.	अत्रसंघ भठन	नवम्बर 2020
2.	ेटेखविद्यालयीन/महाविद्यालयीन/जिला/संमाग/राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्वाएं	ये सभी गतिविधियां माउ दिसम्बर 2020 तक पूर्ण क ली जाएं।
3.	७ं लकूद/एन.सी.सी./एन.एस.एस/युवा उत्सव/दीक्षान्त समारोह एवं अन्य गतिविधियाँ	
4.	व पिंक स्नेह सम्मेलन/यार्षिक पत्रिका का प्रकाशन एवं व्येतोबन	फरवरी द्वितीय सप्ताह 2021 (अधिकतम 04 कार्य दिवस)
	आंतरिक मूल्यांकन/व	र्षिक परीक्षाएँ
1.	पुल्क परीक्षा प्रारंभ	16.10.2020 से 23.10.2020
2.	पूर्णक परीक्षा परिणाम की घोषणा	नवम्बर 2020
3.	िनाही परीक्षा आंतरिक मूल्यांकन	दिसम्बर प्रथम सप्ताइ 2020
4.	७.माही आंतरिक मूल्यांकन	फरवरी प्रथम सप्ताह 2021
5.	सेंद्वान्तिक परीक्षा कार्यक्रम की विस्तृत घोषणा	मार्च प्रथम सप्ताह 202!
		प्रथम वर्ष हेतु 22 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021
6.	स्नातक कक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथि	द्वितीय वर्ष हेतु 16 नान 2021 से 25 नार्च 2021
		तृतीय वर्ष हेतु 05 मार्च 2021 से 15 मार्च 2021
I		प्रथम वर्ष हेतु 01 अप्रैल 2021 से 05 अप्रैल 2021
7.	परोक्षा पूर्व तैयारी अवकाश	द्वितीय वर्ष हेतु 26 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021
		तृतीय वर्ष हेतु 16 मार्च 2021 से 20 मार्च 2021
8.	वर्गेषेक प्रशिक्ष	प्रथम वर्ष हेतु 06 अप्रैल 2021 से 15 मई 2021
0.	ana p axist	द्वितीय वर्ष हेतु 01 अप्रैल 2021 से 15 मई 2021 तृतीय वर्ष हेतु 22 मार्च 2021 से 15 अप्रैल 2021
9.	अतिम वर्ष परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि	15 मई 2021
	विश्रामावकार	
1.	र्द भावली	दिनांक 11 नवम्बर से 17 नवम्बर 2020 तक (05
1		कार्य दिवस)
2.	र्रोप्स अवकाश (शिक्षकों हेतु)	17.05.2021 से 25.06.2021 (कुल 40 कार्य दिवस)

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2020-21

कार्य वि	देवसों	की	गणना	सत्र	2020-21
----------	--------	----	------	------	---------

(वार्षिक पद्धति–रनातक प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष कक्षाओं हेतु प्रभावशील)

		and the second se
(अ)	अवकाश एवं शैक्षणेत्तर गतिविधियों का विवरण	
1.	रविवार	52
2.	सामान्य अवकाश	18 कार्य दिवस
3.	स्थानीय अवकाश	03 कार्य दिवस
4.	दीपावली अवकाश	05 कार्य दिवस
5.	छात्रसंघ गउन/महाविद्यालयीन सांस्कृतिक गतिविधियां आदि	04 कार्य दिवस
	योग	82
(ब)	परीक्षा/ग्रीप्मावकाश के अशैक्षणिक दिवस	
2.	परीक्षा पूर्व तैयारी	05 कार्य दिवस
3.	परीक्षा अवधि	33 कार्य दिवस
4.	ग्रीष्मावकाश अवकाश (35 कार्य दिवस + 05 रविवार = कुल 40 दिवस)	35 कार्य दिवस
	युरा में विषय	73 कार्य दिवस
(स)	कुल अशैक्षणिक दिवस (अ+ब) (82+73) = 155	155 कार्य दिवस
(द)	कुल शैक्षणिक दिवस (318*–155) = 161 * जुलाई, अगस्त के कुल 49 कार्य दिवस घटाने पर	161 शैक्षणिक कार्य दिवस
	(365-49) = 316	J

नोट- अपरिहार्य कारणवश शैक्षणिक कार्य निर्धारित मानक 180 दिवसों से कम होने के कारण समस्त नहाविद्यालय / यियि अपने-अपने स्तर पर शैक्षणिक कालखण्डों की अवधि में आवश्यकतानुसार इद्धि कर शैक्षणिक दिवसों की पूर्ति की जाये ताकि अकादमिक कैलेण्डर का पालन समयानुसार रानिश्चित किया जा सके।

d Q 11.7

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विमाग

(परिशिष्ट - 3)

मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग ऑनलाईन प्रवेश समय–सारिणी सत्र : 2020–21 https://epravesh.mponline.gov.in

-	कार्य का विवरण	লাৱক	(प्रधन वर्ष)	रनातकोत्तर (प्र	व्यम सेमेस्टर)
	MALA MALIMMET	दिनांक से	दिनांक तव	दिनांक से	दिनांक तक
	प्रथम चर	ण			
1	जीनसाईन ४७/पन एवं महाविद्याल द∕पात्यळम ∕विषय-समूह वेद विवदस देणा।	05-08-2020	20-08-2029	13-08-2020	28-08-2020
ż	.aj प्रथम काल जे सीट-जाजरम-२३ जोरी करना।	28-08-2020	•	04-09-2020	•
) जावटिक महाविधालयों में जीतलाइन शुल्क मुवतान का घुनातल करना। मुबतान बिग वर् जवेदने वा ही प्रवेत माल्य होगा। प्रवेश मुख्य का भुगवान म हीने पर प्रवेत नहीं मांवा जावेगा।	28-08-2020	02-09-2020	04-09-2020	09-09-2020
	(d) औनलाइन प्रवेश आवरन प्रतिया से मुक्त महाविधालय/लेक्स्थन द्वारा प्रवेशित विश्वाधित के प्रदेश पर अनिलाइन विवादित करणा।	05-08-2020	02-09-20 20	13-08-2020	09-09-2020
	सी.एल.सी. प्रथ	म चरण		1	
	ाविधालणों में प्रथम वरण के मरवात (CLC चरण हेतु) रिवत रहे - ये स्थाना का महाविधालयवार/पाठ्यज्ञमवार/आरक्षण धर्मवार - ट-आफ को पोर्टल पर जानवनरी।	04.09.2020		11.09.2020	
4 1	ार्वजीकृत आवेदको एतु ऑनलाईम पंजीयन एव - तविद्यालय/ वादयहम/ विवय-समूह का विकल्प देना।	05.09.2020	13.09.2020	11.09.2020	16.09.2020
5 1	() महाविधालय हास सो.एल.सी. चरण की गेरिट सूची जासे करना।	16.09.2020		19.09.2020	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	 अवहित महाविद्यालयों में पोर्टल के माय्यम से शैणिटली ऑनलाईन शुल्फ क. मुगतान करना । 	16.09.2020	20.09.2020	19.09.2020	24.09.2020
1	सी.एल.सी. 1	द्वेतीय चरण	Contraction of the second s		
6 1	अस्तित सीटों का अनारशित सीटों में परिवर्तन- उपरोक्त कडिका 5 व के सम्मुख उल्लेखित विमांकों तक आरश्तित वर्म के आवेदक उपलब्ध नहीं होने की रिवर्ति में आरशित वर्ग की रिवत लोटों को अनारवित (सामान्य) केंगी के आवेदका हेनु परिवर्तित करने की तकनीकी प्रक्रिया।	22.09.2020		26.09.2020	
	(4) सी.एल.ची. प्रथम बरण में दिये गये विकल्स के आधार पर ऑनलाइन मेरिट जूबी अनुसार आयंटित महाविद्यालयों में आवश्यक दस्तापेज जगाकर औंचलाईन शुख्य भुगलान की लिंक इगीशिएट करपाना एवं पोर्टल के माध्यम से कीजिटली ऑनलाईम शुल्क को भूगतान करना ।	22.09.2020	26.09.20 20	27.09.2020	30.09.2020
	(न) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से मुक्त महाविधासय/संस्थान दास प्रवेशित विधार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाईन रिपोर्टिंग करना।	22.09.2020	26.09.2020	27.09.2020	30.09.2020

ज़परोलन समय सारणी अनुसार स्कूल शिक्षा विमाग (प्रायमरी/मिडिल स्कूल) में जार्यरत शिक्षक केवल शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तार पाठ्यकर्मों में प्रवेश हेतु वन-स्टेप-अप योजनातर्गर पंजीवन तथा सत्यापन कराज विमागीय अनापरित प्रमाण-पत्र के साथ प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंने।

2311=7

उप सचिव मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा,

.

÷.*

उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन



भ्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त

सत्र : 2019-2020



<u>मध्यप्रदेश शासन</u> उच्च शिक्षा वल्लभ, भवन मंत्रालय–462004

::आदेश::

भोपाल, दिनांकः 25 मई 2019

क्रमांकः: २८५/ २२६/ सीसी / 2019 / अड़तीस ः माननीय कुलाधिपति जी द्वारा दिये गये अनुमोदन उपरान्त राज्य शासन सत्र 2019–20 के लिए मध्यप्रदेश के शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेश नियम / मार्गदर्शी सिद्धांत. अकादमिक कैलेण्डर एवं ऑनलाइन प्रवेश समय सारणी एतद् द्वारा जारी किये जाते हैं।

(संलग्न-उपरोक्तानुसार)

अपर सचिव म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग भोपाल, दिनांक २.5 मई, 2019

पृ०क्रमांकः २,८.८/ सीसी / 2019 (۱۱ ७ प्रतिलिपिः

- 1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, भोपाल, म.प्र.।
- 2. निज सहायक, मान. मंत्री जी, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
- 3. स्टाफ आफीसर, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
- 4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- 5. अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल, म.प्र.।
- कुलसचिव,समस्त परम्परागत विश्वविद्यालय भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा/ /उज्जैन एवं छतरपुर म.प्र.।
- 7. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, म.प्र.।
- 8. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
- भी.ई.ओ. एम.पी. ऑनलाइन, द्वितीय तल डी.बी. मॉल, एम.पी. नगर, भोपाल म.प्र. की कार्यवाही हेतु।
- 10. प्राचार्य, शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय, म.प्र.।
- 11. प्रभारी आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा,म.प्र., सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

.....की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

Cinhue lettre 2019-20

मध्यप्रदेश के शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त (सत्र 2019–2020)

1. प्रयुक्ति :--

1. .

मार्गदर्शक सिद्धान्त मध्यप्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय (अनुदान प्राप्त एवं अनुदान अप्राप्त) महाविद्यालयों में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अध्यादेश क्रमांक–6 एवं 7 के प्रावधानों के तहत सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे। जिन पादयक्रमों के अध्यादेश/नियम/विनियम में प्रवेश पात्रता हेतु अन्यथा उल्लेख हों, उदाहरणार्थ बी.सी.आई. वहाँ ये नियम विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालयों के ससंगत पादयक्रमों में लागू नहीं होंगे।

1.1 समस्त महाविद्यालयों में गरिमा पूर्ण प्रवेश उत्सव अगस्त के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जायेगा जिसमें कि प्रथम वर्ष के प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु मार्गदर्शन व्याख्यान दिये जाने की व्यवस्था की जायें।

2. प्रवेश प्रक्रिया :---

प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों के स्नातक प्रथम वर्ष .तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में सत्र 2019–20 हेतु केन्द्रीयकृत ऑनलाइन प्रवेश की व्यवस्था होगी। ऑनलाइन प्रवेश व्यवस्था में सर्वप्रथम आवेदक को अपना ऑनलाइन पंजीयन, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु विभाग द्वारा जारी समय सारणी अनुसार निर्धारित समयावधि में, अनिवार्यतः कराना होगा। इस प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी पोर्टल (https://epravesh.mponline.gov.in) पर उपलब्ध रहेगी।

2.1 कक्षा 12वीं में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को भी प्रावधिक प्रवेश के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य है। इन विद्यार्थियों को अंतिम चरण में स्थान रिक्त रहने पर ही प्रवेश दिया जा सकेगा।

स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिये पंजीयन के अंतर्गत आवेदक को विश्वविद्यालय द्वारा घोषित विषय-संमूह (गणित/जीव विज्ञान/वाणिज्य/कला/गृह-विज्ञान इत्यादि) का चयन करते हुए उन महाविद्यालयों का चयन करना होगा जिनमें वह प्रवेश चाहता है। इसी तरह स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी प्रवेश हेतु पंजीयन के अन्तर्गत आवेदक को अपने विषय का चयन करते हुए उन महाविद्यालयों का चयन करना होगा जिनमें वह प्रवेश चाहता है। विद्यार्थी को अपने विकल्प ऑनलाइन देने होंगे।

इस प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी एवं प्रयेश पोर्टल संबधी जानकारी पृथक से दी जावेगी। आवेदक अधिकतम ०१ (नौ) महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों का चयन पंजीयन के समय करते हुये च्वाइस फिलिंग कर सकेगा।

पंजीयन शुल्क का भुगतान समय सारिणी अनुसार, चरणवार निम्नानुसार देय होगाः-

1. प्रथम चरण में पंजीयन हेतु रू. 100/- (समस्त छात्राओं को निःशुल्क)

2. द्वितीय चरण में पंजीयन हेतु रू. 250 / – (विलंब शुल्क सहित)

3. सीएलसी चरण में पंजीयन हेतु रू. 500/- (विलंब शुल्क सहित)

मोट :-- उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यालयीन पत्र क्र. 40/17/आउशि/आई.टी./19. दिनांक 7.3.2019 के तहत निर्धारित, प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा पोर्टल शुल्क रु. 50/-भी देय होगा।

आवेदक के दस्तावेज का सत्यापन कार्य ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित सहायता केन्द्रों जो कि समस्त शासकीय महाविद्यालय हैं, के माध्यम से सम्पन्न किया जावेगा। निर्दिष्ट तिथियों के पश्चात कोई भी आवेदक ऑनलाइन पंजीयन नहीं कर सकेगा। द्वितीय एवं अंतिम चरण में पंजीयन कराने वाले आवेदकों के प्रवेश हेतु तत्समय उपलब्ध रिक्त सीटों पर ही विचार किया जावेगा। विद्यार्थी पंजीयन रसीद के प्राप्त होने पर सभी निर्देशों को पढ़े एवं पालन कर आगामी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

3

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2019-20

पंजीयन के पश्चात् आवेदक आवेदन का प्रिंट आउट प्राप्त कर समस्त प्रविष्टियों जैसे नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि (10वीं/12वीं की अंकसूची के अनुसार), श्रेणी, वर्ग, प्राप्तांक, मोबाईल नम्बर एवं अधिभार प्रमाण पत्र की जानकारी इत्यादि की सावधानीपूर्वक जाँच कर लें एवं सुनिश्चित करे कि दर्ज जानकारी एवं स्पेलिंग पूर्णतः सही है। सत्यापन के पश्चात् किसी भी तरह का परिवर्तन दस्तावेजो के आधार पर ही किया जा सकेगा। वर्जी प्रविष्टियों की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। आवेदक अपना पंजीयन इंटरनेट के माध्यम से पोर्टल पर कहीं से भी कर सकता है। आवेदकों की सुविधा के लिए समस्त शासकीय महाविद्यालयों में इसके लिए सहायता केंद्रों (Help Centers) की भी व्यवस्त्र की गई है।

आवेदक प्रवेश हेतु अपना पंजीयन उक्त महाविधलयों में समस्त मूल दस्तीवेजों एवं फोटो के साथ उपस्थित होकर हेल्प सेंटर के माध्यम सेभी करवा सकेगा। हेल्प सेंटर द्वारा ऑनलाइन पंजीयन का प्रिन्ट आवेदक को दिया जायेगा।

पंजीयन शुल्क का भुगतान :

आवेदकों द्वारा पंजीयन शुल्क का भुगतान ऑनलाईन ितीटल माध्यम से ही क्रियः जा सकेगा। विद्यार्थी पंजीयन पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र / रसीद पर क्षित सभी निर्देशों को पढ़े एवं पालन कर सत्यापन संबंधी आगामी कार्यवाही आवश्यक होने पर निश्चित करें।

- 2.1 ऑनलाइन पंजीकृत आवेदकों के दंस्तावेजों का सत्यापन :
- 2.1.1 स्नातक स्तर : ऑनलाइन पंजीयन के पश्चात् आवेदक को अप दस्तावेजों (अर्डकारी सीक्षा की अंकसूची, प्रमाण—पत्र, जाति प्रमाण—पत्र, संवर्ग प्रमाण—पत्र, ओ.बी, के लिये क्रीमी—लेख में न होने का प्रमाण—पत्र, स्थानीय निवासी हेतु स्व—प्रमाणित होषणा— एन.एस.एस./एन.॰ सी. /क्रीड़ा/ साहित्यिक/सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रमाण—पत्र इत्या। जनके आधार पर के लिए अधिभार देय हो, का सत्यापन करवाना होगा। पंजीयन पश्चा प्रवेदकों अर्थवा उन्ह अभिभावकों द्वारा अनिवार्यतः संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन किसी भी सा प्य महाविद्यालय उपस्थित होकर करवाना होगा। पंजीकृत आवेदकों को किसी भी सा प्य महाविद्यालय उपस्थित होकर करवाना होगा। पंजीकृत आवेदकों को किसी भी सा प्य महाविद्यालय उपस्थित होकर करवाना होगा। पंजीकृत आवेदकों को किसी भी महाविद्यालयों में स्थापित सहायता केंद्रों में अपने मूल प्रमाण—पत्रों, जिनका उन्ह आधेदन में किया हो, की छायाप्रतियों के एक सेट और पंजीयन—पत्र की प्रति सहित् उपस्थित को बाहागा। निर्दिष्ट सहायता केंद्रों पर इन प्रमाण—पत्रों के आधार पर सत्यापन होगा। सहायता केंद्र प्रमारी सत्यापन पत्र की दो प्रतियों पर आवेदक से हस्ताक्षर प्राप्त कर, एक प्रति आवेदक को स्तान करेंगे और दूसरी प्रति सहायता केंद्र में अभिलेख स्वरुप साथ रखेंगे। सामान्य प्रशासन विमाग के पत्र क्रमांक सी–3–7–2013–एक, दिनांक 25.09.2014 के निर्देशानुसार स्थानीय निवासी एवं आय प्रमाण पत्र स्व–प्रमाणित घोषणा—पत्र निर्धारित ग्रारूप में प्रस्तूत करना होगा।

सत्यापन कार्य ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय सारणी अनुसार, शासकीय महाविद्यालयों में स्थापित सहायता केंद्रो के माध्यम से सम्पन्न किया जावेगा इस हेतु पंजीयन पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र / रसीद के निर्देश पढ़ें। निर्धारित तिथियों में पंजीकृत एवं सत्यापित आवेदकों को ही गुणानुक्रमानुसार महाविद्यालयों में प्रवेश आवंदन हेतु सम्मिलित किया जावेगा।

- 2.1.2 स्नातकोत्तर स्तर : ऑनलाइन पंजीयन के पश्चात् आवेदक को कंडिका 2.1.1 में उल्लेखित प्रक्रिया को अपनाते हुए सहायता केंद्र से अभिप्रमाणन से संतुष्ट होने पर अपने हस्ताक्षर कर सत्यापन---पत्र की प्रति प्राप्त करनी होगी। सत्यापन कार्य ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित सम्यम्न सम्यम्न किया जावेगा।
- 2.1.3 महाविद्यालय में प्रवेश हेतु उन्हीं आवेदकों पर विचार किया जावेगा जिनके दस्तावेजों का सत्यापन एवं पंजीयन शुल्क का भुगतान निर्धारित अंतिम तिथि तक हो चुका होगा।

.....

2.2 इंटरनेट से प्राप्त अंकसूची एवं मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) के संबंध में :

× .

दस्तावेजों के सत्यापन के समय इंटरनेट से डाउनलोड की हुई अंकसूची मान्य होगी, परन्तु प्रवेश के समय मूल अंकसूची ही मान्य होगी। मूल अंक सूची/मूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टी. सी.) के अभाव में आवेदक से निर्धारित प्रपन्न में वचन-पन्न प्राप्त कर निर्दिष्ट समयावधि में अंकसूची की प्रतिलिपि तथा मूल टी.सी. जमा करवायी जाएगी। इसकी जानकारी यथास्थान ऑनलाइन प्रवेश माड्यूल में दर्ज की जावेगी जिससे प्रवेश मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सकेगी। वचन पन्न में घोषित तिथि तक यदि आवेदक द्वारा संबंधित दस्तावेज जमा नहीं किये जाते हैं तो उसका प्रवेश स्वतः ज़िरस्त माना जावेगा।

2.3 ऑनलाइन गुणानुक्रम अनुसार अवंटन सूची का महाविद्यालयवार प्रकाशन :

प्रथम चरण में सभी सत्यापैत आवेदकों को गुणानुक्रम एवं उनके संकाय/विषय एवं 2.3.1 महाविद्यालयों के विकल्प के आधार पर महाविद्यालय में प्रवेश आवंटन ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम अनुसार पोर्टल /र जारी किये जावेंगे। इसकी सूचना आवेदकों को उनके द्वारा पंजीयन के समय दर्ज गंबाईल नम्बर पर मैसेज के द्वारा दी जावेगी साथ ही आवेदक अपना प्रवेश आवंटन आवश्यन रूप से प्रवेश पोर्टल पर खयं भी चेक करें। तत्पश्चात प्रथम चरण हेत् निर्धारित तिथि तक आवेदक आवंटित महाविद्यालय में सत्यापन के समय प्रस्तूत किये गये समस्त दस्तावेजों 🕇 छायाप्रतियाँ एवं मूल टी.सी. प्रस्तुत करेंगे। मूल टी.सी. प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अप्रदेक संबंधित संस्था से टी.सी. प्राप्त न होने का प्रमाण-पत्र, प्राप्त कर टी. सी. से संबंधितयीषणा पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। महाविद्यालय आवेदक की पात्रता आदि का सत्यापन कर/के पश्चात् ई-प्रवेश पोर्टल पर आवेदक से प्राप्त आवश्यक दस्तावेज जमा करने संबंधी जाग्तारी प्रवेश मॉड्यूल में निर्धारित तिथि में करेंगे। तत्पश्चात् ही आवेदक को ऑनलाई शुल्क जमा करनें हेतु लिंक इनीशिएट होगी। यह लिंक समय-सारणी अनुसार निर्धारि तिथि तक ही एक्टिव रहेगी। आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि तक पोर्टल के माध्यम से ऑनरईन निर्धारित प्रवेश शुल्क जमा करने एवं प्रवेश पोर्टल से शुल्क जमा करने की पृष्टि हो/पर ही आवेदक का नाम संबंधित महाविद्यालय की प्रवेश सूची में दर्शित होगा। प्रवेश र्रेक संबंधित महाविद्यालय के खाते में ऑनलाईन ही ट्रांसफर होगा।

2.3.2 आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से किये गये पंजीयन/प्रवेश शुल्क का ट्रांजेक्सन यदि फेल होता है तो इस राशि की वापसी उसी बैंक खाते में आयेगी जिस बैंक खाते से आवेदक ने भुगतान किया है।

विद्यार्थियों का प्रवेश शुल्क प्रवेशित महाविद्यालय के प्रोफाईल में दर्ज बैंक खाते में स्थानांतरित होगा। अतः सभी महाविद्यालय स्वयं के बैंक खाते क्रमांक को सही—सही दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। यह जिम्मेदारी पूर्णतः संबंधित महाविद्यालय की होगी। महाविद्यालय के बैंक खाते में विसंगति होने पर विद्यार्थियों की प्रवेशित शुल्क की राशि संबंधित महाविद्यालय के बैंक खाते में तब तक वापस जमा नहीं हो पायेगी जब तक कि महाविद्यालय द्वारा बैंक खाते की विसंगति को दूर कर अद्यतन नही किया जाता।

2.3.3 ऑनलाइन शुल्क भुगतान प्रवेश प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आवेदक स्वयं अपनी एडमिशन स्लिप का प्रिंटआउट पोर्टल से प्राप्त कर सुनिश्चित कर सकेंगे कि उनके प्रवेश की प्रविष्टि पोर्टल पर हो चुकी है।

2.4 महाविद्यालयों में रिक्त रह गये स्थानों पर प्रवेश हेतु पुनः वरीयताएँ :

प्रथम चरण के पश्चात् द्वितीय चरण हेतु महाविद्यालयों में उपलब्ध रिक्त स्थानों हेतु पूर्व से पंजीकृत आवेदकों (जिन्होंने प्रवेश नहीं लिया है अथवा जिन्हें आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है) के लिए पुनः ऑनलाइन महाविद्यालय/विषय/पाठ्यक्रम के चयन का विकल्प रहेगा। आवेदक चाहे तो अपनी पूर्व वरीयताएँ बदल सकेंगे। परन्तु प्रथम/आगामी किसी भी चरण में यदि किसी आवेदक को उसकी दर्शायी हुई प्रथम च्वाइस का महाविद्यालय आवंटित होता है एवं वह उस महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेता है,तो द्वितीय/आगामी चरण में उसे तब तक स्वतः कोई

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2019-20

4/20

महाविद्यालय आवंटित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अपनी च्याइस/विकल्प पुनः न भर दे। पुनः विकल्प हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा।

2.5.1 प्रथम चरण के पश्चात् द्वितीय चरण में प्रवेश हेतु महाविद्यालयवार/पाठ्यकमवार/वर्गवार रिक्त स्थानों की जानकारी प्रवेश पोर्टल पर उंपलब्ध रहेगी। द्वितीय चरण के पश्चात् रिक्त रह गये स्थानों पर, सी.एल.सी. ऑनलाइन प्रक्रिया हेतु अप्रवेशित आवेदक, अपनी पूर्व वरीयताओं में समय—सारणी की निर्धारित तिथियों अनुसार संशोधन/परिवर्तन कर सकेगा। ऐसे आवेदक जिन्होंने पूर्व में अपना पंजीयन नहीं कराया है वह द्वितीय अथवां सी.एल.सी. चरण में शुल्क अदा कर पंजीयन करा सकेंगे।

2.5.2 सी.एल.सी. चरण (ऑनलाइन) की प्रकियाः

. 1.

4

ऑनलाईन सी.एल.सी. चरण की प्रक्रिया के तहतं प्रवेश हेतु नवीन पंजीकृत एवं अप्रवेशिल आवेदकों को, समय सारणी अनुसार निर्धारित तिथियों में, रिक्त रथानों की उपलब्धता वाले महाविद्यालय हेतु पाठ्यक्रम/विषय समूह/विषय में प्रवेश हेतु, पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन विकल्प देना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय स्तर पर इस हेतु कोई भी लिखित आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे।

इस चरण में समय सारणी अनुसार रिक्त आरक्षित सीटों पर प्रवेश कंडिका 12.1 से 12.8 का पालन करते हुए संबंधित आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध न होने पर उक्त रिक्त सीटें कंडिका 12.11 अनुसार सामान्य वर्ग के आवेदकों हेतु उपलब्ध रहेंगीं।

अईकारी परीक्षा में पूरक प्राप्त आवेदकों हेतु रिक्त सीटों पर पात्र आवेदक उपलब्ध न होने पर ही प्रावधिक प्रवेश हेतु ऑनलाइन सी.एल.सी. चरण में विचार किया जावेगा।

2.5.3 पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को निर्धारित तिथि तक परीक्षा परिणाम घोषित न होने की दशा में प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। स्थान रिक्त होने पर सी.एल.सी. चरण में प्रावधिक प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रावधिक प्रवेश के लिए अर्हताकारी परीक्षा में पूरक प्राप्त उन्हीं आवेदकों पर विचार किया जावेगा जिन्होंने अपना पंजीयन एवं दस्तावेजों का सत्यापन निर्धारित तिथियों में ही करा लिया है। प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तिथि से 7 दिवस के अन्दर प्रवेशित विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तिथि अद्यतन कराना होगा जिससे उनका प्रवेश स्वमेव नियमित/निरस्त हो जाएगा। स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए कंडिका 2.7 (क) के अनुसार पात्रता निर्धारित होगी, लेकिन विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिये आवेदक को स्नातक स्तर पर उत्तीर्ण विषयों में से किसी एक में ही प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

2.5.4 कंडिका 5.1(क) में उल्लेखित शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पाल्य को महाविद्यालय में आवेदित कक्षा में स्थान रिक्त होने पर प्रचलित सत्र के दौरान प्रवेश दिया जा सकेगा। इस हेतु संबंधित शासकीय सेवक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासकीय सेवक के स्थानांतरण के पश्चात् निर्धारित मुख्यालय के किसी भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त न होने पर जुलपति की प्रश्वात राज अंतेगा। इस हेतु संबंधित शासकीय सेवक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासकीय सेवक के स्थानांतरण के पश्चात् निर्धारित मुख्यालय के किसी भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त न होने पर कुलपति की अनुमति से ही सम्बद्ध पाल्य को प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाईन माड्यूल में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्ज करनी होगी।

सी.एल.सी चरण में प्रवेश हेतु मेरिट सूची जारी होने के पश्चात ऐसे पंजीकृत आवेदक जिनका नाम मेरिट सूची में नहीं आया है, किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा उनके परीक्षा परिणाम संशोधित करने के कारण, प्रवेश हेतु उनकी पात्रता मेरिट सूची अनुसार पायी जाती है तो ऐसे विद्यार्थियों को विशेष प्रकरण मानते हुए परीक्षा परिणाम आने के 15 दिवस की समय-सीमा में संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उ.शि. के प्रस्ताव पर, सक्षम स्तर से अनुमति के बाद प्रवेश दियां जायेगा एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा माड्यूल में दर्ज किया जायेगा। ऐसे प्रकरण में स्वीकृत सीटों की संख्या बाध्यता नहीं होगी। साथ ही ऐसे विशेष प्रकरण जिनमें प्रवेशित विद्यार्थियों के नामांकन में पात्रता के कारण तकनीकी कठिनाई है उन्हें संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव

5/20

r

एवं संबंधित क्षैत्रिय अतिरिक्त संचालक उच्चशिक्षा संयुक्त निर्णय लेकर निराकरण सुनिश्चित करेंगें।

- सत्र 2019-20 से शासकीय महाविद्यालयों के स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में यदि संसाधनों में कमी/कठिनाई है तो प्रवेश हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है-2.5.5
 - (क) सन्न 2018-19 स्नातक प्रथम वर्ष में यदि किसी पाठ्यक्रम / विषय समूह में प्रवेश 25 या अधिक संख्या में हैं तभी उक्त पाठ्यक्रम में सन्न 2019-20 में प्रवेश दिया जायेगा अर्थात 24 या 24 से कम प्रयेशित संख्या वाले पाठ्यक्रमों में प्रयेश नहीं दिया जावेगा। (ख) सत्र 2018–19 स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में यदि किसी विषय में प्रवेश 10 या अधिक संख्या में हैं
 - तभी उक्त विषय में सन्न 2019–20 में प्रवेश दिया जायेगा अर्थात 9 या 9 से कम प्रवेशित संख्या वाले विषय में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
 - (ग) सन्न 2019-20 सभी नवीन पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष में संख्या का बंधन नही रहेगा।
- स्नातक स्तर पर नियमित प्रवेश हेतु पात्रता : सभी आवेदक एवं संबंधित महाविद्यालय प्रशासन, विश्वविद्यालय की पात्रतानुसार ही प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे। 2.6
- प्रथम वर्ष में प्रवेश : 2.6.1

1, 1

٦.

- 10-1-2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की (क) पात्रता निम्नानुसार होगी :
 - विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय के सुसंगत विषय में प्रवेश के अतिरिक्त वाणिज्य संकाय, कला संकाय एवं गृह विज्ञान संकाय में भी प्रवेश की पात्रता होगी। 1.
 - वाणिज्य / कला / गृह विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश की पात्रता नहीं 2.
 - वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों को वाणिज्य संकाय के अतिरिक्त कला एवं गृह विज्ञान संकाय में होगी। 3. प्रवेश की पात्रता होगी।
 - कला संकाय के विद्यार्थियों को कला संकाय के अतिरिक्त गृह विज्ञान संकाय में प्रवेश की 4. पात्रता होगी।
 - गृह–विज्ञान संकाय में, 10+2 परीक्षा गृह विज्ञान से उत्तीर्ण आवेदकों के साथ–साथ विज्ञान. वाणिज्य, कला संकाय तथा 10+2 परीक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी 5. प्रवेश की पात्रता होगी।
 - गृह विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को गृह विज्ञान संकाय के अतिरिक्त कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी।

10+2 का तात्पर्य मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित या संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य राज्यों के विद्यालयों की इंटरमीडियट बोर्ड या 12वीं बोर्ड की समकक्ष परीक्षा से है। आवेदकों को संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उसे प्रवेश के समय उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। संकाय परिवर्तन होने पर प्राप्तांक के 5 प्रतिशत अंक कम कर तद्नुसार गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

- मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क. 394/73/सीसी/2017, दिनांक 3.5.2018 द्वारा 10+2 कृषि संकाय विद्यार्थी बी.ए. एव बी.एससी. जीव विज्ञान समूह (के संगी एलाइड (ख) विषयों-जैसे माइक्रो बायलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी) के साथ प्रवेश हेतु पात्र होंगे।
- मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क. 667 / 175 / सीसी / 18 / 38, दिनांक 10.7.2018 द्वारा बी.सी.ए. में प्रवेश हेतु 10+2 परीक्षा गणित विषय के साथ किसी भी संकाय (कला, (刊) वाणिज्य, विज्ञान, जीवविज्ञान) में उत्तीर्ण विद्यार्थी मेरिट अनुसार पात्र होंगे।
- यू.जी. / पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यकम हेतु विश्वविद्यालय की पात्रता अनुसार ही विद्यार्थी पात्र होंगे। **(घ)**

et_

(ड.) म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से पूर्व कें हायर सेकेण्ड्री (ग्यारवीं) परीक्षा से उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

2.6.2 अन्य सेमेस्टरों/वार्षिक पद्धति में प्रवेश :

- (क) पात्र विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में ही प्रवेश दिया जायेगा। शेष सेमेस्टरों/वर्षों में पिछले सेमेस्टरों में उत्तीर्ण/किसी भी एक सेमेस्टर/वर्ष में दो तथा एक—समय में अधिकतम चार विषयों में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms)/ पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी। नियमानुसार शुल्क का भुगतान करने पर ही ऐसे विद्यार्थियों के प्रवेश मान्य किये जायेंगे।
- (ख) कंडिका 5.1(क) में उल्लेखित शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर प्रदेश में वार्षिक/सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत अध्ययनरत् उनके पाल्यों को पाठ्यक्रम के बीच में रुनातक-स्तर पर प्रवेश दिया जा सकेगा। इस हेतु शासकीय सेवक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र तथा आव्रजन प्रमाणपत्र (Migration Certificate) प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश के लिये संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर आवेदक को प्रवेश के समय संलग्न करना अनिवार्य है।
- (ग) मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक 97/380/ सीसी/14/38, दिनांक 16 फरवरी 2015 अनुसार ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी सत्र में नियमित प्रवेश से वंचित हो जाते हैं, वह विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष की परीक्षा में स्वाध्यायी छात्र के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं तथा परीक्षा उपरान्त विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी महाविद्यालय में संबंधित कोर्स/विषय में सीट रिक्त होने पर पात्रतानुसार स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष में तथा स्नातकोत्तर स्तर पर (विज्ञान व प्रायोगिक विषयों को छोड़कर) तृतीय सेमेस्टर में नियमित प्रवेश ले सकेंगे।

रिजल्ट घोषित होने के 07 दिवस के अन्दर संबंधित महाविद्यालय स्नातक द्वितीय वर्ष/पंचम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर की रिक्त सीटों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करेंगे तथा 15 दिवस के अंदर ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। तत्पश्चात प्रवेश मान्य नहीं होगा एवं निर्धारित तिथि तक प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

2.7 स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश ःसभी आवेदक एवं संबंधित महाविद्यालय प्रशासन विश्वविद्यालय की पात्रतानुसार ही प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे।

(क)	कक्षा	अईकारी परीक्षा
14.1	1. एम.कॉम. प्रथम सेमेस्टर	बी.कॉम.
	2. एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर	बी.एस.सी. संबंधित विषय के साथ
	3. एम.एस.सी. (गृहविज्ञान) प्रथम सेमेस्टर	बी.एस.सी. (गृहविज्ञान)
	∧ एमए /एमएस खब्ल्य	स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण
(ख)	रनातक उत्तीर्ण विद्यार्थी को एम.ए या .एम.एससी. प्रथम	सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता
	चंग्रंभित तिप्ततिवालग तारा निर्धारित पावधानों के अनसा	र होगी।

- (ग) रनातकोत्तर पाठ्यक्रम में महाविद्यालय स्तर पर सिर्फ प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिया जायेगा। पिछले सेमेस्टरों में उत्तीर्ण अथवा किसी एक सेमेस्टर में दो तथा एक—समय में कुल 4 प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. प्राप्त विद्यार्थियों को अन्य सेमेस्टरों में नियमानुसार शुल्क भुगतान करने पुर स्वतः प्रवेश मिल सकेगा।
- उत्कृष्ट महाविद्यालयों में प्रवेश :
- (क) म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. 772/216/सीसी/2018, भोपाल, दिनांक 7.8.2018 के तहत 08 उत्कृष्ट महाविद्यालयों में बी.ए., बी.एससी., बी.काम एव बी.बी.ए. के संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अर्हता अन्य महाविद्यालयों के ही समान होगी।

- (ख) म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. 547/484/सीसी/2018, भोपाल, दिनांक 6 जून 2018 के अनुसार महाविद्यालयों एवं उत्त्कृष्ट महाविद्यालयों में संचालित विभिन्न आनर्स पाठ्यक्रमों यथा–बी.ए., बी.एससी., बी.काम एव बी.बी.ए. के सभी पाठ्यक्रमों में अर्हताकारी परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं तथा अनु.जाति/अनु.जनजाति/दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत अंक की छूट रहेगी।
- प्रवेश सीट संख्या का निर्धारण :
- 4.1 जिन पाद्यक्रमों हेतु संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा सीट निर्धारण नहीं किया गया हैं, ऐसे पाद्यक्रमों हेतु महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठक– व्यवस्था/प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण, सामग्री एवं स्टॉफ की उपलब्धता के आधार पर सीट संख्या का निर्धारण प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के पूर्व किया जावेगा। अगर विद्यार्थी—संख्या का निर्धारण प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के पूर्व किया जावेगा। अगर विद्यार्थी—संख्या का निर्धारण प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के पूर्व किया जावेगा। अगर विद्यार्थी—संख्या का निर्धारण प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के पूर्व किया जाना आवश्यक है तो संबंधित प्राचार्य प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के पूर्व किया जाना आवश्यक है तो संबंधित प्राचार्य प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के पूर्व वांछित अनुमति प्राप्त कर ऐसा कर सकेंगे। साथ ही आयुक्त उच्चशिक्षा के पत्र क्र. 680/484/आउशि/शा—5'अ'/2018 भोपाल दिनांक 11 अगस्त 2018 एवं क्र. 708/484/आउशि/शा—5'अ'/2018, दिनांक 18 अगस्त 2018 के अधीन शासकीय महाविद्यालय नियमानुसार 10 प्रतिशत एवं अधिकतम 25 प्रतिशत शर्तो के अधीन, सीट वृद्धि वर्तमान सत्र में भी कर सकेंगे तथा समस्त सीट वृद्धि की मान्यता संबंधित विश्वविद्यालय से समय सीमा में प्राप्त करना प्राचार्य का दायित्व होगा। इस सम्बंध में समय—समय पर जारी आदेशों का पालग सुनिश्चित किया जावे। अशासकीय अनुवान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा दवीकृत सीट संख्या पर प्रवेश नियमों के तहत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।
- 4.2 समस्त महाविद्यालयों को उनके यहाँ संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, विषय समूह निर्धारित सीट संख्या एवं पाठ्यक्रमवार/वर्गवार प्रवेश शुल्क/ नयीनीकरण की पृथक–पृथक विस्तृत जानकारी, महाविद्यालय का बैंक खाता क्रमांक, आई.एफ.एस.सी. कोड आदि की जानकारी उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व निर्धारित तिथियों में आवश्यक रूप से पोर्टल पर दर्ज/अद्यतन कर लॉक करना होगा तथा उन्हें सत्यापित भी करना/करवाना होगा। महाविद्यालय अपने बैंक खाता क्रमांक की प्रविक करेंगे तथा यह भी सुनिश्चत करेंगे कि उनके द्वारा बैंक खाता क्रमांक की गई है। यह जिम्मेदारी पूर्ण रूप से संबंधित महाविद्यालय की होगी। साथ ही इसी बैंक खाते का एक क्रास बैंक चेक भी पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा बैंक खाते की जानकारी सही दर्ज की गई है। यह जिम्मेदारी पूर्ण रूप से संबंधित महाविद्यालय की होगी। साथ ही इसी बैंक खाते का एक क्रास बैंक चेक भी पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। इसी बैंक खाते में महाविद्यालयों को उनकी प्रवेश शुल्क राशि की वापसी की जावेगी। महाविद्यालय द्वारा प्रवेश प्रारम्भ होने के पूर्व संचालित/नवीन महाविद्यालय /पाठ्यक्रम/ सीट संख्या, आदि की जानकारी निर्धारित तिथियों में ही अद्यतन कर सांचलित/नवीन महाविद्यालय /पाठ्यक्रम/ सीट संख्या, आदि की जानकारी निर्धारित तिथियों में ही अद्यतन कर अनिवार्य है। प्रवेश पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। इसी बैंक खाते में महाविद्यालयों को उनकी प्रवेश शुल्क राशि की वापसी की जावेगी। महाविद्यालय द्वारा प्रवेश प्रारम्भ होने के पूर्व संचालित/नवीन महाविद्यालय /पाठ्यक्रम/ सीट संख्या, आदि की जानकारी निर्धारित तिथियों में ही अद्यतन कर अनिवार्य है। प्रवेश पोर्टल प्रारम होने के उपरान्त, सी.एल.सी. चरण के पूर्व ही महाविद्यालय द्वारा सीट संख्या/डाटा अद्यतन करना संगव होगा।
- 4.2.1 मैपिंग महाविद्यालय, पात्र निजी महाविद्यालयों को पोर्टल पर जोड़ने हेतु सत्यापन से पूर्व, संबंधित महाविद्यालय से निम्न जानकारी उपलब्ध होने पर ही सत्त्यापन कार्य करेंगे।
- (अ) शासन द्वारा जारी वर्तमान सन्न के लिए अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पन्न/निरन्तरता प्रमाण पन्न।
- (ब) विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान सत्र के लिए जारी अद्यतन संबद्धता प्रमाण पत्र।
- (स) यदि सत्र 2019–20 में सीटों का निर्धारण नहीं किया गया है तो उस स्थिति में सत्र 2018–19 में निर्धारित ऑनलाइन प्रवेशित संख्या, जिसको संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्य किया गया है, को ही सत्र 2019–20 के लिये संकाय/विषयवार सीट संख्या माना जावेगा।

9

- (द) विधि पाठ्यक्रम हेतु उपरोक्त कंडिका 4.2.1 के साथ-साथ, बी.सी.आई. की अनुमति एवं निर्धारित सीट संख्या।
- (य) महाविद्यालय का बैंक संबंधी विवरण, अपलोड किये क्रॉस बैंक चेक के आधार पर मैपिंग महाविद्यालय द्वारा सत्यापित किया जावेगा। बैंक विवरण सही हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी। इसी बैंक खाते में प्रवेश शुल्क भेजा जावेगा।

मैपिंग महाविद्यालय द्वारा, उक्त दस्तावेजों की उपलब्धता न होने पर किसी भी स्थिति में ऐसे, अशासकीय महाविद्यालय को वर्तमान सन्न की प्रवेश प्रक्रिया के लिए सत्यापित न किया जाए।

- 4.2.2 पोर्टल पर जोड़े गये महाविद्यालयों का पुनःसत्यापन करने की जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय की है एवं उन्हें निश्चित समय-सीमा में पोर्टल पर दिये गये लिंक के माध्य से सत्यापन करना अनिवार्य है। उक्त पुर्नसत्यापन कराने की जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की भी होगी। यदि समय-सीमा में विश्वविद्यालय द्वारा पुनःसत्यापन नहीं किया जाता है तो इस स्थिति में उक्त महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे।
- 4.3 विधि स्नातक स्तर की कक्षाओं में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार और अन्य कक्षाओं के लिए UGC के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।
- 4.4 स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों को वन-स्टेप-अप योजनांतर्गत प्रायमरी /मिडिल स्कूल शिक्षकों के लिए केवल शासकीय महाविद्यालयों में प्रयेश हेतु नियम व शर्ते म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. F44-27/2015/20-2, दिनांक 18 जून 2015 के अनुसार रहेंगी।

इस हेतू स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर उल्लेखित पाठ्यक्रमों/विषयों में महाविद्यालय में सीटों के 02 प्रतिशत स्थान उपलब्ध रहेंगे। वन–स्टेप–अप योजना के अंतर्गत प्रवेश ऑनलाइन माध्यम से होंगे। आवेदकों को ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन एवं सत्यापन कराना होगा। आवेदकों को प्रवेश समय सारणी अनुसार पंजीयन शुल्क का भुगतान करना होगा साथ ही उन्हें स्कूल शिक्षा विभाग का अनापत्ति प्रमाण–पत्र, प्रवेश के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

- 4.5 मुख्यमंत्री मेघाबी विद्यार्थी योजनान्तर्गत प्रवेश मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमाक 866/342/ सी.सी./2017 दिनांक 24 जून 2017 के तहत प्रदेश में प्रतिभाशाली आवेदकों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किए जाने के अनुक्रम में सन्न 2017--18 से मुख्यमंत्री मेघावी विद्यार्थी योजना संचालित है, इसका क्रियान्वयन तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियमों के तहत किया गया है। योजनान्तर्गत स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले पान्न विद्यार्थियों का नियमानुसार शिक्षण शुल्क राज्य शासन वहन करता है। योजनान्तर्गत स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले पान्त आवेदकों को निः शुल्क प्रवेश दिया जायेगा। मेस शुल्क एवं कॉशन मनी शुल्क देय होगा। योजना के संबंध में अन्य आवश्यक दिशा निर्देश/पान्नता संबंधी समय--समय पर जारी शासन के निर्देशों का पालन किया जावेगा।
- 4.6 मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के तहत् मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा विभाग,कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के आदेश कर्माक एफ-14-2/2008/42-2,दिनॉक 21 अगस्त,2018 के तहत प्रवेश दिया जावेगा। इस हेतु समय-समय पर जारी आदेशों का पालन भी सुनिश्चित किया जावेगा।
- 5. प्रवेश की पात्रता :
- 5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :
- (क) मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी, मध्यप्रदेश में स्थायी सम्पत्तिधारी निवासी, राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय सेवक, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन मध्यप्रदेश में हो, उनके पाल्यों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों/भूटान के विद्यार्थियों को महाविद्यालयों में प्रदेश की पात्रता होगी। उपरोक्तानुसार प्रवेश के पश्चात स्थान रिक्त होने की दशा में अन्य स्थानों के बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर विश्वविद्यालय की पात्रतानुसार प्रदेश दिया जा सकेगा।

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2019-20

- संबंधित विश्वविद्यालय या उस विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों/महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालयों में प्रवेश की (ख) पात्रता होगी।
- जम्मू कश्मीर के विस्थापितों एवं उनके पाल्य / पाल्या के लिये निम्न प्रावधान लागू होंगे : **(ग)**
 - 1. प्रवेश की अंतिम तिथि में अधिकतम 30 दिन की छूट।

2

- 2. न्यूनतम प्रवेश प्राप्तांकों में अधिकतम 10 प्रतिशत की छूट, अगर आवेदक पात्रता की अन्य शर्ते पूरी करता हो।
- उपलब्ध स्थानों में पाठ्यक्रमवार 5 प्रतिशत की वृद्धि ।
- 4. स्थानीय निवासी होने की अनिवार्यता से पूर्ण छूट।
- द्वितीय और आने वाले वर्षों में आव्रजन की सुविधा।
- व्यावसायिक पाव्यक्रमों में मेरिट के आधार पर एक प्रतिशत का आरक्षण।
- प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिये 12 B of UGC Act के तहत मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में दो अतिरिक्त सीटों (घ) का सृजन कर प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है। उक्त विद्यार्थियों को सीट आवंटन के बाद प्रवेश देने के पूर्व सम्बद्ध विश्वविद्यालय अनुसार पात्रता सुनिश्चित करने का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा। उक्त प्रवेशित विद्यार्थी की जानकारी ई-प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध माड्यूल में दर्ज करने का दायित्व भी संबंधित महाविद्यालय का होगा।
- विधि महाविद्यालय में नियमित प्रवेश : 5.2
- विधि संकाय (एल.एल.बी./पंच वर्षीय एकीकृत विधि पाठ्यक्रम) में प्रवेश बी.सी.आई. के नियमानुसार ही दिया जाएगा। बी.सी.आई. द्वारा निर्धारित सीट संख्या ही मान्य होगी। (क)

विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश ऑनलाईन-प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से ही होंगे। विधि महाविद्यालयों को उनके यहाँ संचालित विधि पाठ्यक्रमों, उनकी सीट संख्या, शुल्क आदि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा एवं इन पाठ्यक्रमों का, संबंधित मैपिंग महाविद्यालय से सत्यापन, शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक करवाना अनिवार्य होगा।

- एल.एल.एम. में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा एल.एल.बी. में 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे। अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के लिए नियमानुसार (ख) प्राप्तांकों में 5 प्रतिशत की छूट रहेगी। न्यायालयीन निर्णयानुसार 64.5 प्रतिशत अंक प्राप्त विद्यार्थी भी पात्र होंगे।
- समकक्ष परीक्षाः 6.
- सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एज्यूकेशन (सी.बी.एस.ई.) /इण्डियन सर्टीफिकेट ऑफ सेकण्ड्री एजूकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की 6.1 परीक्षाएँ, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं।
- सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज) के सदस्य हैं, की समस्त परीक्षाएँ राज्य के विश्वविद्यालयों की परीक्षा के 6.2 समकक्ष मान्य होंगी।
- संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता विहीन महाविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता-विहीन 6.3 विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की परीक्षा/उपाधि मान्य नहीं होंगी।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विज्ञान से मिलते जुलते विषय, जैसे लेबोरेट्री मेडिसिन मैनेजमेंट एवं सिस्टम एनालिसिस, क्लीनिकल बॉयोकेमेस्ट्री, माइक्रोबॉयलाजी 6.4 एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम तथा कम्प्यूटर से संबंधित विषय और प्रिंटिंग ऑफ डाटा-प्रोसेशिंग. मैनेजमेंट एण्ड सिस्टम एनालिसिस, डी.टी.पी. पैकेज प्रोग्रामिंग, वर्कशाप प्रैक्टिस आदि सम्मिलित

हैं। उपरोक्त विषयों के साथ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित व्यावसायिक पादयक्रम 10+2 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण—पत्र प्राप्त करने के बाद ही संबंधित संकाय में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे आवेदकों को प्रवेश पंजीयन के समय विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता / अर्हता प्रमाण—पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। किसी भी कक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता संबंधी निर्धारण में संदेह होने पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाण—पत्र को अंतिम माना जायेगा। विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित पात्रतानुसार प्रवेश के समय आवेदक की पात्रता के परीक्षण का संपूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा। आवंटन का तात्पर्य यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक प्रवेश की पात्रता पूर्ण करता है।

- 6.5 मध्यप्रदेश संस्कृत बोर्ड की 'उत्तर मध्यमा परीक्षा' को हायर सेकेण्डरी परीक्षा के समकक्ष माना जाये।
- 7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :

Sale - Ladares - L

- 7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एससी./बी.एस.सी.(गृह--विज्ञान) में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले वर्ष में प्रवेश की पात्रता है, किंतु सम्बंधित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय-समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो तो संबंधित परीक्षण के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा। विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
- 7.2 मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों / स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष अथवा द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा, राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों/ स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर की प्रथम एवं द्वितीय वर्ष परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद उन्हीं विषय/विषयों/विषय–समूह की अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने की स्थिति में नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 7.3 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ–पत्र देना होगा। शपथ–पत्र में फर्जी, किसी भी तरह की झूठी/गलत जानकारी पाये जाने की दशा में संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में आगामी तीन वर्ष तक प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा।
- 7.4 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को प्रवेश के पूर्व प्राचार्यों द्वारा संबंधित राज्यों एवं स्थानीय थानों के माध्यम से पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य है।
- 7.5 केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थाओं में मध्यप्रदेश के विद्यार्थियों के लिए 80 प्रतिशत तथा अन्य राज्यों के विद्यार्थियों हेतु 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखने की व्यवस्था लागू रहेगी।
- 7.6 महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में अध्ययनरत् संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
- 7.7 जिन विषयों में प्रवेश के लिये प्रदेश के विद्यार्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है, उन विषयों में अन्य राज्य के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 7.8 अन्य राज्यों के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।
- 7.9 ऐसे अध्ययनरत् विद्यार्थी जो छात्रावास में रहते हैं उन्हें अपने छात्रावास कक्ष में किसी अन्य को ठहराना प्रतिबंधित रहेगा।
- 7.10 अन्य राज्यों के छात्रों द्वारा प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची, स्थानांतरण प्रमाण-पन्न. विश्वविद्यालय से पात्रता संबंधी प्रमाण-पन्न इत्यादि की मूल प्रति महाविद्यालय में जमा करने के बाद ही महाविद्यालय द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। मूल प्रमाण-पन्नों के अभाव में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। प्रवेश उपरान्त मूल अंकसूची विद्यार्थी को वापिस करना अनिवार्य है।
- प्रावधिक प्रवेश की पात्रता :

- 8.1. स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है। आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है। 8.1.1 स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी स्नातक अंतिम सेमेस्टर/वर्ष के परीक्षा परिणाम
- 8.1.1 स्नातकात्तर कक्षाओं में प्रवश हतु अहकारा स्नापन जारान समय सेमेस्टर तक कुल अंकों के घोषित न होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश हेतु प्रथम से पंचम सेमेस्टर तक कुल अंकों के प्राप्तांक का प्रतिशत ऑनलाइन पंजीयन के समय दर्ज करना होगा जिसके आधार पर प्राप्तांक का प्रतिशत किया जावेगा। गुणानुक्रम का निर्धारण प्रावधिक प्रवेश हेतु दर्ज प्राप्तांकों के गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा। गुणानुक्रम का निर्धारण प्रावधिक प्रवेश हेतु दर्ज प्राप्तांकों के आधार पर ही होगा। प्रावधिक प्रवेश के समय आवेदको की किसी भी सेमेस्टर /वर्ष में एटीकेटी/पूरक नहीं होनी चाहिए।
- एटाकटा/ पूरक नहा हाना आहर। 8.1.2 उपरोक्त प्रवेशार्थी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सीट आवंटित होने पर अपने दायित्व पर एक वचन पत्र के साथ प्रवेश लेंगे जिसमें यह उल्लेख होगा कि अगर षष्ठम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम में गुणानुक्रम परिवर्तन अथवा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होता है/वार्षिक परीक्षा पद्धति में तृतीय वर्ध अनुत्तीर्ण होता है जिसके कारण प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थी नियमित प्रवेश से वंचित हो जाता है तो यह उसकी जिम्मेदारी होगी। प्रावधिक प्रवेश के उपरान्त अंतिम परीक्षा परिणाम परिवर्तित होने की स्थिति में प्रवेशित विद्यार्थी को महाविद्यालय बदलने का अधिकार नहीं होगा।

हान का ास्थात न प्रवाशत विद्याया का नतावयार्थी प्रतिविद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के पूरक नियमों की स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के पूरक नियमों की पात्रता के अनुसार स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

- 413ता क जनुतार रनाराव खराव रवे पूराव 1929/2018/38-2,दि. 19.12.2018 के तहत ऐसे सभी 8.2.1 राज्य शासन के आदेश क्रमांक 1615/1929/2018/38-2,दि. 19.12.2018 के तहत ऐसे सभी नियमित/असंस्थागत विद्यार्थी जिन्होंने प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं वह सत्र 2019-20 में वार्षिक पद्धति के अंतर्गत रनातक द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश ले सकेंगे तथा ऐसे सभी नियमित/असंस्थागत विद्यार्थी जो सत्र 2018-19 स्नातक स्तर की प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे, ये विद्यार्थी सत्र 2019-20 में स्नातक स्तर के तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश ले सकेंगे।
- स्नातक स्तर क ठूताय पर न गुनाना प्रतर के लियमों के अनुसार पात्र विद्यार्थियों को अगले 8.3 स्नातकोत्तर के तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. के नियमों के अनुसार पात्र विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.4 ए.टी.के.टी. / पूरक से संबंधित प्रवेश नियम :

•

L

- 8.4.1 स्नातक कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. / पूरक नियम
- सेमेस्टर/वर्ष के अंत में संबंधित सेमेस्टर/वर्ष की सभी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ लागू हो) विषयों में ए.टी.के.टी./पूरक प्राप्त आवेदकों की परीक्षा होगी।
 - 2. दो विषयों के प्रश्न–पत्रों में (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक जहाँ लागू है) अनुत्तीर्ण / अनुपस्थित होने पर विद्यार्थी को ए.टी.के.टी. की पात्रता होगी, अर्थात विद्यार्थी को अगले सेमेस्टर में स्वतः प्रवेश पर विद्यार्थी को ए.टी.के.टी. की पात्रता होगी, अर्थात विद्यार्थी को अगले सेमेस्टर में स्वतः प्रवेश मिल सकेगा। वार्षिक पद्धति में पूरक प्राप्त आवेदकों को विश्वविद्यालय के नियमानुसार अगले वर्ष में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी। पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर प्रावधिक प्रवेश निरस्त माना जावेगा।
 - विद्यार्थी एक समय में चार ए.टी.के.टी. के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश पा सकेगा, लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक विषयों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी।
 - स्नातक पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि के संबंध में म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र.1868/198/सीसी/17/38, दिनांक 9.10.2017 के प्रावधान लागू होंगे।
 - 5. विशेष परीक्षार्थी : राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रमों में प्रतिभागिता के कारण विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में पूर्णतः अथवा आंशिक अनुपस्थित विद्यार्थियों को आगामी सत्र में आयोजित सेमेस्टर/पूरक परीक्षाओं में (संबंधित सम/विषम सेमेस्टर/वर्ष की परीक्षाओं के साथ) ए.टी.के.टी./पूरक प्राक्षाओं में (संबंधित सम/विषम सेमेस्टर/वर्ष की पत्रिता होगी।

8.4.2 स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. नियम :

 सेमेस्टर के अंत में निर्धारित सभी सैद्धांतिक एवं प्रयोगिक (जहाँ लागू हो) प्रश्न पत्रों की परीक्षा होगी।

13

- दो प्रश्न पत्रों में (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक जहाँ लागू है) अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित हौने पर विद्यार्थी को ए.टी.के.टी. की पात्रता होगी, अर्थात विद्यार्थी को अगले सेमेस्टर में स्वतः प्रवेश मिल सकेगा।
- विद्यार्थी एक समय में चार ए.टी.के.टी. के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश पा सकेगा, लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी।
- 4 स्नातकोत्तर पाव्यक्रम की अधिकतम अवधि के संबंध में म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र.1868 / 198 / सीसी / 17 / 38, दिनांक 9.10,2017 के प्रावधान लागू होंगे ।
- 8.5 जिन विद्यार्थियों को 'पूर्व छात्र' की श्रेणी में रखा गया था वे आगामी सेमेस्टर / वर्ष की मुख्य परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे। उत्तीर्ण होने की दशा में रूष्ट्रें जुलाई माह से प्रारंभ होने वाले सत्र में नियमानुसार शुल्क जमा करने पर नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 9. प्रवेश हेतु पात्रता/अपात्रता :
- 9.1 जिन आवेदकों के विरूद्ध न्यायालय में आपराधिक प्रकरण थले रहे हैं या चालान प्रस्तुत किया जा चुका हो, परीक्षा में या पूर्व सन्न में विद्यार्थियों /अधिकारियों /कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार / मारपीट करने के गंभीर प्रामाणित आरोप हों या खूबर्म चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हो तो ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिये प्राच्चर्य कदापि अधिकृत नहीं हैं।
- 9.2 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने या महाविद्यालय की सम्पत्ति को नंबर करने के प्रसाणित दोषी और रैगिंग के प्रमाणित आरोपी विद्यार्थियों को भी प्राचार्य प्रयेश देने के लिये अधिकृत नहीं हैं। रैगिंग के संदर्भ में यू.जी.सी. के ज्ञापन क्र. एफ-1-16/2007 (सी.सी.मी. 11) अप्रैल 2009 के मार्गदर्शी निर्देशों का पालन अनिवार्य है। इस संबंध में विभाग, द्वारा जारी पत्र क्र. 829/469/आउशि/शा-1/08 दिनांक 18 जून 2008 के अनुसार देने टालरेंस पॉरेन्सी (Zero Tolerance Policy) लागू रहेगी।
- 9.3 आयु संबंधी पात्रता : वर्ष 2017–18 के बिन्दु क्रमांक 9.3 क.ख.ग.घ.ड.च के दहत आयु संबंधी प्रावधानों को विलोपित किया गया है तथा उसके स्थान पर वर्ष 2018-19 से स्नातक एव स्नातकोत्तर हेतु प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा हटाई गई है अर्थात सभी विद्यादियों के लिए आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा।
- 9.4 पूर्णकालिक शासकीय / अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि है लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं है। लेकिन दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अवधिन्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जा सकेगा। किसी भी संकाय में स्नातक उदाधे प्राप्त विद्यार्थियों को (विधि संकाय को छोड़कर) अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियॉग्त
- 9.5 ट्रॉन्सजेंडर को केवल सह–शिक्षा (Co-Education) महाविद्यालय में ही प्रवेश दिया जावेगा।
- 10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :
- 10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए अईकारी परीक्षा में प्राप्तांक एवं
 - अधिभार यदि कोई देय है तो अधिभार को जोड़कर समग्र प्रतिशत के अंको के आधार पर गुणानुक्रम का निर्धारण किया जाएगा।
- 10.2 सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जाएगी।
- 10.3 प्राच्य पद्धति के संस्कृत महाविद्यालयों में शाला-स्तर के अध्यापन के कारण संबंधित बोर्ड द्वारा उनके पाठ्यक्रमों को संबद्धता यदि प्राप्त हो तो उस बोर्ड के प्रवेश नियमों को मान्य किया जा सकेगा। संस्कृत बोर्ड के परिणाम देर से घोषित होने पर 11वीं की अंक सूची के आधार पर पंजीयन कराया जा सकेगा तथा सी.एल.सी. चरण में इन आवेदकों को प्रावधिक प्रवेश की

1. 1

पात्रता होगी। उत्तीर्ण होने पर प्रवेश नियमित एवं अनुत्तीर्ण होने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।

10.4 संस्कृत महाविद्यालयों को उनके यहाँ प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाईन माड्यूल में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित तिथियों में दर्ज करनी होगी। उपलब्ध ऑनलाईन माड्यूल में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित तिथियों में दर्ज करनी होगी। इस प्रक्रिया को ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सारणी अनुसार रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित अंतिम इस प्रक्रिया को ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सारणी अनुसार रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित अंतिम इस प्रक्रिया को ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सारणी अनुसार रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित अंतिम दिथि तक आवश्यक रूप से सम्पन्न करना होगा। सभी महाविद्यालयों को शासन एवं विश्वविद्यालय से आवश्यक अनुमति निर्धारित तिथियों में प्राप्त करना अनिवार्य है तथा महाविद्यालय को प्रोफाईल दर्ज कर भेपिंग महाविद्यालय से आनलाईन सत्यापन तथा विश्वविद्यालय से आनलाईन पुर्नसत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :

किसी एक विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य किसी विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में महाविद्यालय में सी.एल.सी.चरण में स्थान रिक्त रहने की दशा में पात्रतानुसार ही प्रवेश दिया जा सकेगा।

- 12. आरक्षण : मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा-
- 12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमश: 16 तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।
- 12.2 पिछड़े वर्ग (क्रीमी—लेयर छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे।
- 12.3 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातियों/नातिनों, भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से निःशक्त हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों एवं भूतपूर्व तथा कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence personnel) के आश्रितों/सेन्ट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बच्चों के लिए तथा इन वर्गों के दिव्यांग श्रेणी के आश्रितों/सेन्ट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बच्चों के लिए तथा इन वर्गों के दिव्यांग श्रेणी के आविदकों के लिए संयुक्त रूप से 05 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इससे संबंद दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर, तीन वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाए, परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित स्थानों से ही उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों/अधिकारियों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा
 - 1. युद्ध के दौरान शहीद की विधवा एवं उनके आश्रित।
 - 2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप से अपंग, कार्यरत सैनिकों एवं उनके आश्रित।
 - शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद के आश्रित।
 - 4. शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से निःशक्तजन तथा उनके आश्रित।
 - 5. निम्न शौर्य पदकों से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रित-परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मैडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मैडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मैडल, सेना, नौसेना/वायु सेना मेडल पत्रों में उल्लेख।
 - 6. राष्ट्रपति का वीरता हेतु पुलिस मैडल, वीरता हेतु पुलिस मैडल
 - 7. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित।
 - 8. कार्यरत सैनिकों के आश्रित।
 - 12.4 दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जावेंगे परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिये आरक्षित स्थान से ही उपलब्ध कराया जावेगा। दिव्यांगों को प्रवेश के समय अर्हतादायी अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
 - 12.5 एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण-पत्र उत्तीर्ण आवेदकों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय में स्वीकृत स्थान का 1 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा।
 - 12.6 सभी यगों में उपलब्ध स्थानों में 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

- 12.7 मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के अधीनस्थ शासकीय कार्यालय/विश्वविद्यालय, आयुक्त, कार्यालय उच्च शिक्षा में नियमित कार्यरत/सेवानिवृत/दिवंगत अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्राचार्यों, प्राध्यापकों, ग्रंथपालों, क्रीडा अधिकारियों, रजिस्ट्रारों एवं शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पाल्यों के लिए सभी सम्बन्धित संवर्गों में उपलब्ध रथानों में से 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे।
- 12.8 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार यदि अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी/ओपन प्रतिस्पर्धा में नियमानुसार मेरिट सूची में आता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें अप्रभावित रहेंगी। परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी अन्य संवर्ग जैसे—स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का है तो संबंधित संवर्ग की सीट उस विशिष्ट आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी। संबंधित विशिष्ट संवर्ग की शेष सीटें पात्रतानुसार भरी जायेंगी।

12.9 अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेशः

अल्पसंख्यक संस्थाओं को उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर रजिस्टर करना अनिवार्य होगा एवं उनके संस्थान में सम्बंधित विश्वविद्यालय के संचालित पाठ्यक्रमों/विषयों, उनकी सीट संख्या, शुल्क आदि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करनी होगी एवं इन पाठ्यक्रमों का सत्यापन सम्बंधित गैपिंग महाविद्यालय से निर्धारित तिथि तक करवाना होगा।

अल्पसंख्यक संस्थाओं में अजजा/अजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का बंधन नहीं होगा। अल्पसंख्यक संस्थाओं को उनके यहाँ प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाईन माड्यूल में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित तिथियों में दर्ज करनी होगी। इस प्रक्रिया को ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सारणी अनुसार रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित अंतिग तिथि तक आवश्यक रूप से सम्पन्न करना होगा।

- 12.9.1 ऐसे अशासकीय महाविद्यालय जिन्हें अल्पसंख्यक महाविद्यालय का दर्जा प्राप्त है, तथा वह ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें उच्च शिक्षा विभाग को निर्धारित तिथियों में अनिवार्य रूप से निम्न दस्तावेज सहित आवेदन प्रस्तुत करना होगा–
- (अ) शासन द्वारा वर्तमान सन्न के लिए जारी अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पन्न।
- (a) विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान सत्र के लिए जारी अद्यतन संबद्धता प्रमाण पत्र।
- (स) अल्पसंख्यक संस्था/महाविद्यालय होने का मान्य प्रमाण पत्र।
- (द) रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी कार्यालय में पंजीबद्ध अद्यतन गर्वनिंग वाडी/प्रबन्धन सूची के। प्रमाण पत्र।
- (य) विगत वर्ष में प्रवेशित अल्पसंख्यक श्रेणी/गैर अल्पसंख्यक श्रेणी के विद्यार्थियों की संस्थावार एकजाई जानकारी।
- (र) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से मुक्त रखने हेतु संस्था का आवेदन।
- 12.9.2 मैपिंग महाविद्यालय संबंधित अल्पसंख्यक महाविद्यालय की प्रोफाईल का सत्यापन करते समय 12.9.1 में उल्लेखित 6 दस्तावेजों की मूल प्रतियां से मिलान कर सत्यापन अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा सहित पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

पोर्टल पर जोड़े गये महाविद्यालय का पुनः सत्यापन करने की जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय की है एवं उन्हें निश्चित समय—सीमा में पोर्टल पर दिये गये लिंक के माध्यम से सत्यापन करना अनिवार्य है। उक्त पुर्नसत्यापन कराने की जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की भी होगी। यदि समय—सीमा विश्वविद्यालय द्वारा पुनः सत्यापन नहीं किया जाता है तो इस स्थिति में उक्त महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेगा।

- 12.10 आरक्षित स्थान का प्रतिशत यदि आधे से कम आता है तो उसी श्रेणी में आरक्षित खान उपलब्ध नहीं होगा। आधे से एक प्रतिशत के बीच आने पर ही आरक्षित स्थान की संख्या एक मानी जायेगी।
- 12.11 कंडिका 2.5 अनुसार सी.एल.सी. चरण में समय सारणी अनुसार पूर्व में वर्णित आरक्षित श्रेणी के रिक्त स्थान अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के आवेदकों के लिए उपलब्ध रहेंगे।
- 12.12 समय—समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।
- 12.13 ऐसे पाठ्यक्रम जिनके अध्यादेश में प्रवेश लिखित परीक्षा के माध्यम से दिया जाना उल्लेखित होः पात्र आवेदकों को पोर्टल पर पंजीयन कराते हुए संबंधित संस्था एवं पाठ्यक्रम हेतु वरीयता दर्ज करना होगा। संबंधित संस्था पंजीकृत आवेदकों की प्रवेश परीक्षा आयोजित कर नियमानुसार प्रवेश देंगी तथा प्रवेशित आवेदकों की जानकारी पोर्टल पर अनिवार्यतः दर्ज करेंगी।
- 13. अधिमारः

अधिभार गुणानुक्रम निर्धारण के लिए प्रदान किया जायेगा। पात्रता हेतु इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार के लिये सभी. आवश्यक प्रमाण—पत्रों की जानकारी प्रवेश हेतु पंजीयन के लिए आवेदन—पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य है। सत्यापन के लिये आवेदन पत्र में उल्लेखित संबंधित प्रमाणपत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होंगे। विशेष परिस्थितियों में सत्यापन के बाद, प्रस्तुत अन्य प्रमाण पत्रों पर, अधिभार हेतु क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक सक्षम होंगे। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर केवल सर्वाधिक अधिभार का लाभ एक ही वर्ग में देय होगा।

साउथ एशियन गेम्स, भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी तथा भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अर्हता पूर्ण होने पर बगैर किसी गुणानुक्रम के उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जा सकता है, जिनके वे पात्र हैं। संचालक, खेल और युवक कल्याण म.प्र. के पत्र क. 7678/खेयुक/2018, दिनांक 14.11.2018 के तहत खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी हेतु नियमों/ अभिप्रमाणन को निम्नानुसार अद्यतन किया गया है।

13.1 एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / स्काउट्स(स्काउट / गाईड्स / रेन्जर्स)ः

(क)	एन.सी.सी. / एन.एस.एस. 'ए' सर्टिफिकेट	2 !	प्रतिशत
(ख)	एग.सी.सी. / एन.एस.एस. 'बी' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	3 !	प्रतिशत
(ग)	एन.सी.सी 'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट	4	प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय (संचालनालयीन) एन.सी.सी. प्रतियोगिता	4	प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में मध्यप्रदेश के एन.सी.सी. कन्टिनजेन्ट में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	5	प्रतिशत
(ন্ত)	राज्यपाल स्काउट	5	प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट	10	प्रतिशत
(झ)	मध्यप्रदेश का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट	10	प्रतिशत
(य)	ड्यूक ऑफ एडिनबरा अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	15	प्रतिशत
(२)	भारत के साथ अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट	15	प्रतिशत
(ल)	एन.सी.सी. / एन.एस.एरा. के तहत चयनित एवं प्रयास करने वाले कैडेट को अन्तर्राष्ट्रीय जम्हुरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को	10	प्रतिशस
(व)	भारतीय रेडक्रास सोसायटी द्वारा प्रमाणित उत्कृष्ट गतिविधियों के लिये	2	प्रतिशत

17

J.

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2019-20

13.2 ऑनर्स विषय पाठयक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर — 10 प्रतिशत	7
13.3 स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्याथियों को एल.एल.बी. प्रथम में प्रवेश लेने पर <i>5 प्रतिश</i> त	1
13.4 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं –	
(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला/ संभाग स्तर पर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में –	r
(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को —2 प्रतिशत	
(ख) व्यक्तिगत्त प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 4 प्रतिशत	
(2) उपर्युक्त कंडिका 13.4(1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग/राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्रीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) द्वारा आयोजित अन्तर क्षेत्रीय प्रतियोगिता (Inter Zonal) एवं मध्यप्रदेश राज्य खेल संघ द्वारा आयोजित अधिकृत राज्य स्तरीय/अन्तर संभाग/अन्तर जिला भें:	1)
(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी / टीम के प्रत्येक	
सदस्य को –7 प्रतिशत	
 (ख) जिले के दल से संभाग संभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 	e.
(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालयीन/ एस.जी.एफ. आई. द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में) g
(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को — <i>15 प्रतिशत</i> (ख) प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी को — <i>10 प्रतिशत</i>	
13.5 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एण्ड कल्वर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित और प्रयास करने वाले दल के सदस्यों को .–10 प्रतिशत	
13.6 भारत सरकार से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित अधिकृत राष्ट्रीय प्रतियोगिता एवं भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा 2 वर्ष में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता।	
(क) मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को 10 प्रतिशत	
(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले मध्यप्रदेश के खिलाड़ी / दल के सदस्यों को 15 प्रतिशत अधिभार दिया जाएगा।	
(अधिकृत राष्ट्रीय चेम्पियनशिप से तात्पर्य राष्ट्रीय खेल महासंघ द्वारा आयोजित किये जाने वाली राष्ट्रीय चेम्पियनशिप से है, जो वर्ष में एक बार आयोजित की जाती हैं)	2010-0202
13.7 जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों और उनके आश्रितों को -01 प्रतिशत	
13.8 विशेष प्रोत्साहन : एनं.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेटस तथा ओलम्पिक, एशियन गेग्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्डकप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ऐशियन चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप, साउथ ऐशियन गेम्स एवं साउथ ऐशियन चैम्पियनशिप तथा एसोसिएशन ऑफ इन्डियन यूनिवर्सिटी (AIU) की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अथवा भाग लेने वाले विद्यार्थियों को अर्हता पूर्ण होने पर, बगैर किसी गुणानुक्रम के उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जाए, जिसके वे पात्र हैं।	١.

1... ...

5.64

17/20

r

13.9 बशतें कि-

(1) खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय /अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की अधिकृत प्रतियोगिताओं के प्रमाण का अभिप्रमाणन संबंधित जिले के जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी द्वारा किया जावे।

(2) उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्रों का अभिप्रमाणन संबंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय के स्पोर्ट ऑफीसर द्वारा किया जायेगा।

- (3) विश्वविद्यालय/भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्रों का अभिप्रमाणन संबंधित विश्वविद्यालय के संचालक, खेल द्वारा किया जावे।
- (4) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्रों का अभिप्रमाणन संबंधित केन्द्रीय विद्यालय के स्पोर्ट ऑफीसर द्वारा किया जावे।
- (5) एस.जी.एफ.आई. द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्रों का अभिप्रमाणन संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जावे।
- (6) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यार्थियों को मिलेंगी जिन्होने पंजीयन के अन्तर्गत उक्त जानकारी का उल्लेख किया है परन्तु इस प्रकार की सुविधा अन्य, अर्थात दूसरे स्तर के पाठयकन में प्रवेश के लिए फिर एक नई उपलब्धी प्राप्त करना आवश्यक है।
- 13.10 स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सन्न तक के प्रमाण-पन्न तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सन्न के प्रमाण पन्न ही अधिभार के लिये मान्य किये जायेंगे।
- 13.11 राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएँ जिनमें राज्य सरकार सह—प्रायोजक हो, उसमें वहाँ प्रथम. द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को अधिमार के प्रतिशत की गणना कण्डिका 13.4(3) के अनुरूप होगी।
- 14. संकाय/विषय/समूह परिवर्तन : रनातक प्रथम वर्ष में अईकारी परीक्षा के संकाय से परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्ताकों से 5 प्रतिशत घटाने के बाद ही उनका गुणानुक्रम निर्धारित होगा और अधिभार घटे हुए प्राप्तांको पर ही देय होगा।
- 15. विशेष :
- 15.1 जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर या गलत जानकारी देकर, जानबूझकर अथवा छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों या प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश किसी आवेदक को यदि प्रवेश मिल जाता है, तब संज्ञान में आने पर ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 15.2.1 प्रावधिक प्रवेश के मामले में प्राचार्य पृथक सूची तैयार करेंगे और विश्वविद्यालय को नामांकन के लिये फार्म भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थियों ने वे सारी पूर्तियाँ पूरी कर ली हैं. जिनके अभाव में उन्हें तत्समय प्रावधिक प्रवेश दिया गया था।
- 15.2.2 नियमित प्रवेश लेने के बाद बिना किसी समुचित कारण अथवा बिना पूर्व अनुमति या पूर्व सूचना के, लगातार पंद्रह दिवस तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा। प्राचार्य द्वारा प्रवेश को निरस्त करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से विद्यार्थी को अनिवार्य रूप भेजनी होगी।
- 15.3 प्रवेश के बाद सन्न के दौरान कंडिका 9.1 एवं 9.2 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरण में लिप्त विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे संस्था से निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य का होगा।
- 15.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ने या उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसके निष्कासन की दशा में विद्यार्थी को सुरक्षा राशि (कॉशन मनी) के अलावा अन्य कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- 15.5(अ) प्रथम वर्ष मे प्रवेशित विद्यार्थी का तकनीकी /व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अन्यत्र प्रवेश हो जाने पर तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर विद्यार्थी को यू.जी.सी. के नोटीफिकेशन अक्टूबर 2018 के तहत महाविद्यालय द्वारा राशि वापिस की जावेगी।

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2019-20

रिमार्कः यू.जी.सी. द्वारा सूचित वैधानिक प्रोफेशनल कॉउसिल द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम तकनीकी /व्यवसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत माने जायेंगे।

- 15.5(ब) प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थी के अनुत्तीर्ण घोषित होने पर उसके प्रवेश के नियमित न हो पाने की स्थिति में उसे रूपये 100/– प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष राशि लौटाई जाएगी।
- 15.6 नियमित प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात् एक सप्ताह की समयावधि में उसी महाविद्यालय में पात्रता अनुसार विषय/पाठ्यक्रम/संकाय/ मुख्यमंत्री मेधावी विद्वार्थी योजना एवं मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना में अंतर परिवर्तन (शर्त–यदि MMVY एयं MMVJKY पोर्टल पर आयेदन नहीं किया है) प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धांत का पालन सुनिश्चित करते हुए. नियमानुसार उपलब्ध रिक्त स्थानों पर पात्रता एवं गुणानुक्रम का उल्लंघन न होने की शर्त पर केवल प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए ही विषय/पाठ्यक्रम/संकाय परिवर्तित किये जा सकेंगे। इस संबंध में महाविद्यालय विधिवत् सूचना प्रसारित कर, प्राप्त आवेदनानुसार कार्यवाही करेंगे। इस संबंध में महाविद्यालय विधिवत् सूचना प्रसारित कर, प्राप्त आवेदनानुसार कार्यवाही करेंगे। महाविद्यालय द्वारा किये गये परिवर्तन की जानकारी निर्धारित तिथि तक ऑन–लाइन मॉड्यूल में भी दर्ज करना होगी अन्यथा किये गये परिवर्तन मान्य नहीं होंगे साथ ही इस अवधि गें किसी भी प्रकार का नवीन प्रवेश मान्य नहीं होगा।
- 15.6.1 अकादमिक कैलण्डर का पालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, प्रवेश प्रकिया समाप्ति के तत्काल बाद सभी शासकीय/अशासकीय/अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रवेशित विद्यार्थियों द्वारा ऑन लाईन प्रवेश शुल्क समय सीमा में जमा किया गया है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक प्रवेशित विद्यार्थी ने केवल प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ही प्रवेश शुल्क जमा किया है। यदि ऐसा संज्ञान में आता है कि किसी आवेदक ने प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ही माध्यम से प्रवेश शुल्क जमा किया है। यदि ऐसा संज्ञान में आता है कि किसी आवेदक ने प्रवेश पोर्टल के माध्यम से की जायेगा है, तो उक्त आवेदन को प्रवेश हेतु मान्य नहीं किया जायेगा।
- 15.6.2 अकादमिक कैलण्डर का पालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के बाद महाविद्यालय को प्रवेश पोटर्ल से प्राप्त, ऑनलाईन प्रवेशित सूची में, यदि किसी प्रकार की विसंगति दिखाई देती है तो प्राचार्य प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति पर 15 दिवस की समय—सीमा में अनिवार्यताः अकादमिक शाखा, आयुक्त ,उच्च शिक्षा कार्यालय, म.प्र. भोपाल को पूर्ण तथ्यात्मक जानकारी, प्रमाण एवं प्रवेश पोर्टल से प्राप्त प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची सहित लिखित आवेदन हार्ड कॉपी में 15 दिवस की समय सीमा में प्रस्तुत करेंगे। इस संबंध में ई-मेल द्वारा कोई भी आवेदन स्वीकार्य नहीं किया जायेगा। उक्त समय—सीमा की समाप्ति के उपरान्त प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- 15.7 एक बार प्रवेश प्राप्त कर लेने के पश्चात् यदि आवेदक द्वारा महाविद्यालय से स्थानान्तरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाता है तो इसकी जानकारी भी ऑनलाइन उपलब्ध कराये गये मॉड्यूल में देना अनिवार्य होगा, जिससे प्रवेशित आवेदकों की वस्तुस्थिति स्पष्ट रहे।
- 15.8 ऐसे अशासकीय महाविद्यालयों जिनकी मान्यता अथवा उनके स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रमों की मान्यता शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समाप्त कर दी गई है उनमें विगत वर्षों में नियमित प्रवेशित विद्यार्थियों को अन्य महाविद्यालयों में उन्हीं पाठ्यक्रमों में अगले वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।
- 15.9 इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय—समय पर संशोधन/निरसन/ स्पष्टीकरण जारी करने/समय--सारणी घोषित एवं परिवर्तन करने/प्रवेश पोर्टल संबंधी जानकारी देने/ प्रवेश संबंधी निर्देश जारी करने/प्राप्त अभ्यावेदनों पर अंतिम निर्णय सहित सम्पूर्ण अधिकार राज्य शासन को होंगे।

संलग्न : अकादमिक कैलेण्डर सत्र 2019–20 एवं ऑनलाइन प्रवेश समय सारणी (परिशिष्ट 1, 2 एवं 3)

डॉ. जयश्री गिश्रा)

अपर सचिव गध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग

FKA .

परिशिष्ट – 1

अकादमिक कैलेंडर सत्र 2019–20 (सेमेस्टर कक्षाओं के लिए प्रभावशील)

अकादमिक कार्य	स्नातकोत्तर प्रथम/तृतीय	स्नातकोत्तर द्वितीय/चतुर्थ
आरंभिक कक्षाएँ	01 जुलाई 2019	23 दिसम्बर 2019
शैक्षणिक कार्य	01 जुलाई से 04 नवम्बर, 2019	23 दिसम्बर 2019 से 11 अप्रैल 2020
सी.सी. ई. कार्य	सितम्बर तृतीय सप्ताह	मार्च द्वितीय सप्ताह
प्रायोगिक परीक्षाएँ	22 अक्टूबर से 09 नवम्बर 2019 के मध्य	01 अप्रैल से 11 अप्रैल 2020 के मध्य
परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश	11 नवम्बर 2019 से 19 नवम्बर 2019	12 अप्रैल 2020 से 19 अप्रैल 2020
सेमेस्टर एवं एटीकेटी परीक्षा	20 नयम्बर 2019 से 14 दिसग्बर 2019	20 अप्रैल 2020 से 16 मई 2020
सेमेस्टर अंतराल (ब्रेक) विद्यार्थियों के लिए	15 दिसम्बर से 22 दिसम्बर 2019	18 मई से 30 जून 2020
परीक्षा परिणामों की घोषणा	31 दिसम्बर 2019 तक	15 जून 2020 तक

• प्रवेश उत्सव कार्यकम

- छात्रसंघ गठन
- खेलकूद / एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / युवा उत्सव / दीक्षान्त समारोह एवं अन्य गतिविधियाँ
- दीपावली अवकाश
- रनेक्ष शम्मेलन / वार्षिकोत्सव / पुरस्कार वितरण वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन एवं विमोचन

: अगस्त (प्रथम सप्ताह) 2019

: अगस्त / सितम्बर - 2019

: माह अक्टूबर 2019 तक पूर्ण कर ली जाएँ

: दिनांक 26 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2019 तक (पांच दिवस)

: फरवरी 2020 द्वितीय सप्ताह (अधिकतम 04 कार्य दिवस)

टीप :--

- (1) अपरिहार्य कारणवश शैक्षणिक कार्य निर्धारित मानक दिवसों से कम होने की दशा में, महाविद्यालय/विवि स्तर पर शैक्षणिक कालखण्डों की अवधि में आवश्यकतानुसार वृद्धि कर शैक्षणिक दिवसों की पूर्ति की जाये ताकि अकादमिक कैलेण्डर का पालन समयानुसार सुनिश्चित किया जा सके।
- (2) रनातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश हेतु प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया को अपनाते हुए शैक्षणिक कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित किया जाये ।

21

स्नातकोत्तर प्रथम/तृतीय कार्य दिवसों की गणना सन्न 2019–20

ক্র,	माह	दिवस	अवकाश	दिवस
1	जुलाई 2019	31	4 रविवार	27
2	अगस्त 2019	31	4 रविवार + 3 अवकाश	24
3	सितम्बर 2019	30	5 रविवार + 1 अवकाश	24
4	अक्टूबर 2019	31	4 रविवार + 2 अवकाश	25
5	नवम्बर 2019	30	4 रविवार + 1 अवकाश	25
6	दिसम्बर 2019	31	5 रविवार + 1 अवकाश	25
	कुल दिवस	184	184-34	150

स्नातकोत्तर सेमेस्टर पद्धति प्रथम / तृतीय हेतु शैक्षणिक कार्य दिवसों की गणना सत्र 2019-20

क्र	विवरण	कार्य दिवस
1	01 जुलाई 2019 से 14 दिसम्बर 2019 तक कुल कार्य दिवस	133
2	अवकाश एवं शैक्षणेत्तर गतिविधि / परीक्षा हेतु अशैक्षणिक दिवस 1. स्थानीय अवकाश— 03 2. दीपावली अवकाश— 04+01 रविवार = कुल 5 दिवस 3. महाविद्यालय स्तर गतिविधियां— 10 4. परीक्षा— 25	42
3	कुल शैक्षणिक दिवस (1-2) (133-42)	91

स्नातकोत्तर द्वितीय/चतुर्थ कार्य दिवसों की गणना सन्न 2019–20

ক্র.	माह	विवस	अवकाश	दिवस
1	जनवरी 2020	31	4 रविवार + 1 अवकाश	26
2	फरवरी 2020	29	4 रविवार + 2 अवकाश	23
3	मार्च 2020	31	5 रविवार + 2 अवकाश	24
4	अप्रैल 2020	30	4 रविवार + 3 अवकाश	23
5	मई 2020	31	5 रविवार + 0 अवकाश	. 26
6	जून 2020	30	4 रविवार + 1 अवकाश	25
	कुल दिवस	182	182-35	147

स्नातकोत्तर सेमेस्टर पद्धति द्वितीय/चतुर्थ हेतु शैक्षणिक कार्य दिवसों की गणना सत्र 2019–20

क्र	विवरण	कार्य दिवस
1	23 दिसम्बर 2019 से 16 मई 2020 तक कुल कार्य दिवस	119
2	अवकाश एवं शैक्षणेत्तर गतिविधि/परीक्षा हेतु अशैक्षणिक दिवस 1. महाविद्यालय स्तर गतिविधियां– 04 4. परीक्षा– 25	29
3	कुल शैक्षणिक दिवस (1-2) (119-29)	90

2

सत्र 2019–20 अकादमिक कैलेण्डर

(वार्षिक पद्धति—स्नातक प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष कक्षाओं हेतु प्रभावशील)

स.क्र	विवरण	तिथि	
1	प्रवेश प्रारंभ	10.062019	
2	शिक्षण कार्य प्रारंभ	01.07.2019	
3	प्रवेश उत्सव कार्यकम	अगस्त (प्रथम सप्ताह) 2019	
4	स्थानांतरण प्रकरणों को छोड़कर अन्य सभी प्रवेश बन्द	14.08.2019	
5	संकाय परिवर्तन/विषय परिवर्तन/प्रवेश समस्या निवारण	प्रवेश समाप्ति के पश्चात	
	शिविर	एक सप्ताह तक	
	छात्र संघ/सांस्कृतिक, साहित्यिक/ खेलकूद एवं अन्य महा	विद्यालयान गातावाधया	
1	छात्रसंघ गठन	अगस्त/सितम्बर 2019	
2	विश्वविद्यालयीन/महाविद्यालयीन/जिला/संभाग/राज्य रतरीय प्रतिस्पर्धाएं	ये सभी गतिविधियां माह अक्टूबर 2019 तक पूर्ण कर ली जाएं।	
3	खेलकूद/एन.सी.सी./एन.एस.एस/युवा उत्सव/दीक्षान्त समारोह एवं अन्य गतिविधियाँ		
4,	वार्षिक स्नेह सम्मेलन/वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन एवं विमोचन	फरवरी द्वितीय सप्ताह 2020 (अधिकतम 04 दिवस)	
	<u>।</u> आंतरिक मूल्यांकन/वार्षिक परीक्षाएँ		
1	पूरक परीक्षा प्रारंभ	16.09.2019 से 23.09.2019	
2	पुरक परीक्षा परिणाम की घोषणा	30.09.2019	
 3	तिमाही परीक्षा आंतरिक मूल्यांकन	सितम्बर अंतिम सप्ताह 2019	
4	छःमाही आंतरिक मूल्यांकन	दिसम्बर अंतिम सप्ताह 2019	
5	सैद्धान्तिक परीक्षा कार्यक्रम की विस्तृत घोषणा	17 फरवरी 2020	
6	सभी स्नातक कक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथि	12 मार्च से 25 मार्च 2020	
7	परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश	26 मार्च से 31 मार्च 2020	
8	वार्षिक परीक्षा प्रारंभ	01 अप्रैल से 15 मई 2020	
9	सभी परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि	15 जून 2020	
1	दीपावली	दिनांक 26 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2019 तक (पांच दियस)	
2	ग्रीष्म अवकाश (शिक्षकों हेतु)	18.05.2020 से 26.06.2020 (कुल 40 दिवस)	

3

कार्य दिवसों की गणना संत्र 2019–20

(वार्षिक पद्धति—रंनातक प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष कक्षाओं हेतु प्रभावशील)

(अ)	अवकाश एवं शैक्षणेत्तर गतिविधियों का विवरण	
1	रविवार	52
2	सामान्य अवकाश	18 कार्य दिवस
3	स्थानीय अवकाश	03 कार्य दिवस
4	दीपावली अवकाश	04 कार्य दिवस+01 रविवार = कुल 5 दिवस
5	छात्रसंघ गठन / महाविद्यालयीन सांस्कृतिक गतिविधियां आदि	15 कार्य दिवस
<u></u>	योग	92
(ब)	परीक्षा / ग्रीष्मावकाश के अशैक्षणिक दिवस	
2	परीक्षा पूर्व तैयारी	06 कार्य दिवस
3	परीक्षा अवधि	45 कार्य दिवस
	ग्रीष्मावकाश अवकाश	35 कार्य दिवस+ 05 रविवार = कुल 40 दिवस
ਜ) [योग	86 कार्य दिवस
	कुल अशैक्षणिक दिवस (अ+ब) 92+86= 178	178 कार्य दिवस
/	कुल शैक्षणिक दिवस 366-178= 188	188 शैक्षणिक कार्य दिवस

अपरिहार्य कारणवश शैक्षणिक कार्य निर्धारित मानक 180 दिवसों से कम होने की दशा में, महाविद्यालय / विवि स्तर पर शैक्षणिक कालखण्डों की अवधि में आवश्यकतानुसार वृद्धि कर शैक्षणिक दिवसों की पूर्ति की जाये ताकि अकादमिक कैलेण्डर का पालन समयानुसार सुनिश्चित किया जा सके।

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग

Academic Calander 02 May. 2019

मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग ऑनलाईन प्रवेश समय-सारिणी

с У

1

(सत्र : 2019-20		T	स्नातकोत्तर (प्रथ	मा सेमेरटर)
स्तातक (प्रथम वय)				विशांक तक
कार्य का विवरण	दिनांक से	दिनांक तक	दिनांक से	
प्रथम चरण		T		30-6-2019
	10-6-2019	16-6-2019	15-6-2019	01-7-2019
अ) ऑनलाईन पजीयन एवं महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/विषय-समूह का विकल्प देना	10-6-2019	17-6-2019	15-6-2019	01-/-2017
अ) ऑनलाईन पजीयन एवं महाविद्यालय/पाठ्यप्रमा/पिर्यप्रमा/ (ब) आवेदन पत्र एवं दरतावेजों का सत्यापन किसी भी शास. महा. से कराना (अ) सत्यापन करा चुके आवेदकों के लिए, प्रथम चरण के सीटआवंटन-पत्र जारी	27-6-2019		08-7-2019	
करना	28-6-2019	01-7-2019	09-7-2019	11-7-2019
 (म) आयंटित महाविद्यालयों में आयश्यक दस्तायेज जमा कर आगलाश्व पुरुष उ की लिंक इनीशिएट कराना एवं प्रयेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन शुल्क का भुगतान करना। (स) ऑनलाईन प्रवेश आवंटन प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय/ संस्थान द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियो की पोर्टल पर ऑनलाईन रिपोर्टिंग करना 	10-6-2019	01-7-2019	15-6-2019	11-7-2019
(अ) गहाविद्यालयों में प्रथम चरण के पश्चात रिक्त रह गये रथानों एवं प्रथम चरण के महाविद्यालयवार /पादयक्रमवार/आरक्षण वर्गदार कट ऑफ की पोर्टल पर	03-7-2019	07-7-2019	13-7-2019	16-7-201
			1 10-1-2017	
जानकारी (२) आएंग्रीकृत आवेषकों हेत ऑनलाईन पंजीयन एवं महाविद्यालय पाठ्यक्रम	04-7-2019	07-7-2019		1
(व) अपंजीकृत आवेदकों हेतु ऑनलाईन पंजीयन एव महाविद्यालय पार्थ्यप्रभ	04-7-2019			17-7-201
 (ब) अपंजीकृत आवेदकों हेतु ऑनलाईन पंजीयन एव महाविद्यालय पाउ्यप्रण / विषयसमूह का विकल्प देना। (स) दरतावेजों का सत्यापन नवीन पंजीयन / पूर्य पंजीकृत किन्तु सत्यापन से यंचित आवेदकों के लिए 		08-7-2019	13-7-2019	17-7-201
 (ब) अपंजीकृत आवेदकों हेतु ऑनलाईन पंजीयन एव महाविद्यालय पाउ्यप्रभग / विषयसमूह का विकल्प देना। (स) दस्तावेजों का सत्यापन नवीन पंजीयन/पूर्य पंजीकृत किन्तु सत्यापन से यंचित आवेदकों के लिए प्रथम चरण में सिक्त रह गयी सीटों हेतु पुनः महाविद्यालय/पाट्यक्रम/ विषय- राग्ह का ऑनलाईन विकल्प देना (पंजीकृत एवं दस्तावेजों को सत्यापिस कश शाग्ह का ऑनलाईन विकल्प देना (पंजीकृत एवं दस्तावेजों को सत्यापिस कश धुक अप्रवेशित/प्रथम चरण में आवंदन प्राप्त किन्तु अप्रवेशित आवेदकों सारा) धुक अप्रवेशित/प्रथम चरण में आवंदन प्राप्त किन्तु अप्रवेशित आवेदकों सारा) 	04-7-2019	08-7-2019	13-7-2019	9 17-7-201
 (ब) अपंजीकृत आवेदकों हेतु ऑनलाईन पंजीयन एवं महाविद्यालय पाउ्यप्रण / विषयसमूह का विकल्प देना। (स) दरतावेजों का सत्यापन नवीन पंजीयन/पूर्व पंजीकृत किन्तु सत्यापन से यंचित आवेदकों के लिए प्रथम चरण में रिक्त रह गयी सीटों हेतु पुनः महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/ विषय- राग्रह का ऑनलाईन विकल्प देना (पंजीकृत एवं वस्तावेजों को सत्यापिस कश साग्रह का ऑनलाईन विकल्प देना पाज किन्तु अप्रवेशित आवेदकों झारा) 	04-7-2019 04-7-2019 15-7-201	08-7-2019 0 08-7-2019 9 -	13-7-2019 13-7-2019 23-7-201	9 17-7-201 9 17-7-201 9 26-7-20

.

<u>.</u>	पोर्टल पर प्रदर्शित की जाना।	22-7-2019	1.	29-7-2019	<u>, </u>
7	(अ) अपजीकृत नवीन आवेदकों द्वारा ऑनलाईन पंजीयन, ई–प्रवेश पोर्टल पर कराना एवं ऑनलाइन पंजीयन शुल्क का भुगतान करना।	22-7-2019	26 -7-2019		1
	(४) दर्शावजी का संराणम सामग्रिक कि के		20 -7-2019	29-7-2019	01-8-201
	सत्यापन से वंचित आवेदकों के लिए	1	27-7-2019	29-7-2019	02-8-2019
	(अ) इस धरण में प्रवेश के टक्स्ट आगेरना के ना कि	22-7-2019	27-7-2019	29-7-2019	02-8-2019
K	 अ) महाविद्यालय द्वारा प्रवेश सूची जारी करना अ) आवेदकों द्वारा आवश्यक करना 	31-7-219		06-8-2019	
	ऑनलाइन शुल्क का समय सीमा में भागनान जाता पाटल के माध्यम से	31-7-200	03-8-2019	06-8-2019	08-8-2019
	(4) उपराक्त वर्णित कंडिका (ब) में उल्लेखित दिनांक तक आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में. रिक्त सीटों को अनारक्षित मानते हुए महाविद्यालय द्वारा शेष आवेदकों की प्रवेश सूची मैरिट अनुसार जारी कर लिंक इनीशिश्रंध कराना एवं आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से ऑन्लाईन शुल्क का समय सीमा में यगाना का	06-8-2019	8-2019	11-8-2019	14-8-2019
) अनिलाईन प्रवेश आर्यटन प्रक्रिया से प्राप्त	22-7-2019	08-8-201	9-7-2019	4-8-2019

I

10 (5 (4)


Ϊ.

(जयश्री मिश्रा) अपर सचिव म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभान

26

4





牙丁-2018-19

<u>मध्यप्रदेश शासन</u> .उच्च शिक्षा विभाग <u>मंत्रालय</u>

ः आदेशः ः

भोपाल दिनांक \$ मई 2018

क्रमांक UIS/114/सीसी/ –अड़तीस–माननीय कुलाधिपति जी द्वारा दिये गये अनुमोदन उपरान्त राज्य शासन सन्न 2018–19 के लिए मध्यप्रदेश के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेश नियम/मार्गदर्शी सिद्धांत तथा अकादमिक कैलेण्डर एतद् द्वारा जारी किये जाते हैं।

(संलग्नः- उपरोक्तानुसार)

अपर सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय

पृ०क्रमांकधं। ५/ ।। (/ सीसी / – अड़तीस, प्रतिलिपिः– भोपाल दिनांक 8 मई 2018

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, भोपाल म.प्र.।

2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा, म.प्र.।

3. स्टाफ आफीसर, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय।

. 4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. सतपुड़ा भवन, भोपाल।

5. अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल, म.प्र.।

कुलसचिव, भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा/उज्जैन/छतरपुर म.प्र.

7. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, म.प्र.।

8. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.।

9. प्राचार्य, शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय, म.प्र.।

- 10. राज्य सूचना अधिकारी (एनआईसी), विन्ध्याचल भवन, भोपाल म.प्र. की ओर कृपया आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 11. प्रभारी आई.टी. सेल, कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा सतपुड़ा भवन, भोपाल। कृपया वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

म.प्र.शर्सिन, उच्च शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश के शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त (सन्न 2018-2019)

1. प्रयुक्ति :--

....

5

1.

142 151-3

मार्गदर्शक सिद्धान्त मध्यप्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय (अनुदान प्राप्त एवं अनुदान अप्राप्त) महाविद्यालयों में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अध्यादेश क्रमांक-6 एवं 7 के प्रावधानों के तहत सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे। जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश / नियम / विनियम में प्रवेश पात्रता हेतु अन्यथा उल्लेख हों, उदाहरणार्थ बी. सी.आई. वहाँ ये नियम विश्वविद्यालय / सम्बद्ध महाविद्यालयों के सुसंगत पाठयक्रमों में लागू नहीं होंगे।

समस्त महाविद्यालयों में गरिमा पूर्ण प्रवेश उत्सव / कार्यक्रम जुलाई 2018 के प्रथम 1.1 सप्ताह में आयोजित किये जाऐगें जिसमें कि प्रथम वर्ष के प्रवेशित विद्यार्थियों हेत् मार्गदर्शन व्याख्यान दिये जाने की व्यवस्था की जायें।

2. प्रवेश प्रक्रिया :--

प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों के स्नातक प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में सत्र 2018–19 हेतु केन्द्रीयक त ऑनलाइन प्रवेश की व्यवस्था होगी। ऑनलाइन प्रवेश व्यवस्था में सर्वप्रथम आवेदक को अपना ऑनलाइन पंजीयन, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु विभाग द्वारा पृथक से जारी समय सारणी अनुसार निर्धारित समयावधि में, अनिवार्यतः कराना होगा। प्रवेश प्रक्रिया की विस्तृत समय सारणी म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल के 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम चोषित होने के पश्चात पृथक से जारी की जाएगी। कक्षा 12वीं में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को भी प्रावर्धिक प्रवेश के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य है। इन विद्यार्थियों को अंतिम चरण में स्थान रिक्त रहने पर ही प्रवेश दिया जा सकेगा।

स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिये पंजीयन के अंतर्गत आवेदक को अपने विषय-समूह (गणित/जीव विज्ञान/कृषि/वाणिज्य/कला/गृह-विज्ञान इत्यादि) का चयन करते हुए उन महाविद्यालयों का चयन करना होगा जिनमें वह प्रवेश चाहता है। इसी तरह स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी प्रवेश हेतु पंजीयन के अन्तर्गत आवेदक को अपने विषय का चयन करते हुए उन महाविद्यालयों का चयन करना होगा जिनमें वह प्रवेश चाहता है। विद्यार्थी को अपने विकल्प ऑनलाइन देने होंगे। इस प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी हेतु www.epravesh.nic.in पोर्टल उपलब्ध है। आवेदक अधिकतम 09 (नौ) महाविद्यालय / पाठ्यक्रम का चयन पंजीकरण के दौरान कर सकेगा। पंजीयन शुल्क का भुगतान समय सारिणी अनुसार, चरणवार एकमुश्त निम्नानुसार देय होगाः-

1. प्रथम चरण में पंजीयन हेतु ल. 100/- (समरत छात्राओं को निःशुल्क)

2. द्वितीय चरण में पंजीयन हेतु रू. 250 / -विलंब शुल्क सहित।

3. तुलीय चरण एवं सी.एल.सी चरण में पंजीयन हेतु रू. 500/- विलंब शुल्क सहित।

विशेष- समस्त छात्राओं को प्रथम चरण में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीयन शुल्क से मुक्त रखा जायेगा।

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2018-19

2/20

आवेदक के दस्तावेज का सत्यापन कार्य ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित सहायता केंद्रों (समस्त शासकीय महाविद्यालय) के माध्यम से सम्पन्न किया जावेगा। निर्दिष्ट तिथियों के पश्चात कोई भी आवेदक ऑनलाइन पंजीयन नहीं कर सकेगा। द्वितीय एवं आगामी चरणों में पंजीयन कराने वाले आवेदकों के प्रवेश हेतु तत्समय उपलब्ध रिक्त सीटों पर ही विचार किया जावेगा।

पंजीयन के पश्चात् आवेदक आवेदन का प्रिंट आउट प्राप्त कर समस्त प्रविष्टियों जैसे नाम, माता--पिता का नाम, जन्मतिथि (10वीं/12वीं की अंकसूची के अनुसार), श्रेणी, वर्ग, प्राप्तांक, मोबाईल नम्बर एवं अधिभार प्रमाण पत्र की जानकारी इत्यादि की सावधानीपूर्वक जाँच कर ले एवं सुनिश्चित करे कि दर्ज जानकारी एवं स्पैलिंग पूर्णतया सही है। सत्यापन केन्द्र पर सत्यापन के पश्चात् किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। दर्ज प्रविष्टियों की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। आवेदक अपना पंजीयन इंटरनेट के माध्यम से पोर्टल पर कहीं से भी कर सकता है। आवेदकों की सुविधा के लिए समस्त शासकीय महाविद्यालयों में इसके लिए सहायता केद्रों (Help Centers) की भी व्यवस्था की गई है।

आवेदक प्रवेश हेतु अपना पंजीयन उक्त महाविद्यालयों में समस्त मूल दस्तावेजों एवं फोटो के साथ उपस्थित होकर हेल्प सेंटर के माध्यम से भी करवा सकेगा। हेल्प सेंटर द्वारा ऑनलाइन पंजीयन का प्रिन्ट आवेदक को दिया जायेगा। इस हेतु प्रक्रिया शुल्क के रूप में रु. 10/- जनभागीदारी मद में लिये जावेंगे। आवेदक को पंजीयन शुल्क का भुगतान निर्धारित प्रक्रियानुसार करना होगा। आवेदक को अपने दस्तावेजों का सत्यापन कंडिका 2.1 अनुसार करवाना होगा।

जिन दूरस्थ अंचलों के शासकीय महाविद्यालयों में हेल्प सेंटर नहीं है, उन महाविद्यालयों में आवेदक निर्धारित प्रारूप में हरतलिखित आवेदन निर्धारित चरणवार पंजीयन तिथि के तीन दिवस पूर्व तक जमा कर सकते हैं। आवेदक अपने समस्त आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करेंगे जिसे महाविद्यालय द्वारा मूल दस्तावेजों से सत्यापित किया जायेगा। महाविद्यालय आवेदक से निर्धारित पंजीयन शुल्क प्राप्त कर जनभागीवारी खाते में जमा करेगा। तत्पश्चात महाविद्यालय द्वारा आवेदक का ऑनलाइन पंजीयन तीन दिवस के अन्दर/उस चरण की निर्धारित पंजीयन तिथि तक आवश्यक रूप से कराना होगा तथा उसे पोर्टल पर सत्यापन अधिकारी के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापित करवाना होगा। आवेदक के ऑनलाइन पंजीयन का प्रिन्ट उसके आवेदन के साथ संलग्न करना होगा तथा इसकी सूचना आवेदक को देनी होगी। महाविद्यालय को आवेदक से प्राप्त पंजीयन शुल्क की जानकारी (दिनांक, महाविद्यालय का कोड क्रमांक, आवेदक का पंजीयन क्रमांक तथा रसीद क्रमांक आदि) पोर्टल पर तुरन्त दर्ज करना आवश्यक होगा। यह अति आवश्यक है क्योंकि पंजीयन शुल्क की जानकारी प्राप्त न होने पर आवेदक को आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा और इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी।

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2018-19

1

2

N. 6.00

2

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2018-19

dras

4/20

इंटरनेट से प्राप्त अंकसूची एवं मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) के संबंध में : दस्तावेजों के सत्यापन के समय इंटरनेट से डाउनलोड की हुई अंकसूची मान्य-होगी, परन्तु प्रवेश के समय मूल अंकसूची ही मान्य होगी। मूल अंक सूची/मूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टी.सी.) के अभाव में आवेदक से निर्धारित प्रपन्न में वचन-पत्र प्राप्त कर निर्दिष्ट समयावधि में अंकसूची की प्रतिलिपि तथा मूल टी.सी. जमा

2.1.3 महाविद्यालय में प्रवेश हेतु उन्हीं आवेदकों पर विचार किया जावेगा जिनके दस्तावेजों का सत्यापन एवं पंजीयन शुल्क का भुगतान निर्धारित अंतिम तिथि तक हो चुका होगा।
 2.2 इंटरनेट से गण्य रंग 0

2.1.2 स्नातकोत्तर स्तर : ऑनलाइन पंजीयन के पश्चात आवेदक को कंडिका 2.1.1 में उल्लेखित प्रक्रिया को अपनाते हुए सहायता केंद्र से अभिप्रमाणन से संतुष्ट होने पर अपने हस्ताक्षर कर सत्यापन—पत्र की प्रति प्राप्त करनी होगी। सत्यापन कार्य ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय सारणी अनुसार शासकीय महाविद्यालयों में स्थापित सहायता केंद्रो के माध्यम से सम्पन्न किया जावेगा।

सत्यापन कार्य ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय सारणी अनुसार शासकीय महाविद्यालयों में स्थापित सहायता केंद्रो के माध्यम से सम्पन्न किया जावेगा। निर्धारित तिथियों में पंजीकृत एवं सत्यापित आवेदकों को ही गुणानुक्रमानुसार महाविद्यालयों में प्रवेश आवंटन हेतु सम्मिलित किया जावेगा।

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी–3–7–2013–एक, दिनांक 25.09.2014 के निर्देशानुसार स्थानीय निवासी हेतु स्व–प्रमाणित घोषणा–पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।

2.1.1 स्नातक स्तर : ऑनलाइन पंजीयन के पश्चात् आवेदक को अपने दस्तावेजों (अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची, प्रमाण--पत्र, जाति प्रमाण--पत्र, संवर्ग प्रमाण--पत्र, ओ.बी.सी. के लिये क्रीमी--लेयर में न होने का प्रमाण--पत्र, स्थानीय निवासी हेतु स्व--प्रमाणित घोषणा--पत्र, एन.एस.एस. / एन.सी.सी. / क्रीड़ा / साहित्यिक / सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रमाण--पत्र इत्यादि) जिनके आधार पर प्रवेश के लिए अधिभार देय हो, का सत्यापन करवाना होगा। पंजीयन पश्चात् आवेदकों अथवा उनके अभिभावकों द्वारा अनिवार्यतः संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन किसी भी शासकीय महाविद्यालय में उपस्थित होकर करवाना होगा। पंजीकृत आवेदकों को किसी भी निकटतम शासकीय महाविद्यालयों में स्थापित सहायता केंद्रों में अपने मूल प्रमाण--पत्रों, जिनका उल्लेख आवेदन में किया हो, की छायाप्रतियों के एक सेट और एक पंजीयन--पत्र की प्रति सहित उपस्थित होना होगा। निर्दिष्ट सहायता केंद्रों पर इन प्रमाण--पत्रों के आधार पर सत्यापन होगा। सहायता केंद्र के प्रभारी द्वारा सत्यापन पत्र की दो प्रतियों पर सहायता केंद्र में अभलेख स्वरुप साथ रखेंगे। तत्पश्चात अभिप्रमाणन से संतुष्ट होने पर आवेदक सं हस्ताक्षर प्राप्त कर, एक प्रति आवेदक को प्रदान करेंगे और दूसरी प्रति पर आवेदक सं करवाक्षर स्वरुप साथ रखेंगे। तत्पश्चात अभिप्रमाणन से संतुष्ट होने

2.1 ऑनलाइन पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन :

पंजीयन शुल्क का भुगतान :

5

1

5

2

2

56.

आवेदकों द्वारा पंजीयन शुल्क का भुगतान ऑनलाईन डिजीटल माध्यम से किया जा संकेगा।

उच्च शिक्षा विमाग, म.प्र.

and dry

5/20

2.5.1 द्वितीय चरण के पश्चात महाविद्यालयवार/पाठ्क्रमवार/वर्गवार रिक्त स्थानों की जानकारी ई-प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। द्वितीय चरण के परचात् महाविद्यालयों / पाठ्यक्रमों में रिक्त रह गये स्थानों पर तृतीय चरण हेतु अप्रवेशित प्रवेश नियम एवं मार्गवर्शी सिद्धांत 2018-19

2.5 तृतीय चरण हेतु प्रवेश :

7

-

-

2.

~

2

61.5

प्रथम चरण के पश्चात् द्वितीय चरण हेतु महाविद्यालयों में उपलब्ध रिक्त स्थानों हेतु पूर्व से पंजीकृत आवेदकों (जिन्होंने प्रवेश नहीं लिया है अथवा जिन्हें आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है) के लिए पुनः ऑनलाइन महाविद्यालय / विषय / पाठ्यक्रम के चयन का विकल्प रहेगा। आवेदक चाहे तो अपनी पूर्व वरीयताएँ बदल सकेंगे। परन्तु प्रथम/आगामी किसी भी चरण में यदि किसी आवेदक को उसकी दर्शायी हुई प्रथम च्वाइस का महाविद्यालय आवांटित होता है एवं वह उस महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेता है, तो द्वितीय/आगामी चरण में उसे तब तक स्वतः कोई महाविद्यालय आवांटित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अपनी च्वाइस/विकल्प पुनः न भरे दे। पुनः वरीयता हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा।

महाविद्यालयों में रिक्त रह गये स्थानों पर प्रवेश हेतु पुनः वरीयताएँ :

2.3.2 महाविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन एडमिशन स्लिप का प्रिंट आउट आवेदक को अनिवार्यतः दिया जाना होगा, तभी आवेदक का नाम संबंधित महाविद्यालय के प्रवेशित छात्रों की सूची में पोर्टल पर दिखाई देगा। यह प्रवेश प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आवेदक स्वयं भी अपनी एडमिशन स्लिप का प्रिंटआउट पोर्टल से प्राप्त कर सुनिश्चित कर सकेंगे कि उनके प्रवेश की प्रविष्टि पोर्टल पर हो चुकी है। 2.4

2.3.1 प्रथम चरण में सभी सत्यापित आवेदकों को गुणानुक्रम एवं उनके संकाय/विषय एवं महाविद्यालयों के विकल्प के आधार पर महाविद्यालय में प्रवेश आवंटन ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम अनुसार पोर्टल पर जारी किये जावेंगे। इसकी सूचना आवेदकों को उनके द्वारा पंजीयन के समय दर्ज मोबाईल पर मैसेज के द्वारा दी जावेगी साथ ही आवेदक अपना प्रवेश आवंटन आवश्यक रूप से प्रवेश पोर्टल पर स्वयं भी चेक करें। तत्पश्चात् प्रथम चरण हेतु निर्धारित तिथि तक आवेदक आवंटित महाविद्यालय में सत्यापन के समय प्रस्तुत किये गये समस्त दस्तावेजों की छायाप्रतियाँ एवं मूल टी.सी. प्रस्तुत करेंगे। महाविद्यालय आवेदक की पात्रता आदि का सत्यापन करने के पश्चात् ई-प्रवेश पोर्टल पर आवेदक से प्राप्त आवश्यक दस्तावेज जमा करने संबंधी जानकारी प्रवेश मॉड्यूल में निर्धारित तिथि में करेंगे। तत्पश्चात् ही आवेदक को ऑनलाईन शुल्क जमा करनें हेतु लिंक इनीशिएट होगी। यह लिंक समय-सारणी अनुसार निर्धारित तिथि तक ही एक्टिव रहेगी। आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि तक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन निर्धारित प्रवेश शुल्क जमा करने एवं प्रवेश पोर्टल से शुल्क जमा करने की पुष्टि होने पर ही आवेदक का नाम संबंधित महाविद्यालय की प्रवेश सूची में दर्शित होगा। उक्त प्रवेश शुल्क संबंधित महाविद्यालय के खाते में ऑनलाईन ही ट्रांसफर होगा।

2.3 ऑनलाइन गुणानुक्रम अनुसार आवंटन सूची का महाविद्यालयवार प्रकाशन :

करवायी जाएगी। इसकी जानकारी यथास्थान ऑनलाइन प्रवेश माड्यूल में दर्ज की जावेगी जिससे प्रवेश मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सकेगीं। वचन पत्र में घोषित तिथि तक यदि आवेदक द्वारा संबंधित दस्तावेज जमा नहीं किये जाते हैं तो उसका

उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.

6/20

आवेदक अपनी पूर्व वरीयताओं में समय सारिणी अनुसार निर्धारित तिथियों में संशोधन/परिवर्तन कर सकेगा।

2.5.2 सी.एल.सी घरण हेतु अप्रवेशित आवेदकों को समय सारणी अनुसार निर्धारित तिथियों में रिक्त स्थानों की उपलब्धता वाले किसी भी महाविद्यालय में पाठ्यक्रम/विषय समूह/विषय का विकल्प देना होगा।

इस चरण में रिक्त आरक्षित सीटों पर संबंधित आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध न होने पर उक्त रिक्त सीटें सामान्य वर्ग के आवेदकों हेतु उपलब्ध रहेंगीं।

अर्हकारी परीक्षा में पूरक प्राप्त आवेदकों हेतु रिक्त सीटों पर पात्र आवेदक उपलब्ध न होने पर ही प्रावधिक प्रवेश हेतु सी.एल.सी. चरण में विचार किया जावेगा।

- 2.5.3 पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को निर्धारित तिथि तक परीक्षा परिणाम घोषित न होने की दशा में प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। स्थान रिक्त होने पर सी.एल.सी. चरण में प्रावधिक प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रावधिक प्रवेश के लिए अर्हताकारी परीक्षा में पूरक प्राप्त उन्हीं आवेदकों पर विचार किया जावेगा जिन्होंने अपना पंजीयन एवं वस्तावेजों का सत्यापन निर्धारित तिथियों में ही करा लिया है। प्रावधिक प्रवेशत विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तिथि से 7 दिवस के अन्दर प्रवेशित महाविद्यालय में अपने परिणाम के आधार पर उत्तीर्ण /अनुत्तीर्ण अद्यतन कराना होगा जिससे उनका प्रवेश स्वमेव नियमित / निरस्त हो जाएगा। स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए कंडिका 2.7 (कू) के अनुसार पात्रता निर्धारित होगी, लेकिन विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिये आवेदक को स्नातक स्तर पर उत्तीर्ण वि्षयों में से किसी एक में ही प्रावधिक प्रवेश की पत्रिता होगी।
- 2.5.4 कंडिका 5.1(क) में उल्लेखित शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पाल्य को आवेदित कक्षा में स्थान रिक्त होने पर प्रचलित सत्र के दौरान प्रवेश दिया जा सकेगा। इस हेतु संबंधित शासकीय सेवक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं पाल्य का निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियानुसार अन्य महाविद्यालय में प्रवेशित होना अनिवार्य है। शासकीय सेवक के स्थानांतरण के पश्चात् निर्धारित मुख्यालय के किसी भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त न होने पर कुलपति की अनुमतिं से ही सम्बद्ध पाल्य को प्रवेश दिया जा सकेगा।

2.6 स्नातक स्तर पर नियमित प्रवेश हेतू पात्रता :

2.6.1 प्रथम वर्ष में प्रवेश

· · ~

-

10

2

2

- (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता निम्नानुसार होगी :
 - विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय के सुसंगत विषय में प्रवेश के अतिरिक्त वाणिज्य संकाय, कला संकाय एवं गृह–विज्ञान संकाय में भी प्रवेश की पात्रता होगी।
 - वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
 - वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों को वाणिज्य संकाय के अतिरिक्त कला एवं गृह–विज्ञान संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी।

dio

- कला संकाय के विद्यार्थियों को कला संकाय के अतिरिक्त गृह–विज्ञान संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी।
- 5. गृह—विज्ञान संकाय में 10+2 परीक्षा, गृह विज्ञान से उत्तीर्ण आवेदकों के साथ—साथ विज्ञान, वाणिज्य, कला संकाय तथा 10+2 परीक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी प्रवेश की पात्रता होगी।

10+2 का तात्पर्य मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित या संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य राज्यों के विद्यालयों की इंटरमीडियट बोर्ड या 12वीं बोर्ड की समकक्ष परीक्षा से है। इन आ<u>वेदकों को संबंधित विश्वविद्यालय से</u> पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उसे प्रवेश के समय उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। संकाय परिवर्तन होने पर प्राप्तांक के 5 प्रतिशत अंक कम कर तद्नुसार गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

- (ख) 10+2 कृषि से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष में जीव–विज्ञान समूह में अथवा केला संकाय में प्रवेश दिया जा सकता है।
- (ग) बी.बी.ए. / बी.सी.ए. में प्रवेश संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित पात्रतानुसार
- 2.6.2 अन्य सेमेस्टरों / वार्षिक पद्धति में प्रवेश :

3

金

4.

2

2

2

6. 3

(क) पात्र विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में ही प्रवेश दिया जायेगा। शेष सेमेस्टरों/वर्षों में पिछले सेमेस्टरों में उत्तीर्ण/किसी भी एक सेमेस्टर/वर्ष में दो तथा एक-समय में अधिकतम चार विषयों में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms)/ पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी। नियमानुसार शुल्क का भुगतान करने पर ही ऐसे विद्यार्थियों के प्रवेश मान्य किये जायेंगे।

(ख) कंडिका 5.1(क) में उल्लेखित शासकीय सेवक के रथानान्तरित होने पर प्रदेश में वार्षिक / सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत अध्ययनरत् उनके पाल्यों को पाठ्यक्रम के बीच में स्नातक—स्तर पर प्रवेश दिया जा सकेगा। इस हेतु शासकीय सेवक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण—पत्र तथा आव्रजन प्रमाणपत्र (Migration Certificate) प्रस्तुत करना होगा। स्नातकोत्तर—स्तर पर प्रवेश के लिये संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण—पत्र प्राप्त कर आवेदक को प्रवेश के समय संलग्न करना अनिवार्य है।

(ग) मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक 97/380 /सीसी/14/38, दिनांक 16 फरवरी 2015 अनुसार ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी सत्र में नियमित प्रवेश से बंचित हो जाते हैं, वह विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष की परीक्षा में स्वाध्यायी छात्र के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं तथा परीक्षा उपरान्त विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी महाविद्यालय में संबंधित कोर्स/विषय में सीट रिक्त होने पर पात्रतानुसार स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष में तथा स्नातकोत्तर स्तर पर (विज्ञान व प्रायोगिक विषयों को छोड़कर) तृतीय सेमेस्टर में प्रावधिक नियमित प्रवेश ले सकेंगे।

रिजल्ट घोषित होने के 07 दिवस के अन्दर संबंधित महाविद्यालय रनातक द्वितीय वर्ष/पंचम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर की रिक्त सीटों की जानकारी

7/20

8/20

1 Lug

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2018-19

समस्त महाविद्यालयों को उनके यहाँ संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, 4.2 विषय समूह, सीट संख्या एवं पाठ्यक्रमवार/वर्गवार प्रथम, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय, पंचम सेमेस्टर में लिये जाने वाले प्रवेश शुल्क/नवीनीकरण की पृथक-पृथक विस्तृत जानकारी, महाविद्यालय का बैंक खाता क्रमांक, आई.एफ.एस.सी. कोड आदि

- 4.1 जिन पाठ्यक्रमों हेतु संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा सीट निर्धारण नहीं किया गया हैं, ऐसे पाठ्यक्रमों हेतु महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठक-व्यवस्था / प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण, सामग्री एवं स्टॉफ की उपलब्धता के आधार पर सीट संख्या का निर्धारण प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के पूर्व किया जावेगा। अगर विद्यार्थी-संख्या का निर्णय आयुक्त/विश्वविद्यालय द्वारा किया जाना आवश्यक है तो संबंधित प्राचार्य प्रवेश प्रकिया शुरू होने के पूर्व वांछित अनुमति प्राप्त कर ऐसा कर सकेंगे। साथ ही शासकीय महाविद्यालय आयुक्त उच्चशिक्षा के आदेश क्र. 1021/59/आउशि/शा—5'अ'/2017 भोपाल दिनांक 09 अगस्त 2017 के अधीन नियमानुसार सीट वृद्धि कर सकेंगे तथा समस्त सीट वृद्धि की मान्यता संबंधित विश्वविद्यालय से समय सीमा में प्राप्त करना प्राचार्य का दायित्व होगा। इस सम्बंध में समय-समय पर जारी आदेशों का पालन आवश्यक होगा।

4.

- उत्कृष्ट महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता होगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को नियमानुसार छूट की पात्रता होगी। जिला मुख्यालयों पर एक मात्र उपलब्ध महाविद्यालय के उत्कृष्ट घोषित होने की दशा में न्यूनतम अंक की सीमा लागू नहीं होगी। ऐसे उत्कृष्ट महाविद्यालय जिनमें कोई ऐसा पाठ्यक्रम संचालित है जो जिला मुख्यालय के अन्य किसी शासकीय महाविद्यालय में संचालित नहीं है, उस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उपरोक्तानुसार न्यूनतम अंक सीमा लागू नहीं होगी। प्रवेश सीट संख्या का निर्धारण :
- 3. उत्कृष्ट महाविद्यालयों में प्रवेश :
- स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में महाविद्यालय स्तर पर सिर्फ प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिया जायेगा। पिछले सेमेस्टरों में उत्तीर्ण अथवा किसी एक सेमेस्टर में दो तथा एक-समय में कुल 4 प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. प्राप्त विद्यार्थियों को अन्य सेमेस्टरों में नियमानुसार शुल्क भुगतान करने पर स्वतः प्रवेश मिल सकेगा।
- किसी भी संकाय से उत्तीर्ण रनातक को एम.ए. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रतां संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार होगी। (ग)
- बी.एस.सी. संबंधित विषय के साथ 3. एम.एस.सी. (गृहविज्ञान), बी.एस.सी. (गृहविज्ञान) प्रथम सेमेस्टर (ख)
- 2. एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर
- 1. एम.कॉम. प्रथम सेमेस्टर

4

2

2

- (क) कक्षा
- बी.कॉम.
- अर्हकारी परीक्षा
- तत्पश्चात प्रवेश मान्य नहीं होगा एवं निर्धारित तिथि तक प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। 2.7 स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश

उच्च शिक्षा विमाग, म.प्र. पोर्टल पर दर्ज करेंगे तथा 15 दिवस के अंदर ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।

की जानकारी निर्धारित तिथियों में आवश्यक रूप से ऑनलाईन विभागीय (http://www.mphighereducation.nic.in) पोर्टल पर दर्ज/अद्यतन कर लॉक करना होगा तथा उन्हें सत्यापित भी करना / करवाना होगा। नवीन महाविद्यालय के बैंक अकाउंट को सत्यापन के लिए 100 रू. टोकन राशि भुगतान लेने की व्यवस्था की गई है। महाविद्यालय द्वारा प्रवेश प्रारंभ होने के पूर्व सीट संख्या का पुर्ननिर्धारण कर सीट संख्या अद्यतन करनी होगी। प्रवेश प्रारम्भ होने के पूर्व संचालित/नवीन महाविद्यालय / पाठ्यक्रम / सीट संख्या अद्यतन कर सकेंगे, इसके बाद केवल सी.एल. सी. चरण में ही डाटा अद्यतन करना संभव होगा।

विधि स्नातक स्तर की कक्षाओं में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा निर्धारित मापदडों के अनुसार और अन्य कक्षाओं के लिए UGC के अनुसार अधिकतम 80 यिद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन में गुणामुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।

4.4 ---- स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों को वन---------अप योजनांतर्गत प्रायमरी /मिडिल स्कूल शिक्षकों के लिए शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु नियम व शर्ते म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. F44-27/2015/20-2, दिनांक 18 जून 2015 के अनुसार रहेंगी।

स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर उक्त आदेश में उल्लेखित पाठ्यक्रमों/विषयों में महाविद्यालय में उपलब्ध कुल सीटों के 02 प्रतिशत स्थान उपलब्ध रहेंगे। यदि प्रतिशत आधे से कम आता है तो कोई स्थान उपलब्ध नहीं होगा। आधे से एक प्रतिशत के बीच आने पर ही ख्थान की संख्या एक मानी जायेगी। वन स्टेप अप योजना के अंतर्गत प्रवेश ऑफलाइन माध्यम से होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग से वन स्टेप अप योजना के अंतर्गत चयनित शिक्षकों की सूची प्राप्त कर प्रवेश ऑफलाइन माध्यम से विभाग स्तर पर ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पूर्व किया जायेगा तथा इसकी प्रविष्टि ऑफलाइन रिपोर्टिंग माड्यूल में की जायेगी।

4.5 मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजनान्तर्गत प्रवेश – मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमाक 866/342/ सी.सी./2017 दिनांक 24 जून 2017 के तहत प्रदेश में प्रतिभाशाली आवेदकों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किए जाने के अनुक्रम में सन्न 2017-18 से मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना संचालित है, इसका क्रियान्वयन तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियमों के तहत किया गया है। योजनान्तर्गत रनातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले पात्र विद्यार्थियों का नियमानुसार शिक्षण शुल्क राज्य शासन वहन करता है। योजनान्तर्गत स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले पात्र आवेदकों को 1 (एक) रू. का टोकन प्रवेश शुल्क देय होगा इसके अतिरिक्त प्रवेश हेतु कोई शुल्क देयं नहीं होगा। योजना के संबंध में अन्य आवश्यक दिशा निर्देश/पात्रता संबंधी समय-समय पर जारी शासन के निर्देशों का पालन किया जावेगा।

5. प्रवेश की पात्रता :

3

P.

2

4.3

5.1 निवासी एवं अईकारी परीक्षा :

(क) मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी, मध्यप्रदेश में स्थायी सम्पत्तिधारी निवासी, राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय सेवक, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन मध्यप्रदेश में हो, उनके

furt when

9/20

प्रवेश नियम एवं मार्गवर्शी सिद्धांत 2018-19

10/20

1 xing

सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एज्यूकेशन (सी.बी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों / इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएँ मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है।

6. समकक्ष परीक्षा :

6.1

3

3

1-

विधि पाड्यक्रमों में प्रवेश ऑनलाईन-प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से ही होंगे। विधि महाविद्यालयों को उनके यहाँ संचालित विधि पाठ्यक्रमों, उनकी सीट संख्या, शुल्क आदि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा एवं इन पाठ्यक्रमों का सत्यापन संबंधित मैपिंग महाविद्यालय से निर्धारित तिथि तक करवाना होगा

विधि संकाय में प्रवेश बी.सी.आई. के नियमानुसार ही दिया जाएगा।

5.2 विधि संकाय में नियमित प्रवेश :

प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिये All India Council for Technical Education (AICTE), New Delhi द्वारा प्रदेश में (12 B of UGC Act. के तहत मान्य) महाविद्यालयों में दो अधिसंख्य सीटों का सृजन कर प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है। उक्त विद्यार्थियों को सीट आवंटन के बाद प्रवेश देने के पूर्व सम्बद्ध विश्वविद्यालय अनुसार पात्रता सुनिश्चित करने का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा। उक्त प्रवेशित विद्यार्थी की जानकारी ई–प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध माड्यूल में दर्ज करने का दायित्व भी संबंधित महाविद्यालय का होगा।

- 6. तकनीकी /व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में मेरिट के आधार पर एक प्रतिशत का (घ)
- 5. द्वितीय और आने वाले वर्षों में आव्रजन की सुविधा।
- 4. स्थानीय निवासी होने की अनिवार्यता से पूर्ण छूट।
- 3. उपलब्ध स्थानों में पाठ्यक्रमवार 5 प्रतिशत की वृद्धि।
- 2. न्यूनतम प्रवेश प्राप्तांकों में अधिकतम 10 प्रतिशत की छूट, अगर आवेदक पात्रता
- 1. प्रवेश की अंतिम तिथि में अधिकतम 30 दिन की छूट।
- (ग) जम्मू कश्मीर के विस्थापितों एवं उनके पाल्य/पाल्या के लिये निम्न प्रावधान लागू
- (ख) संबंधित विश्वविद्यालय या उस विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों / महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की अईकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालयों में प्रवेश की पात्रता होगी।
- सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी-3-7-2013-एक, दिनांक 25 सितम्बर 2014 के निर्देशानुसार स्थानीय निवासी हेतु स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।

पाल्यों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों/भूटान के विद्यार्थियों को महाविद्यालयों में प्रवेश की पात्रता होगी। उपरोक्तानुसार प्रवेश के पश्चात् स्थान रिक्त होने की दशा में अन्य खानों के बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा।

उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.

- 6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज) के सदस्य हैं, की समस्त परीक्षाएँ राज्य के विश्वविद्यालयों की परीक्षा के समकक्ष मान्य होगी।
- 6.3 संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता विहीन महाविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता-विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की परीक्षा/उपाधि मान्य नहीं होंगी।
 - माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विज्ञान से मिलते जुलते विषय, जैसे लेबोरेट्री मेडिसिन मैनेजमेंट एवं सिस्टम एनालिसिस, क्लिनिकल बॉयोकेमेस्ट्री, माइक्रोबॉयलाजी एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम तथा कम्प्यूटर से संबंधित विषय और प्रिंटिंग ऑफ डाटा—प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट एण्ड सिस्टम एनालिसिस, डी.टी. पी. पैकेज प्रोग्रामिंग, वर्कशाप प्रैक्टिस आदि सम्मिलित हैं। उपरोक्त विषयों के साथ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम 10+2 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण—पत्र प्राप्त करने के बाद ही संबंधित संकाय में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे आवेदकों को प्रवेश पंजीयन के समय विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता/अर्डता प्रमाण—पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। किसी भी कक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता प्रमाण—पत्र को अंतिम माना जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाण—पत्र को अंतिम माना जायेगा। विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित पात्रतानुसार प्रवेश के समय आवेदक की पात्रता के परीक्षण का संपूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा। आवंटन का तात्पर्य यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक प्रवेश की पात्रता पूर्ण करत्ता है।
- 6.5 मध्यप्रदेश संस्कृत बोर्ड की 'उत्तर मध्यमा परीक्षा' को हायर सेकेण्डरी परीक्षा के समकक्ष माना जाये।
- 7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :

// 6.4

2

- 7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एससी./बी.एस.सी.(गृह--विज्ञान) में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता है, किंतु सम्बंधित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय--समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो तो संबंधित परीक्षण के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा। विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
- 7.2 मध्यप्रदेश राज्य के बाहर रिथत यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों / स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष अथवा द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा, राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों/ स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर की प्रथम परीक्षा या प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि रनातक स्तर की प्रथम / द्वितीय येमेस्टर परीक्षा एवं विधि रनातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष अथवा एवं विधि रनातक स्तर की प्रथम परीक्षा या प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि रनातक स्तर की प्रथम / द्वितीय वर्ष परीक्षा एवं विधि रनातक स्तर की प्रथम / द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद उन्हीं विषय/विषयों/विषय-समूह की अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने की स्थिति में नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा। 7.3 शपथ--पत्र में फर्जी, किसी भी तरह की झूठी/गलत जानकारी पाये जाने की दशा

Xuno,

11/20

12/20

में संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में आगामी तीन वर्ष तक प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा। 7.4

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को प्रवेश के पूर्व प्राचार्यों द्वारा संबंधित राज्यों एवं रथानीय थानों के माध्यम से पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य है। 7.5

- केन्द्र सरकार द्वारा अनुवान प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थाओं में मध्यप्रदेश के विद्यार्थियों के लिए 80 प्रतिशत तथां अन्य राज्यों के विद्यार्थियों हेतु 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखने की व्यवस्था लागू रहेगी। 7.6
- महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में अध्ययनरत् संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। 7.7
- जिन विषयों में प्रवेश के लिये प्रवेश के विद्यार्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है, उन विषयों में अन्य राज्य के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 7.8
- अन्य राज्यों के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड / विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।
- 7.9
- ऐसे अध्ययनरत् विद्यार्थी जो छात्रावास में रहते हैं उन्हें अपने छात्रावास कक्ष में किसी अन्य को ठहराना प्रतिबंधित रहेगा। 7.10
 - अन्य राज्यों के छात्रों द्वारा प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा की अंकसूची, खानांतरण प्रमाण-पत्र, विश्वविद्यालय से पात्रता संबंधी प्रमाण-पत्र इत्यादि की मूल प्रति महाविद्यालय में जमा करने के बाद ही महाविद्यालय द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। मूल प्रमाण-पत्रों के अभाव में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। विद्यार्थी के मूल दस्तावेज छः महीने तक महाविद्यालय के पास रहेंगे, तत्पश्चात उसे आवेदक को वापस कर दिये जायेंगे। महाविद्यालय इस तरह संधारित मूल दस्तावेजों का लेखा रखेंगे तथा विद्यार्थियों को मूल दस्तावेज जमा कराने संबंधी पावती भी प्रदान करेंगे।
- 8. प्रावधिक प्रवेश की पात्रता :

6.0

Æ

£

12

- रनातक प्रथम वर्ष और रनातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता 8.1. रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश
- 8.1.1 स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी स्नातक अंतिम सेमेस्टर/वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश हेतु प्रथम से पंचम सेमेस्टर तक कुल अंकों के प्राप्तांक का प्रतिशत ऑनलाइन पंजीयन के समय दर्ज करना होगा जिसके आधार पर गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा। गुणानुक्रम का निर्धारण प्रावधिक प्रवेश हेतु दर्ज प्राप्तांकों के आधार पर ही होगा। प्रावधिक प्रवेश हेतु आवेदकों की किसी भी सेमेस्टर/वर्ष में ATKT/पूरक नहीं होनी चाहिए। 8.1.2
- उपरोक्त प्रवेशार्थी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सीट आवंटित होने पर अपने दायित्व पर एक वचन पत्र के साथ प्रवेश लेंगे जिसमें यह उल्लेख होगा कि अगर बष्ठम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम में गुणानुक्रम परिवर्तन अथवा विद्यार्थी अनुत्तीण होता है/वार्षिक परीक्षा पद्धति में तृतीय वर्ष अनुत्तीर्ण होता है जिसके कारण प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थी नियमित प्रवेश से वंचित हो जाता है तो यह उसकी जिम्मेदारी होगी। प्रावधिक प्रवेश के उपरान्त अंतिम परीक्षा परिणाम परिवर्तित होने की स्थिति में प्रवेशित विद्यार्थी को महाविद्यालय बदलने का अधिकार नहीं होगा। 8.2

रनातक पंचम सेमेस्टर/वार्षिक द्वितीय में ए.टी.के.टी./पूरक के नियमों के अनुसार पात्र विद्यार्थियों को शुल्क जमा करने पर प्रवेश की पात्रता होगी।

- 8.3 स्नातकोत्तर के तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. के नियमों के अनुसार पात्र विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.4 ए.टी.के.टी. / पूरक से संबधित प्रवेश नियम :
- 8.4.1 स्नातक कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. / पूरक नियम

2.

5

-

- सेमेस्टर / वर्ष के अंत में संबंधित सेमेस्टर / वर्ष की सभी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ लागू हो) विषयों में ए.टी.के.टी. / पूरक प्राप्त आवेदकों की परीक्षा होगी।
- 2. दो विषयों के प्रश्न--पत्रों में (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक जहाँ लागू है) अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित होने पर विद्यार्थी को ए.टी.के.टी. की पात्रता होगी, अर्थात विद्यार्थी को अगले सेमेस्टर में स्वतः प्रवेश मिल सकेगा। वार्षिक पद्धति में पूरक प्राप्त आवेदकों को विश्वविद्यालय के नियमानुसार अगले वर्ष में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी। पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर प्रावधिक प्रवेश निरस्त माना जावेगा।
- 3. विद्यार्थी एक समय में चार ए.टी.के.टी. के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश पा सकेगा, लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक विषयों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी।
- 4. स्नातक पाठ्यक्रम की अधिकृतम अवधि 5 वर्ष होगी जिसमें म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र.1868/198/सीसी/17/38, दिनांक 9.10.2017 के प्रावधान लागू होंगे।
- 5. विशेष परीक्षार्थी : राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रमों में प्रतिभागिता के कारण विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में पूर्णतः अथवा आंशिक अनुपरिथत विद्यार्थियों को आगामी सत्र में आयोजित सेमेस्टर/पूरक परीक्षाओं में (संबंधित सम/विषम सेमेस्टर/वर्ष की परीक्षाओं के साथ) ए.टी.के.टी./पूरक प्राप्त विद्यार्थी के रुप में नहीं बल्कि "विशेष परीक्षार्थी" के रूप में सम्मिलित होने की पात्रता होगी।
- 8.4.2 स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. नियम :
 - सेमेस्टर के अंत में निर्धारित सभी सैद्धांतिक एवं प्रयोगिक (जहाँ लागू हो) प्रश्न पत्रों की परीक्षा होगी।
 - 2. दो प्रश्न पत्रों में (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक जहाँ लागू है) अनुत्तीर्ण / अनुपस्थित होने पर विद्यार्थी को ए.टी.के.टी. की पात्रता होगी, अर्थात विद्यार्थी को अगले सेमेस्टर में स्वतः प्रवेश मिल सकेगा।
 - विद्यार्थी एक समय में चार ए.टी.के.टी. के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश पा सकेगा, लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी।
- 4 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि 4 वर्ष की होगी जिसमें म.प्र.शासन; उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र.1868/198/सीसी/17/38, दिनांक 9.10. 2017 के प्रावधान लागू होंगे।
- 8.5 जिन विद्यार्थियों को 'पूर्व छात्र' की श्रेणी में रखा गया था वे आगामी सेमेस्टर/वर्ष की मुख्य परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे। उत्तीर्ण होने की दशा में उन्हें जुलाई माह्ये से

- Kig

13/20

प्रारंभ होने वाले सन्न में नियमानुसार शुल्क जमा करने पर नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।

- 9. प्रवेश हेतु पात्रता/अपात्रता :
- 9.1 जिन आवेदकों के विरूद्ध न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहे हैं या चालान प्रस्तुत किया जा चुका हो, परीक्षा में या पूर्व सत्र में विद्यार्थियों / अधिकारियों / कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार / मारपीट करने के गंभीर प्रामाणित आरोप हों या उनमें चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हो तो ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिये प्राचार्य कदापि अधिकृत नहीं हैं।
- 9.2 महाविद्यालय में तोड़—फोड़ करने या महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने के प्रमाणित दोषी और रैगिंग के प्रमाणित आरोपी विद्यार्थियों को भी प्राचार्य प्रवेश देने के लिये अधिकृत नहीं हैं। रैगिंग के संदर्भ में यू.जी.सी. के ज्ञापन क्र. एफ—1—16/2007 (सी.पी.पी.।) अप्रैल 2009 के मार्गदर्शी निर्देशों का पालन अनिवार्य है। इस संबंध में विभाग द्वारा जारी पत्र क्र. 829/469/आउशि/शा—1/08 दिनांक 18 जून 2008 के अनुसार जीरो टालरेंस पॉलिसी (Zero Tolerance Policy) लागू रहेगी।
- 9.3 आयु संबंधी पात्रता : वर्ष 2017–18 के बिन्दु क्रमांक 9.3 क.ख.ग.घ.ड.च के तहत आयु संबंधी प्रावधानों को विलोपित किया गया है तथा उसके स्थान पर वर्ष 2018–19 से स्नातक एवं स्नातकोत्तर हेतु प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा हटाई गई है अर्थात सभी विद्यार्थियों के लिए आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा।
- 9.4 पूर्णकालिक शासकीय / अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि या शाम को लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं हैं। लेकिन दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जा सकेगा। किसी भी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों को (विधि संकाय को छोड़कर) अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं है।
- 9.5 ट्रॉन्सजेंडर को केवल सह—शिक्षा (Co-Education) महाविद्यालय में ही प्रवेश दिया जावेगा।
- 10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :
- 10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए अईकारी परीक्षा में प्राप्तांक एवं अधिभार यदि कोई देय है तो अधिभार को जोड़कर समग्र प्रतिशत के अंको के आधार पर गुणानुक्रम का निर्धारण किया जाएगा।
- 10.2 सामान्य एवं आएक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जाएगी।
- 10.3 प्राच्य पद्धति के संस्कृत महाविद्यालयों में शाला-स्तर के अध्यापन के कारण संबंधित बोर्ड द्वारा उनके पाठ्यक्रमों को संबद्धता यदि प्राप्त हो तो उस बोर्ड के प्रवेश नियमों को मान्य किया जा सकेगा। संस्कृत बोर्ड के परिणाम देर से घोषित होने पर 11वीं की अंक सूची के आधार पर पंजीयन कराया जा सकेगा तथा सी.एल.सी. चरण में इन आवेदकों को प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी। उत्तीर्ण होने पर प्रवेश नियमित एवं अनुत्तीर्ण होने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।

14/20

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :

5

*

किसी एक विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य किसी विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में महाविद्यालय में ख्यान रिक्त रहने की देशा में पात्रतानुसार ही प्रवेश दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण : मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा-

12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशः 16 तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।

12.2 पिछड़े वर्ग (क्रीमी--लेयर छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित /होंगे।

12.3 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातीयों/नातिनों, भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से निःशक्त हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों एवं भूतपूर्व तथा कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence personnel) के आश्रितों/सेन्द्रल आर्म पुलिस फोर्स के बच्चों के लिए तथा इन वर्गों के दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 05 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इससे संबंद्ध दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर, तीन वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाए, परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित स्थानों से ही उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों/अधिकारियों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा

- 1. युद्ध के दौरान शहीद की विधवा एवं उनके आश्रित।
- 2. युद्ध के दौरान रथायी रूप से अपंग, कार्यरत सैनिकों एवं उनके आश्रित।
- 3. शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद के आश्रित।
- 4. शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से निःशक्तजन तथा उनके आश्रित।
- 5. निम्न शौर्य पदकों से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रित-परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मैडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मैडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मैडल, सेना, नौसेना/वायु सेना मेडल पत्रों में उल्लेख।
- 6. राष्ट्रपति का वीरता हेतु पुलिस मैडल, वीरता हेतु पुलिस मैडल
- 7. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित।

8 कार्यरत सैनिकों के आश्रित।

- 124 दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिये 5 प्रतिशत ख़ान आरक्षित रखे जावेंगे परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिये आरक्षित ख्थान से ही उपलब्ध कराया जावेगा। दिव्यांगों को प्रवेश के समय अर्हतादायी अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
- 12.5 एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण-पत्र उत्तीर्ण आवेदकों के लिए रनातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय में स्वीकृत स्थान का 1 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा।

12.6 सभी वर्गों में उपलब्ध रथानों में 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.7 उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन तथा उसके अधीनस्थ कार्यालय, आयुक्त, कार्यालय उच्च शिक्षा में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्राचार्यों, प्राध्यापकों,

A dug

15/20

जच्च शिक्ता विमाग, म.प्र.

ग्रंथपालों, क्रीडा अधिकारियों, रजिस्ट्रारों एवं शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पाल्यों के लिए सभी सम्बन्धित संवर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे।

12.8 आरक्षित श्रेणी का कोई जम्मीदवार यदि अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी/ओपन प्रतिस्पर्धा में नियमानुसार मेरिट सूची में आता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें अप्रभावित रहेंगी। परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी अन्य संवर्ग जैसे-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का है तो संबंधित संवर्ग की सीट उस विशिष्ट आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी। संबंधित विशिष्ट संवर्ग की शेष सीटें पात्रतानुसार भरी

12.9 अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश:

अल्पसंख्यक संस्थाओं को (http://www.mphighereducation.nic.in) पर रजिस्टर करना होगा एवं उनके उच्च शिक्षा पोर्टल संस्थान में सम्बंधित विश्वविद्यालय के संचालित पाठ्यक्रमों/विषयों, उनकी सीट संख्या, शुल्क आदि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा एवं इन पाठ्यक्रमों का सत्यापन सम्बंधित मैपिंग महाविद्यालय से निर्धारित तिथि तक करवाना होगा। अल्पसंख्यक संस्थाओं में अजजा/अजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का बंधन नहीं होगा। अल्पसंख्यक संस्थाओं को उनके यहाँ प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी विभाग के ई–प्रवेश पोर्टल (www.epravesh.nic.in) पर उपलब्ध ऑनलाईन माड्यूल में दर्ज करनी होगी। इस प्रक्रिया को ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सारणी अनुसार रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से सम्पन्न

- 12.10 आरक्षित स्थान का प्रतिशत यदि आधे से कम आता है तो उसी श्रेणी में आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। आधे से एक प्रतिशत के बीच आने पर ही आरक्षित
- 12.11 कंडिका 2.5 अनुसार सी.एल.सी. चरण में पूर्व में वर्णित आरक्षित श्रेणी के रिक्त रथान अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के आवेदकों के लिए उपलब्ध रहेंगे।
- 12.12 समय---समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।

12.13 ऐसे पाठ्यक्रम जिनके अध्यादेश में प्रवेश लिखित परीक्षा के माध्यम से दिया जाना जल्लेखित होः पात्र आवेदकों को पोर्टल पर पंजीयन कराते हुए संबंधित संस्था एवं पाद्यक्रम हेतु वरीयता दर्ज करना होगा। संबंधित संस्था पंजीकृत आवेदकों की प्रवेश परीक्षा आयोजित कर नियमानुसार प्रवेश देंगी तथा प्रवेशित आवेदकों की जानकारी पोर्टल पर अनिवार्यतः दर्ज करेंगी।

13. अधिमार :

۰,۰

3

अधिभार गुणानुक्रम निर्धारण के लिए प्रदान किया जायेगा। पात्रता हेतु इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। अईकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार के लिये सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों की जानकारी प्रवेश हेतु पंजीयन के लिए आवेदन-पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य है। सत्यापन के लिये आवेदन पत्र में उल्लेखित संबंधित प्रमाणपत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होंगे। विशेष परिरिथतियों में सत्यापन के बाद, प्रस्तुत अन्य प्रमाण पत्रों पर, अधिभार हेतु

प्रवेश नियम एवं मार्गवर्शी सिद्धांत 2018-19

dup

16/20

क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक सक्षम होंगे। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर केवल सर्वाधिक अधिमार का लाभ एक ही वर्ग में देय होगा। 13.1 एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / स्काउट्स(स्काउट / गाईड्स / रेन्जर्स):

एन.सी.सी. / एन.एस.एस. 'ए' सर्टिफिकेट

-

(ख) एन.सी.सी. / एन.एस.एस. 'बी' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	2 प्रतिश
(1) सा सटिफिकेट या ततीय सोगान	3 प्रतिशा
(तपलिनिलगोन) गान-0.0	4 प्रतिशत
कलिन्न भे गणतंत्र दिवस परेट में कर्णा	4 प्रतिशत
(छ) राज्यपाल स्काउट	सी. 5 प्रतिशत
(ज) राष्ट्रपति स्काउट	5 प्रतिशत
 (झ) मध्यप्रदेश का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट (य) डयक ऑफ परि 	10 प्रतिशत
() रिपूर्ण आफ एडिनबरा अवार्ड	10 प्रतिशत
 (र) भारत के साथ अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट ल) एन की न्हे 	15 प्रतिशत
मारताय रेडक्रास सोसायटी टाज गण्णी	10 प्रतिशत
) जूडो/कराटे :	2 प्रतिशत
यलो बेल्ट (Yellow Belt)	
ब्राउन बेल्ट (Brown Belt)	2 प्रतिशत
ब्लैक बेल्ट (Black Belt)	3 प्रतिशत
f A	4 प्रतिशत

13.2 ऑनर्स विषय पाठयक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में

13.3 स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्याथियों को एल.एल.बी. प्रथम में प्रवेश लेने पर -10 प्रतिशत

- 13.4 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/विचज/रूपंाकन प्रतियोगिताएं -5 प्रतिशत (1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर
 - जिला/ संभाग स्तर पर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को
 - (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को -2 प्रतिशत

-4 प्रतिशत

17/20

(2) उपर्युक्त कंडिका 12 4(4) में
(2) उपर्युक्त कंडिका 13.4(1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग/राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्रीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा भारतीय अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय, भारतं सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :
(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को —6 प्रतिशत
(ग) नावरागरा प्रातयागता में उपरोक्त कामन का के
द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :
(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को
(ख) टीम प्रतियोगिता में जपर्यात्व कार्य - 15 प्रतिशत
(ख) टीम प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को -15 प्रतिशत (ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को -12 प्रतिशत
13.5 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एण्ड कल्यर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित और प्रयास करने वाले दल
13.6 मध्यप्रदेश शासन से मानावा गण्ड के साम - 10 प्रतिशत
गान गान्ध्या प्राप्त रहन्न गान्द्र
(क) मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को –10 प्रतिश्वान
12 प्रतिशत अधिभार दिया जायेगा बशर्ते नप्र, शासन से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा जारी प्रमाण पत्र संबंधित जिले के खेल अधिकारी द्वारा अनिवार्यतः
13.7 जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों और उन्हे नार के
13.8 विशेष प्रोत्साहन : एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेटस तथा ओलम्पिक/एशियाड/स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया, एस.जी.एफ.आई. द्वारा राष्ट्रीय को अर्हता पूर्ण होने पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को अर्हता पूर्ण होने पर बगैर किसी गुणानुक्रम के उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जाये
बशर्ते कि -
(1) इस प्रकार के उनके प्रमाण पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण मध्यप्रदेश द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, और
(2) यह सुविधा केवल सन्ही आभाषित्यें नो २०००
(2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने पंजीयन के अंतर्गत उक्त जानकारी का उल्लेख किया है, परन्तु इस प्रकार की प्रक्रिय के अंतर्गत उक्त

जानकारा का उल्लेख किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा अन्य, अर्थात उक्त स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये फिर एक नई उपलब्धि प्राप्त करना आवश्यक होगा।

and

प्रवेश नियम एवं मार्गदशी सिद्धांत 2018-19

., '

6.311

....

.

121, 1

18/20

- 13.9 स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये स्कूल स्तर के पिछले 4 क्रमिक सत्र तक के प्रमाण---पत्र तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र के प्रमाण पत्र ही अधिभार के लिये मान्य किये जायेंगे।
- 13.10 राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएँ जिनमें राज्य सरकार सह—प्रायोजक हो, उसमें वहाँ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को अधिभार के प्रतिशत की गणना कण्डिका 13.4(3) के अनुरूप होगी।

14. संकाय/विषय/समूह परिवर्तन :

स्नातक प्रथम वर्ष में अईकारी परीक्षा के संकाय से परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्ताकों से 5 प्रतिशत घटाने के बाद ही उनका गुणानुक्रम निर्घारित होगा और अधिभार घटे हुए प्राप्तांको पर ही देय होगा।

- 15. विशेष :
- 15.1 जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर या गलत जानकारी देकर, जानबूझकर अथवा छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों या प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश किसी आवेदक को यदि प्रवेश मिल जाता है, तब संज्ञान में आने पर ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 15.2.1 प्रावधिक प्रवेश के मामले में प्राचार्य पृथक सूची तैयार करेंगे और विश्वविद्यालय को नामांकन के लिये फार्म भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थियों ने वे सारी पूर्तियाँ पूरी कर ली हैं, जिनके अभाव में उन्हें तत्समय प्रावधिक प्रवेश दिया गया था।
- 15.2.2 नियमित प्रवेश लेने के बाद बिना किसी समुचित कारण अथवा बिना पूर्व अनुमति या पूर्व सूचना के, लगातार पंद्रह दिवस तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 15.3 प्रवेश के बाद सन्न के दौरान कडिका 9.1 एवं 9.2 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरण में लिप्त विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे संस्था से निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य का होगा।
- 15.4 प्रवेश के बाद सन्न के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ने या उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसके निष्कासन की दशा में विद्यार्थी को सुरक्षा राशि (कॉशन मनी) के अलावा अन्य कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- 15.5(अ) प्रथम वर्ष मे प्रवेशित विद्यार्थी क<u>ा तकनीकी / व्यवसायिक पाठ्यक्रम</u> में अन्यत्र प्रवेश हो जाने पर तत्संबंधी प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर विद्यार्थी को रू. 100 / – प्रक्रिया शुल्क काटकर जमा की गई शेष राशि वापस की जाएगी। लेकिन उपर्युक्त स्थिति में स्ववित्तीय पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थी को सुरक्षा राशि (कॉशन मनी) के अलावा अन्य कोई और राशि वापस नहीं की जायेगी।

रिमार्कः—यू.जी.सी. द्वारा सूचित वैधानिक प्रोफेशनल कॉउसिल द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम तकनीकी /व्यवसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत माने जायेंगे।

19/20

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2018-19

15.5(ब) प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थी के अनुत्तीर्ण घोषित होने पर उसके प्रवेश के नियमित न हो पाने की स्थिति में उसे रूपये 100/- प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष राशि लौटाई 15.6

नियमित प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात् एक सप्ताह की समयावधि में उसी महाविद्यालय में पात्रता अनुसार विषय/पाठ्यक्रम/संकाय/परिवर्तन, प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धांत का पालन सुनिश्चित करते हुए, नियमानुसार उपलब्ध रिक्त स्थानों पर पात्रता एवं गुणानुक्रम का उल्लंघन न होने की शर्त पर केवल प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए ही विषय/पाठ्यक्रम/संकाय परिवर्तित किये जा सकेंगे। इस संबंध में महाविद्यालय विधिवत् सूचना प्रसारित कर, प्राप्त आवेदनानुसार कार्यवाही करेंगे। महाविद्यालय द्वारा किये गये परिवर्तन की जानकारी निर्धारित तिथि तक ऑन--लाइन मॉड्यूल में भी दर्ज करना होगी अन्यथा किये गये परिवर्तन मान्य नहीं होंगे साथ ही इस अवधि में किसी भी प्रकार का नवीन प्रवेश मान्य नही होंगे।

एक बार प्रवेश प्राप्त कर लेने के पश्चात् यदि आवेदक द्वारा महाविद्यालय से 15.7 स्थानान्तरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाता है तो इसकी जानकारी भी ऑनलाइन उपलब्ध कराये गये मॉड्यूल में देना अनिवार्य होगा, जिससे प्रवेशित आवेदकों की वस्तुस्थिति स्पष्ट रहे।

ऐसे अशासकीय महाविद्यालयों जिनकी मान्यता अथवा उनके स्नातक/स्नाताकोत्तर 15.8 कक्षाओं के पाठ्यक्रमों की मान्यता शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समाप्त कर दी गई है उनमें विगत वर्षों में नियमित प्रवेशित विद्यार्थियों को अन्य महाविद्यालयों में उन्हीं पाठ्यक्रमों में अगले वर्ष / सेमेस्टर में प्रवेश हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।

इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार 15.9 आयुक्त, उच्च शिक्षा को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन तथा समय सारणी घोषित/परिवर्तन करने तथा यथोचित परिवर्तन करने का सम्पूर्ण अधिकार मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

संलग्न : अकादमिक कैलेण्डर सन्न 2018–19 (परिशिष्ट 1 एवं 2)

जयश्री मिश्रा)

अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग

シナイ

परिशिष्ट - 1

अकादमिक कैलेंडर सन्न 2018–19 (सेमेस्टर कक्षाओं के लिए प्रभावशील)

अकादामक कार्य	रनातक-पंचम सेमेस्टर/स्नातकोत्तर प्रथम/तृतीय	स्नातक-षष्ठ सेमेस्टर/स्नातकोत्तर द्वितीय/चतुर्थ
आरंभिक कक्षाएँ	02 जुलाई 2018	विसाय/ यतुथ 26' दिसम्बर 2018
शैक्षणिक एवं सतत् समग्र मूल्यांकन कार्य	02 जुलाई से 03 नवम्बर, 2018 (100 कार्य दिवस)	26 दिसम्बर 2018 से 18 अप्रैल 2018 (90 कार्य दिवस)
सी.सी. ई. कार्य	सितम्बर तृतीय सप्ताइ	मार्च द्वितीय सप्ताह
प्रायोगिक परीक्षाएँ (स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाएं)	22 अक्टूबर से 05 नवम्बर 2018 के मध्य	02 अप्रैल से 18 अप्रैल 2019 के मध्य
परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश	04 नवम्बर से 11 नवम्बर 2018 (कुल 08 कार्यदिवस)	19 अप्रैल से 22 अप्रैल 2019
सेमेस्टर एवं एटीकेटी परीक्षा	12 नवम्बर से 15 दिसम्बर 2018	(कुल 04कार्यदिवस) 23 अप्रैल से 25 मई 2019
परीक्षा परिणामों की घोषणा	31 दिसम्बर 2018 तक	15 जून 2019 तक
सेमेस्टर अंतराल (ब्रेक) विद्यार्थियों के लिए	16 दिसम्बर से 25 दिसम्बर 2018 (10 दिवस)	27 मई से 29 जन 2019
सेमेस्टर अंतराल (ब्रेक) शिक्षकों के लिए*	17 दिसम्बर से 25 दिसम्बर 2018 (09 दिवस) *	(34 दिवस) 27 मई से 15 जून 2019 (20 दिवस) *

प्रवेश उत्सव कार्यकम
 जावसंघ गतन

: जुलाई (प्रथम सप्ताह) 2018

•	खेलकूत/युवा जुल्मत/जन्य गतिविधियाँ (एक सप्ताह	ः अगस्त / सितम्बर – 2018
•	दापावली अवकाश) : माह अक्टूबर 2018 : 06 नवम्बर से 10 नवम्बर 2018
	तक .	100 14141 10 14442 2018
	वार्षिकोत्सव/पुरस्कार वितरण एवं वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन एवं विमोचन	: फरवरी 2019 द्वितीय सप्ताह (अधिकतम 04 दिवस)

टीप :--

1

JAN J.

- (1) अपरिहार्य कारणवश शैक्षणिक कार्य निर्धारित मानक दिवसों से कम होने की दशा में, महाविद्यालय/विवि स्तर पर शैक्षणिक कालखण्डों की अवधि में आवश्यकतानुसार वृद्धि कर शैक्षणिक दिवसों की पूर्ति की जाये ताकि अकादमिक कैलेण्डर का पालन समयानुसार सुनिश्चित किया जा सके।
- (2) स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के अतिरिक्त अन्य सभी कक्षाओं में प्रवेश हेतु मार्गदर्शी सिखांत (2018--19) में उल्लेखित प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया को अपनाते हुए शैक्षणिक कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित किया जाये ।
- (3) सेमेस्टर अंतराल (ब्रेक) के दिवसों में एनएसएस/एनसीसी शिविरों के आयोजन को प्राथमिकता प्रदान की जावे ताकि कार्य दिवसों का मानक लक्ष्य यथावत बना रहे। सक्षम अनुमति प्राप्त कर अकादमिक पर्यटन/दूर/ सेमीनार/कार्यशाला/संगोष्ठी/प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इसी दौरान आयोजित किये जाये
- (4) स्नेह सम्मेलन वार्षिकोत्सव, पुरस्कार वितरण एवं वार्षिक—पत्रिका का प्रकाशन तथा विमोचन फरवरी 2019 द्वितीय सप्ताह तक कर लिया जाये ।

* महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सेमेस्टर अंतराल में आवश्यकतानुसार शिक्षकों को रोका जा सकेगा।

Xm -

1

स्नातक पंचम सेमेस्टर एवं स्नातकोत्तर प्रथम/तृतीय

क्रमांक	माह	दिवस	अवकाश	दिवस
1	जुलाई 2018	31	5 रविवार	26
2	अगस्त 2018	31	4 रविवार + 2 अवकाश	25
3	सितम्बर 2018	30	5 रविवार + 2 अवकाश	23
4	अक्टूबर 2018	31	4 रविवार + 3 अंवकाश	. 24
5	नवम्बर 2018	30	4 रविवार + 3 अवकाश	23
6	दिसम्बर 2018	31	5 रविवार + 1 अवकाश	25
	कुल दिवस	184	184-38	146

wy there's

35

कार्य दिवसों की गणना सत्र 2018–19

स्नातक षष्ठम सेमेस्टर एवं स्नातकोत्तर द्वितीय/चतुर्थ

कार्य दिवसों की गणना सत्र 2018-19

क्रमांक	माह	दिवस	अवकाश	दिवस
1	जनवरी 2019	31	4 रविवार + 1 अवकाश	26
2	फरवरी 2019	28	4 रविवार + 2 अवकाश	22
3	मार्च 2019	31	5 रविवार + 2 अवकांश	24
4	अप्रैल 2019	. 30	4 रविवार + 3 अवकाश	23
5	मई 2019	31	4 रविवार + 0 अवकाश	27
6	जून 2019	30	5 रविवार + 1 अंवकाश	24
	कुल दिवस	181	181-35	146

(जयश्री मिश्रा) अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग

परिशिष्ट - 2

सत्र 2018–19 अकादमिक कैलेण्डर

 $\cdot v_{2}$

C.L.Y

(वार्षिक पद्धति–स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष कक्षाओं हेतु प्रभावशील)

	विवरण		तिथि	मण्ड्यमिक शिक्षा मण्डल	
क्र	प्रवेश प्र	रिभ	द्वारा घोषित द्वारा सारि	12वीं का पराक्षा परिशान त होने के पश्चात विमाग पृथक से जारी समय जी अनुसार	
			02.0	07.2018	
2		कार्य प्रारंभ	जुल	गई (प्रथम सप्ताह) 2018	
3		उत्सव कार्यकम			
	1 70172	तरण प्रकरणों को छोड़कर अन्य सभी प्रवेश बन्द	14.	08.2018 श समाप्ति कें पश्चात	
4	- Tint	य परिवर्तन	TTA	र ज्यप्ताह तक	
5		र्थी/महाविद्यालय हेतु प्रवेश समस्या निवारण शिविर	प्रव	श समाप्ति के 15 दिवस	
6	विद्या	थीं/महाविद्यालय हतु प्रवेश समस्य गया गया गया गया गया है	तव	5	
	1	व संध/सांस्कृतिक, साहित्यिक, खेलकूद एवं अन्य मह	जविद्याल	यान गातावाधया	
			अ	गस्त / सितम्बर 2018	
1	চ্চার	संघ गठन विद्यालयीन/महाविद्यालयीन/जिला/संभाग/राज्य	ये	सभी गतिविधियां माह	
2				अक्टूबर 2018 तक पूर्ण कर ली जाएं।	
3	एन	य प्रातस्पधाए सी.सी./एन.एस.एस. इत्यादि गतिविधियाँ		11 on yr	
13				करवरी द्वितीय सप्ताह 2019	
4		र्षक स्नेह सम्मेलन/वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन एवं रोचन	1	(अधिकतम 04 दिवस)	
	14.	आंतरिक मूल्यांकन/वार्षिक परीध	สเซ้		
-		माही परीक्षा मूल्यांकन		सितम्बर अंतिम सप्ताह 2018	
1	1			दिसम्बर अंतिम सप्ताह	
2	ভ	माही आंतरिक मूल्यांकन	1	2018	
1				15 फरवरी 2019	
3	*	द्धान्तिक परीक्षा कार्यक्रम की विस्तृत घोषणा भी रनातक कक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथि		04 मार्च से 23 मार्च 2019	
4	स	भी रनातक कक्षाओं की प्रायानिक परावालन में म		24 मार्च से 31 मार्च 2019	
5	; u	रीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश		01 अप्रैल से 15 मई 2019	
-	3 3	गर्षिक परीक्षा प्राएंभ		15 जून 2019	
16		तभी परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि			
	7 1	अवकाश		06.11.2018 से 10.11.201	
				06.11.2018 1 10.11.20	
ŀ.	1 1	दीपावली (पाँच दिवस)		17 12 2018 25.12.20	
	1 1	दीपावली (पाँच दिवस) शीतकालीन अवकाश		06.11.2018 से 10.11.20 17.12.2018 से 25.12.20 (कुल 09 कार्य दिवस) 27.05.2019 से 15.06.20	

3

and

कार्य दिवसों की गणना सत्र 2018-19

(अ)	अवकाश एवं शैक्षणेत्तर गतिविधियों का विवरण	
1	रविवार	52
2	सामान्य अवकाश	20
3	स्थानीय अवकाश	03
4.	दीपावली अवकाश	05
5	महाविद्यालयीन सांस्कृतिक गतिविधियां आदि	. 10
े योग		90
(ब)	प्रवेश/परीक्षा/ग्रीष्मावकाश के अशैक्षणिक दिवस	
1	प्रवेश हेतु तैयारी (22 मई से 25 मई एवं 17 जून 2019 से 30 जून 2019 तक)	18 कार्य दिवस
2	परीक्षा पूर्व तैयारी	08 कार्य दिवस
· 3	परीक्षा अवधि	37 कार्य दिवस
4	ग्रीष्मावकाश एवं शीतकालीन अवकाश	29 कार्य दिवस
योग		92 कार्य दिवस
(स)	कुल अशैक्षणिक दिवस (अ+ब) 90+92= 182	182 कार्य दिव
(द)	कुल शैक्षणिक दिवस 365–182= 183	183 कार्य दिव

M. 2. . 1.

(वार्षिक पद्धति-स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष कक्षाओं हेतु प्रभावशील)

नोट— यदि कोई कार्य दिवस किन्ही कारणों से अवकाश घोषित होता है तो इस गणना से पृथक माना जाए।

4

(जयश्री मिश्रा) अपर सचिव

अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग

अन-2017-18

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रातय

ःआदेशःः

कमांक मी 2_/251/सीसी/17-अडतीस – माननीय कुलाधिपति जी द्वारा दिये गये अनुमोदन उपरांत राज्य शासन द्वारा सत्र 2017–18 के लिए मध्यप्रदेश के शासकीय/ अशासकीय महाविद्यालयों को स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेश नियम/मार्गदर्शी सिद्धांत तथा अकादमिक कैलेण्डर जारी किये जाते है ।

> (वीरन सिंह भूलावी) अवर सचिव, ग०प्र0शासन उच्च शिक्षा विभाग

> > मंत्रालय,

भोपाल, दिनांक उ०-5-1

पृ. कमार्**फ्र***ा 43/251***/** सीसी / 17-अडतीस प्रतिलिपि:-

- 1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
- 2. अपर सचिव, माराज्यपाल, राजभवन सचिवालय, भोपाल।
- 3. निज सहायक, मामंत्री जी / राज्य मंत्री जी, उच्य शिक्षा, मध्यप्रदेश।
- 4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, संतपुडा भवन, भोपाल ।
- 5. अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग,, भोपाल।
- 6 कुलसचिव, भोपाल / इन्दौर / ग्वालियर / जबलपुर / रीवा / उज्जैन / छतरपुर / सागर।
- 7. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
- 8. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
- 9. प्राचार्य, समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
- 10. राज्य सूचना अधिकारी(एनआईसी) विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

प्रभारी, आई टी. सेल, कार्यालय आयुक्त, उँच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल। कृपया वेबेसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(निक्से र्ष्ट्र) ज्याउछी भीक्याम - नग्यां

म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, पांचवी मंजिल, भोपाल-462004 मध्यप्रदेश के शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त (सत्र 2017-2018)

मार्गदर्शक सिद्धान्त मध्यप्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय (अनुदान प्राप्त एवं अनुदान अप्राप्त) 1. प्रयुक्तिः महाविद्यालयों में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अध्यादेश क्रमांक—6 एवं 7 के प्रावधानों के तहत सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे। जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश/नियम/विनियम में प्रवेश पात्रता हेतु अन्यथा उल्लेख हों, उदाहरणार्थ बी.सी.आई. वहाँ ये नियम विश्वविद्यालय / सम्बद्ध महाविद्यालयों के सुसंगत पाठयक्रमों में लागू नहीं होंगे।

प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों के स्नातक प्रथम वर्ष तथा 2. प्रवेश प्रक्रियाः स्नातकोत्तार प्रथम सेमेस्टर में सत्र 2017-18 हेतु केन्द्रीयकृत ऑनलाइन प्रवेश की व्यवस्था होगी। ऑनलाइन प्रवेश व्यवस्था में सर्वप्रथम आवेदक को अपना ऑनलाइन पंजीयन ऑन लाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय सारणी अनुसार निर्धारित समयावधि में अनिवार्यतः करवाना होगा। कक्षा 12वीं में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को भी प्रावधिक प्रवेश के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य है। इन विद्यार्थियों को अंतिम चरण में स्थान रिक्त रहने पर

रनातक कक्षाओं में प्रवेश के लिये पंजीयन के अंतर्गत आवेदक को अपने विषय–समूह (गणित/जीव ही प्रवेश दिया जा सकेगा। विज्ञान / कृषि / वाणिज्य / कला / गृह–विज्ञान इत्यादि) का चयन करते हुए उन महाविद्यालयों का चयन करना होगा जिनमें वह प्रवेश चाहता है। इसी तरह स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी प्रवेश हेतु पंजीयन के अन्तर्गत आवेदक को अपने विषय का चयन करते हुए उन महाविद्यालयों का चयन करना होगा जिनमें वह प्रवेश चाहता है। विद्यार्थी को अपने विकल्प ऑनलाइन देने होंगे। इस प्रक्रिया की जानकारी हेतु www.epravesh.nic.in पोर्टल उपलब्ध है। आवेदक अधिकतम् ०९ (नौ) महाविद्यालय/पाठ्यक्रम का चयन पंजीकरण के दौरान कर सकेगा। पंजीयन शुल्क का भुगतान समय सारिणी अनुसार चरणवार एक मुश्त

निम्नानुसार देय होगाः-

1. प्रथम चरण में पंजीयन हेतु रू. 100/-

2. द्वितीय चरण में पंजीयन हेतु रू. 250/- विलंब शुल्क सहित। 3. तृतीय चरण में पंजीयन हेतु रू. 500/- विलंब शुल्क सहित।

सत्यापन कार्य ऑन लाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय सारणी अनुसार सहायता केंद्रों के माध्यम से सम्पन्न किया जावेगा। निर्दिष्ट तिथियों के पश्चात कोई भी आवेदक ऑनलाइन पंजीयन नही कर सकेगा। द्वितीय एवं तृतीय चरण में पजीयन कराने वाले आवेदकों के प्रवेश हेतु तत्समय उपलब्ध रिक्त सीटों पर ही

आवेदक एक ही बार पंजीयन करायें। एक से अधिक पंजीयन पाये जाने पर केवल प्रथम पंजीयन ही मान्य होगा। पंजीयन के पश्चात आवेदक प्रिंट आउट प्राप्त कर समस्त प्रविष्टियों की सावधानीपूर्वक जाँच कर पोर्टल विचार किया जावेगा। पर आवश्यक सुधार करें। सत्यापन के पश्चात् किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। पंजीयन

प्रविष्टियों की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की हो होगी।

1/17 grong - she

1717

आवेदक अपना पंजीयन इंटरनेट के माध्यम से पोर्टल पर कहीं से भी कर सकता है। आवेदकों की सुविधा के लिए समस्त शासकीय महाविद्यालयों में इसके लिए सहायता केंद्रों (Help Centres) की व्यवस्था की गई है। आवेदक प्रवेश हेतु अपना पंजीयन इन महाविद्यालयों में समस्त मूल दस्तावेजों एवं फोटो के साथ उपस्थित होकर निर्धारित फार्म भरकर हेल्प सेंटर के माध्यम से भी करवा सकेगा। तत्पश्चात हेल्प सेंटर द्वारा ऑनलाइन पंजीयन का प्रिन्ट आवेदक को दिया जायेगा। इस हेतु प्रक्रिया शुल्क के रूप में रु. 10 जनभागीदारी मद में लिये जावेंगे। आवेदक को निर्धारित पंजीयन शुल्क का भुगतान निर्धारित प्रक्रियानुसार करना होगा। आवेदक को अपने दस्तावेजों का सत्यापन कंडिका 2.1 अनुसार करवाना होगा।

जिन दूरस्थ अंचलों के शासकीय महाविद्यालयों में हेल्प सेंटर नहीं है, उन महाविद्यालयों में आवेदक निर्धारित प्रारूप में हस्तलिखित आवेदन निर्धारित चरणवार पंजीयन तिथि के तीन दिवस पूर्व तक जमा कर सकते हैं। आवेदक अपने समस्त आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति आवेदन के साथ सलग्न करेगे जिस महाविद्यालय द्वारा मूल दस्तावेजों से सत्यापित किया जायेगा। महाविद्यालय द्वारा आवेदक से निर्धारित पंजीयन शुल्क प्राप्त कर जनभागीदारी खाते में जमा करेगा। तत्पश्चात महाविद्यालय द्वारा आवेदक का ऑनलाइन पंजीयन तीन दिवस के अन्दर / उस चरण की निर्धारित पंजीयन तिथि तक आवश्यक रूप से करना होगा तथा उसे पोर्टल पर सत्यापन अधिकारी के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापित करवाना होगा। आवेदक को ऑनलाइन पंजीयन तीन प्रिन्ट उसके आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। तथा इसकी सूचना आवेदक को देनी होगी। महाविद्यालय को आवेदक से प्राप्त पंजीयन शुल्क की जानकारी (दिनांक, महाविद्यालय का कोड क्रमांक, आवेदक का पंजीयन क्रमांक तथा रसीद क्रमांक आदि) पोर्टल पर तुरन्त दर्ज करना आवश्यक होगा। यह अति–आवश्यक है क्योंकि पंजीयन शुल्क की जानकारी प्राप्त न होने पर आवेदक का आवंटन नहीं किया जायेगा और इसकी सम्पर्ण जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी।

पंजीयन शुल्क का भुगतान :

- 1. निर्धारित बैंकों के माध्यम से चालान द्वारा
- 2. निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा द्वारा
- 2.1 ऑनलाइन पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन :
- 2.1.1 स्नातक स्तरः ऑनलाइन पंजीयन के पश्चात् आवेदक को अपने दस्तावेजों (अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची, आयु प्रमाण—पत्र, जाति प्रमाण—पत्र, संवर्ग प्रमाण—पत्र, ओ.बी.सी. के लिये क्रीमी—लेयर में न होने का प्रमाण—पत्र, स्थानीय निवासी हेतु स्व—प्रमाणित घोषणा—पत्र, एन.एस.एस./एन.सी.सी./क्रीड़ा/ साहित्यिक/सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रमाण—पत्र इत्यादि) जिनके आधार पर प्रवेश के लिए अधिभार देय हो, का सत्यापन करवाना होगा। पंजीयन पश्चात् आवेदकों अथवा उनके अभिभावकों द्वारा अनिवार्यतः संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन किसी भी शासकीय महाविद्यालयों में खपस्थित होकर करवाना होगा। पंजीकृत आवेदकों को किसी भी निकटतम शासकीय महाविद्यालयों में स्थापित सहायता केंद्रों में अपने मूल प्रमाण—पत्रों, जिनका उल्लेख आवेदन में किया हो, की छायाप्रतियों के एक सेट और पंजीयन—पत्र की प्रति सहित उपस्थित होना होगा। निर्विष्ट सहायता केंद्रों पर इन प्रमाण—पत्रों के आधार पर सत्यापन होगा। सहायता केंद्र के प्रभारी द्वारा सत्यापन पत्र की दो प्रतियों पर आवेदक से आधार पर सत्यापन होगा। सहायता केंद्र के प्रभारी द्वारा सत्यापन पत्र की दो प्रतियों पर आवेदक से हस्ताक्षर प्राप्त कर, एक प्रति आवेदक को प्रदान करेंगे और दूसरी प्रति सहायता केंद्र में अभिलेख स्वरुप साथ रखेंगे। अभिप्रमाणन से संतुष्ट होने पर आवेदक सत्यापन—पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग के प्रत्र क्रमांक सी–3–7–2013–एक, दिनांक 25.09.2014 के निर्देशानुसार स्थानीय निवासी हेतु स्व–प्रमाणित घोषणा–पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।

सत्यापन कार्य ऑन लाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय सारणी अनुसार सहायता केंद्रों के माध्यम से सम्पन्न किया जावेगा। निर्धारित तिथियों में पंजीकृत एवं सत्यापित आवेदकों को ही गुणानुक्रमानुसार महाविद्यालयों में प्रवेश आवंटन हेतु सम्मिलित किया जावेगा।

2/17

2.1.2 स्नातकोत्तर स्तरः ऑनलाइन पंजीयन के पश्चात् आवेदक को कंडिका 2.1.1 में उल्लेखित प्रक्रिया को अपनाते हुए सहायता केंद्र से अभिप्रमाणन से संतुष्ट होने पर अपने हस्ताक्षर कर सत्यापन-पत्र की प्रति प्राप्त करनी होगी। सत्यापन कार्य ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय सारणी अनुसार सहायता केंद्रों के माध्यम से सम्पन्न किया जावेगा।

2.1.3 महाविद्यालय में प्रवेश हेतु उन्हीं आवेदकों पर विचार किया जावेगा जिनके दस्तावेजों का सत्यापन एवं पंजीयन शुल्क का भुगतान निर्धारित अंतिम तिथि तक हो चुका होगा।

- 2.2 इंटरनेट से प्राप्त अंकसूची एवं मूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टी.सी.) के संबंध में : दस्तावेजों के सत्यापन के समय इंटरनेट से डाउनलोड की हुई अंकसूची मान्य होगी, परन्तु प्रवेश के समय मूल अंकसूची ही मान्य होगी। मूल अंक सूची/मूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टी.सी.) के अभाव में आवेदक से निर्धारित प्रपत्र में वचन-पत्र प्राप्त कर निर्दिष्ट समयावधि में अंकसूची की प्रतिलिपि तथा मूल टी.सी. जमा करवायी जाएगी। इसकी जानकारी यथास्थान ऑनलाइन प्रवेश माड्यूल में दर्ज की जावेगी जिससे प्रवेश मॉनिटरिंग सुनिंश्चित की जा सकेगी। वचन पत्र में घोषित तिथि तक यदि आवेदक द्वारा संबंधित दस्तावेज जमा नहीं किये जाते तो उसका प्रवेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 2.3 ऑनलाइन गुणानुक्रम सूची का महाविद्यालयवार प्रकाशन :
- 2.3.1 प्रथम चरण में सभी सत्यापित आवेदकों को गुणानुक्रम एवं उनके संकाय / विषय एवं महाविद्यालयों के विकल्प के आधार पर महाविद्यालय में प्रवेश आवंटन ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम अनुसार पोर्टल पर जारी किये जावेंगे। इसकी सूचना आवेदकों को उनके द्वारा पंजीयन के समय दर्ज मोबाइल पर भी दी जायेगी। तथापि आवेदक से यह अपेक्षित है कि वह अपना प्रवेश आवंटन आवश्यक रूप से प्रवेश पोर्टल पर स्वयं चेक करे। तत्पश्चात् प्रथम चरण हेतु निर्धारित तिथि तक आवेदक आवंटित महाविद्यालय में सत्यापन के समय प्रस्तुत किये गये समस्त दस्तावेजों की छायाप्रतियाँ एवं मूल टी.सी. प्रस्तुत करेंगे। महाविद्यालय आवेदक की पात्रता आदि का सत्यापन करने के पश्चात् ई--प्रवेश पोर्टल पर आवेदक से प्राप्त आवश्यक दस्तावेज जमा करने संबंधी जानकारी प्रवेश माड्यूल में निर्धारित तिथि में करेंगे। तत्पश्चात् ही आवेदक को ऑनलाईन शुल्क जमा करने हेतु लिक इनीशियेट होगी। यह लिक समय सारणी अनुसार निर्धारित तिथि तक ही एक्टिव रहेगी। आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि तक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन निर्धारित प्रवेश शुल्क जमा करने पर एवं प्रवेश पोर्टल से शुल्क जमा करने की पुष्टि होने पर ही आवेदक का नाम संबंधित महाविद्यालय की प्रवेश सूची मे दर्शित होगा। उक्त प्रवेश शुल्क संबंधित महाविद्यालय के खाते में ऑनलाईन ही ट्रांसफर होगा।
- 2.3.2 महाविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन एडमीशन स्लिप का प्रिंट आउट आवेदक को अनिवार्यतः दिया जाना है, तभी आवेदक का नाम संबंधित महाविद्यालय के प्रवेशित छात्रों की सूची में पोर्टल पर दिखाई देगा। यह प्रवेश प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आवेदक स्वयं भी अपनी एडमीशन स्लिप का प्रिंटआउट पोर्टल से प्राप्त कर सुनिश्चित कर सकेंगे कि उनके प्रवेश की प्रविष्टि पोर्टल पर हो चुकी है।
- महाविद्यालयों में रिक्त रह गये स्थानों पर प्रवेश हेतु पुनः वरीयताएँ : 2.4

प्रथम चरण के पश्चात् द्वितीय चरण हेतु महाविद्यालयों में उपलब्ध रिक्त स्थानों हेतु पूर्व से पजीकृत आवेदकों (जिन्होंने प्रवेश नहीं लिया है अथवा जिन्हें आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है) के लिए पुनः ऑनलाइन महाविद्यालय/विषय/पाठ्यक्रम के चयन का विकल्प रहेगा। आवेदक चाहें तो अपनी पूर्व वरीयताएँ बदल सकेंगे। इस हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा।

me de

R.

2.5 तृतीय चरण हेतु प्रवेश :

2.5.1 द्वितीय चरण के पश्चात महाविद्यालयवार/पाठ्क्रमवार/वर्गवार रिक्त स्थानों की जानकारी ई-प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। द्वितीय चरण के पश्चात् महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों में रिक्त रह गये स्थानों पर तृतीय चरण हेतु अप्रवेशित आवेदक अपनी पूर्व वरीयताओं में समय सारणी अनुसार निर्धारित तिथियों में संशोधन/परिवर्तन कर सकेगा।

इस चरण में रिक्त आरक्षित सीटों पर संबंधित आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध न होने पर उक्त रिक्त सीटें सामान्य वर्ग के आवेदकों हेतु उपलब्ध रहेंगीं।

अर्हकारी परीक्षा में पूरक प्राप्त आवेदकों को रिक्त सीटों पर पात्र आवेदक उपलब्ध न होने पर ही प्रावधिक प्रवेश हेतु सी.एल.सी. चरण में विचार किया जावेगा।

- 2.5.2 पात्रता प्राप्त विद्यार्थियों को निर्धारित तिथि तक परीक्षा परिणाम घोषित न होने की दशा में प्राविधिक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। स्थान रिक्त होने पर सी.एल.सी. चरण में प्रावधिक प्रवेश दिया जा सकेगा। प्राविधिक प्रवेश के लिए अर्हताकारी परीक्षा में पूरक प्राप्त उन्हीं आवेदकों पर विचार किया जावेगा जिन्होंने अपना पंजीयन एवं दस्तावेजों का सत्यापन निर्धारित तिथियों में ही करा लिया है। प्रावधिक प्रवेश ते वा पंजीयन एवं दस्तावेजों का सत्यापन निर्धारित तिथियों में ही करा लिया है। प्रावधिक प्रवेश ते पर विचार किया जावेगा जिन्होंने अपना पंजीयन एवं दस्तावेजों का सत्यापन निर्धारित तिथियों में ही करा लिया है। प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तिथि से 7 दिवस के अन्दर प्रवेशित महाविद्यालय में अपने परिणाम के आधार पर पास/पूरक अद्यतन कराना होगा जिससे उनका प्रवेश स्वमेव नियमित/निरस्त हो जाएगा। स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए कंडिका 2.7 (क) के अनुसार पात्रता निर्धारित होगी, लेकिन विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिये आवेदक को स्नातक स्तर पर उत्तीर्ण विषयों में से किसी एक में ही प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।
- 2.5.3 कंडिका 5.1(क) में उल्लेखित शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पाल्य को आवेदित कक्षा में स्थान रिका होने पर प्रचलित सत्र के दौरान प्रवेश दिया जा सकेगा। इस हेतु संबंधित शासकीय सेवक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं आवेदक पाल्य का निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियानुसार अन्य महाविद्यालय में प्रवेशित होना अनिवार्य है। शासकीय सेवक के स्थानांतरण के पश्चात् निर्धारित मुख्यालय के किसी भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त न होने पर कुलपति की अनुमति से ही सम्बद्ध पाल्य को प्रवेश दिया जा सकेगा।

2.6 स्नातक स्तर पर नियमित प्रवेश हेतु पात्रता :

2.6.1 प्रथम वर्ष में प्रवेश

- (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता निम्नानुसार होगी :
 - विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय के सुसंगत विषय में प्रवेश के अतिरिक्त वाणिज्य संकाय, कला संकाय एवं गृह–विज्ञान संकाय में भी प्रवेश की पात्रता होगी।
 - 2. वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
 - वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों को वाणिज्य संकाय के अतिरिक्त कला एवं गृह-विज्ञान संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी।
 - कला संकाय के विद्यार्थियों को कला संकाय के अतिरिक्त गृह-विज्ञान संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी।

4/17

5. गृह–विज्ञान संकाय में 10+2 परीक्षा, गृह विज्ञान से उत्तीर्ण छात्राओं के अतिरिक्त विज्ञान, वाणिज्य, कला संकाय तथा 10+2 परीक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी प्रवेश की पात्रता होगी।

10+2 का तात्पर्य मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित या संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य राज्यों के विद्यालयों की इंटरमीडियट बोर्ड या 12वीं बोर्ड की समकक्ष परीक्षा से है। इन आवेदकों को संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण—पत्र प्राप्त कर उसे प्रवेश के समय उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। संकाय परिवर्तन होने पर प्राप्तांक के 5 प्रतिशत अंक कम कर तद्नुसार गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

- (ख) 10+2 कृषि से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष में जीव–विज्ञान समूह में अथवा कला सकाय में प्रवेश दिया जा सकता है।
- (ग) बी.बी.ए. / बी.सी.ए. में प्रवेश संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित पात्रतानुसार होंगे।

2.6.2 अन्य सेमेस्टरों में प्रवेश :

- (क) पात्र विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में ही प्रवेश दिया जायेगा। शेष सेमेस्टरों में पिछले सेमेस्टरों में उत्तीर्ण/किसी भी एक सेमेस्टर में दो तथा एक-समय में अधिकतम चार विषयों में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) प्राप्त विद्यार्थियों को प्रवेश की प्रांत्रता होगी। नियमानुसार शुल्क का भुगतान करने पर ही ऐसे विद्यार्थियों के प्रवेश मान्य किये जाएंगे।
- (ख) कंडिका 5.1(क) में उल्लेखित शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर प्रदेश में वार्षिक/सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत अध्ययनरत् उनके पाल्यों को पाठ्यक्रम के बीच में स्नातक—स्तर पर प्रवेश दिया जा सकेगा। इस हेतु शासकीय सेवक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र तथा आव्रजन प्रमाणपत्र (Migration Certificate) प्रस्तुत करना होगा। स्नातकोत्तर—स्तर पर प्रवेश के लिये संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर आवेदक को प्रवेश के समय संलग्न करना अनिवार्य है।
- (ग) मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक 97/380/सीसी/14/38, दि. 16.2.2015 अनुसार ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी सत्र में नियमित प्रवेश से वंचित हो जाते हैं वह विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष की परीक्षा में स्वाध्यायी छात्र के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं तथा परीक्षा उपरान्त वि.वि. से संबंधित किसी भी महाविद्यालय में संबंधित कोर्स/विषय में सीट रिक्त होने पर पात्रतानुसार स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष में तथा स्नातकोत्तर स्तर पर (विज्ञान व प्रायोगिक विषयों को छोडकर) तृतीय सेमेस्टर में प्रावधिक नियमित प्रवेश ले सकेंगे।

रिजल्ट घोषित होने के 07 दिवस के अंदर संबंधित महाविद्यालय स्नातक तृतीय/पंचम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के रिक्त सीटों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करेंगे तथा 15 दिवस के अंदर ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। तत्पश्चात प्रवेश मान्य नहीं होगा एवं निर्धारित तिथि तक प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

5/17 La an

2.7 स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश :

(क) कक्षा एम.कॉम. प्रथम सेमेस्टर एम.एससी. प्रथम सेमेस्टर एम.एससी. (गृहविज्ञान), प्रथम सेमेस्टर

अर्हकारी परीक्षा

बी.कॉम. बी.एससी. बी.एससी. (गृहविज्ञान)

- (ख) किसी भी संकाय से उत्तीर्ण स्नातक को एम.ए. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में महाविद्यालय स्तर पर सिर्फ प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिया जायेगा। पिछले सेमेस्टरों में उत्तीर्ण अथवा किसी एक सेमेस्टर में दो तथा एक-समय में कुल 4 प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. प्राप्त विद्यार्थियों को अन्य सेमेस्टरों में नियमानुसार शुल्क भुगतान करने पर स्वतः प्रवेश मिल सकेगा।

3. उत्कृष्ट महाविद्यालयों में प्रवेश :

उत्कृष्ट महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता होगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को नियमानुसार छूट की पात्रता होगी। जिला मुख्यालयों पर एक मात्र उपलब्ध महाविद्यालय के उत्कृष्ट घोषित होने की दशा में न्यूनतम अंक की सीमा लागू नहीं होगी। ऐसे उत्कृष्ट महाविद्यालय जिनमें कोई ऐसा पाठ्यक्रम संचालित है जों जिला मुख्यालय के अन्य किसी शासकीय महाविद्यालय में संचालित नहीं है, उस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उपरोक्तानुसार न्यूनतम अंक सीमा लागू नहीं होगी।

4. प्रवेश संख्या का निर्धारण :

- 4.1 जिन पाठ्यक्रमों हेतु संबंधित वि.वि. द्वारा सीट निर्धारण नहीं किया गया है, ऐसे पाठ्यक्रमों हेतु ही महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठक—व्यवस्था/प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण, सामग्री एवं स्टॉफ की उपलब्धता के आधार पर सीट संख्या का निर्धारण प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के पूर्व किया जावेगा। अगर विद्यार्थी—संख्या का निर्णय आयुक्त/विश्वविद्यालय द्वारा किया जाना आवश्यक है तो संबंधित प्राचार्य प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के पूर्व वांछित अनुमति प्राप्त कर ऐसा कर सकेंगे।
- 4.2 समस्त महाविद्यालयों को उनके यहाँ चल रहे पाठ्यक्रम, विषय समूह, सीट संख्या <u>एवं</u> पाठ्यक्रमवार/वर्गवार प्रथम वर्ष एवं तृतीय, पंचम सेमेस्टर में लिये जाने वाले प्रवेश शुल्क/नवीनीकरण की पृथक--पृथक विस्तृत जानकारी, महाविद्यालय का बैंक खाता क्रमांक, आई.एफ.एस.सी. कोड़ आदि की जानकारी विभाग के पोर्टल (http://www.mphighereducation.nic.in) पर निर्धारित तिथियों में आवश्यक रूप से दर्ज/अद्यतन कर लॉक करना होगा तथा उन्हें सत्यापित करना/करवाना होगा।
- 4.3 विधि स्नातक स्तर की कक्षाओं में बार कौंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार और अन्य कक्षाओं के लिए UGC के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।

6/17

4.4 स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों को वन-स्टेप-अप योजनांतर्गत प्रायमरी मिडिल स्कूल शिक्षकों के लिए शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु नियम व शर्ते म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. F44-27/2015/20-2, दिनांक 18.6.15 अनुसार रहेंगी।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा चयनित शिक्षकों को उच्च शिक्षा विभाग के ई-प्रवेश पोर्टल पर 'वन स्टेप-अप योजना' के लिए विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन एवं दस्तावेजों का सत्यापन नियत तिथियां मे किसी भी निकट के शासकीय महाविद्यालय से कराना होगा। पंजीयन के समय आवेदको को अपनी अधिकतम नौ वरीयाताएं देनी होंगी।

स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर उक्त आदेश में उल्लेखित पाठ्यक्रमों/विषयों में महाविद्यालय में उपलब्ध कुल सीटों के 02 प्रतिशत स्थान उपलब्ध रहेंगे। यदि प्रतिशत आधे से कम आता है तो कोई रथान उपलब्ध नहीं होगा। आधे से एक प्रतिशत के बीच आने पर ही स्थान की संख्या एक मानी जायेगी। यह स्थान केवल प्रथम चरण हेतु ही उपलब्ध रहेंगे। प्रथम चरण पश्चात इनके रिक्त स्थान विद्यार्थी आवेदकों हेतू उपलब्ध रहेंगे।

5. प्रवेश की पात्रता :

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :

(क) मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी, मध्यप्रदेश में स्थायी संपत्तिधारी निवासी, राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय सेवक, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचाश जिनका पदांकन मध्यप्रदेश में हो, उनके पाल्यों एवं जम्मू कश्मीर के विख्यापिता तथा उनक आश्रितों / भूटान के विद्यार्थियों को महाविद्यालयों में प्रवेश की पात्रता होगी। उपरोक्तानुसार प्रवेश के पश्चात् स्थान रिक्त होने की दशा में अन्य स्थानों के बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा।

सामान्य प्रशासन विभाग के प्रत्र क्रमांक सी–3–7–2013–एक, दिनांक 25.09.2014 के निर्देशानुसार स्थानीय निवासी हेतु स्व--प्रमाणित घोषणा-पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।

- (ख) संबंधित विश्वविद्यालय या उस विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों/महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालयों में प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) जम्मू कश्मीर के विस्थापितों एवं उनके पाल्य / पाल्या के लिये निम्न प्रावधान लागू होंगे :
 - 1. प्रवेश की अंतिम तिथि में अधिकतम 30 दिन की छूट।
 - 2. न्यूनतम प्रवेश प्राप्तांकों में अधिकतम 10 प्रतिशत की छूट, अगर आवेदक पात्रता की अन्य शर्त पूरी करता हो।
 - 3. उपलब्ध स्थानों में पाठ्यक्रमवार 5 प्रतिशत की वृद्धि।
 - स्थानीय निवासी होने की अनिवार्यता से पूर्ण छूट।
 - द्वितीय और आने वाले वर्षो में आव्रजन की सुविधा।
 - तकनीकी / व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में मेरिट के आधार पर एक प्रतिशत का आरक्षण।

7/17

- (घ) प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिये All India Council for Technical Education (AICTE), New Delhi द्वारा प्रदेश में (12 B of UGC Act. के तहत मान्य) महाविद्यालयों में दो अधिसंख्य सीटों का सृजन कर प्रवेश दिये जानें का प्रावधान है। उक्त विद्यार्थियों को सीट आवंटन के बाद प्रवेश देने के पूर्व सम्बद्ध विश्वविद्यालय अनुसार पात्रता सुनिश्चित करने का संपूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा। उक्त प्रवेश तिद्यार्थीत विद्यार्थी की जानकारी ई-प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध माड्यूल में दर्ज करने का दायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा। उक्त प्रवेशित विद्यार्थी की जानकारी ई-प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध माड्यूल में दर्ज करने का दायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा।
- 5.2 विधि संकाय में नियमित प्रवेश : विधि संकाय में प्रवेश बी.सी.आई. के नियमानुसार ही दिया जाएगा।

विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश ऑनलाईन—प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से ही होंगें। विधि महाविद्यालयों को उनके यहाँ संचालित विधि पाठ्यक्रमों, उनकी सीट संख्या, शुल्क आदि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा, एवं इन पाठ्यक्रमों का सत्यापन सम्बंधित मैपिंग महाविद्यालय से निर्धारित तिथि तक करवाना होगा।

समकक्ष परीक्षा :

4

- 6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एज्यूकेशन (सी.बी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षायें मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है।
- 6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ इडियन यूनिवर्सिटीज) के सदस्य हैं, की समस्त परीक्षायें राज्य के विश्वविद्यालयों की परीक्षा के समऊक्ष मान्य होंगी।
- 6.4 माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विज्ञान से मिलते जुलते विषय, जैसे लेबोरेट्री मेडिसिन मैनेजमेंट एवं सिस्टम एनालिसिस, क्लिनिकल बॉयोकेमेस्ट्री, माइक्रोबॉयलाजी एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम तथा कम्प्यूटर से संबंधित विषय और प्रिंटिंग ऑफ डाटा–प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट एण्ड सिस्टम एनालिसिस, डी.टी.पी. पैकेज प्रोग्रामिंग, वर्कशाप प्रैक्टिस आदि सम्मिलित हैं। उपरोक्त विषयों के साथ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यकम 10+2 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के बाद ही संबंधित संकाय में प्रवेश दिया जा सकेमा ऐसे आवेदकों को प्रवेश पंजीयन के समय विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता/जहंता प्रमाण प्राप्त करना करना अनिवार्य होगा। किसी भी कक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता संबंधी निर्धारण में सदेह होने पर संबंधित पात्रतानुसार प्रवेश के समय आवेदक की पात्रता के परीक्षण का संपूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय के प्रान्नता यात्रतानुसार प्रवेश के समय आवेदक की पात्रता के परीक्षण का संपूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय के प्रान्नता होगा। आवंदन का तात्पर्य यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक प्रवेश की पात्रता नुसार प्रवेश के समय आवेदक की पात्रता के परीक्षण का संपूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय के प्रान्नता होगा। आवंदन का तात्पर्य यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक प्रवेश के पात्रता है।

6.5 मध्यप्रदेश संस्कृत बोर्ड की 'उत्तर मध्यमा परीक्षा' को हायर सेकेण्डरी परीक्षा के समकक्ष माना जाये।

8/17

बाह्य आवेदकों का प्रवेश :

- 7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए. / बी.काम. / बी.एससी. / बी.एससी.(गृह–विज्ञान) में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय से अईकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता है, किंतुं सम्बंधित विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय में पंढाये जा रहे विषयों / विषय-समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो तो संबंधित परीक्षण के पश्चात् ही नियमिल प्रवेश दिया जा सकेगा। विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
- 7.2 मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों / स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष परीक्षा, राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर की प्रथम परीक्षा या प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद उन्हीं विषय/विषयों/विषय–समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 7.3 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ—पत्र देना होगा। शपथ—पत्र में फर्जी. किसी भी तरह की झूठी / गलत जानकारी पाये जाने की दशा में संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में आगामी तीन वर्ष तक प्रवेश से वंचित कर दिया आयंगा।
- 7.4 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को प्रवेश के पूर्व प्राचार्यों द्वारा संबंधित राज्यों एवं स्थानीय थानां क माध्यम से पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य है।
- 7.5 केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थाओं में मध्यप्रदेश के विद्यार्थियों के लिए 80 प्रतिशत तथा अन्य राज्यों के विद्यार्थियों हेतु 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखने की व्यवस्था लागू रहेगी।
- 7.6 महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में अध्ययनरत् संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
- 7.7 जिन विषयों में प्रवेश के लिये प्रदेश के विद्यार्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है, उन विषयों में अन्य राज्य के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 7.8 अन्य राज्यों के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड / विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।
- 7.9 ऐसे अध्ययनरत् विद्यार्थी जो छात्रावास में रहते हैं उन्हें अपने छात्रावास कक्ष में किसी अन्य को ठहराना प्रतिबंधित रहेगा।
- 7.10 अन्य राज्यों के छात्रों द्वारा प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा की अंकसूची, स्थानांतरण प्रमाण–पत्र, विश्वविद्यालय से पात्रता संबंधी प्रमाण--पत्र इत्यादि की मूल प्रति महाविद्यालय में जमा करने के बाद ही महाविद्यालय द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। मूल प्रमाण-पत्रों के अभाव में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। विद्यार्थी के मूल दस्तावेज छः महीने तक महाविद्यालय के पास रहेंगे, तत्पश्चात उसे आवेदक को वापस कर दिये जायेंगे। महाविद्यालय इस तरह संधारित मूल दस्तावेजों का लेखा रखेंगे तथा विद्यार्थियों को मूल दस्तावेज जमा कराने संबंधी पावती भी प्रदान करेंगे।

9/17

8. प्रावधिक प्रवेश की पात्रता :

in

- 8.1 स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
 - 8.1.1 स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी स्नातक अंतिम सेमेस्टर / वर्ष के परीक्षा परिणाम धोषित न होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश हेतु प्रथम से पंचम सेमेस्टर तक कुल अंकों के प्राप्तांक का प्रतिशत ऑनलाइन पंजीयन के समय दर्ज करना होगा जिसके आधार पर गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।
 - 8.1.2 उपरोक्त प्रवेशार्थी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सीट आवंटित होने पर विद्यार्थी अपने दायित्व पर एक वचन पत्र के साथ प्रवेश लेंगें जिसमें यह उल्लेख होगा कि अगर षष्ठम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम में गुणानुक्रम परिवर्तन अथवा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होता है/वार्षिक परीक्षा पद्धति में तृतीय वर्ष अनुत्तीर्ण घोषित हो जाता है जिसके कारण प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थी नियमित प्रवेश से वंचित हैं तो यह उसकी जिम्मेदारी होगी। प्रावधिक प्रवेश के उपरान्त अधिकार नहीं होगा।
- 8.2 स्नातक में तृतीय / पंचम सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. के नियमों के अनुसार पात्र विद्यार्थियों को शुल्क जमा करने पर प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.3 स्नातकोत्तर के तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. के नियमों के अनुसार पात्र विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 ए.टी.के.टी. से संबधित प्रवेश नियम :

8.4.1 स्नातक कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. नियम

- सेमेस्टर के अंत में संबंधित सेमेस्टर की सभी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ लागू हो) विषयों की परीक्षा होगी।
- दो विषयों के प्रश्न–पत्रों में (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक जहाँ लागू है) अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित होने पर विद्यार्थी को ए.टी.के.टी. की पात्रता होगी, अर्थात विद्यार्थी को अगले सेमेस्टर में स्वतः प्रवेश मिल सकेगा।
- विद्यार्थी एक समय में चार ए.टी.के.टी. के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश पा सकेगा, लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक विषयों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी।
- 4. स्नातक पाठ्यक्रम की अधिकृतम अवधि 5 वर्ष होगी।
- 5. विशेष परीक्षार्थी : राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रमों में प्रतिभागिता के कारण विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में पूर्णतः अथवा आंशिक अनुपस्थित विद्यार्थियों को आगामी सन्न में आयोजित सेमेस्टर परीक्षाओं में (संबंधित सम/विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं के साथ) ए.टी.के.टी. विद्यार्थी के रुप में नहीं बल्कि "विशेष परीक्षार्थी" के रुप में सम्मिलित होने की पात्रता होगी।

8.4.2 स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. नियम :

- सेमेस्टर के अंत में निर्धारित सभी सैद्धांतिक एवं प्रयोगिक (जहाँ लागू हो) प्रश्न पत्रों की परीक्षा होगी।
- 2. दो प्रश्न पत्रों में (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक जहाँ लागू है) अनुत्तीर्ण / अनुपरिधत होने पर विद्यार्थी को ए.टी.के.टी. की पात्रता होगी, अर्थात विद्यार्थी को अगले सेमेस्टर में स्वतः प्रवेश मिल सकेगा।

10/17

- 3. विद्यार्थी एक समय में चार ए.टी.के.टी. के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश पा सकेगा, लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि 3 वर्ष की होगी।
- 8.5 जिन विद्यार्थियों को 'पूर्व छात्र' की श्रेणी में रखा गया था वे आगामी सेमेस्टर की मुख्य परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे। उत्तीर्ण होने की दशा में उन्हें जुलाई माह से प्रारंभ होने वाले सत्र में नियमानुसार शुल्क जमा करने पर नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।

प्रवेश हेत् पात्रता/अपात्रता :

- 9.1 जिन आवेदकों के विरूद्ध न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहे हैं या चालान प्रस्तुत किया जा चुका हो, परीक्षा में या पूर्व सत्र में विद्यार्थियों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर प्रामाणित आरोप हों या उनमें चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हो तो ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिये प्राचार्य कदापि अधिकृत नहीं है।
- 9.2 महाविद्यालय में तोड़—फोड़ करने या महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने के प्रमाणित दोषी और रैगिंग के प्रमाणित आरोपी विद्यार्थियों को भी प्राचार्य प्रवेश देने के लिये अधिकृत नहीं है। रैगिंग के संदर्भ में यू.जी.सी. के ज्ञाप क. एफ-1-16/2007 (सी.पी.।।) अप्रैल 2009 के मार्गदर्शी निर्देशों का पालन अनिवार्य है। इस संबंध में विभाग द्वारा जारी पत्र क्र. 829/469/आउशि/शा–1/08 दिनांक 18 जून 2008 के अनुसार जीरो टालरेंस पॉलिसी (Zero Tolerance Policy) लागू रहेगी।

9.3 आयु संबंधी पात्रता :

- (क) स्नातक प्रथम वर्ष में 23 वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 28 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना प्रवेश वर्ष में एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। प्रवेश के लिये छात्राओं के लिये आयु-सीमा में छूट रहेगी।
- (ख) आयु-सीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार / भारत सरकार के मंत्रालय कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार व्दारा प्रायोजित अथवा किसी विदेशी सरकार व्दारा अनुशंसित विदेशों से अध्ययन हेतु भेजे गये विद्यार्थियों अथवा विदेश से अध्ययन के लिये विदेशी मुद्रा में पेमेंट सीट पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों पर लागू नहीं है।
- (ग) योग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयु-सीमा का बंधन नही होगा।
- (घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जा सकेगी ।
- (ड.) निःशक्तजन वर्ग के आवेदकों को स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है।
- (च) प्राच्य पद्धति के संस्कृत महाविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की
- अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष है।
- पूर्णकालिक शासकीय / अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि या शाम को लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं है। लेकिन दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत 9.4 लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दियां जा सकेगा। किसी भी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों को (विधि संकाय को छोड़कर) अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं है।
- ट्रॉन्सजेंडर को केवल सह–शिक्षा (Co-Education) महाविद्यालय में ही प्रवेश दिया जावेगा।

11/17

9.5

And the

2

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए अर्ह परीक्षा में प्राप्तांक एवं अधिभार यदि कोई देय है तो अधिभार को जोड़कर समग्र प्रतिशत के अंको के आधार पर गुणानुक्रम का निर्धारण किया जाएगा।

10.2 सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग–अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जाएगी।
10.3 प्राच्य पद्धति के संस्कृत महाविद्यालयों में शाला–स्तर के अध्यापन के कारण संबंधित बोर्ड द्वारा उनके पाठ्यक्रमों को संबद्धता यदि प्राप्त हो तो उस बोर्ड के प्रवेश नियमों को मान्य किया जा सकेगा। संस्कृत बोर्ड के परिणाम देर से घोषित होने पर 11वीं की अंक सूची के आधार पर पंजीयन कराया जा सकेगा। संस्कृत सी.एल.सी. चरण में इन आवेदकों को प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी। उत्तीर्ण होने पर प्रवेश नियमित एवं अनुत्तीर्ण होने पर प्रवेश निरस्त हो जाएगा।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :

किसी एक विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य किसी विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की दशा में पात्रतानुसार ही प्रवेश दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण : मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा -

12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशः 16 तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होगें। इन दोनों वर्गो के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।

12.2 पिछडे वर्ग (क्रीमी—लेयर छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे।

- 12.3 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातीयों/नातिनों, भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से निःशक्त हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों एवं भूतपूर्व तथा कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence personnel) के आश्रितों/सेन्ट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बच्चों के लिए तथा इन वर्गों के निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 03 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इससे संबंद्ध निःशक्त श्रेणी के आवेदकों को प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिमार देकर, तीन वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाए, परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित स्थानों से ही उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों/अधिकारियों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा :
 - 1. युद्ध के दौरान शहीद की विधवा एवं उनके आश्रित।
 - 2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप से अपंग, कार्यरत सैनिकों एवं उनके आश्रित।
 - 3. शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद के आश्रित।
 - 4. शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से निःशक्तजन तथा उनके आश्रित।
 - 5. निम्न शौर्य पदकों से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रित, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मैडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मैडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मैडल, सेना, नौसेना/वायु सेना मेडल पत्रों में उल्लेख।
 - भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित।
 - 7. कार्यरत सैनिकों के आश्रित।

12/17

2.

- 12.4 निःशक्तजन श्रेणी के आवेदकों के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जावेंगे परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिये आरक्षित स्थान से ही उपलब्ध कराया जावेगा। निःशक्तजनों को प्रवेश के समय अर्हतादायी अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जाये ी।
- 12.5 एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण--पत्र उत्तीर्ण आवेदकों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय में स्वीकृत स्थान का 1 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा।
- 12.6 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होगें।
- 12.7 उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन तथा उसके अधीनस्थ कार्यालय, आयुक्त, कार्यालय उच्च शिक्षा में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्राचार्यो, प्राध्यापकों, ग्रंथपालों, क्रीडा अधिकारियों, रजिस्ट्रारों एवं शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पाल्यों के लिए सभी सम्बन्धित संवर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे।
- 12.8 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार यदि अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी/ओपन प्रतिस्पर्धा में नियमानुसार मेरिट सूची में आता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें अप्रभावित रहेगी। परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी अन्य संवर्ग जैसे—स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का है तो संबंधित संवर्ग की सीट उस विशिष्ट आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी। संबंधित विशिष्ट संवर्ग की शेष सीटें पात्रतानुसार भरी जायेंगी।
- 12.9 अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेशः 🗸

-

अल्पसंख्यक संस्थाओं को उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल (<u>www.mphighereducation.nic.in</u>) पर रजिस्टर करना होगा एवं उनके संस्थान में सम्बंधित विश्वविद्यालय के संचालित पाठ्यक्रमों, उनकी सीट संख्या, शुल्क आदि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा, एवं इन पाठ्यक्रमों का सत्यापन सम्बंधित मैपिंग महाविद्यालय से निर्धारित तिथि तक करवाना होगा।

अल्पसंख्यक संस्थाओं में अजजा/अजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का बंधन नहीं होगा। अल्पसंख्यक संस्थाओं को उनके यहाँ प्रवेशित विद्यार्थीयों की जानकारी विभाग के प्रवेश पोर्टल (www.epravesh.nic.in) पर उपलब्ध ऑनलाईन मॉड्यूल में दर्ज करनी होगी। इस प्रक्रिया को ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सारिणी अनुसार रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से सम्पन्न करना होगा।

- 12.10 आरक्षित स्थाने का प्रतिशत यदि आधे से कम आता है तो उसी श्रेणी में आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। आधे से एक प्रतिशत के बीच आने पर ही आरक्षित स्थान की संख्या एक मानी जायेगी।
- 12.11 कंडिका 2.5 अनुसार तृतीय चरण में पूर्व में वर्णित आरक्षित श्रेणी के रिक्त स्थान अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के आवेदकों के लिए उपलब्ध रहेगें।
- 12.12 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।
- 12.13 ऐसे पाठ्यक्रम जिनके अध्यादेश में प्रवेश लिखित परीक्षा के माध्यम से दिया जाना उल्लेखित होः पात्र आवेदकों को पोर्टल पर पंजीयन कराते हुए संबंधित संस्था एवं पाठ्यक्रम हेतु वरीयता दर्ज करना होगा। संबंधित संस्था पंजीकृत आवेदकों की प्रवेश परीक्षा आयोजित कर नियमानुसार प्रवेश देगी तथा प्रवेशित आवेदकों की जानकारी पोर्टल पर अनिवार्यतः दर्ज करेंगी।

13/17

<u> 13. अधिमार</u> :

ئر

अधिभार गुणानुक्रम निर्धारण के लिए प्रदान किया जायेगा। पात्रता हेतु इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। अर्ह परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार के लिये सभी आवश्यक प्रमाण–पत्रों की जानकारी प्रवेश हेतु पंजीयन के लिए आवेदन–पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य है। सत्यापन के लिये आवेदन पत्र में उल्लेखित संबंधित प्रमाणपत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होंगे। सत्यापन के बाद प्रस्तुत अन्य प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर केवल सर्वाधिक अधिभार का लाभ एक ही वर्ग में देय होगा।

13.1 एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / स्काउट्स (स्काउट / गाईड्स / रेन्जर्स):

(क)	एन.सी.सी. / एन.एस. एर' सर्टिफिकेट	
(ख)	एन सी सी /एन एए एक २०००	2 प्रतिशत
<u>(ग)</u>	एन.सी.सी. / एन.एस.एस. 'बी' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	3 प्रतिशत
<u>(भ)</u> (घ)	'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट	4 प्रतिशत
	राज्य स्तरीय (संचालनालयीन) एन.सी.सी. प्रतियोगिता	4 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में मध्यप्रदेश के एन.सी.सी. कन्टिनजेन्ट में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	5 प्रतिशत
(ন্ত)	राज्यपाल स्काउट	
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट	5 प्रतिशत
(झ)	मध्यप्रदेश का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट	10 प्रतिशत
(य)	ड्यूक ऑफ एडिनबरा अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	10 प्रतिशत
(र)	भारत के गाव राज्य आप एन.सा.सा. कडेट	15 प्रतिशत
	भारत के साथ अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्वेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट	15 प्रतिशत
ल)	एन.सी.सी. / एन.एस.एस. के तहत चयनित एवं प्रयास करने वाले कैडेट को अन्तर्राष्ट्रीय जम्हुरी के लिये चयनित होने द.ले विद्यार्थियों को	१० प्रतिशत
ब)	भारतीय रेडक्रास सोसायटी द्वारा प्रमाणित उत्कृष्ट गतिविधियों के लिये	0 10
रा)	जूडो/कराटे :	2 प्रतिशत
	यलो बेल्ट (Yellow Belt)	2 प्रतिशत
ŀ	ब्राउन बेल्ट (Brown Belt)	3 प्रतिशत
	ब्लेक बेल्ट (Black Belt)	4 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठयक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर ---

10 प्रतिशत

13.3 रनातकोत्तार परीक्षा उत्तीर्ण विद्याथियों को एल.एल.बी. प्रथम में प्रवेश देने पर – 5 प्रतिशत

13.4 खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / क्विज / रूपांकन प्रतियोगिताएं –

- (1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला/संभाग स्तर पर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में –
 - (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को *2 प्रतिशत*
 - (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 4 प्रतिशत

14/17

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.4(1) में उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग / राज्य स्तर 7. अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्रीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा भारतीय अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में : 6 प्रतिशत प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को – 7 प्रतिशत व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को -(क) 5 प्रतिशत संभाग क्षेत्र का प्रतिनिधत्व करने वाले प्रतियोगी को -(ख) (3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में : (क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को – 15 प्रतिशत 12 प्रतिशत (ख) टीम प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को – 10 प्रतिशत (ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को-13.5 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स तथा कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/ सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित और प्रयास करने वाले दल के सदस्यों को – 10 प्रतिशत 13.6 मध्यप्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में – 10 प्रतिशत (क) मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को – (ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली मध्यप्रदेश की टीम के सदस्यों को – 12 प्रतिशत अधिभार दिया जायेगा बशर्ते म.प्र. शासन से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा जारी प्रमाण पत्र संबंधित जिले के खेल अधिकारी द्वारा अनिवार्यतः प्रतिहस्ताक्षरित हो। 1 प्रतिशत 13.7 जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों और उनके आश्रितों को -13.8 विशेष प्रोत्साहन : एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ केडेटस तथा ओलम्पिक/एशियाड/स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया; एस.जी.एफ.आइ. द्वारा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को अर्हता पूर्ण होने पर बगैर किसी गुणानुक्रम के उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जाये जिनके वे पात्र हैं। (1) इस प्रकार के उनके प्रमाण पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण मध्यप्रदेश द्वारा अभिप्रमाणित बशर्ते कि -(2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने पंजीयन के अंतर्गत उक्त जानकारी का उल्लेख किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा अन्य, अर्थात दूसरे स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये फिर एक नई उपलब्धि प्राप्त करना आवश्यक होगा। 13.9 स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये स्कूल स्तर के पिछले 4 क्रमिक सन्न तक के प्रमाण-पत्र तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र के प्रमाण पन्न ही अधिभार के लिये 13.10 राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं जिनमें राज्य सरकार सह-प्रायोजक हो, उसमें वहाँ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को अधिभार के प्रतिशत की गणना कण्डिका 13.4(3) के अनुरूप होगी। 15/17 - fer 7 201

14. संकाय/विषय/ग्रूप परिवर्तन :

रनातक प्रथम वर्ष/रनातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में अई परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्ताकों से 5 प्रतिशत घटाने के बाद ही उनका गुणानुक्रम निर्धारित होगा और अधिभार घटे हुए प्राप्तांको पर ही देय होगा।

15. विशेष :

- 15.1 जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर या गलत जानकारी देकर, जानबूझकर अथवा छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों या प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश किसी आवेदक को यदि प्रवेश मिल जाता है, तब संज्ञान में आने पर ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 15.2.1 प्रावधिक प्रवेश के मामले में प्राचार्य पृथक सूची तैयार करेंगे और विश्वविद्यालय को नामांकन के लिये फार्म भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थियों ने वे सारी पूर्तियाँ पूरी कर ली हैं, जिनके अभाव में उन्हें तत्समय प्रावधिक प्रवेश दिया गया था।
- 15.2.2 नियमित प्रवेश लेने के बाद बिना किसी समुचित कारण अथवा बिना पूर्व अनुमति या पूर्व सूचना के, लगातार पंद्रह दिवस तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 15.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.1 एवं 9.2 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरण में लिप्त विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे संस्था से निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य का होगा।
- 15.4 प्रवेश के बाद सन्न के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ने या उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसके निष्कासन की दशा में विद्यार्थी को सुरक्षा राशि (कॉशन मनी) के अलावा अन्य कोई शुल्क वापस नही किया जायेगा।
- 15.5(अ) प्रथम वर्ष मे प्रवेशित विद्यार्थी का तकनीकी /व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अन्यत्र प्रवेश हो जाने पर तत्संबंधी प्रमाण--पत्र प्रस्तुत करने पर विद्यार्थी को रू. 100 / – प्रक्रिया शुल्क काटकर जमा की गई शेष राशि वापस की जाएगी। लेकिन उपर्युक्त स्थिति में स्ववित्तीय पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थी को सुरक्षा राशि (कॉशन मनी) के अलावा अन्य कोई और राशि वापस नहीं की जायेगी।
- रिमार्कः—यू.जी.सी. द्वारा सूचित वैधानिक प्रोफेशनल कॉउसिल द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम तकनीकी /व्यवसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत माने जायेंगे।
- 15.5(ब) प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थी के अनुत्तीर्ण घोषित होने पर उसके प्रवेश के नियमित न हो पाने की स्थिति में उसे रूपये 100/-- प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष राशि लौटाई जाएगी।
- 15.6 नियमित प्रवेश पश्चात् विषय/पाठ्यक्रम/संकाय/परिवर्तन ः प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धांत का पालन सुनिश्चित करते हुए, नियमानुसार उपलब्ध रिक्त स्थानों पर पात्रता एवं गुणानुक्रम का उल्लंघन न होने की शर्त पर दिनांक 8 अगस्त, 2017 तक या जारी नवीन निर्देशों के अनुसार विषय/पाठ्यक्रम/ संकाय परिवर्तित किये जा सकेंगे। इस संबंध में महाविद्यालय विधिवत् सूचना प्रसारित कर, प्राप्त आवेदनानुसार कार्यवाही करेंगे। महाविद्यालय द्वारा किये गये परिवर्तन की जानकारी निर्धारित तिथि तक ऑन–लाइन मॉड्यूल में भी दर्ज करना होगी अन्यथा किये गये परिवर्तन मान्य नहीं होंगे।
- 15.7 एक बार प्रवेश प्राप्त कर लेने के पश्चात् यदि आवेदक द्वारा महाविद्यालय से स्थानान्तरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाता है तो इसकी जानकारी भी ऑन लाइन उपलब्ध कराये गये मॉड्यूल में देना अनिवार्य होगा, जिससे प्रवेशित आवेदकों की वस्तुस्थिति स्पष्ट रहे।

16/17

5-

15.8 ऐसे अशासकीय महाविद्यालयों जिनकी मान्यता अथवा उनके स्नातक/स्नाताकोत्तर कक्षाओं कें पाठ्यक्रमों की मान्यता शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समाप्त कर दी गई है उनमें विगत वर्षों में पाठ्यक्रमों की मान्यता शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समाप्त कर दी गई है उनमें विगत वर्षों में नियमित प्रवेशित विद्यार्थियों को अन्य महाविद्यालयों में उन्हीं पाठ्यक्रमों में अगले वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।

15.9 इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आंयुक्त, उच्च शिक्षा को है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में समय—समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन करने का संपूर्ण अधिकार है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय—समय को होगा। मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

संलग्न : 1. स्नातक एवं स्नातकोत्तर ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सारिणी सन्न 2017–18 2. अकादमिक कैलेण्डर सन्न 2017–18

आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2017—18 (18 अप्रैल 17)

friend.

17/17

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सारिणी

सत्र 2017-2018

रनातक प्रथम वर्ष

क्र.	कार्य दिवरण	दिनांक से	दिनांक तक	बजे तक
100	प्रथम चरण			
1	(अ) ऑनलाइन पंजीयन एवं महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/विषय-समूह का विकल्प देना	25.05.2017	10.06.2017	1
18	(ब) दस्तावेजों का सत्यापन	26.05.2017	13.06.2017	
2	(अ) 13 जून 2017 तक सत्यापन करा चुके आवेदकों के लिए प्रथम-चरण के सीट-आवंटन-पत्र जारी करना	19.06.2017		
	 (ब) आवंटित महाविद्यालयों में आवश्यक दस्तावेज जमा कर ऑनलाइन शुल्क भुगतान की लिंक इनिशिएट करवाना 	19.06.2017	23.06.2017	5:00 PM
	(स) आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना (बैंक चालान से भुगतान करने की स्थिति में आवेदक को 22 जून 2017 तक बैंक के निर्धारित समय सीमा में भुगतान करना होगा)	19.06.2017	23.06.2017	11:30 PM
	ऑनलाइन प्रवेश आवंटन प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना	19.06.2017	23.06.2017	11:30 PM
	द्वितीय चरण			
3	 (अ) अपंजीकृत आवेदकों हेतु ऑनलाइन पंजीयन एवं महाविद्यालय /पाठ्यक्रम /विषय-समूह का विकल्प देना 	24.06.2017	27.06.2017	
	 (ब) दस्तावेजों का सत्यापन केवल 3 (अ) के अनुसार पंजीयन कराने वाले आवेदकों के लिए 	24.06.2017	28.06.2017	-
4	 (अ) महाविद्यालयों में प्रथम चरण के प्रवेश पश्चात रिक्त रह गये स्थानों की पोर्टल पर जानकारी 	24.06.2017		
	(ब) प्रथम चरण में रिक्त रह गयी सीटों हेतु पुनः महाविद्यालय/ पाठ्यक्रम / विषय- समूह का ऑनलाइन विकल्प देना (पंजीकृत एवं दस्तावेजों को सत्यापित करा चुके अप्रवेशित आवेदकों द्वारा)	24.06.2017	30.06.2017	
5	(अ) 28 जून 2017 तक सत्यापन करा चुके आवेदकों/पूर्व पंजीकृत आवेदकों के विकल्प के अनुसार द्वितीय-चरण के सीट-आवंटन-पत्र जारी करना	04.07.2017		
	(ब) आवंटित महाविद्यालयों में आवश्यक दस्तावेज जमा कर ऑनलाइन शुल्क भुगतान की लिंक इनिशिएट करवाना	04.07.2017	07.07.201.7	5:00 PM
	(स) आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना (बैंक चालान से भुगतान करने वाले आवेदक 06 जुलाई 2017 तक बैंक के निर्धारित समय सीमा में भुगतान करें)	04.07.2017	07.07.2017	11:30 PM
	ऑनलाइन प्रवेश आवंटन प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना	04.07.2017	07.07.2017	11:30 PM
	तृतीय चरण	ii a	2) 2)	
6	 (अ) अपंजीकृत आवेदको हेतु ऑनलाइन पंजीयन एवं महाविद्यालय /पाठ्यक्रम /विषय-समूह का विकल्प देना (निरंतर) 	08.07.2017	10.07.2017	
	 (ब) दस्तावेजों का सत्यापन (केवल 6 (अ) के अनुसार पंजीयन कराने वाले आवेदकों के लिए) 	08.07.2017	11.07.2017	

DE de ora.

7 1	(अ) महाविद्यालयों में द्वितीय-चरण के पश्चात् रिक्त रह गये स्थानों की पोर्टल पर	08.07.2017		
	जानकारी (ब) द्वितीय चरण में रिक्त रह गयी सीटों हेतु, पुनः महाविद्यालय/पाठ्यक्रम / (ब) द्वितीय चरण में रिक्त रह गयी सीटों हेतु, पुनः महाविद्यालय/पाठ्यक्रम /	08.07.2017	11.07.2017	
	विषय-समूह को आगुरा राग्य गिर्मा आवेदकों द्वारा) सत्यापित करा चुके अप्रवेशित आवेदकों द्वारा) (अ) तृतीय-चरण के सीट-आवटन-पत्र जारी करना	15.07.2017		
8	(अ) तृतीय-परेंज के सांह का में (ब) आवंटित महाविद्यालयों में आवश्यक दस्तावेज जमा कर ऑनलाइन शुल्क	15.07.2017	19.07.2017	5:00 PM
	 (ब) आवाटत महाविधालया न जात्म भुगतान की लिंक इनिशिएट करवाना (स) आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना (बैंक (स) आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना (बैंक चालान से भुगतान करने वाले आवेदक 18 जुलाई 2017 तक बैंक के 	15.07.2017	19.07.2017	11:30 PM
	चालान सं भुगतान करने पांश जानसा छ निर्धारित समय सीमा में भुगतान करें) ऑनलाइन प्रवेश आवंटन प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना		19.07.2017	11:30 PM

C.L.C		1	T.
महाविद्यालयों में तृतीय चरण के पश्चात (C.L.C चरण हेतु) रिक्त	21.07.2017		
रह गये स्थानों की पोर्टल पर जानकारा	वालय में काउंसलि	ाग के लिए समस्त ना होगा।	आवश्यक
दस्तावजा साहरा रपेय जारराख्य में उपस्थित	ale 9421 9141 474 a 22.07.2017	25.07.2017	
सी.एल.सी. हतुं इच्छुक आपदेपण देना होना एवं पाठ्यक्रम/विषय-समूह का विकल्प देना महाविद्यालय द्वारा सी.एल.सी. चरण की प्रवेश सूची जारी करना	26.07.2017		
(अ) ऑनलाइन शुल्क भुगतान की लिंक इनीशिएट करवाना	26.7.2017	29.07.17	5:00 PM
(अ) आगलाइन पुरस्त उ (ब) सी.एल.सी. चरण की प्रवेश सूची अनुसार आवेदकों द्वारा पोर्ट के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क जमा करना।(बैंक चालान भुगतान करने वाले आवेदक दि. 28 जुलाई 2017 तक बैंक	ल 26.07.2017 से के	29.07.2017	11:30 PM
भुगतान करने वाल आपरेपर सिंह कु निर्धारित समय-सीमा में भुगतान करें)। (स) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से मुक्त समस्त महाविद्यालय /संस्थ द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्गि	गन 26.07.2017	29.07.2017	11:30 P
द्वारा प्रवेशित विद्यार्थिया का पाउस करना करना।		I.,	

×

2 Qui nog

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सारिणी

सत्र 2017-2018

क्र	रनातकोत्तर प्रथम-सेमेस्ट कार्य विवरण			The Lotter Street
		ादनाक सं	िदिनांक तक	बजे तब
1	प्रथम चरण			
'	देना	01.06.201	15.06.2017	7
	(ब) दस्तावेजों का सत्यापन	01.06.2017	17.06.2017	,
2	सीट-आवंटन-पत्र जारी करना	22.06.2017	-	
	(ब) आवंटित महाविद्यालयों में आवश्यक दस्तावेज जमा कर ऑनलाइन शुल्क भुगतान की लिंक इनिशिएट करवाना	22.06.2017	28.06.2017	5:00 PM
	(स) आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना (बैंक चालान से भुगतान करने की स्थिति में आवेदक को 27 जून 2017 तक बैंक के निर्धारित समय सीमा में भगतान करना होगा)	22.06.2017	28.06.2017	11:30 P
	ऑनलाइन प्रवेश आवंटन प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना	22.06.2017	28.06.2017	11:30 PI
	द्वितीय चरण			1
3	 (अ) अपंजीकृत आवेदकों हेतु ऑनलाइन पंजीयन एवं महाविद्यालर पाठ्यक्रम/विषय-समूह का विकल्प देना (निरंतर) 		01.07.2017	1
	 (ब) दस्तावेजों का सत्यापन (केवल 3 (अ) के अनुसार पंजीयन कराने वाले आवेदकों के लिए) 	1	03.07.2017	
4	 (अ) महाविद्यालयों में प्रथम चरण के प्रवेश पश्चात रिक्त रह गये स्थानों की पोर्टल पर जानकारी 	29.06.2017		
	(ब) प्रथम चरण में रिक्त रह गयी सीटों हेतु, पुनः महाविद्यालय/ पाठ्यक्रम / विषय-सनूह का ऑनलाइन विकल्प देना (पंजीकृत एवं दस्तावेजों को सत्यापित करा चुके अप्रवेशित आवेदकों द्वारा)	29.06.2017	03.07.2017	
5	(अ) 01 जुलाई 2017 तक सत्यापन करा चुके आवेदकों/पूर्व पंजीकृत आवेदकों के विकल्प के अनुसार द्वितीय-चरण के सीट-आवंटन-पत्र जारी करना	06.07.2017		
	(ब) आवंटित महाविद्यालयों में आवश्यक दस्तावेज जमा कर ऑनलाइन शुल्क भुगतान की लिंक इनिशिएट करवाना	06.07.2017	11.07.2017	5:00 PM
	(स) आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना (बैंक चालान से भुगतान करने वाले आवेदक 10 जुलाई 2017 तक बैंक के निर्धारित समय सीमा में भुगतान करें)	06.07.2017	11.07.2017	11:30 PM
		06.07.2017	11.07.2017	11:30 PM
	तृतीय चरण	l_	l	
6	(अ) अपंजीकृत आवेदकों हेतु ऑनलाइन पंजीयन एवं महाविद्यालय /पाठ्यक्रम /वि 14-समूह का विकल्प देना ्निरंतर)	12.07.2017	14.07.2017	

1 W F

2

				15.07	2017		1.
	कराने वाले	12.07.2	2017	15.07	.2011		
	(ब) दस्तावेजों का सत्यापन (केवल 6 (अ) के अनुसार पंजीयन कराने वाले						
	(ब) दस्तापणा का राज	12.07.	2017				
	(अ) यर्रसा में के लिए) आवेदकों के लिए) (अ) महाविद्यालयों में द्वितीय-चरण के पश्चात् रिक्त रह गये स्थानों की पोर्टल पर						
-	(अ) महाविद्यालयों में द्विताय-परेण में में से	12.07	2017	15.0	7.2017		1
	जनकारी	12.01	2011	10.0			1
	जानकारी (ब) द्वितीय चरण में रिक्त रह गयी सीटों हेतु, पुनः महाविद्यालय पाठ्यक्रम / (ब) द्वितीय चरण में रिक्त रह गयी सीटों हेतु, पुनः महाविद्यालय पाठ्यक्रम /	1			1		
	(ब) द्वितीय चरण में रिक्त रह गयी सीटो हेतु, पुनः महापियाराय स् (ब) द्वितीय चरण में रिक्त रह गयी सीटो हेतु, पुनः महापियाराय स् विषय-समूह का ऑनलाइन विकल्प देना (पंजीकृत एवं दस्तावेजों को विषय-समूह का ऑनलाइन विकल्प देना (पंजीकृत एवं दस्तावेजों को				1		*
	विषय-समूह का आनेलाइन, प्रियर के का विषय को सारा) सत्यापित करा चुके अप्रवेशित आवेदकों द्वारा)						
		190	7.2017	T			
	र्भ नीन अग्वंतन-पत्र जारी करना	10.0	101-101203000				
8	(अ) तृतीय-चरण के सीट-आवंटन-पत्र जारी करना	1	7 0017	122	07.2017	5:0	OPM
	पुरु करनावेज जमा कर	19.0	7.2017	1			
	(ब) आवंटित महाविद्यालयों में आवश्यक दस्तावेज जमा कर	1		1-	.07.2017	111	:30 PM
	 (ब) आवंटित महाविद्यालिया में आपरेपप रेपा ऑनलाइन शुल्क भुगतान की लिंक इनिशिएट करवाना ऑनलाइन शुल्द, का भुगतान कर (स) आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शुल्द, का भुगतान कर (स) आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शुल्द, का भुगतान कर 	ना 19.0	7.201	7 22	.07.2017	1	
	जा रतार यु परिल के माध्यम से ऑनलाइन शुल्य की उत्तर तक है	वेंक				1	
	(स) आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से आनलाइन शुल्प पन रुगा (स) आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से आनलाइन शुल्प पन रुगा (बैंक चालान से भुगतान करने वाले आवेदक 21 जुलाई 2017 तक बै						
	(बक चालान से पुरास) के निर्धारित समय सीमा में भुगतान करें)	-10	07.201	7 2	2.07.2017	11	:30 PM
	के निधारित समय सामा न उत्ता मक महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवी	शत 19	01.20	1		1	
	के निर्धारित समय सीमा में भुगतान कर) ऑनलाइन प्रवेश आवंटन प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेशि ऑनलाइन प्रवेश आवंटन प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेशि					_	
1							
-	विद्यार्थियों का पाटल पर जा स्तार्थ	मन्त्री 24	.07.20	17		1	
	9 महाविद्यालयों में तृतीय चरण के पश्चात रिक्त रह रथानों की ज						
	9 महाविद्यालया न प्रताय	Thelena	रा में द	काउंस	लेंग के दि	नए र	गमस्त
	जारी करना (CLC धरण खु) जारी करना (CLC) में प्रवेश हेतु आवेदकों को म	BIIGHIC		त्तात व	रुना होगा	1	
T	9 महाविद्यालयों में तृतीय चरण के पश्चात रिक्स रहे का जारी करना (CLC चरण हेतु) College Level Counselling (CLC) में प्रवेश हेतु आवेदको को म आवश्यक दस्तावेजों सहित स्वयं उपस्थित होकर नियम आवश्यक दस्तावेजों सहित स्वयं उपस्थित होकर नियम	मानुसार	yar s	047	26.07.201	7	
	College Level Courisening (CLP) आवश्यक दस्तावेजों सहित स्वयं उपस्थित होकर निय- आवश्यक दस्तावेजों सहित स्वयं उपस्थित होकर निय- सी.एल.सी. चरण हेतु इच्छुक आवेदको को महाविद्यालय में उप	रिथत 2	4.07.2	017	20.01.2	1	
1.00	चिएलसी, चरण हतु इच्छुप जावरा हेना					-+	
T							
	होना एवं पाठ्यक्रम / विषय-समूह की विपर्य र म	1	27.07.2		82. 	1	
F	हीनी एव पाउनमार सी.एल.सी. चरण की प्रवेश सूची जीश करना				29.07.20	17	5:00 PM
	हीनी एव पाउनमार सी.एल.सी. चरण की प्रवेश सूची जीश करना		27.07.2		29.07.20		
	हाना एवं पाउन्नत गुन्न महाविद्यालय द्वारा सी.एल.सी. चरण की प्रवेश सूचा जारा करना महाविद्यालय द्वारा सी.एल.सी. चरण की प्रवेश सूचा जारा करना	-	27.07.2	2017			5:00 PM
	हाना एवं पाउंचना गून महाविद्यालय द्वारा सी.एल.सी. चरण की प्रवेश सूचा जारा करना (अ) ऑनलाइन शुल्क भुगतान की लिंक इनीशिएट करवाना	र्टल के		2017	29.07.20		
	हाना एवं पाउंचा गुर्गे महाविद्यालय द्वारा सी.एल.सी. चरण की प्रवेश सूची जारा करना (अ) ऑनलाइन शुल्क भुगतान की लिंक इनीशिएट करवाना (अ) जॉनलाइन शुल्क भुगतान की लिंक इनीशिएट करवाना	र्टल के भगतान	27.07.2	2017			
	हाना एवं पाउंचा गुर्गे महाविद्यालय द्वारा सी.एल.सी. चरण की प्रवेश सूची जारा करना (अ) ऑनलाइन शुल्क भुगतान की लिंक इनीशिएट करवाना (अ) जॉनलाइन शुल्क भुगतान की लिंक इनीशिएट करवाना	र्टल के भगतान	27.07.2	2017	29.07.20)17	11:30 P
	हाना एव पाउनमा गून महाविद्यालय द्वारा सी.एल.सी. चरण की प्रवेश सूचा जारा करना (अ) ऑनलाइन शुल्क भुगतान की लिंक इनीशिएट करवाना (ब) सी.एल.सी. चरण की प्रवेश सूची अनुसार आवेदकों द्वारा पोठ (ब) सी.एल.सी. चरण की प्रवेश सूची अनुसार आवेदकों द्वारा पोठ माध्यम से ऑनलाइन शुल्क जमा करना (बैंक चालान से अ	र्टल के भुगतान नेर्धारित	27.07.2	2017	29.07.20)17	
	हाना एव पाएनमा गून महाविद्यालय द्वारा सी.एल.सी. चरण की प्रवेश सूचा जारा करना (अ) ऑनलाइन शुल्क भुगतान की लिंक इनीशिएट करवाना (ब) सी.एल.सी. चरण की प्रवेश सूची अनुसार आवेदकों द्वारा पोत (ब) सी.एल.सी. चरण की प्रवेश सूची अनुसार आवेदकों द्वारा पोत माध्यम से ऑनलाइन शुल्क जमा करना (बैंक चालान से श् करने वाले आवेदक दि. 28 जुलाई 2017 तक बैंक के नि समय में भगतान करें)	र्टल के भुगतान नर्धारित संस्थान	27.07.2	2017	29.07.20)17	11:30 P
	हाना एव पाएनमा गून महाविद्यालय द्वारा सी.एल.सी. चरण की प्रवेश सूचा जारा करना (अ) ऑनलाइन शुल्क भुगतान की लिंक इनीशिएट करवाना (ब) सी.एल.सी. चरण की प्रवेश सूची अनुसार आवेदकों द्वारा पोत (ब) सी.एल.सी. चरण की प्रवेश सूची अनुसार आवेदकों द्वारा पोत माध्यम से ऑनलाइन शुल्क जमा करना (बैंक चालान से श् करने वाले आवेदक दि. 28 जुलाई 2017 तक बैंक के नि समय में भगतान करें)	र्टल के भुगतान नर्धारित संस्थान	27.07.2	2017	29.07.20)17	11:30 P
	हाना एवं पाउंचा गुर्गे महाविद्यालय द्वारा सी.एल.सी. चरण की प्रवेश सूची जारा करना (अ) ऑनलाइन शुल्क भुगतान की लिंक इनीशिएट करवाना (अ) जॉनलाइन शुल्क भुगतान की लिंक इनीशिएट करवाना	र्टल के भुगतान नर्धारित संस्थान	27.07.2	2017	29.07.20)17	11:30 P

JEsis. di

सं.